खण्ड-299, अंक-2
गुरूवार, 5 श्रावण, शक संवत् 1894
(27 जुलाई, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 299 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 27 जुलाई, 1972

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--384

अजबसिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूतखां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)

गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खंन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री

निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार,श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल , श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)

ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महाबीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशी लाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री

मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोती लाल यादव, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
राम गोपाल सण्ड, श्री
राम चरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)।
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम विलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री

लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपालसिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दरलाल गुप्त, श्री (उर्फ छम्मू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीरामसिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री

सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट--सामुदायिक विकास मन्त्री श्री बलदेव सिंह आर्य एवं सूचना राज्य सूचना मन्त्री श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 27 जुलाई, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

(26 जुलाई, 1972 का स्थगित अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न)

टाण्डा (फैजाबाद) में पावरलूम लाइसेंस हेतु प्रार्थना-पत्र

**1--श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद), श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन को जानकारी है कि टान्डा बुनकर यूनियन जिला फैजाबाद के माध्यम से 2,855 पावर लूम के लाइसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र मय शुल्क के दिनांक 10 मार्च, 1972 तक उद्योग विभाग को प्राप्त हुये हैं, जिसका लाइसेंस अभी तक जारी नहीं हुआ? यदि हां, तो दोषी कौन है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है तथा कब तक लाइसेंस जारी कर दिये जायेंगे?

लघु उद्योग मन्त्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)--

टान्डा जिला फैजाबाद से जो आवेदन-पत्र पावरलूम लाइसेंस हेतु प्राप्त हुये हैं वह टान्डा बनकर यूनियन के माध्यम से प्राप्त न होकर उद्योग निदेशक को आवेदकों से सीधे प्राप्त हुये हैं। टान्डा से 1751 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये जिनमें कुल 1979 पावरलूम के लाइसेंसों की मांग की गई है। टान्डा सहित, पूरे फैजाबाद जिले से कुल 2,367 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये जिनमें 2634 पावर लूम के लाइसेंसों की मांग, की गई। उक्त आवेदन-पत्र मय शुल्क के 10 मार्च, 1972 तक की निर्धारित अवधि में प्राप्त हुये हैं। यह सही है कि इन आवेदन-पत्रों के आधार पर अभी तक कोई लाइसेंस जारी नही हुआ है।

16 मार्च, 1972 को भारत सरकार के प्राप्त एक पत्र में केन्द्र द्वारा यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि नान काटन लूम का परमिट उन्हीं को दिया जाय जो करघे के मूल्य के तीन गुना उत्पादन तीन वर्ष में निर्यात करने के लिये लिखित रूप में आश्वासन दें। आश्वासन प्रपत्र अभी तक वस्त्रायुक्त बम्बई के प्राप्त नहीं हुये हैं जिनके लिये उन्हें स्मरण कराया गया है। निर्धारित प्रपत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

श्री विश्वनाथ कपूर---

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री को यह ज्ञात है कि दिनांक 10 मार्च, 1972 को बुनकर यूनियन, टांडा ने प्राविन्सयल कन्ट्रोलर, कानपुर, को एक पत्र लिखा था कि--- सेवा में निवेदन है कि आपके प्रेस नोट के अनुसार तारीख 5 सितम्बर, 1970 को अपने यूनियन के सदस्यों की 154 प्रार्थना-पत्र वास्ते पावरलूम लाइसेंस 100 रु० प्रतिलूम जमा करके दाखिल किया है लेकिन अब तक उसका लाइसेंस नहीं बनाया गया है तो मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २ साल हो गये और उनको लाइसेंस क्यों नहीं दिया गया ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, यह रेगुलराइजेशन का मसला है। यूनियन ने जो पत्र दिया है, उस पर जब विचार होगा तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

केन्द्रीय सरकार से कब पत्र आया ? अभी तक प्रतिबन्ध के आश्वासन प्रपत्र क्यों नहीं प्राप्त हुए उन्हें लाइसेंस क्यों नहीं दिया गया ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

केन्द्रीय सरकार ने 16 मार्च, 1972 को प्रतिबन्ध लगाया ? लाइसेंस देने की प्रणाली यह है मान्यवर, कि जिसको लाइसेंस दिया जाता है, वह एक वर्ष के अन्दर लगा ले। फिर दो वर्ष दिया जाता है। अगर 3 वर्ष में नहीं लगाया तो उनका प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है। इस कार्यवाही में देर हुई और उसके बाद उनका पत्र आया। तो इसमें वस्त्रायुक्त से आश्वासन-पत्र मांगे गये। लेकिन वे अभी वहां से प्राप्त नहीं हुये हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर---

क्या माननीय मन्त्री जी ये 154 प्रार्थना-पत्र पावर लूम लाइसेंस के लिये दिनांक 5 सितम्बर, 1970 को आये थे उनके बारे में शीघ्र निर्णय लेकर उनको शीघ्र से शीघ्र लाइसेंस देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

आश्वासन तो नहीं दे सकता लेकिन कोशिश करेंगे कि उनको शीघ्र लाइसेंस मिलेंगे।

श्री सुरेन्द्र विकम---

मान्यवर, 100 रुपया प्रतिलूम दाखिल हुये है। क्या जिनको लाइसेंस नहीं मिले, उनके रुपये शीघ्र वापस करवायेंगे ?

डा० रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, वह पहले से ही कि जिसको लायसेंस नहीं मिलता है उसको लिखकर जाता है कि अपना रुपया वापस ले लें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये आश्वासन- प्रपत्र किस तिथि में उनसे मांगे गये और क्या दुबारा कोई रिमाइन्डर गया ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, मई में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया और जून में आश्वासन-पत्र के लिए लिखा गया और फिर 17 जून को तार भी दिया गया। लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है ।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पावरलूम का काम करने वाले बुनकर अधिकृत फर्मों से करघे नहीं लेते हैं उन्हें परमिट नहीं दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या कानून में कुछ परिवर्तन कर उन्हें प्राथमिकता देंगे कि जो लोग करघे किसी प्रकार से ले लें उन्हें परमिट दिये जायं और वह काम कर सकें?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, राज्यादेश तो यही है कि सब करघे लायसेन्स लेकर चलाए जायं, लेकिन चूंकि बेरोजगारी है, कुछ लोग इस धंधे को कर लेते हैं इसलिये बहुत ज्यादा कड़ाई नहीं की जाती।

श्री हिम्मत सिंह---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पावरलूम के लाइसेन्स के लिये ये प्रार्थना-पत्र कौन-कौन साल के पड़े हुए हैं? कितने 70 के हैं, कितने 71 के हैं?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, 70 या 71 के कौन हैं इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन जो यह सवाल चल रहा है वह तो 71-72 का ही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह हमारे यहां का बड़ा छोटा उद्योग है, इसके ऊपर जो पाबन्दी है एक्सपोर्ट वाली, क्या मंत्री जी इसमें कुछ ढिलाई करने पर विचार करेंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

असल में केन्द्रीय सरकार का नियम है, लेकिन फिर भी निदेशक ने लिखा है कि चूंकि पावरलूम ज्यादातर पूर्वी अंचल में हैं और वहां ज्यादा गरीब हैं, इसलिये यह प्रतिबन्ध उनसे हटा लिया जाय। तो यह लिखा जा चुका है, अभी इसका उत्तर नहीं आया है।

श्री रामलाल राही---

क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि कुछ बुनकर ऐसे हैं जिन्होंने करघे ले लिये हैं लेकिन उन्हें परमिट नहीं दिये जा रहे हैं, क्या मंत्री जी अधिकारियों को यह आदेश देंगे कि जो प्रार्थना-पत्र उन्होंने दिए हैं उनको लायसेन्स दे दिये जायं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, हमारी आवंटन समिति है जो संस्तुति करती है केन्द्रीय सरकार को। लेकिन जो उसके नियम हैं उसके अनुसार संस्तुति करती है। अगर किन्हीं ने आवेदन-पत्र दिये हैं और वह शर्तें पूरी करेंगे तो संस्तुति कर दी जाएगी।

श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)---

क्या मंत्री जी, इस बात को देखते हुए कि यह केवल टण्डा का प्रश्न हीं नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का है, पावरलूम के सभी प्रार्थना-पत्रों की जांच करा के शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

जी हां, कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके, लायसेन्स दिलाये जायं।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

क्या जलालपुर और अकबरपुर जिला फैजाबाद के लोगों के प्रार्थना-पत्रों पर आपने कोई निर्णय लिया है या नहीं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, मैंने तो उत्तर पूरे फैजाबाद जिले का भी दे दिया। माननीय सदस्य चाहें तो पूरे प्रदेश का भी मिल सकता है ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेगें कि उन्होंने यह बताया कि मई 72 में पत्र लिखा गया और जून में स्मरण पत्र दिया गया । 174 प्रार्थना-पत्र इन दो वर्षों के बीच में आये। इन दो वर्षों के बीच में क्या किया गया है। मई 11 को प्रश्न किया था कि आपने अब तक इस पर क्या कार्य किया। कितने प्रार्थना-पत्र आपने गवर्नमेंट आफ इन्डिया को इसके विषय में लिखे।

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, इतनी बड़ी सूचना तो इस समय मेरे पास नहीं है ?

श्री शिव राज सिंह (जिला बदायूं)---

पावर लूम को लाइसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में कुछ नियम लागू किये गये हैं। क्या मंत्री जी आबंटन के नियमों को बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, इसके लिये एक फार्म होता है जिस पर आवेदन-पत्र दिया जाता है जिसमें इसके विषय की शर्तें अंकित हैं। वह इस समय मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य उसको देखना चाहें तो मैं उनको वह दिखा दूंगा।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

पावरलूम दिये जाने के सम्बन्ध में आल इंडिया की गाइडिंग पालिसी है। महाराष्ट्र तथा अन्य प्रदेशों में पावर लूम के लाइसेन्स लोगों को बड़ी सुविधा के साथ दिये जा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में भी उसी का अनुकरण करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मैं अपने अधिकारियों को उन प्रदेशों में भेज रहा हूं और उनके आने पर देखकर उसका अनुकरण करने का प्रयास करूंगा।

श्री विश्वनाथ कपूर---

10 मार्च, 1972 तक पावरलूम के लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र मागें गये थे उसमें यह शर्त थी कि जो उत्पादन होगा उसमें से निर्यात भी करना होगा। जो छोटे बुनकर हैं वे ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि निर्यात कर सकें। अगर यह शर्त लागू रहेगी और वे निर्यात नहीं कर सकेंगे तो वे बेकार हो जायगे। क्या मंत्री जी इस शर्त को शिथिल करवायेंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को निदेशक ने लिखा है कि यह प्रतिबन्ध उन छोटे उत्पादकों पर न लगाया जाय। वहां से कोई उत्तर नहीं आया है। हमारी कोशिश जारी है कि यह शर्त हटा दी जाय तो अच्छा होगा।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग

**1---श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर), श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ) तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार ने सन् 1972 में राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिये कुछ सुझाव दिये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं तथा क्या राज्य सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है ? यदि हां, तो क्या है ?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

उत्तर प्रदेश के विभाजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से न तो कोई सुझाव ही प्राप्त हुआ है और न ऐसी कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री त्रिलोक चन्द---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब देश में छोटे-छोटे राज्यों का जैसे कि हिमांचल प्रदेश, त्रिपुरा आदि का विभाजन होकर 50, 60 लाख की आबादी के प्रदेश बन गये तो हमारा प्रदेश तो बहुत बड़ा है और यहां की जनसंख्या 9 करोड़ से अधिक है। क्या इसको देखते हुये केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश करेंगे कि आबादी के हिसाब से उसके टुकड़े कर दिये जायें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

ऐसा कोई विचार वर्तमान सरकार के पास नहीं है।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)---

क्या मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि यह सवाल इस सदन में कई बार उठ चुका है और सदन की अभी भी वही भावना बनी हुई है। मंत्री महोदय स्वयं भी यह अनुभव कर रहे होंगे कि यह प्रदेश बहुत बड़ा है इस कारण से उसका प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है। क्या आश्वासन देंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

यह केन्द्रीय प्रश्न है और इस सरकार के लिये इसका आश्वासन देना सम्भव नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विषय में अपनी कोई नीति तय की है। देहरादून में पर्वतीय राज्य सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के दो एम० पी० ने भी भाग लिया था। क्या सरकार ने इस विषय में भी कोई नीति निर्धारित की है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

किसने भाग लिया और क्या अपनी व्यक्तिगत राय उस पर प्रकट की इसकी जानकारी शासन को नहीं है और न इसकी आवश्यकता ही समझता है। मैंने पहले ही कहा कि इस समय शासन के सामने ऐसा कोई प्रश्न विचारणीय नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

जब स्वर्गीय पंतजी यहां के मुख्य मंत्री थे तो कुछ सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया था, आजकल भी वे सदस्य हैं, तो यह निश्चय हुआ था कि प्रदेश के हित में विभाजन करना कल्याण-कारी नहीं होगा? क्या इसकी जानकारी मंत्री महोदय को है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

उस समय क्या निर्णय हुआ था यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन आज बहुमत की यह राय है और जनसाधारण की एक बहुत बड़ी तादाद की यह राय है कि विभाजन से प्रदेश का कल्याण नहीं होगा, उसका अहित होगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

यह देखते हुये कि प्रदेश के विभाजन की मांग अक्सर उस क्षेत्र से उठ रही है जो प्रदेश का डेवलप्ड एरिया है जिसके पीछे सिवाय पोलिटिकल मोटिवेशन के और दूसरी चीज नहीं है, क्या मंत्री जी स्पष्ट ऐलान करेंगे कि प्रदेश का कोई विभाजन नहीं होगा?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

इस समय तो स्थिति यही है कि विभाजन का न तो कोई प्रश्न उठता है और न उस पर विचार करने की कोई आवश्यकता है।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के एक सदस्य सरदार पणिक्कर ने सन् 55 में अपने विचार प्रकट करते हुये यह लिखा है कि इस राज्य के कारण ही हिन्दुस्तान में असन्तुलन है और जब तक यह राज्य नहीं बांटा जाता तब तक इसमें विकास और प्रशासन व्यवस्था नहीं रह सकती ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

यह सही है कि पणिक्कर साहब ने एक नोट लिखा था लेकिन वह नोट आफ डिसेन्ट था और स्वयं स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमीशन उस राय से सहमत नहीं था और न केन्द्रीय सरकार ने, न पार्लियामेंट ने उसे माना था।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

जिन कारणों से यह प्रश्न उठ रहा है क्या उन कारणों पर शासन ने विचार किया और विचार किया तो उन कारणों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

इसके पीछे क्या कारण हैं, किन कारणों से यह प्रश्न उठाया जा रहा है यह कोई ऐसा स्पष्ट नहीं है कि जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो। कुछ लोगों को ऐसी भावना है अपने कारणों से तो उनको ऐसे विचार रखने का अधिकार है, लेकिन शासन को इसकी आवश्यकता नहीं है कि इस पर विचार करे।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि जब स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट सामने आयी थी उसके कुछ दिनों बाद ही केन्द्रीय सरकार ने जिसका यह सब्जेक्ट है यह महसूस किया था कि छोटे-छोटे राज्य भारत जैसे देश के लिये कतई मुनासिब नहीं हैं और इसलिये उन्होंने रीजनल कौंसिल बनायी थीं ईस्टर्न, वेस्टर्न, नार्दर्न, सदर्न और सेन्ट्रल ? तो क्या यह सरकार भारत सरकार से दृढ़ता के साथ यह सिफारिश करेगी कि छोटे-छोटे राज्यों का जैसे जैसे अभ्युदय हो रहा है वैसे वैसे इस देश में बिगड़ाव, अलगाव, साम्प्रदायिकता आदि की भावना बढ़ती है और एक संगठित भारत के लिये केवल पांच राज्यों की आवश्यकता है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, माननीय सदस्य का सुझाव प्रशंसनीय है लेकिन केन्द्र की सरकार अपने आप जागरूक है। कमीशन ने स्वीकार नहीं किया, पार्लियामेंट ने इसको नहीं माना। इसलिये इस प्रकार का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या यह सही नहीं है कि एक तरह से पूरा उत्तर प्रदेश ही पिछड़ा हुआ है और सरकारी पक्ष और उसके समर्थक लोग इस अवस्था की तरफ से ध्यान हटाने के लिये पूर्व, पश्चिम और मध्य का झगड़ा खड़ा करते हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सरकारी पक्ष तो ऐसा कोई झगड़ा खड़ा नहीं करता है। वह तो इस बारे में निश्चित है कि प्रदेश के बंटवारे की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री बलबीर सिंह—

जैसा अभी हवाला दिया गया है कि सरदार पणिक्कर ने स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट में यह लिखा है, डिसेन्ट नोट ही सही, कि यह मांग उचित है और इसके अलावा जनता की भावना को देखते हुये इन सब बातों की जानकारी करने के लिये क्या सरकार कोई कमीशन नियुक्त करने को तैयार है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जो ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सदन को अवगत कराया—न तो कमीशन ने ऐसी कोई रिपोर्ट की है और न पार्लियामेंट में ऐसी कोई बात आई है, जिसको स्वीकार किया जाए। इसलिये कमीशन को नियुक्त करने और इस विषय में ज्यादा गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि चूंकि उनके दल में ऐसे अनेक लोग हो गये हैं, जो प्रदेश का बटवारा होने में अपना हित देखते हैं—उनमें मंत्री होना चाहते हैं, वह अपने दल में अनुशासन कायम करेंगें और ऐसा प्रयास करेंगें कि पूर्व और पश्चिम सभी का समान विकास हो तथा इधर के लोग जो कभी-कभी इस प्रश्न को उठाते हैं, वे न उठाए ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह एक अनुशासित दल है। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते कि पार्टी मैनडेट के खिलाफ कोई चला जाएगा, न मैं किसी से जाने की आशा करता हूं।

आग्नेय अस्त्रों के कारतूस

**2—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

** दिनांक 11-5-72 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 35 (घ) के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार को जानकारी है कि 307 प्रकार में विभिन्न बोरों के अग्नेय अस्त्र नागरिकों के पास हैं जिनमें से भारतवर्ष में केवल 9 प्रकार के अग्नेय अस्त्र के कारतूस बनते हैं और बाकी विदेश से आयात न होने से उपलब्ध नहीं है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जी नहीं। शासन को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

अध्यक्ष जी, आप इतने बड़े मंत्री की मासूमियत देखें। लड़ते भी हैं—तलवार नहीं। इनको कोई जानकारी नहीं है। इनसे आप स्पष्ट जवाब दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष—

वह बन्दूक चलाना जानते नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनको जानकारी क्यों नहीं हासिल हुई? क्या यह सिविल डिफेंस में बाधा नहीं है ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि "307 प्रकार में विभिन्न बोरों के अग्नेय अस्त्र नागरिकोंके पास है जिनमें से भारतवर्ष में केवल 9 प्रकार के अग्नेय अस्त्र के कारतूस बनते हैं और बाकी विदेश से आयात न होने से उपलब्ध नहीं हैं, तो जो यह बात है कि 'उपलब्ध नहीं हैं. इसकी कोई जानकारी सरकार को नहीं है। क्योंकि जितने कारतूस होते हैं वे सब उपलब्ध हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

ऐसा नहीं है। हिन्दुस्तान में जो बनते हैं वे उपलब्ध हैं, दूसरे नहीं। जो हिन्दुस्तान में बनते नहीं और उनका इम्पोट होता नहीं तो फिर वे कैसे उपलब्ध हैं ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

मान्यवर, इस समय हमारे प्रदेश में 39 प्रकार के ऐसे अस्त्र हैं ,जिसमें 39 प्रकार के कारतूस इस्तेमाल होते हैं, जो कि सारे उपलब्ध हैं। अब इसके अलावा और किस तरह से, और कितने प्रकार के यहां हैं, तो भगवान जाने, शासन को उसकी जानकारी नहीं है। वे अवैधानिक ही हो सकते हैं। उसका ब्योरा उपलब्ध उत्तर प्रदेश में नहीं है और न तो आज-तक ऐसी कोई सूचना आई है कि इस तरह के अस्त्रों के कारतूस उपलब्ध न होने के कारण कोई अपने अस्त्र सरेन्डर करने के लिये तैयार हुआ हो।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मेरी जानकारी है कि कुछ ऐसे अस्त्र हैं जिनके कारतूस पहले विदेशों में बनते थे, किन्तु अब वे जापान, लन्दन आदि में भी बनना बंद हो गये हैं। जैसे रायफल 500, 600 577, 307 नं० 2, 458, जैसे 33 विन्चेस्टर, 32 40 विन्चेस्टर, जैसे 310, जैसे 300 सरउड या जैसे 465, 475, 270, 220, 256, तो ऐसे बहुत से हैं। तो इस तरह के विभिन्न बोर के रायफल हैं, जिनके उत्तर प्रदेश में लाइसेंस हैं, लेकिन

यहां 307 प्रकार के वीपंस के लाइसेंस रजिस्टर पर चढ़े हुए हैं। इसकी जानकारी मंत्री जी को होनी चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी को इसकी जानकारी क्यों नहीं है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मैं इसको मानता हूं, आप ठीक कहते हैं, मैं इसकी जरूरत समझता हूं कि जो मैंने इतने बोर, वीपंस और रायफल्स के नाम नहीं लिये। अब जानने की कोशिश करूंगा, जब इसमें लगा दिया गया हूं। अब तो करना ही पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, जितने बोर के नाम यहां अभी माननीय सदस्य ने लिय वे लाइसेन्स शुदा लोगों के हैं, नाजायज वाले नहीं हैं। तो यदि यह सब हथियार मौजूद हैं तो उनमें इस्तेमाल होने वाले कारसूतों का उत्पादन अपने यहां ही मंत्री जी करायेंगे या उनकी मंगाने की व्यवस्था बाहर से करेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्री सुरेन्द्र विक्रम जी को जिस बोर की जरूरत है हम दे सकते हैं .... (हंसी)

श्री अध्यक्ष--

आप उनको बोर न करें। (हंसी)

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, जो सूचना है वह दे दी। अब और अगर कोई सूचना माननीय सदस्य चाहत हैं तो उसकी जानकारी प्राप्त करके दी जा सकती है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

प्रदेश में कितने प्रकार के बोर के लाइसेंस दिये हुये हैं क्या उस सब की जानकारी करा कर माननीय मंत्री जी सदन को देंगे तथा जो कारतूस उपलब्ध नहीं हैं उन्हें बाहर से मंगाने की व्यवस्था करेंगे क्योंकि नेशनल राइफल एसोशिएशन आफ इण्डिया कुछ कारतूसों का इम्पोर्ट करती है, आप भी इसकी व्यवस्था करा दें ?

श्री रियासत हुसैन--

माननीय सदस्य यह बतला दें कि उनके पास कौन सा बोर है।

(हंसी)

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, हमारे प्रदेश में जितने आर्म्स होते हैं उसकी सूचना जिलाधीश के पास होती है। माननीय सदस्य जिन बोरों के संबंध में जानकारी चाहते हैं या जो जानकारी भी वे चाहते हैं उसे वे मुझे लिख कर दे दें। मैं उसकी विस्तृत जानकारी करा लूंगा। आपकी आज्ञा होगी तो मैं पूरे प्रदेश में जितने प्रकार के आर्म्स हैं उसका भी सर्वे करा लूंगा, लेकिन उसमें काफी समय लगेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

माननीय सदस्य बोरों को बोरे बनाकर सदन को बोर कर रहे हैं .....

(हंसी)

कादर चौक थाने (बदायूं) के हवालात में श्री लाखन जाटव की मृत्यु

**3--श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिला के कादर चौक थाने की हवालात में 6-7-72 को रमजानपुर निवासी लाखन जाटव की मृत्यु हो गई? यदि हां, तो यह रहस्यमय मृत्यु किन कारणों से हुई एवं क्या बदायूं कोतवाली में उसकी मृत्यु के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट लिखाई गई है, यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कादर चौक, जिला बदायूं पर दिनांक 28-6-72 को धारा 325/323/504, भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कायम हुए एक मुकदमें के अभियुक्त लाखन जाटव, निवासी, ग्राम रमजानपुर को थाना कादर चौक के दो कान्सटेबिल दिनांक 6-7-72 को गिरफ्तार करके प्रातः 8 बजे थाने पर लाए थे। उसके पैरों पर 4 चोटें और सूजन थी। लाखन ने थाने पर लगभग साढ़े आठ बजे जी घबराने की शिकायत की और उसी समय उसकी हालत खराब हो गई। तुरन्त ही पास में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर को बुलाकर उसका उपचार कराया गया। हालत में कुछ सुधार मालूम होने पर डाक्टर चले गये। लगभग 2 घंटे बाद उसकी हालत गम्भीर हो गई। अतः उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई।

लाखन की मृत्यु के कारणों के बारे में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है।

थानाध्यक्ष कादर चौक को निलम्बित कर दिया गया है और दोनों कान्स्टेबिल जो लाखन को गिरफ्तार करके लाए थे उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है।

लाखन की मृत्यु के सम्बन्ध में उसके पुत्र नेमचन्द्र ने कोतवाली बदायूं में दिनांक 7-7-72 की रात को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की दाखिल की कि थानाध्यक्ष कादर चौक ने 6-7-72 को सुबह उसके पिता को थाने पर जबरदस्ती हाजिर कराया, वहां उसे बुरी तरह मारा-पीटा गया जिसके कारण उसकी सांस बन्द हो गई और वह मर गया। थाना कोतवाली पर उक्त रिपोर्ट धारा 302 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज की गई और अपराध का सम्बन्ध थाना कादर चौक से होने के कारण उसकी प्रतिलिपि उक्त थाने पर भेजी गई जहां मुकदमा कायम हुआ।

जांच जारी है।

श्री अध्यक्ष--

यह जरा देखिये। 7 जुलाई को रात को लिखित रिपोर्ट दी उसने कि 8 तारीख को मर गया। तो पहले उसको मालूम हो गया कि वह कल मरेगा?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

6-7-72 को 8 बजे थाने पर लाये।

श्री अध्यक्ष--

मेरे इसमें 8 लिखा है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

यह गलती हो सकती है।

श्री हिम्मत सिंह---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि 6-7-72 को इस लाखन को पकड़ कर लाये थे, किसकी रिपोर्ट के आधार पर लाये थे और वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

28-6-72 को सुन्दर, पुत्र लच्छमन जाटव निवासी रमजानपुर ने लिखित सूचना थाना कादर चौक पर दी कि 10 बजे के करीब नरायन पुत्र हुलासी व लीले पुत्र हुलासी उसकी दीवाल को अपना बता कर मिटटी लगा रहे थे, जिस पर सुन्दर वादी ने उन्हें मना किया, पर वे नहीं माने और गालियां देने लगे। उसी समय नरायन व लीले की सहायता में नेमचन्द पुत्र लाखन व लाखन पुत्र बल्देव भी आये और नेमचन्द ने वादी के लड़के खेमकरन पर लाठी चलायी। जब वादी और उसकी स्त्री ने उसे बचाना चाहा तो चारों व्यक्तियों ने वादी व उसकी पत्नी व उसके लड़के खेमकरन को लाठी से मारा। इस तरह की रिपोर्ट थी।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

माननीय मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लाखन के पुत्र नेमचन्द ने कोतवाली में धारा 302 में जो रिपोर्ट लिखायी, क्या उन अभियुक्तों की धारा 302 में गिरफ्तारियां की गयीं या नहीं, अगर नहीं की गयीं तो क्यों ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

पुलिस के अधिकारियों के विरुद्ध उसमें आरोप लगाया था कि मारा-पीटा और मृत्यु हुई। इसकी जांच हो रही है। फिलहाल वह निलम्बित कर दिये गये हैं।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय वह थाने में आया उसकी हालत वहां गम्भीर हो गयी, कादर चौक थाना बदायूं से 6-7 मील है, वहां पर किसी मैजिस्ट्रेट और डाक्टर को बुलाया गया, अगर नहीं, तो क्यों ?

दो घंटे के बाद ही मृत्यु हुई इस बीच में वहां से मजिस्ट्रेट और डाक्टर दोनों आ सकते थे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

वहां प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र उपलब्ध था। उसके डाक्टर को बुला कर जो सक्षम डाक्टर माना जाता है, उसको बुला कर उसके उपचार की व्यवस्था की गयी।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

प्रश्नकर्ता का प्रश्न यह था कि मजिस्ट्रट को क्यों नहीं बुलाया, जब दो घंटे पहले हालत गम्भीर थी, और नहीं बुलाया तो क्यों ?

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

सवाल के दो भाग थे। एक तो पता लग गया था कि उसकी दशा गम्भीर है। कादर चौक थाना बदायूं से 6-7 मील की दूरी पर है, तो मैजिस्ट्रेट को डाइंग डिक्लेरेशन के लिये क्यों नहीं बुलाया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, मर जाना निश्चित तो था नहीं, कि मर ही जायगा। उस समय उसकी ऐसी कोई गम्भीर हालत नहीं थी। डाक्टर उपचार कर रहा था। उसको फिट्स आते

थे, मिर्गी आती थी। इन कारणों से शायद आवश्यता नहीं समझी। इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी चूंकि गम्भीर आरोप पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध हैं इस जांच को सी० आई० डी० के द्वारा करवाएंगे, नम्बर 2 यह कि जिन लोगों को अभी तक निलम्बित नहीं किया गया उनको निलम्बित करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जो लोग इससे सम्बन्धित हैं उनको तत्काल निलम्बित कर दिया गया है। फिलहाल सी० एल० कुरील, परगनाधीश, बदायूं जांच कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो सी० आई० डी० के अधिकारी से इसकी जांच कराई जायगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जब उसकी हालत नाजुक मिली और डाक्टर को बुलाया गया तो क्या उपचार के साथ उसका डाक्टरी मुआयना भी किया गया था ? यदि हां, तो क्या-क्या चोटें उसके बतलाई गई थीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

डाक्टरी जांच भी करवाई गयी थी। डाक्टरी रिपोर्ट में कोई ऐसी गंभीर चोट नहीं बताई गयी है जो एपेरेंटली दिखलाई पड़ती हो और जो उसकी मृत्यु का कारण बना हो।

श्री अध्यक्ष---

दो तरह की रिपोर्ट्स हैं। एक तो पुलिस वालों की तरफ से है जिनके ऊपर आरोप है और दूसरी उसके लड़के ने की जिसके कारण पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। मतलब यह है कि उनकी रिपोर्ट गलत मालूम होती है ? जब सस्पेंड किया तो मतलब यह है कि पुलिस की रिपोर्ट गलत है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

उसके लड़के ने 302 की रिपोर्ट की। प्रश्न यह उठता है कि थाने में उसे मारा गया। यह शंका होने पर कि जांच में बाधा पड़ सकती है इसलिये उनको सस्पेंड किया गया ताकि उनके खिलाफ जांच निष्पक्ष हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

रिपोर्ट को अगर सही मानते हैं तो सस्पेंड करने की जरूरत नहीं थी लेकिन सस्पेंड इसलिये किया गया कि उसके लड़के ने कोतवाली, बदायूं में रिपोर्ट की कि उसको मारा पीटा गया और तभी उसको सस्पेंड किया गया। लिहाजा पहली जो रिपोर्ट है वह गलत मालूम पड़ती है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

सुन्दर, लीला इत्यादि ने यह रिपोर्ट लिखाई कि नेमचन्द वल्द लाखन, लाखन वल्द बलदेव ने सुन्दर के लड़के को लाठी से मारा पीटा। कुछ लोग तत्काल उस सम्बन्ध में गिरफ्तार कर लिये गये। यह फरार हो गया। उसको गिरफ्तार करने के लिये पुलिस गयी तो उसके लड़के ने कहा कि पुलिस वालों ने उसे मारा पीटा और मारने पीटने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। यह आरोप था कि इनके रहने पर दबाव डाला जा रहा है डाक्टर तथा

गवाहान पर। लिहाजा यह निश्चय किया गया कि उनको हटा दिया जाय ताकि निष्पक्ष जांच हो जाय ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

सभी राजनीतिक दलों ने वहां के जिलाधीश तथा एस० पी० से यह अनुरोध किया था कि उनका जो पोस्ट मार्टम हो वह सिविल सर्जन से कराया जाय लेकिन ऐसा नहीं हुआ ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, उसके लड़के ने चाहा था चूंकि डाक्टर के ऊपर दबाव पड़ रहा है इसलिये उसकी जांच सिविल सर्जन, बरेली से कराई जाय और डी० एम० ने तत्काल सिविल सर्जन, बदायूं को लिख दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, पोस्ट मार्टम हो रहा है, वह ठिकाने से हो रहा है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जब यह बात साबित हो गयी कि दबाव पड़ रहा है तो सरकार को क्या कठिनाई है कि सी० आई० डी० के जरिये इसकी जांच न कराई जाय ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैंने कभी आपत्ति नहीं की कि सी० आई० डी० के जरिये से जांच न कराई जाय। जांच चल रही है और तथ्य निकल रहे हैं। अगर देखा गया कि तथ्य नहीं निकल पा रहे हैं तो सी० आई० डी० को भी मामला भेज दिया जायगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जब एविडेंस को खत्म करने का मौका पहले सरकार दे रही है और इस प्रकार केस को खत्म कराया जा रहा है तो बाद को सी० आई० डी० क्या करेगी ? इवीडेन्सेज को क्यों खत्म करने का मौका दिया जा रहा है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैं समझता हूं कि यह प्रश्न नहीं है, यह आरोप है। अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जो रेगुलर जांच हो रही है पुलिस की, उसको बन्द करके सी० आई० डी० से जांच करा दें तो वह भी हो जायेगा। लेकिन बात यह है कि जब पुलिस जांच करती है तो तत्काल कार्यवाही शुरू हो जाती है और जब सी० आई० डी० से जांच करवाई जाती है तो उस दशा में जब तक वह पूरी जांच नहीं कर लेते हैं तब तक कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। वैसे आप सी० आई० डी० से जांच करवाना चाहते हैं तो वह भी हो जायेगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

वही आप करा दें ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ा मौलिक प्रश्न उठाया था। मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि डाक्टरी जांच में किसी प्रकार की इन्जुरी नहीं पायी गई। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो पुलिस, अधिकारी व कर्मचारी थे, उनको मुअत्तल क्यों किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि मामला बहुत स्पष्ट है । एक रिपोर्ट थाने में थानेदार की हुई। उसके बाद एक आरोप लगा कि नहीं साहब, ऐसे नहीं मरा, मारा गया है। इसलिये इसकी जांच होनी चाहिये कि जो रिपोर्ट आई वह सही थी अथवा जो थानेदार ने रिपोर्ट दी थी वह सही है। इसलिये सस्पेंड किये गये।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 6 तारीख को प्रातः इस लाखन जाटव नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई और 7 तारीख को यानी 24 घंटे के बाद पोस्टमार्टम हुआ और वह भी तब हुआ जब मृतक के लड़के ने दरख्वास्त दी कि यह पोस्टमार्टम दबाव के आधार पर हो रहा है इसलिये इसकी निष्पक्ष जांच हेतु यह जांच बरेली के सिविल सर्जन से करायी जाय? अन्यथा 24 घंटे तक डाक्टरी जांच क्यों नहीं करायी गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण —

मान्यवर, बदायूं के सिविल सर्जन को वहां के डी० एम० ने संकेत किया कि ऐसा-ऐसा प्रश्न है और ऐसी बात उठायी जा रही है इसलिये आप इसको देखें। इस पर उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के दबाव में कोई पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है और बरेली के सिविल सर्जन से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, ऐसी स्थिति नहीं आनी देनी चाहिए जिससे संदेह की गुंजाइश हो। तो जब कलेक्टर इस बात से सहमत हो गया कि इसकी जांच किसी अन्य सिविल सर्जन से होनी चाहिए, फिर वह क्यों नहीं किया गया? क्या माननीय मुख्य मंत्री सिविल सर्जन के इस रवैये के प्रति कार्यवाही करने की कृपा करेंगे कि क्यों उन्होंने कलेक्टर की बात नहीं मानी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई आज्ञा नहीं दी। उन्होंने तो सिविल सर्जन से यह कहा कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है इसलिये क्या इस मामले की जांच बरेली के सिविल सर्जन के पास भेज दी जाय? इस पर उन्होंने कहा कि कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है, पोस्टमार्टम ठीक तरीके से हो रहा है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

*1—श्री कल्याण सिंह तथा श्री नेतराम सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

भरथना तथा दिबियापुर (इटावा) के थाना क्षेत्रों में कत्ल एवं डकैतियां

*2—श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा), श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी, (जिला कानपुर), श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर) तथा श्री त्रिलोक चन्द्र —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इटावा जिले के भरथना और दिबियापुर थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर अप्रैल, सन् 1972 में किन-किन लोगों के घरों पर सशस्त्र

डकैतियां पड़ीं और किन-किन लोगों की किस-किस स्थान पर किस प्रकार हत्या की गई और प्रत्येक रिपोर्ट में अपराधी व्यक्तियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

प्राप्त सूचना के अनुसार इटावा जिले के भरथना और दिबियापुर थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत अप्रैल, सन् 1972 में डकैतियों की 5, डकैती सहित हत्या की। तथा हत्या की। घटनाओं की रिपोर्टें सम्बन्धित थानों में लिखाई गई। इन घटनाओं के सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 345–347 पर)

श्री भारत सिंह चौहान--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 19/20 अप्रैल, 1972 की रात भरथना कस्बे में जहां पुलिस थाना है वहां डाकू दो घंटे तक फायरिंग करते रहे और सरदार सन्त सिंह के घर में तथा खादी भंडार में वे लूटमार करते रहे और उन्होंने दो महिलायें व एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी ? दो घंटे तक लूटपाट की गयी और पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, तो उसकी कर्त्तव्यपालन हीनता के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

19/20 अप्रैल 1972 की रात को एक घटना हुई और जैसे ही पुलिस को सूचना आयी उस पर कार्यवाही शुरू हुई। 6 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनको दिनांक 29 अप्रैल, 1972 को जेल भेज दिया गया। एक अभियुक्त ने दिनांक 4 मई, 1972 को न्यायालय में आत्मसर्पण किया जिसको उसी दिन जेल में भेज दिया गया। जांच जारी है ।

श्री भारत सिंह चौहान--

भरथना शहर जहां पुलिस थाना और जहां पुलिस का बहुत बड़ा अमला रहता है उस कस्बे में डाकू लोग 2 घंटे तक फायरिंग करते रहे लूटमार करते रहे और थाना से वह स्थान २ फर्लांग दूर होते हुये भी घटनास्थल पर फोर्स नहीं पहुंची तो उस पुलिस के खिलाफ इतने दिन बाद क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

पहले एफ आई० आर० में लिखा है--"मैं हे० कां० मय कानिस्टेबिल 126 गोपीचन्द मोहल्ला मन्दिर दान सहाय में गस्त कर रहा था कि मोहल्ला महावीर नगर की ओर से बन्दूक के फायर होने का आवाज सुनाई दी कि हम लोग फायरों की आवाज पर मोहल्ला महावीर नगर पहुंचे तो मालूम हुआ कि सन्त सिंह के मकान में डकैती हो रही है। सूचना को आया हूं। यह घटना करीब 1.35 बजे रात की है। बयान सुना सुन कर तस्दीक किया यही लिखाया है।" इसके बाद पुलिस वहां पहुंची तब तक यह घटना हो चुकी थी।

श्री त्रिलोक चन्द--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि भरथना थाना घटनास्थल से कितनी दूर है और क्या यह सही है कि इन डाकुओं द्वारा दो महिलाओं और एक आदमी की हत्या हुई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह स्थान मोहल्ला महावीर नगर कस्बा भरथना 2 फर्लांग पूरब उत्तर को है। श्रीमती महेन्द्र सिंह पत्नी सन्त सिंह, श्रीमती बसन्त कौर पत्नी ईश्वर सिंह और श्री सदानन्द पुत्र देवी दयाल की हत्या की गयी।

श्री बलवीर सिंह—

डायरी में तो यह लिखा होगा कि पुलिस वहां कितने बजे पहुंची और डकैत कितनी देर तक लूटमार करते रहे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसमें केवल इतना है कि 1.35 बजे की यह घटना है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

सरदार सन्त सिंह के यहां डकैती पड़ी और साथ ही साथ खादी भंडार भरथना में भी डकैती पड़ी और दो घंटे तक डाकू बराबर गोली चलाते रहे और घटनास्थल से थाना 2 फर्लांग दूर होते हुये भी पुलिस वहां नहीं पहुंची, इसका क्या कारण है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उसी दिन एक घटना और भी हुई। श्री हरवंश सिंह पुत्र श्री कालीचरन यादव, नगला इकथरा मौजा वीरसेन, थाना भरथना के यहां। यह कहना ठीक नहीं है कि पुलिस नहीं पहुंची। जैसे ही घटना की सूचना हुई पुलिस वहां पहुंची लेकिन तब तक वारदात हो चुकी थी।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

घटनास्थल से थाना 2 फर्लांग दूर है और वहां डाकुओं द्वारा दो घंटे तक बन्दूकें चलती रहीं लूटमार होती रही लेकिन पुलिस वहां नहीं पहुंची तो क्या माननीय मंत्री जी मालूम करने की कृपा करेंगे कि वहां की पुलिस डाकुओं से मिली हुई थी इसलिये जानबूझ कर वहां समय से नहीं पहुंची? यदि हां तो उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्नों का यह तरीका मैं नहीं समझता कि कहां तक उचित है क्योंकि पहले तो वे आरोप लगाते हैं और फिर अपनी राय भी देते हैं कि पुलिस डाकुओं से मिली हुई थी। तो कैसे माननीय सदस्य को मालूम हुआ कि दो घंटे तक गोली चलती रही और पुलिस वहां नहीं पहुंची। क्या वे वहां मौजूद थे? हमारी रिपोर्ट यह है कि जैसे ही सूचना मिली वैसे ही पुलिस वहां पहुंची लूटमार दो घंटे तक होती रह सकती है और 10 मिनट में भी हो सकती है।

श्री भारत सिंह चौहान—

क्या मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानकर जांच सी० आई० डी० से करायेंगे कि यह डकैती लगातार दो घंटे तक पड़ती रही और फायरिंग करते रहे लेकिन पुलिस वहां नहीं पहुंची?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य पहले ही यह सूचना दे दिये होते और सी० आई० डी० द्वारा जांच के आदेश होते तो अब तक जांच की रिपोर्ट आ गई होती। अब फिर से जांच करा लूंगा इससें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मन्त्री जी को पता है कि 20 अप्रैल, 1972 को दिन दहाड़े बहादुरपुर मौजा में सूबेदार सिंह की खलिहान में गोली मारकर हत्या कर दी गई जब कि उसको पुलिस गार्ड मिला हुआ था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, यह घटना 22 अप्रैल, 1972 की है। श्री सूबेदारसिंह पुत्र श्री महाराज सिंह बदुरियापुर, मौजा बहादुरपुर थाना भरथना की तमंचा से फायर करके ग्राम मेरायां मौजा बहादुरपुर, थाना भरथना में हत्या की गई। इसमें तीन अभियुक्तों ने दिनांक 16 मई, 1972 को आत्म-समर्पण कर दिया है और उसको उसी दिन जेल भेज दिया गया। एक अभियुक्त ने आगरा न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। इस मुकदमें में चार्जशीट दिनांक 10 जून, 1972 को दी गयी।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मेरा सवाल यह था कि उनको पुलिस गार्ड मिला हुआ था इसके बावजूद उनकी हत्या कर दी गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, इस समय यह सूचना मेरे पास नहीं है कि उनको पुलिस गार्ड मिला हुआ था। उनकी हत्या के बारे में विवरण है।

श्री भारत सिंह चौहान--

क्या मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि उनको पुलिस गार्ड मिला हुआ था इसके बावजूद उनकी हत्या कर दी गई, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना तो सही मानना, जाँच के बाद ही सम्भव होगा लेकिन जाँच करा ली जायेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, इस बात को देखते हुये कि मौजूदा पुलिस भरथना की नाक के नीचे घटनायें हो रही हैं जिससे उसकी अक्षमता साबित हो रही है, क्या वे उसके बजाय दूसरे लोगों को तैनात करने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, यह मामला ट्रान्सफर का है और इसकी बहुत मांग हो रही है। मैं माननीय जायसवाल जी के सुझाव पर अवश्य ध्यान दूंगा।

बाग हुसैनपुर थाना पिनहाट (आगरा) में पुलिस और डाकुओं में मुठभेड़

*3—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद आगरा थाना पिनहाट ग्राम बाग हुसैनपुर में दिनांक 13 अप्रैल, 1972 को पुलिस और डाकुओं के दल में काफी मुठभेड़ हुई जिसमें दोनों ओर हथियारों का प्रयोग खुल कर किया गया और अन्त में पुलिस द्वारा 4 डकैत मारे गये और एक जीवित पकड़ लिया गया तथा पुलिस ने डकैतों के कब्जे से उसी समय एक अपहृत व्यक्ति का भी उद्धार किया ? यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या है और अपहृत व्यक्ति ने पुलिस को क्या-क्या सूचनायें दी हैं और इन सूचनाओं के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13 अप्रैल, 1972 को दस्यु उन्मूलन अधिष्ठान के एक इन्स्पेक्टर द्वारा थाना पिनहट पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई गयी कि बाग हुसैनपुरा में उनके और उनके एक सहयोगी इन्स्पेक्टर के नेतृत्व में पी० ए० सी० फोर्स व दस्यू उन्मूलन अधिष्ठान के पुलिस कर्मचारियों और डाकुओं के एक दल में मुठभेड़ हुई जिसमें 4 डाकू मारे गये, एक डाकू बंदी बनाया गया तथा डाकुओं द्वारा अपहृत एक व्यक्ति (पीतम काछी) को मुक्त कराया गया । इस सूचना पर धारा 147/148/149/307/342 भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक अपराध दर्ज किया गया। इस घटना के सम्बन्ध में आगे जांच कराये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं तथा जांच पूरी हो जाने पर ही पूर्ण तथ्यों का पता चल सकेगा ? अपहृत व्यक्ति द्वारा दिये गये बयान की एक प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 348 पर)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन पुलिस अधिकारियों ने बहादुरी के साथ डाकुओं का मुकाबला किया और उन में से 4 को मारा और 1 को पकड़ा क्या उनको पुरस्कृत किया गया है ? यदि हां, तो कितना और क्या-क्या ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उनके बारे में अभी विचार किया जा रहा है और यह निश्चित हो जाने पर कि इस इन काउन्टर में किस का कितना भाग था, उसके आधार पर ही उन्हें पुरस्कृत किया जायगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

इस घटना की जांच किस के द्वारा करायी जा रही है और उसमें विलम्ब क्यों हो रहा है ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण —

प्रश्न इसमें यह उठता है कि इस घटना में 4 डाकू मारे गये और एक पकड़ा भी गया है तो अधिकारी अभी यह निश्चय कर रहे हैं कि इन्काउन्टर में किस का कितना अंश रहा, इस पर विचार हो रहा है और यह सब निश्चित होने के बाद पुरस्कृत करने की कार्यवाही शीघ्र की जायगी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच कौन कर रहा है, जांच किस के द्वारा हो रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसे मामले आई० जी० लेविल तक आते हैं और गवर्नमेंट से उस की स्वीकृति हो जाने के बाद पुरस्कार वितरित होते हैं। आशा है कि जल्द ही यह कार्य हो जायगा। मैं उनको आश्वस्त कर सकता हूं कि जो पुरस्कार के हकदार हैं वह उन को अवश्य मिलेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

यह जांच के आदेश कब दिये गये और किस ने दिये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आदेश देने की बात नहीं है, ऐसी घटना होती है तो उस का तरीका यह है कि पहले जिसे एस० पी० रिपोर्ट करते हैं वह अपनी सिफारिश करते हैं कि इन इन लोगों ने बड़ी बहादुरी से काम किया है और इन को पुरस्कार दिया जाय, फिर वहां से वह केस डी० आई० जी० के यहां आ जाता है और उन के यहां से जब वह आई० जी० के यहां जाता है तो वहां से अन्तिम फैसला सरकार को आता है और सरकार उसकी मंजूरी करती है। कितने केसेज में दिया जा चुका है और इसमें भी इसी प्रक्रिया के बाद दिया जायगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं घटना की जांच के बारे में पूछ रहा हूं, यह आदेश कब और किस ने दिये हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सी० आई० डी० इन्क्वायरी के आदेश 3 जुलाई, सन् 1972 को दिये गये हैं यह आई० जी० द्वारा दिये जाते हैं और उन्हीं के द्वारा दिये गये हैं।

थानाध्यक्ष दादरी (बुलन्दशहर) द्वारा टाउन एरिया के चेयरमैन एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों का अपमान

*4—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री बंशीधर पाण्डेय, श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर), श्री विश्वनाथ कपूर तथा श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 23 अप्रैल, 1972 को बुलन्दशहर जिले के थाना दादरी के दरोगा ने दादरी के चुने हुये टाउन एरिया के चेयरमैन व अन्य 15 सम्भ्रान्त व्यक्तियों को थाने में लाकर मार-पीट करके बन्द कर दिया ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और दोषी दरोगा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23 अप्रैल, 1972 को थाना दादरी, जिला बुलन्दशहर, के दरोगा ने न तो टाउन एरिया के चेयरमैन व अन्य 15 संभ्रान्त व्यक्तियों को थाने में बुलाया और न उनको मारपीट करके हवालात में बन्द किया। अत: थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, टाउन एरिया ने इस बात की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर से अप्रैल के आखिरी सप्ताह में की है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

ऐसी कोई शिकायत है ही नहीं।

आबपाशी आन्दोलन के सत्याग्रहियों पर जुर्माने की धनराशि

*5—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि सन् 1954 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित आबपाशी आन्दोलन में उत्तर प्रदेश भर में हजारों सत्याग्रही गिरफ्तार हुये थे और इन सत्याग्रहियों पर कई लाख रुपया जुर्माना हुआ था किन्तु डा० राम मनोहर लोहिया की रिट को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने उपरोक्त सत्याग्रहियों की सजा को रद्द कर दिया था परन्तु उपरोक्त सत्याग्रहियों पर हुये जुर्माने को अदालत के फैसले के बावजूद भी आज तक वापस नहीं किया गया ? यदि हां, तो हाईकोर्ट के फैसले का आदर करते हुये क्या सरकार जुर्माने की उस धनराशि को वापस करने का आदेश देने पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित डा० राम मनोहर लोहिया के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया था उसमें इस प्रकार का कोई आदेश नहीं था कि जो जुर्माना वसूल हो चुका है उसे वापस कर दिया जाय। अत: वसूल किये गये ऐसे जुर्माने की वापसी का प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर टी० टी० को पीटना

*6—श्री राम देव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर दिनांक 16 अप्रैल, 1972 ई० को डाकगाड़ी से कतिपय असामाजिक तत्वों ने टी० टी० को घसीटा और बुरी तरह पीटा। यदि हां, तो उन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही किया ? कितने और कौन अभियुक्त गिरफ्तार किये गये और कितने और कौन फरार हैं ? क्या सरकार अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री एस० पी० बाजपेयी, टी० टी० ई० लखनऊ तथा श्री एन० ए० ज्ञानी, टी० टी० ई०, डी० सी० एस० स्क्वाड, उत्तर रेलवे, लखनऊ ने डी० सी० एस० लखनऊ एटा, वाराणसी के माध्यम से डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट लखनऊ को भेजे गये अने दिपनांक 16 अप्रैल, 1972 के प्रार्थना-पत्रों में यह सूचना दी कि उक्त तिथि को प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर 6 डाउन

नोट—तारांकित प्रश्न 4 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

मेल की थी— टायर कोच नं० 4488 में तीन व्यक्तियों ने बलपूर्वक घुसने की चेष्टा की और प्रार्थियों (उक्त टिकट परीक्षकों) को गाड़ी से नीचे घसीट कर मारा और दुर्व्यवहार किया। दिनांक 21 अप्रैल, 1972 को उक्त प्रार्थना-पत्रों के थाना जी० आर० पी० प्रतापगढ़ पर प्राप्त होने पर वहां पर धारा 109/120/121 रेलवे ऐक्ट तथा धारा 33 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ।

उक्त मुकदमें की जांच के फलस्वरूप अभियुक्त गंगा प्रसाद सिंह, फायरमैन लोको, प्रतापगढ़ गिरफ्तार किया गया तथा अन्य दो—राम बोध, ड्राइवर, लोको प्रतापगढ़ तथा बुद्धू ए० पी० डब्यू० आई० प्रतापगढ़—ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।

मुकदमें में जांच जारी है। जांच पूरी होने पर जो भी वैधानिक कार्यवाही सम्भव होगी, की जायेगी।

मुबारिज शहर (उन्नाव) के श्री बद्री प्रसाद अवस्थी के परिवार को मारपीट कर मकान से निकाल दिया जाना

*7—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या दिनांक 23 अप्रैल, 1972 को थाना कोतवाली उन्नाव पर मकान नं० 83 मोहल्ला मुबारिज शहर व जिला उन्नाव के किरायेदार श्री बद्री प्रसाद अवस्थी की अनुपस्थिति में उनकी बीबी और नाबालिक बच्चों को मारपीट कर घर से निकाल कर बाहर करने के सम्बन्ध में कोई सूचना दर्ज हुई। यदि हां, तो विवरण क्या है और घटना के अपराधियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 23 अप्रैल, 1972 को श्री बद्री प्रसाद अवस्थी निवासी म० नं० 93 मोहल्ला मोबारिज नगर, उन्नाव की पत्नी ने थाना कोतवाली के इन्चार्ज को इस आशय की लिखित सूचना दी कि उसी दिन लगभग 10 बजे अमुक व्यक्ति उनके पति की अनुपस्थिति में उपरोक्त मकान जिसमें वह सपरिवार रह रही थी, में घुस आये तथा उन्हें घसीट कर बाहर कर दिया, बच्चों को भी बाहर निकाल दिया, सामान फेंक दिया और कमरों के ताले बन्द करवा कर चाभियां लेकर चले गये।

उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पर एक मुकदमा धारा 446/427/323 भारतीय दंड विधान के अधीन कायम किया गया और विवेचना शुरू की गयी। विवेचना के दौरान उपरोक्त मुकदमा धारा 448/427/323/395 भारतीय दन्ड विधान में परिवर्तित किया गया। जांच जारी है। विवाद ग्रस्त मकान को न्यायालय आदेश के अनुसार धारा 145 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कुर्क कर लिया गया। धारा 145 जाब्ता फौजदारी से सम्बन्धित मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

*8—श्री रियासत हुसैन, चौधरी राम पाल सिह यादव तथा श्री ज्वाला प्रसाद कुरील—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*9—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

श्री दयाशंकर दीक्षित, प्रसार अध्यापक, जनता इन्टर कालेज अजीतमल (इटावा) की हत्या

*10--श्री राम सागर (जिला जौनपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गत 14/15 मार्च को रात्रि में कुछ बदमाशों ने जनता इन्टर कालेज अजीतमल, जिला इटावा के प्रसार अध्यापक दयाशंकर दीक्षित की हत्या कर दी थी तथा उनकी पत्नी तथा 2 पुत्रियों को सांघातिक चोट पहुंचाई थीं क्या यह भी सच है कि मृतक के पुत्र ने किसी व्यक्ति के नाम बताते हुये उन पर सन्देह प्रकट किया था ? यदि हां, तो उसे अब तक गिरफ्तार न करने का क्या कारण है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15 मार्च, 1972 को थाना अजीतमल जिला इटावा में इस आशय की एक लिखित रिपोर्ट की गई कि दिनांक 14/15 मार्च, 1972 की रात्रि में दो बदमाशों ने, जिनका नाम व पता अज्ञात है, जनता इन्टर कालेज अजीजमल, के अध्यापक श्री दयाशंकर दीक्षित के घर में घुसकर चोरी की और उनको गम्भीर चोटें पहुंचाई तथा उनकी पत्नी व दो पुत्रियों को भी मारा। चोटों के कारण श्री दयाशंकर की मृत्यु हो गई। इस रिपोर्ट के अधार पर मुकदमा अपराध संख्या 53 धारा 458/460 भा० दं० वि० कायम हुआ जिसकी जांच सी० आई० डी० को सुपुर्द कर दी गई है। मृतक के पुत्र ने दो व्यक्तियों का नाम बताते हुये उन पर सन्देह प्रकट किया, परन्तु विवेचना से उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ जिससे उनकी गिरफ्तारी होती।

थाना इरादतनगर (आगरा) की पुलिस द्वारा अत्याचार

*11--श्री हुकुम सिंह परिहार--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा में थाना इरादतनगर में तारीख 20 अप्रैल, 1972 को पुलिस ने एक व्यक्ति को, जो उपरोक्त थाने का अन्तर्गत गांव गढ़ी उद्दा का रहने वाला था और पुलिस किसी पूछताछ के लिये ही बिना वारन्ट इसको लाई थी, इतना पीटा कि वह मर गया ? अगर यह सही है, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री देवी राम पुत्र श्री डरुआ, निवासी गढ़ी उद्दा, थाना इरादत-नगर, आगरा ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21-4-72 इस आशय का दिया कि प्रार्थी के भतीजे पूरन पुत्र दुर्जन सिंह निवासी गढ़ी उद्दा को दिनांक 18-4-72 को थाना इरादत नगर के 3 कान्सटेबिलों ने गांव में आकर बन्दूक की नाल की तरफ से टूट्टे पेट में मारे तथा उसे थाने ले गये। अगले दिन प्रार्थी व एक अन्य व्यक्ति द्वारा दरोगा जीको 80 रु० देकर पूरन को छुड़ाया गया मगर उस समय उसकी हालत खराब थी तथा वह 20-4-72 को मर गया। इस पत्र के आधार पर दिनांक 21-4-72 को ही थाना इरादतनगर पर एक अभियोग धारा 304/161 भा० दं० वि०/5 करप्शन ऐक्ट के अन्तर्गत कायम करके उसकी विवेचना उप पुलिस अधीक्षक द्वारा आरम्भ की गई। किन्तु इस अभियोग के वादी श्री देवीराम द्वारा ए० डी० एम० (जे) आगरा के न्यायालय में इसी घटना के सम्बन्ध में दिनांक 29-4-72 को एक इस्तगासा दायर कर दिये जाने केकारण विवेचना रोक देनी पड़ी।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष को दी गयी धनराशि

*12—श्री बंशीधर पांडेय, श्री कल्पनाथ सिंह, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री राम विलास पाण्डेय, श्रीराम लाल चतुर्वेदी (जिला देवरिया), श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री हबीबुर्रहमान, (जिला आजमगढ़), श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर) तथा श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 8 जनवरी 1972 को प्रधान मंत्री को सुरक्षा कोष में कितना रुपया प्रदेश से दिया गया है? यह रुपया किसी बैंक चेक के रूप में दिया गया, यदि हां, तो किस बैंक से ? प्रधान मंत्री को जिस सार्वजनिक सभा में सुरक्षा कोष की भेंट की गई है वह सभा किसने आयोजित की थी? उसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

8 जनवरी, 1972 को लखनऊ में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में प्रधान मंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये 3,15,01,002–00 रुपया (तीन करोड़ पंद्रह लाख एक हजार दो रुपया) दिया गया।

जी हां, जिन बैंकों के खाते से यह रुपया दिया गया है उनके नाम नीचे दिये हैं:

1—स्टैट बैंक आफ इंडिया, लखनऊ।

2—उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ।

3—सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, लखनऊ।

4—यूनियन बैंक आफ इंडिया, लखनऊ।

सार्वजनिक सभा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित की गई थी।

उस सभा की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेई ने की थी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

भटिया गोगपुर (आजमगढ़) के सैनिक श्री कल्पनाथ प्रसाद के परिवार वालों को गुण्डों द्वारा आतंकित करना

*1—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) तथा श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसे पता है कि ग्राम भटिया गोगपुर, थाना रौनापुर, जिला आजमगढ़ के फौजी जवान श्री कल्पनाथ प्रसाद जो लगभग 4 वर्ष के कश्मीर की सीमा पर तैनात हैं, के परिवार वालों ने दिनांक 26 मार्च, 1971, 17 जनवरी, 1972, 20 मार्च, 1972 व अप्रैल, 1972 को जिला स्तर के अधिकारियों से लेकर प्रदेश के उच्चाधिकारियों एवं प्रधान मंत्री को इस आशय की सूचना दी है कि उन्हीं के गांव के कुछ गुन्डे स्थानीय पुलिस के साथ उनकी जान व माल को खतरा किये हैं तथा खेत की खड़ी फसल कटवा ले रहे हैं? यदि हां, तो उपरोक्त जवान के परिवार को राहत के लिये क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

श्री कल्पनाथ यादव निवासी ग्राम मठिया, थाना रौनापार, जिला आजमगढ़ जो सैनिक कर्मचारी है, की पत्नी द्वारा 20-3-72 व 6-4-72 को भेजे गये प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को प्राप्त हुये हैं। इनमें यह शिकायत की गई थी कि अमुक व्यक्ति गुंडागर्दी करके प्रार्थिनी की फसल बरबाद कर रहे हैं और पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। इन दोनों प्रार्थना-पत्रों के अतिरिक्त श्री कल्पनाथ यादव के परिवार वालों से कोई अन्य प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए नहीं प्रतीत होते।

20-3-72 व 7-4-72 के उपरोक्त दोनों प्रार्थना-पत्रों की जांच कराई गई। जांच से पुलिस के विरुद्ध शिकायत सही नहीं पाई गई यह अवश्य पाया गया कि दोनों पक्षों में कशीदगी है और शांति भंग होने की आशंका है। अतः दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 102/117 जा० प० के अन्तर्गत एक रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु न्यायालय भेजी गई।

मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

*2--श्री सुखपाल पाण्डेय--

[७वें सोमवार में प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत उत्तरित]

*3--श्री कृष्णसिंह--

[७वें सोमवार में प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत उत्तरित]

पी० सी० एस० (इक्जीक्यूटिव) में परिगणित वर्ग की पदोन्नति

*4--श्री छेदा लाल चौधरी (जिला खीरी)--

क्या मुख्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि पी०सी० एस० (इक्जीक्यूटिव) में 50 स्थान 1,300-1,600 रु० के वेतन-क्रम में श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिये स्वीकार हुए हैं ? यदि हां, तो इसके बाद में हुए चुनाव में परिगणित जाति के सदस्य कितने लिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। इसके लिये चुनाव क्षेत्र में आने वाले 6 परिगणित जाति के सदस्यों में से 2 अधिकारी श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गये।

रेहका (आगरा) में पुलिस एवं डाकुओं में मुठभेड़

*5--श्री सतीशचन्द्र शर्मा (जिला एटा)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 2 मई, सन् 1960 को ग्राम रेहका, थाना बाह, जिला आगरा में मानसिंह डकैत के आखिरी गिरोह जिसका नेता राम नाथ था, से पुलिस से मुठभेड़ हुई फलस्वरूप रामनाथ, नैनै छोटरियां आदि मारे गये ? इनके बारे में 14,000 का इनाम मध्य प्रदेश राजस्थान व उत्तर प्रदेश की ओर से था, वह इनाम किसी अधिकारी को प्रदान किया गया अथवा नहीं ? यदि हां, तो कब व किसे और नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। डकैत रामनाथ ब्राम्हन का सफाया करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने 2,000 रुपए का इनाम तथा उत्तर प्रदेश में डी० आई० जी० पश्चिमी क्षेत्र ने 450 रु० का इनाम घोषित किया था। उक्त इनामों की धनराशियां इस मुठभेड़ में भाग लेने वाले विभिन्न श्रेणी के 130 पुलिस कर्मचारियों में वर्ष 1968-69 में वितरित की गयी।

*6—श्री सतीशचन्द्र शर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम सूचना के आधार पर उक्त मामले में अद्वितीय वीरता का कार्य किस अधिकारी का था और क्या उसको उक्त वीरता का कोई पदक भी प्रदान किया गया अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्रथम सूचना रजिस्टर आदि नष्ट किए जा चुके हैं। अतः उसके आधार पर कोई सूचना देना सम्भव नहीं है। प्रश्नगत मुठभेड़ के संबंध में कांस्टेबिल नरसिंह को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया था।

*7—श्री मंजूर अहमद—

[8वें सोमवार में प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत उत्तरित।]

*8—श्री इन्द्रमणि—

[8वें सोमवार में तारांकित प्रश्न 4 के अन्तर्गत उत्तरित।]

*9—श्री निहाला सिंह, श्री अमरनाथ दुबे, श्री विश्राम दास तथा श्री बंशीधर पांडेय—

[8वें सोमवार में प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत उत्तरित।]

भगवती आर्य कन्या विद्यालय, गोरखपुर के निकट सिनेमा घर

*10--श्री राम करनसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर शहर के अन्दर भगवती आर्य कन्या विद्यालय के पास एक सिनेमा घर बनने की इजाजत शासन से मिली और जब बनना शुरू हुआ तभी स्थगन आदेश शासन ने दिया ? यदि हां, तो क्या स्थगन आदेश के भीतर ही उसका उल्लंघन करके सिनेमा भवन तैयार हो गया और सिनेमा चालू करने हेतु पुनः इजाजत सरकार देने जा रही है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

गोरखपुर शहर में भगवती आर्य कन्या विद्यालय के पास सिनेमागृह निर्माण की अनुमति 28 अगस्त, 1970 को जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर ने दी थी। सरकार द्वारा स्थगन आदेश 17 सितम्बर, 1971 को दिए गए थे। स्थगन आदेश के भीतर सिनेमा निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ। सिनेमागृह निर्माण की अनुमति प्रदान करने में कोई अनियमितता न पाए जाने के कारण इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

सर्वश्री सुरजन राम एवं श्याम नरायन लपसीपुर (आजमगढ़) के घर डकैतियां

*11—श्री भामी यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ केथाना चिरैयाकोट के अन्तर्गत ग्राम लपसीपुर के सूरजन राम हरिजन के घर दिनांक 28/29 फरवरी, 1972 की दरम्यानी रात को डकैती पड़ी जिसकी रिपोर्ट थाने में नामजद लिखाई गई और इसी रात इसी गांव के श्यास नरायन के घर पर भी ऐसी घटना हुई जिसकी रिपोर्ट नामजद की गई और जिलाधिकारी तथा पुलिस कप्तान को भी इसके सम्बन्ध में दरख्वास्तें दी गईं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिनांक 29-2-72 को श्री सुरजन राम, निवासी ग्राम लपसीपुर, थाना चिरैयाकोट, आजमगढ़ ने थाना चिरैयाकोट पर इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी कि पांच नामांकित तथा अन्य व्यक्ति लाठी भाला, लिये वादी के दरवाजे पर आये और वादी की मां से जेबरों के बारे में पूछा, वादी की बहिन की हंसुली छीन ली, बहन, वादी तथा उसके पिता को मारा। इस सूचना पर थाने पर एक मुकदमा धारा 395 भारतीय दण्ड विधान का अंकित किया गया। जांच से मामला केवल धारा 336 भारतीय दंड विधान का पाया गया जिसमें जांच के बाद अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई थी परन्तु न्यायालय ने मुकदमें में अग्रिम जांच करने के लिये आदेश दिये हैं।

श्री श्याम नरायन निवासी ग्राम लपसीपुर, थाना चिरैयाकोट ने पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का भेजा कि 28/29-2-72 की रात में 3 नामजद व 2 अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुसे और सामान लेकर भाग गये जिला मजिस्ट्रेट को भी इस आशय का प्रार्थना-पत्र मिला था।

प्रथम प्रार्थना-पत्र के आधार पर एक मुकदमा धारा 457 भारतीय दण्ड विधान क अन्तर्गत थाना चिरैयाकोट पर कायम किया गया। जांच से मामला धारा 147/427 भारतीय दण्ड विधान का पाया गया। जांच के बाद तीनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेज दी गई। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

[27 जुलाई, 1972 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सचिवालय के अस्थायी वैयक्तिक सहायक (ग्रेड-2) की त्रुटिपूर्ण ज्येष्ठता सूची एवं स्थायीकरण

*1--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के अस्थाई वैयक्तिक सहायक (ग्रेड-2) की वर्तमान ज्येष्ठता सूची, जो सन् 1965-66 में प्रसारित की गई थी में कुछ त्रुटियां हैं, जिनके विरुद्ध कुछ वैयक्तिक सहायकों ने सन् 1965 तथा 1970 में प्रत्यावेदन दिये थे? यदि हां, तो इन त्रुटियों को ठीक करने के सम्बन्ध में इतना विलम्ब का क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अस्थायी वैयक्तिक सहायक (ग्रेड-2) की कोई ज्येष्ठता-सूची सन् 1965-66 में प्रसारित नहीं की गयी थी। उउनकी येष्ठता-सूची 1967 में प्रसारित की गयी थी परन्तु उसमें कोई त्रुटि नहीं है। कुछ वैयक्तिक सहायकों ने उस ज्येष्ठता-सूची के विरुद्ध प्रत्यावेदन दिये है जिन पर पूर्ण रूप से विचार कर लिया गया है और उन्हें स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

दूसरे भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

*2--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या कुछ अस्थायी पदों के लिये अनुमोदित वैयक्तिक सहायक (ग्रेड-2) को उत्तर प्रदेश सचिवालय मिनिस्टीरियल स्टाफ रूल्स के प्राविधानों के विपरीत स्थायीकरण हेतु बिना किसी अन्य परीक्षा के अनुमोदित मान लिया गया? यदि हां, तो क्यों तथा किस नियम के अन्तर्गत?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वर्ष 1962, 1963 तथा 1964 में लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर अस्थायी नियुक्ति के लिए अनुमोदित किये गये अभ्यर्थियों को आयोग के परामर्श से स्थायी नियुक्ति के लिये अनुमोदित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिकवर्गीय कर्मचारिवर्ग सेवा नियमावली में यथोचित संशोधन किया जा रहा है ।

पर्वतीय विकास निगम के पदाधिकारी

*3---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या नियोजन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पर्वतीय विकास निगम कब रजिस्टर्ड हुआ है ? कौन-कौन इसके पदाधिकारी हैं तथा इसकी कुल पूंजी क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल में दिनांक 30 मार्च, 1971 को कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अन्तर्गत प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में पंजीकृत हुआ। निगम के पदाधिकारियों की सूची संलग्न है। निगम की अधिकृत पूंजी 2 करोड़ रुपये है तथा कुल चुकता पूंजी 50 लाख रुपये है ?

(देखिये नत्थी 'ग' आग पृष्ठ 349 पर)

*4--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या नियोजन मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त पूंजी में जिला नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल में कौन-कौन सी योजनायें कितने-कितने लागत से आरम्भ की गई हैं और उनमें क्या-क्या प्रगति हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

निगम ने 1971 की यात्रा काल में बद्रीनाथ तथा केदारनाथ यात्रा के लिये एक पैकेज टूर की योजना एक यात्रा कार्यालय मुनी की रेती (गढ़वाल) में स्थापित करके चलाई थी जिसमें 1,77,415 रुपये की पूंजी लगाई गई थी। प्राकृतिक प्रकोप के कारण यात्रा मार्ग अवरुद्ध हो जाने से योजना का कार्य स्थगित करना पड़ा। वर्ष 1971-72 में इस योजना पर निगम को रुपये 66,539.65 पैसे की क्षति का अनुमान है। मई, 1972 में यह योजना पुन : चालू की गई है और यात्राकाल पूर्ण होने पर ही योजना की प्रगति की सही स्थिति जांचना सम्भव हो सकेगा। निगम ने वर्ष 1971-72 में फलों के मौसम में प्रयोगात्मक रूप से 3,000 किलो ग्राम सेव 5,392 रुपये का खरीद कर उसकी बिक्री से रुपये 1,269.12 पैसा का लाभ उठाया। इसके अतिरिक्त कुछ योजनायें विचाराधीन हैं, जैसे साइडर प्लान्ट, साड़ी ऊन मिल, घड़ी का कारखाना, टेलीविजन एसेम्बलिंग यूनिट, फ्रूट पल्पिंग एण्ड पैकिंग केस यूनिट फल विपणन योजना ।

चीनी मिलों पर सरकारी तथा गन्ना किसानों का बकाया एवं गन्ने की कीमत में बढ़ोत्तरी

*5---श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिसम्बर, सन् 1971 तक कुछ चीनी मिलों पर सरकारी तथा गन्ना किसानों का जो बकाया धनराशि शेष है वह किस पर कितना किस

मद का है और सरकार इस बकाया धनराशि की वसूली के लिये कौन-सा कठोर कदम उठा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिसम्बर, 1971 तक जिन चीनी मिलों पर सरकारी (गन्ना उपकर/क्रयकर के रूप में) तथा गन्ना किसानों का जो बकाया भुगतान हेतु शेष था उसका पूर्ण विवरण मिलवार संलग्न तालिका 'क'† में दर्शाया गया है।

2--बकाया धनराशि की वसूली हेतु निम्नलिखित कठोर कदम उठाये गये :--

(1) 48 चीनी मिलों को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये।

(2) एक मिल मालिक को राजस्व नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया, जो बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

(3) कुछ चीनी मिलों को मार्जिन मनी तथा चल व अचल सम्पत्ति (जैसा आवश्यक हुआ) कुर्क कर ली गयी।

(4) निम्नलिखित 6 चीनी मिलों को नीलाम पर चढ़ाया गया था:--
बुलन्दशहर, बुढ़वल, बाराबंकी, भटनी, रामकोला (के) एवं अमरोहा परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के विरुद्ध उक्त मिलों ने विभिन्न न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये।

(5) 12 चीनी मिलों, जिन्होंने अपने क्षेत्र में गम्भीर आर्थिक स्थिति उत्पन्न कर रखी थी, का उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अधिग्रहण किया गया, जिनमें से 7 मिलों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया और इस प्रकार वे अधिग्रहण की कार्यवाही से छूट गयीं। केवल 5 चीनी मिलें (मोहिउद्दीनपुर, सखौती टाण्डा, बाराबंकी, खड्डा एवं भटनी) उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन के अन्तर्गत कार्यरत हैं। अर्जित चीनी मिलों का पुराना बकाया निहित चीनी की मार्जिन से हो रहा है और ब्लाक मुआवजे से होगा।

(6) निम्नलिखित चीनी मिलों में रिसीवर नियुक्त हैं और वे उनकी देख-रेख में संचालित हैं :--
डोईवाला, बुलन्दशहर, अमरोहा, बुढ़वल एवं रामकोला (के)
अप्रैल, के माह में लार्ड कृष्णा शुगर मिल्स, सहारनपुर में कलेक्टर ने रिसीवर नियुक्त किया परन्तु मिल ने न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया।
अभी हाल में पिपराइच में भी कलेक्टर द्वारा रिसीवर नियुक्त किया गया है।

(7) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 17 में अभी हाल ही में संशोधन कर दिया गया है तथा धारा 17(5) के द्वारा चीनी मिल के मालिकों अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति जिसका फैक्टरी के कार्यकलापों पर नियन्त्रण हो अथवा तदर्थ सक्षम कोई अन्य व्यक्ति पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि वह अपने

---

†छापी नहीं गयी।

तथा अपने बैकों के बीच जो भी अनुबन्ध बैंकों के अग्रिम दिये जाने के सम्बन्ध में करें उसमें यह भी प्राविधान करें कि एक निर्धारित धनराशि गन्ना मूल्य तथा कमीशन के भुगतान के लिये गन्ना उत्पादकों तथा गन्ना विकास समितियों को सीधे दिये जाने की व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 की धारा 3 में अभी हाल ही में संशोधन कर दिया गया है, जिसके द्वारा फैक्ट्री से शक्कर के उपयोग के लिये अथवा बिक्री के लिये हटाने से पूर्व देय क्रय-कर का भुगतान करना आवश्यक होगा। इस प्रकार भविष्य में क्रयकर के मद में बकाया का प्रश्न ही नहीं उठेगा।

*6--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1971 में किसानों के गन्ने का भाव प्रति क्विन्टल बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई पत्र लिखा है? यदि हां, तो कब और इसका प्रारूप क्या है तथा केन्द्र द्वारा जो उत्तर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्राप्त हुआ, वह क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। राज्य सरकार ने जनवरी 11, 1971 के पत्र द्वारा भारत सरकार से पेराई मौसम 1971-72 के लिये 9 प्रतिशत चीनी के परते पर 10 रु० प्रति क्विन्टल न्यूनतम गन्ना मूल्य निर्धारित करने तथा प्रत्येक 0.1 प्रतिशत अतिरिक्त चीनी के परते के लिये सात पैसे प्रति क्विन्टल अधिलाभ (premium) दिये जाने की संस्तुति की थी। भारत सरकार ने अपने दिनांक 26 अक्तूबर, 1971 के पत्र द्वारा 9.4 प्रतिशत चीनी के परते पर रुपया 7.37 पैसे प्रति क्विन्टल गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये जाने तथा प्रत्येक 0.1 प्रतिशत के अतिरिक्त परते पर रुपय 6.6 पैसे प्रति क्विन्टल अधिलाभ दिये जाने के निर्णय की सूचना दी।

राज्य सरकार ने दिनांक 15 नवम्बर, 1971 को पुन : पहले की गई संस्तुति पर जोर देकर भारत सरकार से मामले पर फिर विचार करने का आग्रह किया जिसके उत्तर में भारत सरकार ने अपने दिनांक 15 दिसम्बर, 1971 के पत्र द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया कि चीनी के मूल्य तथा अन्य खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि को रोकने की दृष्टि से गन्ने के न्यूनतम मूल्य के स्तर को यथावत् रखना श्रेयस्कर होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि चीनी के बढ़े हुये मूल्य को देखते हुये, चीनी मिलें न्यूनतम से अधिक मूल्य देंगी। राज्य सरकार ने इस लक्ष्य से कि चीनी का उत्पादन अधिक से अधिक हो और गन्ने के कृषकों को उचित मूल्य मिले, चीनी मिलों के प्रतिनिधियों से दिसम्बर और जनवरी से बातचीत की जिसके फलस्वरूप वास्तविक मूल्य न्यूनतम मूल्य से काफी अधिक दिये गये।

मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद द्वारा वित्त विभाग की आलोचना

*7--श्री रियासत हुसैन--

क्या सरकार को ज्ञात है कि मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट, इलाहाबाद ने जनवरी, 1972 में कानपुर में टीका करते हुये राज्य के वित्त विभाग पर कड़ी आलोचना की है और

कहा है कि राज्य का वित्त विभाग कुछ महत्वपूर्ण एवं अच्छी योजनाओं का कब्रिस्तान है? यदि हां, तो सरकार वित्त विभाग में किस स्तर पर सुधार लाने पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कुछ समाचार-पत्रों में इस आशय का समाचार छपा था कि मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने जनवरी, 1972 में कानपुर में टीका करते हुये राज्य के वित्त विभाग की आलोचना की परन्तु मुख्य न्यायाधीश ने शासन को सूचित किया है कि उन्होंने इस प्रकार के कोई विचार व्यक्त नहीं किये हैं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*8—श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सत्य है कि वित्त विभाग में कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो लगातार कई-कई वर्षों से इसी विभाग में कार्य कर रहे हैं ? इस समय वित्त विभाग में कितने उप सचिव, संयुक्त सचिव तथा विशेष सचिव हैं जो काफी लम्बे अर्से से इसी विभाग में कार्य कर रहे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। सचिवालय सेवा के 6 अधिकारी पिछले 4 से 8 वर्षों की अवधि से वित्त विभाग में काम कर रहे हैं। इस समय वित्त विभाग में जो अधिकारी उप सचिव, संयुक्त सचिव तथा विशेषसचिव के पदों पर तैनात हैं उन्हें वित्त विभाग में इन पदों पर काम करते हुये अभी तीन वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं।

थाना छत्ता (आगरा) की पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

*9—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या गृह मन्त्री को पता है कि दिनांक 27 नवम्बर, 1971 को थाना छत्ता, जिला आगरा पुलिस ने श्री राम सिंह, चौहान, भूतपूर्व विधायक एवं स्वतन्त्रता-संग्राम के महान् सेनानी को, उनके निवास-स्थान से गिरफ्तार करके पैदल थाना ले गये और दूसरे दिन रविवार की छुट्टी के दिन थाने से कचहरी पैदल ले गये और कचहरी में 6 घंटे बिठलाने के बाद पैदल ही जिला जेल ले गये और उनको जेल में साधारण तरीके से रखा गया और क्या जेल से भूतपूर्व विधायक ने इस अभद्र व्यवहार की लिखित शिकायत जिलाधिकारी एवं गृह मन्त्री से की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमालपति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 26 नवम्बर, 1971 को कु० ऊषा ने इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया कि उसके पिता बनवारी लाल को मकान मालिक श्री राम सिंह चौहान ने अपने पुत्रों की मदद से मारकर गायब कर दिया है तथा उसके घर का सामान चोरी कर लिया है। इस रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 1971 को श्री राम सिंह चौहान के घर की तालाशी ली गयी जिसमें कु० ऊषा ने जो सामान चोरी जाना लिखाया था, उसमें से कुछ सामान बरामद हुआ। इस पर धारा 364/380 भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त राम सिंह को गिरफ्तार किया गया। अगले दिन अन्य अभियुक्तों की तरह ही उन्हें थाने से कचहरी पैदल ले जाया गया तथा वहां से वारन्ट बनवाकर जेल भेजा गया। अभियुक्त द्वारा एक आवेदन-पत्र दिनांकित 29 नवम्बर, 1971 गृह मन्त्री को सम्बोधित तथा जिला मजिस्ट्रेट को पृष्ठांकित किया गया था। जिसकी जांच से पता चला कि अभियुक्त राम सिंह चौहान के साथ किसी ने भी अभद्र व्यवहार नहीं किया था।

*10—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

राज्य मार्ग 24 पर राहजनी व लूटमार की घटनायें

*11—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 29 अक्तूबर, 1971 को राज्य मार्ग 24 (N. H. 24) पर लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद व मेरठ जिले में कितनी वारदातें राहजनी व लूटमार की हुईं और इनमें से कितने जिलों में सड़क पुलिस का गठन किया गया तथा कितने डकैत आज तक पकड़े गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 29/30 अक्तूबर, 1971 को राज्य मार्ग 24 पर जिला लखनऊ, सीतापुर, बरेली और मुरादाबाद में राहजनी व लूटमार की कोई घटना नहीं हुई। केवल शाहजहांपुर और मेरठ जिले में कुल 6 घटनायें घटित होने की सूचना प्राप्त हुई। बरेली जनपद में सड़क पुलिस का गठन किया गया है।

दिल्ली पुलिस द्वारा बन्दी बनाये गये एक अपराधी ने जिला शाहजहांपुर में हुये अपराध को करना स्वीकार किया है तथा अपने साथियों के नाम भी बताये हैं।

*12—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

[8वें सोमवार में प्रश्न संख्या 26 के अन्तर्गत उत्तरित।]

*13—श्री मोहन लाल कपूर—

[8वें सोमवार में प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत उत्तरित।]

"मुख्य मंत्री के नाम खुला पत्र" शीर्षक से छपे पर्चे की लूट सम्बन्धी उपकार प्रिंटर्स, बलिया की शिकायत

*14—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया के उपकार प्रिंटर्स ने मुख्य मन्त्री के नाम खुला पत्र शीर्षक से छपे पर्चे को दिनांक 31 जनवरी, 1972 के दिन के 10 बजे लूटने के सम्बन्ध में कोई सूचना पुलिस अधीक्षक, बलिया व आई० जी० पुलिस, उत्तर प्रदेश को जनवरी, फरवरी 1972 में प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मु० शमीम, उपकार प्रिंटर्स, बलिया के नाम से पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को भेजे गये प्रार्थना-पत्र, दिनांकित 31 जनवरी, 1972 की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, बलिया को दिनांक 1 फरवरी, 1972 को प्राप्त हुई। मूल प्रार्थना-पत्र पुलिस उप महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, बलिया के कार्यालय में दिनांक 8 मार्च, 1972 को प्राप्त हुआ। इस प्रार्थना पत्र में इस बात की शिकायत की गई थी कि उक्त प्रेस में "मुख्य मन्त्री के नाम खुला पत्र" शीर्षक से छपे पर्चों को दिनांक 30 जनवरी, 1972 को 10 बजे दिन में 10-12 व्यक्ति जिनमें कुछ पुलिस कर्मचारी मालूम हो रहे थे जबरदस्ती उठा ले गये। प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित शिकायत की जांच कराई गई जिसके फलस्वरूप शिकायत निराधार पाई गई। जांच के दौरान मु० शमीम, उपकार प्रिंटर्स के मालिक ने

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र भेजने से इन्कार किया है तथा यह बताया कि उनके नाम से किसी ने रन्जिशन गलत प्रार्थना-पत्र दे दिया है।

*15--श्री कल्याण सिंह--

[13वें सोमवार में प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*16--श्री कल्याण सिंह--

[13वें सोमवार में प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*17--श्री अनन्तराम जायसवाल--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

डुमरियागंज (बस्ती) की ग्राम सभाओं के किसानों से सुरक्षा कोष हेतु वसूला गया धन

*18--श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती की तहसील डुमरियागंज की ग्राम सभा बेतनार, डकोम, पिपरहिया मदवा, प्रतापपुर के किसानों से कितना रुपया सुरक्षा कोष में वसूल हुआ और वहां के ग्राम प्रधानों को कब तहसीलदार द्वारा प्रमाणित सूची दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सम्बन्धित ग्राम सभाओं के किसानों द्वारा सुरक्षा कोष में दान प्रदान करने का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 350 पर)

*19--श्री हिम्मत सिंह तथा श्री मोहन लाल कपूर--

[13वें सोमवार में प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*20--श्री कल्याण सिंह--

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

गरीबी निवारण हेतु छोटे उद्योगों को स्थापित करने की योजना

*21--श्री राम गोपाल सन्ड--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश बुन्देलखंड एवं पहाड़ी इलाकों और प्रदेश के मध्य भाग की गरीबी दूर करने के लिये उन्होंने छोटे उद्योगों की स्थापना करने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और क्या योजना प्रारम्भ हो गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां।

पूर्वी उत्तर प्रदेश बुन्देलखंड एवं पहाड़ी इलाकों और प्रदेश के मध्य भाग की गरीबी दूर करने के लिये छोटे उद्योगों की स्थापना हेतु निम्नलिखित योजनायें बनाई गई हैं।

(1) इन क्षेत्रों के 26 जिलों को पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया गया है जहां लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु विशेष आर्थिक सुविधायें प्रदान की गई हैं :

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

(2) उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा फतेहपुर, गाजीपुर, बस्ती, आजमगढ़, बलिया तथा जालौन जिलों में लघु उद्योग लगाये जा रहे हैं।

(3) पिछड़े जिलों में औद्योगीकरण की संभावनाओं पर विचार करने के लिये औद्योगिक सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

(4) पहाड़ी, बुन्देलखंड, और पूर्वी जिलों में औद्योगिक प्रगति को गतिशील बनाने हेतु विकास निगमों का गठन हो चुका है।

(5) बलिया तथा झांसी जिलों में 50 लाख रुपये तक पूंजी विनियोजन वाली औद्योगिक इकाइयों को उनकी अचल पूंजी का 10 प्रतिशत उपदान दिया जायगा।

(6) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तथा उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा नई शाखायें खोली गई हैं।

(7) पिछड़े हुये जिलों में उद्योग लगाने हेतु उद्योग पतियों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट की लागत पर 25 प्रतिशत उपदान दिया जायगा।

(8) लखनऊ, झांसी, अल्मोड़ा, सहारनपुर, फूलपुर (इलाहाबाद) तथा गाजीपुर में भारत सरकार की सहायता से ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें चालू हैं। वर्ष 1972–73 से रायबरेली, फतेहपुर, मथुरा, बलिया को भी उक्त योजनाओं में शामिल किया गया है।

*22—श्री राम गोपाल सण्ड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]।

ज्योलीकोट (नैनीताल) एवं पर्वतीय क्षेत्र में रेशम तथा टसर रेशम उत्पादन परीक्षण

*23—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल) तथा श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के ज्योलीकोट फार्म में जापानी जाति के कीड़ों द्वारा अच्छा रेशम उत्पादन किये जाने का कोई परीक्षण सफल हुआ है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उद्योग को बढ़ावा देने की कोई योजना बनाई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। इस क्षेत्र में जापानी जाति के कीड़ों का कीट पालन एवं शहतूत का वृक्षारोपण बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। वन खंडों में उपलब्ध भूमि पर शहतूत से वृक्षारोपण करने की योजना है।

ग्रामीणों को अपनी निजी भूमि में शहतूत वृक्षारोपण के लिये तीन वर्ष तक आर्थिक सहायता एक हजार रु० प्रतिएकड़ प्रति वर्ष देने का भी प्राविधान सरकार ने किया है।

नैनीताल जिले के लिये निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :—

1972–73	..	2200 के० जी० कोकून
1973–74	..	2200 के० जी० कोकून

*24—श्री डूंगर सिंह विष्ट तथा श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के बांज पेड़ों में टसर कीट पालकर टसर रेशम उत्पादन का कोई परीक्षण किया गया है ? यदि हां, तो परीक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। प्रयोगात्मक परीक्षण के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ है कि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में एक बड़ी संख्या में बांज के पेड़ उपलब्ध हैं जिन पर टसर रेशम के कीड़े पालने के प्रयोग के सफल होने की सम्भावना है। निश्चित नतीजा नहीं निकला है।

अंग्रेजी में जारी किये गये आदेश

*25—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी गोण्डा ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश से अंग्रेजी में काम करने की अनुमति प्राप्त की है ? यदि हां, तो यह अनुमति कब प्राप्त की गई और क्या मुख्य सचिव महोदय ने अंग्रेजी में कार्य करने की अनुमति दे दी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*26—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या गोन्डा जिलाधिकारी ने 23 मार्च, सन् 1972 को राज्य कर्मचारियों द्वारा 14 मार्च को सामूहिक अवकाश ग्रहण कर आन्दोलन करने के सम्बन्ध में कोई गोपनीय आदेश सभी विभागों के प्रमुखों को अंग्रेजी में प्रसारित किये ? यदि हां, तो यह आदेश क्या हैं। क्या अंग्रेजी में आदेश जारी करने के विरुद्ध सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। आदेश गोपनीय हैं। इसलिये उन्हें प्रस्तुत करना जनहित में न होगा। शासन ने अंग्रेजी में आदेश जारी करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट को चेतावनी दे दी है और उनसे भविष्य में सावधान रहने को कह दिया गया है।

कानपुर परिक्षेत्र के मार्गों पर बस व ट्रक के लूटे जाने की घटनायें

*27—श्री सुखपाल पान्डेय—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि 15 जून, 1971 से 29 मार्च, 1972 के अन्दर कानपुर परिक्षेत्र के मार्गों पर कितनी मोटर ट्रक व बसों के लूटे जाने तथा दुर्घटनाओं की घटनायें घटित हुईहैं ? और उनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने व्यक्ति घायल हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार 15 जून, 1971 से 29 मार्च, 1972 की अवधि में कानपुर परिक्षेत्र के मार्गों पर मोटर ट्रकों व बसों के लूटे जाने तथा दुर्घटनाओं की 429 घटनायें हुईं और उनमें 56 व्यक्तियों की मृत्य हुई और 248 व्यक्ति घायल हुये।

अवैतनिक होमगार्ड अधिकारी

*28—श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद) तथा श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में पुनर्गठित होम गार्ड्स के जिला कमाडेन्ट्स के इस मास साक्षात्कार में अवैतनिक होम गार्ड्स के अधिकारियों को जिनके प्रशिक्षण पर काफी धन व्यय हुआ, बुलाया गया था। यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अवैतनिक होम गार्ड्स अधिकारियों को स्थायी पदों पर पदोन्नत करने पर विचार कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

होम गार्ड्स संस्था के पुनर्गठित प्रारूप में जिला कमान्डेन्ट के पदों को भरने के लिये मार्च, 1972 में जो साक्षात्कार हुये उनमें होम गार्ड्स के अवैतनिक अधिकारियों को साक्षात्कार के लिये नहीं बुलाया गया था क्योंकि उस समय तक यह विषय शासन के विचाराधीन था। अब इस विषय में निर्णय लिया गया है कि होम गार्ड्स के योग्य अवैतनिक अधिकारियों को सवैतनिक पदों पर कार्य करने का अवसर दिया जायगा।

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर के विरुद्ध जांच

*29—श्री उमा शंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर), श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली) तथा श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1964-65 में कानपुर में नियुक्त ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा कोई जांच की गई है? यदि हां, तो मुख्य आरोप क्या थे और उनमें कौन से आरोप प्रमाणित हुये तथा उनके अनुसार उन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, इन अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अपने पद का दुरुपयोग करने आदि से सम्बन्धित कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई थीं। सतर्कता अधिष्ठान द्वारा केवल एक को छोड़कर अन्य शिकायतों पर जांच अभी भी जारी है। जिस एक शिकायत के बारे में जांच पूरी हो गयी है, वह सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नगर महापालिका, कानपुर से एक प्लाट पट्टे पर लेने के विषय में थी। इस शिकायत के सम्बन्ध में अन्तिम रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत शासन द्वारा कथित पट्टा रद्द कर दिया गया है।

*30-31—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[8वें सोमवार में प्रश्न संख्या 68-69 के अन्तर्गत उत्तरित।]

*32—श्री धूम प्रसाद, श्री रामनिहोर राय, श्री सूबेदार प्रसाद, श्री मोहन लाल कपूर—

[9वें बृहस्पतिवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 पर स्थानान्तरित।]

श्री पी० सी० अग्रवाल, विशेष प्रबन्धक तथा पब्लिसिटी आफिसर राजकीय हस्तकला लखनऊ के पद

श्री राम प्यारे—

क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश राजकीय हस्तकला को दिनांक 15 दिसम्बर, 1971 को समाप्त कर दिया गया है और उसके लगभग 155 कर्मचारियों को दिनांक 25 फरवरी,

1972 से एक माह का नोटिस देकर सेवा से पृथक कर दिया गया है ? यदि हां, तो विशेष प्रबंधक, राजकीय हस्तकला,लखनऊ के श्री पी० सी० अग्रवाल को पद पर अभी भी कायम रखने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

उत्तर प्रदेश राजकीय हस्तकला को 15-12-71 को उत्तर प्रदेश निर्यात निगम को हस्तान्तरित किया गया। हस्तकला के 48 स्थायी कर्मचारियों को निगम में बाह्य सेवा पर स्थानान्तरित किया गया। अस्थायी कर्मचारियों में से केवल 79 को एक माह का सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया और उसके तुरन्त बाद उन्हें निगम ने अपनी सेवा में ले लिया।

विशेष प्रबन्धक, श्री पी० सी० अग्रवाल स्थायी अधिकारी हैं। उन्हें राजकीय हस्तकला के अवशेष माल के निस्तारण, वाइंडिगअप आपरेशन्स आदि के लिये रोक लिया गया है ।

*34---श्री राम प्यारे--

क्या यह सच है कि राजकीय हस्तकला, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पब्लिसिटी आफिसर को भी हस्तकला कार्य समाप्ति और पब्लिसिटी स्कीम समाप्त हो जाने के बाद भी सेवा समाप्ति की नोटिस नहीं दी गई ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

डाक्टर राम जी लाल सहायक--

(क) जी हां ।

(ख) पब्लिसिटी आफिसर को राजकीय हस्तकला के अवशेष माल के निस्तारण, बकाया धनराशि की वसूली तथा वाइन्डिग अप आपरेशन्स के लिये रोक लिया गया है।

*35--श्री मंजूर अहमद तथा श्री ईश्वर दयाल त्यागी--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*36--श्री विश्राम दास--

[8वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 31 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

*37--श्री रघुनाथ सिंह वर्मा--

[8वें सोमवार में प्रश्न संख्या 32 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

*38--श्री लालसा--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

*39--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

[7वें शुक्रवार में प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मुरादाबाद की बुनकर सहकारी समितियां

*40--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

क्या उद्योग मंत्री बतलायेंगे कि जिले मुरादाबाद में कुल कितनी बुनकर सहकारी समितियां हैं और किस-किस सन् में अलग-अलग उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है ? क्या उद्योग मंत्री यह बतायेंगे कि अगल-अगल समितियों को रजिस्ट्रेशन के वर्ष से कितनी-कितनी धनराशि रिबेट आर० बी० आई० ऋण शेयर कैपिटल एवं अनुदान के रूप में मिल चुका है और यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या कभी उक्त धनराशियों की प्राप्तियां एवं उपयोग के सम्बन्ध में आडिट भी हुए हैं ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

अपेक्षित विस्तृत विवरण सदन में प्रस्तुत करने में जो धन, समय तथा परिश्रम लगेगा वह उससे प्राप्त हो सकने वाले लाभ से कहीं अधिक होगा। माननीय सदस्य वांछित सूचना मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

श्री नारायणदास अग्रवाल, डी० जी० सी० (क्रि०) मैनपुरी के विरुद्ध जांच

*41— श्री शिवराज सिंह--

क्या न्याय मंत्री श्री नारायण दास अग्रवाल डी० जी० सी० (क्रि०) मैनपुरी जो 8-10वर्षों तक डी० जी० सी० (आर०) भी थे, के विरुद्ध कलेक्टर द्वारा जांच के आधार पर जो लगभग जनवरी, 1968 में शासन को भेजी गई थी उक्त रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि मेज पर रखेंगे ?

न्याय मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

जिलाधिकारी, मैनपुरी का पत्र दिनांक 13 दिसम्बर, 1968 गोपनीय है । इसको सदन की मेज पर रखना शासन के हित में न होगा।

*42—श्री शिवराजसिंह--

क्या यह सत्य हैकि न्याय मंत्री ने 10 अक्तूबर, 1970 के लगभग जिला अधिकारियों की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये डी० जी० सी० (क्रि०) के कार्यकाल का नवीनीकरण न करते हुये उनको सेवाओं से मुक्त करने व पुनः उक्त पद के लिये प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित करने का आदेश दिया था किन्तु केवल 8-10 दिन बाद पुनः विचार करके उनको फिर डी० जी० सी० (क्रि०) बना दिया गया ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सर्वश्री प्यारे लाल व वीरेन्द्र पति यादव की शिकायत पर रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण सितम्बर 9, 1970 को डी० जी० सी० (फौजदारी) श्री नारायण दास अग्रवाल के कार्यकाल का नवीनीकरण न करने व नये नाम मांगने के आदेश हुए थे मगर यह आदेश जारी होने के पूर्व जिलाधिकारी से डी० जी०सी० के विरुद्ध शिकायतों पर रिपोर्ट आ गई और क्योंकि यह रिपोर्ट डी० जी० सी० के अनुकूल थी इस कारण पहले के आदेशों का पुनर्वलोकन करके डी० जी० सी० के कार्यकाल का एक वर्ष के लिए नवीनीकरण कर दया गया।

परिगणित जातीय कर्मचारी व अधिकारियों की पदोन्नति

*43—श्री महीलाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि शासन ने यह आदेश प्रसारित किये हैं कि जिन परिगणित जातीय कर्मचारी व अधिकारियों की सत्य निष्ठा व कार्य निष्ठा सामान्य रूप से ठीक रही हो उनको पदोन्नति कर दिया जाय और उनकी गौण प्रतिकूल प्रविष्ठियों पर विचार न किया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

शासन ने ऐसा कोई आदेश प्रसारित नहीं किया है।

*44—श्री उमा शंकर शुक्ल--

[14 वें मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*45--श्री उमा शंकर शुक्ल--

[8वें बृहस्पतिवार में प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

उत्तराखंड में सहकारी संपूर्ति एवं क्रय-विक्रय योजनान्तगत ट्रक व जीप खरीदने हेतु स्वीकृत धन

*46--श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासन द्वारा उत्तराखंड के चतुर्थ पंचवर्षीय योजनान्तर्गत सहकारी सम्पूर्ति एवं क्रय-विक्रय योजना के वर्ष 1971-72 हेतु निर्धारित मूल्य 85,000 रु० ट्रक व जीप खरीदने के लिये स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो उपरोक्त धनराशि की अदायगी कब तक की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं।

*47--श्री हरवंश प्रसाद--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

कस्बा अतर्रा के थाने को कोतवाली में परिवर्तित करने की योजना

*48--श्री हरवंश प्रसाद--

क्या अतर्रा जो० यू० पी० की बड़ी मंडी तथा बड़ा कस्बा है वहां जो थाना है उसे कोतवाली बनाने की कोई योजना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

थाना अतर्रा को प्रथम श्रेणी के थाने में परिवर्तित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उस प्रस्ताव को अभी स्वीकार करना सम्भव नहीं है, परन्तु उस थाने की आवश्यकता को फिलहाल बांदा जिले के लिये स्वीकृत नियतन से ही पूरा करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

मुरादाबाद की ग्यान इन्डस्ट्रीज, ग्यान बाग यूनिट

*49--श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)---

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद शहर में कोई यूनिट (Unit) बनाम (Gyan Industries Gyan Bagh Moradabad) के नाम स्माल, इन्डस्ट्रीज में रजिस्टर्ड है, अगर है तो कितने समय से रजिस्टर्ड है। ए० एम० 1972 के लिये क्या उपरोक्त यूनिट ने इम्पोर्ट लाइसेंस के लिये जिला उद्योग अधिकारी, मुरादाबाद को प्रार्थना-पत्र दिया था ? अगर दिया था तो कितना समय हो गया और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

सर्वश्री ग्यान इन्डस्ट्रीज ग्यान बाग, मुरादाबाद 1-9-1971 से लघु औद्योगिक इकाई के रूप में पंजीकृत है। इस इकाई को ए० एम० 72 के लिये आयात प्रार्थना-पत्र जिला उद्योग कार्यालय, मुरादाबाद में 25-2-72 को प्राप्त हुआ था। निदेशालय ने यह प्रार्थना-पत्र उप नियंत्रक आयात एवं निर्यात को अपनी संस्तुति के साथ भेज दिया है।

सुरक्षा कोष हेतु मेरठ के गन्ना मूल्य से कटौती

*50—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू सीजन में 1972–73 में उत्तर प्रदेश के विशेषकर मेरठ जिले के गन्ना उत्पादकों द्वारा चीनी मिलों को सप्लाई किये गये गन्ने में से 10 पैसे प्रति क्विन्टल सुरक्षा कोष के नाम पर काट लिया गया है? क्या यह सच है कि इस रुपये को प्राप्त करने की किसानों को कोई रसीद नहीं दी गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

चालू 1971–72 सीजन में सम्बन्धित गन्ना समितियों द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 10 पैसे प्रति कुन्तल की दर से तथा अन्य दरों से सुरक्षा कोष के लिये गन्ना मूल्य से कटौती की गई। उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम 1954 के नियम 99 के साथ पठित नियम 96 के अन्तर्गत गन्ना कृषकों के पर्चों तथा पास बुक पर जो कुछ कटौतियां की जाती हैं वह अंकित की जाती हैं। पर्चों का एक भाग गन्ना कृषक के पास रहता है और वहीं की गई कटौतियों की प्रमाणित रसीद का काम करता है। अस्तु प्रत्येक काश्तकार को पृथक से रसीद देने का प्रश्न इस पर्चे के बाद नहीं उठता।

*51—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री रामकरन सिंह, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री सच्चिदानन्द गुप्त तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[9वें मंगलवार में प्र० सं० 129 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फर्रुखाबाद जिले के थानाध्यक्षों का स्थानान्तरण

*52—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि फर्रुखाबाद जिले में ऐसे भी कुछ पुलिस थाना इन्चार्ज हैं जिनको जिले में 4 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है क्या सरकार तुरन्त आवश्यक आदेश देकर जिले से स्थानान्तरित करने की व्यवस्था करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

थाना इन्चार्जों के लिये एक जिले में रहने की निर्धारित अवधि 6 वर्ष है। जिन 3 थाना इन्चार्जों ने यह अवधि पूरी कर ली थी उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है।

*53—श्री कृष्णानन्द राय—

[निरस्त]।

जौनपुर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में यन्त्र निर्माण शाला खोलने की योजना

*54—श्री मोती लाल यादव (जिला जौनपुर)—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सम्बन्धित यन्त्र निर्माण शाला वर्कशाप खोलने की योजना पर सरकार विचार कर रही है जिससे विद्यार्थियों में निर्माण करने की क्षमता अधिक बढ़ सके तथा बेरोजगारी की समस्या भी समाप्त हो सके?

श्रम राज्य मन्त्री (श्री गणेशदत्त बाजपेई) —

जी नहीं।

*55–56––श्री मोती लाल यादव––

[8वें सोमवार में प्रश्न संख्या 33–34 के अन्तर्गत उत्तरित]

थानाध्यक्ष कौंच (जालौन) के विरुद्ध शिकायतें

*57––श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद), श्री हिम्मत सिंह तथा श्री सिया राम (जिला एटा)––

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले के कौंच थाने के थानाध्यक्ष के विरुद्ध जनवरी, 1971 से दिसम्बर, 1971 तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उनकी जांच में क्या पाया गया तथा यह क्या कार्यवाही की गई।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

जालौन जिले के कौंच थाना के थानाध्यक्ष के विरुद्ध जनवरी 1, 1971 से दिसम्बर, 31, 1971 तक 6 शिकायती पत्रों का प्राप्त होना पाया गया है। प्रत्येक शिकायती-पत्र की जांच उप पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई गई। जांच से इन शिकायती-पत्रों में लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये।

*58––श्री मोहम्मद असरार अहमद ––

[14वें सोमवार में प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों की पेंशन

*59––श्री मीरेन्द्र वर्मा––

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों को गत तीन वर्षों में 1969–70, 1970–71 एवं 1971–72 में अलग-अलग कुल कितनी धनराशि कितने-कितने राजनैतिक पीड़ित को पेन्शनों के रूप मे दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

केवल पेन्शन के रूप में कितनी धनराशि दी गयी है इसकी सूचना विभाग में नहीं है। पेंशन और अनुदानों पर क्रमश : 27,91,500 रुपया, 30,95,400 रुपया और 45,61,382 रुपया लगभग दिया गया।

राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी चुर्क (मिर्जापुर) में बोरों की गड़बड़ी संबंधी जांच

*60––श्री सूबेदार प्रसाद––

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी चुर्क, मिर्जापुर, में 1971–72 में 2 लाख की लागत के खाली बोरों का गड़बड़ घोटाला हुआ है तथा उसकी सी० आई० डी० द्वारा जांच भी हुई है ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

कारखाने में मई, 1971 में हुई भौतिक जांच के फलस्वरूप 1,11,921 नई बोरियों की कमी तथा 24,054 पुरानी बोरियों की अधिकता पायी गई। इस प्रकार कुल वास्तविक कमी 87,867 बोरियों की हुई जिनका मूल्य लगभग रु० 1,36,244 आंका गया है। यह मामला सी० आई० डी० विभाग को जांच हेतु सुपुर्द कर दिया गया है। जांच के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुये हैं।

*61—श्री शमीम आलम तथा श्री मंजूर अहमद—

[निरस्त ।]

*62—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[8वें सोमवार में प्र० सं० 35 पर उत्तरित ।]

प्राचीन कला कृतियों की चोरी

*63—श्री बंशगोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गत वर्ष प्रदेश में प्राचीन कला कृतियाँ जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, की चोरी की अनेक घटनायें घटी हैं ? यदि हां, तो उनको रोकने के अब तक सरकार द्वारा कौन से सक्रिय कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)—

जी हां।

जिन जिलों में कलाकृतियों की चोरी की घटनायें हुई हैं, सम्बन्धित जिलाधिकारियों ने आवश्यकतानुसार पुलिस गार्ड अथवा पुलिस गश्त की व्यवस्था की है।

मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के सम्पत्ति का विवरण

*64—श्री बंशगोपाल शुक्ल—

क्या सरकार को जानकारी है कि मन्त्रि परिषद् के अनेक मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों तथा उपमन्त्रियों ने अपनी निजी चल और अचल सम्पत्ति का ब्योरा शासन को नहीं भेजा है ? यदि हां, तो क्यों और उस विवरण को प्राप्त करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

समस्त मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों तथा उप-मन्त्रियों ने मन्त्रियों के लिये आचरण कोड के अधीन अपेक्षित अपनी सम्पत्ति का ब्योरा दे दिया है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

होमगार्ड पुनर्गठित योजनान्तर्गत कार्य करने वालों का वेतनमान

*65—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि होमगार्ड पुनर्गठित योजना में हाई स्कूल तथा इससे कम योग्यता प्राप्त सहायक जिला संगठन कर्ताओं को वेतनमान 225–500 रुपये और हाई स्कूल तथा इससे उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले क्षेत्रीय संगठनकर्ताओं एवं बटालियन प्रशिक्षकों को मात्र 175–300 रुपये का वेतन मान दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पदों का वेतनमान शैक्षणिक योग्यता और ज्येष्ठता के आधार पर निर्धारित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्नगत पदों पर अभी नियुक्तियां नहीं हुई। चयन हो रहा है। सहायक जिला संगठनकर्ता तथा क्षेत्रीय संगठनकर्ता के पद प्रान्तीय रक्षक दल के संगठन में यथा क्रम 120–200 तथा 60–100 में थे। बाद में ये वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा 120–250 तथा 80–140 कर दिये गये। इन दो पदों को इन्हीं वेतन-क्रम पर होम-

गार्ड्स संगठन म रखा गया। बटालियन प्रशिक्षक का पद रु० 80–140 पर शुरू से होमगार्ड संगठन में रहा। अब पुनर्गठित होमगार्ड्स में इन पदो के पदधारियों के उक्त वेतन-क्रमों को दृष्टिगत रखते हुये सहायक जिला संगठन कर्ताओं को 225–500 तथा क्षेत्रीय संगठनकर्ता व बटालियन प्रशिक्षकों को 175–300 के वेतन-क्रम पर लाये जाने का विचार किया गया।

पुनर्गठित संगठन के दोनों पदों के लिये न्यूनतम शैक्षिक या अर्हता इन्टरमीडिएट है।

थाना बन्थरा (लखनऊ) में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधी प्रार्थना-पत्र

*66—श्री प्रेमनारायण अहेरवार (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको दिनांक 17 मार्च, 1972 का श्री शारदा प्रताप शुक्ल आदि का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें थाना बन्थरा जिला लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनैतिक कार्यों का वर्णन है? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

थाना बन्थरा जिला लखनऊ के दो सब-इन्सपेक्टरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि की शिकायती विषयक श्री शारदा प्रताप शुक्ल, अध्यक्ष जिला युवक कांग्रेस कमेटी, लखनऊ का एक प्रार्थना-पत्र दिनांकित 17 मार्च, 1972 प्राप्त हुआ था। इसमें उल्लिखित आरोपों की जांच सहायक पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई गई। प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित विशिष्ट मामलों में से एक मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच की जा रही है तथा एक मामले में गवाहों के उपलब्ध न होने के कारण जांच शेष है। शेष आरोपों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर शासन ने उक्त प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित भ्रष्टाचार के समस्त आरोपों की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग की प्रशासन शाखा द्वारा कराये जाने के लिये आदेश पुलिस महानिरीक्षक को भेजे हैं।

*67—श्री हरीसिंह विष्ट—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

तिलसवां (आजमगढ़) के श्री हरदेव यादव के यहां सशस्त्र डकैती

*68—श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के तिलसवां ग्राम के श्री हरदेव यादव के घर सशस्त्र डकैतों की एक गिरोह ने दिनांक 21/22 मार्च, 1972 की दरमियानी रात में डकैती डाली और गोलियों की अन्धाधुन्ध वर्षा की, गोली में गृहस्वामी श्री हरदेव यादव की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और तीन व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुए तथा कई हजार का सामान डकैत लूट ले गये? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है, कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और अब तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 22–3–72 को रिषीदेव निवासी ग्राम तिलसवा थाना मुहम्मदाबाद, आजमगढ़ ने थाना मुहम्मदाबाद में इस आशय की लिखित रिपोर्ट की कि 21/22–3–72 की रात में एक नामजद व अन्य 13–14 डाकू जिनमें एक बन्दूक लिये था व अन्य लाठी बल्लम लिये थे नेवादी के घर डकैती डाली। डाकुओं ने बन्दूक से फायर किया। वादी के भाई हरदेव को गोली लगी और वह वहीं मर गया। तीन अन्य व्यक्ति घायल हो गये। डाक लगभग रु० 3,090 का सामान लूट ले गये।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इस रिपोर्ट पर थाने पर एक मुकदमा धारा 396 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया और उसी दिन जांच आरम्भ की गई। दो अभियुक्त गिरफ्तार किये गये थे जो न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिये गये। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी जा चुकी है। एक अन्य अभियुक्त ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया था : वह बाद में गत 169 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत रिहा हुआ 12 अभियुक्तों के विरुद्ध जांच जारी है।

*69--श्री जयराम वर्मा--

[8वें सोमवार में प्रश्न संख्या 36 पर उत्तरित।]

*70--श्री विश्वनाथ कपूर--

[8वें सोमवार में प्रश्न संख्या 37 पर उत्तरित।]

लखनऊ के सरकारी वकील (फौजदारी) की पुनर्नियुक्ति

*71--श्री विश्वनाथ कपूर--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा लखनऊ जिले के फौजदारी के सरकारी वकील 1967 में गंभीर आरोपों के कारण हटा दिये गये थे ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में इनकी पुनः नियुक्ति की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, डी० जी० सी० (फौजदारी), लखनऊ को जनवरी, 1968 में हटा दिया गया था क्योंकि उनके विरुद्ध सी० आई० डी० ने एक मुकदमें में जांच की आज्ञा के संबंध में न्यायालय के समक्ष गलत बयानी करने का आरोप लगाया था। बाद को डी० जी० सी० ने अपना स्पष्टीकरण दिया और हटाये जाने के आदेश पर एक प्रत्यावेदन भी दिया। उसका परीक्षण करने पर जब यह पता चला कि डी० जी० सी० निर्दोष हैं तो उनकी नियुक्ति पुनः कर दी गई।

उर्दू समाचारपत्रों में सम्मन का प्रकाशन

*72--श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यद्यपि अदालतों में उर्दू की दरख्वास्तें देने की इजाजत है परन्तु उर्दू अखबारों में जो सम्मन छपते हैं उनकी उर्दू भाषा में छापने की इजाजत नहीं दी गई है, यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार इजाजत देने पर विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा को प्रदेश की राजभाषा घोषित करते समय अक्टूबर, 1947 में यह निर्णय लिया गया था कि जनता के नाम अदालतों या माल के अफसरों की ओर से जारी किये जाने वाले सभी समन, घोषणा और इसी प्रकार के अन्य कागज देवनागरी लिपि में होंगे। इन आदेशों के क्रम में सभी सम्बन्धित न्यायालयों को 1948 में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि किसी विशेष मामले में वह हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में छपवाने की आवश्यकता समझते हों तो उस मामले की विशेष परिस्थितियों के अनुसार उस कागज को हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषा अथवा लिपि में प्रकाशित करा सकते हैं। इस सुविधा के होते हुए कोई अन्य इजाजत देने का प्रश्न नहीं उठता।

कौरू (कानपुर) के श्री मोहन धोबी की हत्या

*73--श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर), श्री महराम सिंह, श्री नारायण दास (जिला लखनऊ), श्री बिहारी लाल (जिला फर्रुखाबाद), श्रीमती सरस्वती टम्टा (जिला अल्मोड़ा), श्री राम प्यारे तथा श्री रामलाल राही--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत 301 निर्वाचन क्षेत्र राजपुर के ग्राम कौरू में 10 मार्च, 1972 को श्री मोहन धोबी की सांघातिक वार करके हत्या कर दी गई है ? यदि हां तो क्या इस घटना की सूचना संबंधित पुलिस स्टेशन में की गई है और श्री मोहन के शव की परीक्षा हुई है ? यदि हां तो पुलिस की सूचना और डाक्टरी परीक्षा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला कानपुर के ग्राम कौरू में कुछ व्यक्तियों द्वारा दिनांक 10-3-72 को श्री मोहन पर सघातिक आक्रमण किये जाने की सूचना सम्बन्धित मंगलपुर थाने पर प्राप्त हुई। श्री मोहन की मृत्यु अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हो गई। श्री मोहन के शव की परीक्षा कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति नत्थी है तथा पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट की प्रति तो नहीं वरन इस रिपोर्ट में मृत्यु के कारण के स्तम्भ में दी गई सूचना का उद्धरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ. 351 पर।)

चिलबिला (वाराणसी) के श्री शमशेर बहादुर सिंह की लड़की का अपहरण

*74--श्री राम विलास पाण्डेय तथा श्री अमरनाथ दुबे (जिला वाराणसी)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वश्री बंशीधर पांडेय तथा निहाला सिंह विधायक गण ने विगत विधान सभा सत्र के समय वाराणसी जिला के अन्तर्गत चिलबिला ग्राम थाना बड़ागांव के श्री शमशेर बहादुर सिंह की 4 वर्षीय पुत्री जिसे लड़की बेचने वाले गिरोह के लोग उठा ले गये उसका पता लगवाने तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिये पत्र लिखा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिसम्बर, 1971 में सर्वश्री बंशीधर पांडे और निहाला सिंह, विधायक गण का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें सूचित किया गया था कि ग्राम चिलबिला, जिला वाराणसी, निवासी श्री शमशेर बहादुर सिंह की 4/5 वर्षीय पुत्री किरन उर्फ गुड्डी, दिनांक 1-12-71 को स्कूल से गायब हो गई। पत्र में यह संदेह व्यक्त किया गया था कि बालिका के गायब होने में कुछ अराजक तत्वों का हाथ था और बालिका का पता लगाने के लिये पुलिस के एक सक्रिय दल नियुक्त किये जाने की संस्तुति की गई थी। उक्त पत्र के प्राप्त होने पर पुलिस महानिरीक्षक को बालिका का पता लगाने के लिये तत्परता पूर्वक पूर्ण प्रयास किये जाने के लिये आदेश भेजे गये थे।

इस विषय में थाना बड़ा गांव में धारा 363 भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम करके पहले स्थानीय पुलिस और बाद में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एक वार्ड के एक सब इन्सपेक्टर द्वारा जांच की गई किन्तु बालिका तथा अपराधियों का पता नहीं लग सका। अब इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

झंगहा (गोरखपुर) के श्री विक्रमराय की हत्या

*75--श्री महावीर सिंह चौहान, (जिला अलीगढ़), श्री सच्चिदानन्द तथा श्री त्रिलोक चन्द्र--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के झंगहा थाना अन्तर्गत श्री विक्रमराय की हत्या दिनांक 9-1-72 को कर दी है और इस हत्या के पश्चात् कुछ लोगों ने उसके लड़के श्री अशोक कुमार को भी मारने का प्रयत्न किया जिसकी रिपोर्ट थाने में ए० एस० पी० के आदेश पर भारतीय दंड विधान की धारा 395 के अन्तर्गत की गई है ? यदि हां, तो उपरोक्त दोनों मुकदमों में अबतक क्या कार्यवाही हुई ? क्या सही है कि जब अशोक कुमार की रिपोर्ट थानेदार ने दर्ज करने से इंकार कर दिया तब उक्त पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देशन करना पड़ा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 9-1-72 को थाना झंगहा, जिला गोरखपुर के अन्तर्गत विक्रमराय की हत्या की कोई घटना नहीं हुई। विक्रमराय पुत्र फौजदार राय, निवासी डुमरी थाना झंगहा, पर 27-5-71 को कुछ लोगों द्वारा आक्रमण करके उन्हें घायल किए जाने की घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली में एक सूचना उसी दिन प्राप्त हुई थी। उक्त घटना के 7 दिन बाद विक्रमराय की मृत्यु अस्पताल में टिटनेस के कारण हो गई थी। उक्त घटना से सम्बन्धित मुकदमे में पुलिस ने अभियुक्तों का चालान कर दिया था और वे 25-5-72 को न्यायालय से दण्डित हुए।

अशोक कुमार राय पुत्र स्वर्गीय श्री विक्रमराय ने थाना खोराबार, जिला गोरखपुर पर दिनांक 9-1-72 को सुबह 9-15 बजे लिखित सूचना दी कि उसी सुबह जब वह गोरखपुर से अपने घर लौट रहा था तो उपरोक्त मुकदमें के चार अभियुक्तों तथा एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे मारा पीटा और उससे 25 रुपये तथा घड़ी छीन ली। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाने पर धारा 395 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ और उसी दिन जांच आरम्भ की गई। जांच जारी है।

यह सही नहीं है थानाध्यक्ष ने अशोक कुमार राय की रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार किया था और रिपोर्ट दर्ज करने के लिये ए० एस० पी० अथवा किसी उच्च अधिकारी को आदेश देना पड़ा।

*76--श्री महावीर सिंह चौहान, श्री सच्चिदानन्द तथा श्री त्रिलोक चन्द्र--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

एटा में पुलिस के भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवेदन-पत्र

*77--श्री गंगाप्रसाद (जिला एटा)--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक डी० आई० जी०, आगरा और एस० पी०, एटा के पास एटा जिले में पुलिस के भ्रष्टाचार के कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उसमें से कितनी की जांच हुई तथा जांच में कितने सत्य पाये गये और उन क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*78—श्री लालसा—

[9वें सोमवार में प्र० सं० 38 पर स्थानान्तरित ।]

सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी

*79—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 1971 में ठण्डी वर्दी के साथ मिलने वाले जूते तक नहीं मिले हैं ? यदि हां तो क्यों ? क्या जूते न दिये जाने का शासन ने निर्णय लिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष १९७१ में दिये जाने वाले जूते चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में वितरित किये जा चुके हैं। कुछ कर्मचारियों को जिन्होंने देर से नाप दी है, जूते देना शेष है। जूते न दिये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

सहारनपुर तथा रुड़की के सेवा योजना कार्यालयों में अंकित अभ्यर्थियों के नाम

*80—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1 जनवरी, 1971 से 31 दिसम्बर, 1971 तक सहारनपुर तथा रुड़की के सेवा योजना कार्यालयों में अलग-अलग कुल कितने अभ्यर्थियों ने नौकरी के लिये अपने नाम दर्ज कराये तथा उनमें कितने अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के हैं तथा कुल कितने व्यक्तियों को नौकरी मिली तथा उनमें कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं ?

श्रम राज्य मंत्री (श्रीगणेश दत्त बाजपेयी)—

वांछित सूचना निम्न प्रकार है :—

सेवायोजन कार्यालय का नाम	पंजीयन संख्या		नौकरी प्राप्त करने वालों की संख्या	
	कुल पंजीकृत अभ्यर्थी	अनुसूचित जाति के पंजीकृत अभ्यर्थी जो कुल संख्या में सम्मिलित हैं	कुल नौकरी प्राप्त करने वालों की संख्या	अनुसूचित जाति के रोजगार पर लगे अभ्यर्थी जो कुल संख्या में सम्मिलित हैं।
सहारनपुर ..	12,052	3,166	942	244
रुड़की नगर सेवायोजन कार्यालय ।	5,606	1,515	451	121
रुड़की विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र ।	525	1	42	. .

*81--श्री चन्द्रभान शर्मा तथा श्री सच्चिदानन्द--

[11वें बुधवार में प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अवर वर्ग सहायकों के वेतन मान में संशोधन

*82--श्री हरीसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा) तथा श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी गढ़वाल)--

विधान सभा के वर्तमान सत्र के 2रे शुक्रवार (दिनांक 31 मार्च, 1972) के लिये निर्धारित अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि क्या यह सत्य है कि अवर वर्ग संवर्ग जिनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है केवल उत्तर प्रदेश सचिवालय में ही हैं, सारे प्रदेश में नहीं और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री चरण सिंह ने भी केवल सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों के वेतन मान में संशोधन के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं, प्रदेश के कुछ अन्य कार्यालयों में भी हैं। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री चरण सिंह ने सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों के वेतन-मान में संशोधन के आदेश दिये थे परन्तु बाद में वेतन आयोग के गठन हो जाने के उपरान्त यह प्रश्न भी उनके विचारार्थ भेज दिया गया है।

देवरिया तथा गोरखपुर की चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य एवं सरकारी बकाया

*83--श्री राम नगीना मिश्र (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया तथा गोरखपुर जिले की चीनी मिलों के जिम्मे गन्ना किसानों का कितना रुपया बकाया है तथा सरकारी कैश कितना बाकी है और बकाया वसूली के लिये सरकार कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्रश्न में उल्लिखित जिलों की चीनी मिल पर दिनांक 30 जून, 1972 तक गन्ना मूल्य एवं उपकर/क्रयकर की कुल बकाया क्रमशः रु० 76.92 लाख रुपया एवं 256 62 लाख् रुपया अवशेष थी। बकाया वसूली के लिये निम्न विशेष उल्लेखनीय कार्यवाही की गई है :--

(1) सरदारनगर-पिपराइच, धुपली, सिसवाबाजार, छितौनी, लक्ष्मीगंज, सेवरही, देवरिया तथा बैतालपुर चीनी मिलों से सीजन के प्रारम्भ में ही बैंक एडवांस पर अग्रिम धनराशि गन्ना मूल्य के लिये अपरिवर्तनीय साख पत्र प्राप्त किये गये।

(2) पिपराइच चीनी मिल में हाल ही में जिलाधिकारी द्वारा रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है।

(3) कानून में परिवर्तन किया गया। उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरोद विनियमन और क्रयकर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम 1972 पास किया गया जिसके फलस्वरूप

चीनी मिलों को बैंक से प्राप्त अग्रिम धनरशि में से एक नियत धन गन्ना मूल्य की ओर देने के लिये बाध्य कर दिया गया।

(4) उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत जिन 12 चीनी मिलों को अधिग्रहित किया गया था, उनमें देवरिया जिले की खड्डा (भटनी लक्ष्मीगंज तथा रामकोला के) चीनी मिलें हैं जिसमें अन्तिम की दो चीनी मिलों ने उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। अधिग्रहित चीनी मिलों से उक्त अधिनियम की धारा 8 (2) के अन्तर्गत प्रतिकर की धनराशि से होगा।

(5) सीजन 1971–72 की वकाया के विरुद्ध देवरिया जिले की लक्ष्मी गंज सिवरही एवं छितौंनी चीनी मिलों के विरुद्ध तथा पुरानी बकाया के विरुद्ध सभी चीनी मिलों पर वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये। सिवरही एवं छितौंनी चीनी मिलों ने इलाहाबाद से रोधना देश प्राप्त कर लिया है तथा भुगतान हेतु किस्तें बंधवा ली हैं।

उपर्युक्त तथा अन्य प्रयासों का उज्जवल परिणाम यह रहा है कि उक्त दोनों जिले की 19 चीनी मिलों पर पुराने गन्ना मूल्य की दिनांक 30 जून, 1972 तक रु० 6915 लाख नया सीजन 1971–72 का केवल रु० 7.77 लाख अर्थात् कुल 76.92 लाख अवशेष था और उत्तरोत्तर वसूलीं की प्रगति अपेक्षित है।

*84––श्री राम वचन यादव तथा श्री राम सागर ––

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]।

औद्योगिक विकास हेतु ऋण एवं ग्रामीण उद्योग योजना का कार्य-क्रम

*85––श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल) ––

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों के औद्योगिक विकास के लिये विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियायती दर पर ऋण देने पर विचार हो रहा है। यदि हां, तो वह कौन-कौन जिले है और ब्याज की दर क्या होगी? क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास के लिये ग्रामीण उद्योग प्रयोजना का कार्य-क्रम भी संचालित किया जा रहा है। यदि हां, तो किन-किन जिलों में?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

प्रदेश से 36 पिछड़े जिलों के औद्योगिक विकास के लिये विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियायती दर पर ऋण दिये जा रहे हैं:

योजना आयोग द्वारा प्रदेश में निम्नलिखित 36 जिले पिछड़े माने गये हैं:

(1) अल्मोड़ा, (2) आजमगढ़, (3) बहराइच, (4) बांदा, (5) बलिया, (6) बदायूं, (7) चमोली, (8) फतेहपुर, (9) गढ़वाल, (10) गाजीपुर, (11) हमीरपुर, (12) हरदोई, (13) जालौन, (14) जौनपुर, (15) झांसी, (16) मैनपुरी, (17) पीलीभीत,

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

(18) पिथौरागढ़, (19) प्रतापगढ़, (20) राय बरेली, (21) सुल्तानपुर, (22) टेहरी-गढ़वाल, (23) उन्नाव, (24) उत्तर काशी, (25) बाराबंकी, (26) बस्ती, (27) बुलन्दशहर, (28) एटा, (29) इटावा, (30) फैजाबाद, (31) गोंडा, (32) मथुरा, (33) फर्रुखाबाद, (35) मुरादाबाद, (35) शाहजहांपुर एवं (36) देवरिया।

इन जिलों में उद्योगों की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा विशेष रियायती दर पर ऋण दिये जाने का प्राविधान है। इन जिलों में प्रभावी ब्याज की दर 7 एवं साढ़े सात प्रतिशत तथा छूट 1 से डेढ़ प्रतिशत है। केन्द्रीय वित्तीय संस्थान, औद्योगिक विकास बैंक एवं औद्योगिक वित्त निगम द्वारा भी इन क्षेत्रों में सामान्य दर के 1 प्रतिशत कम की ब्याज दर पर ऋण दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा, झांसी एवं गाजीपुर जिलों के ग्रामीण उद्योग परियोजना क्षेत्रों में स्टेट बैंक आफ इंडिया की उदार ऋण योजना के अन्तर्गत 8 प्रतिशत की दर पर बिना किसी जमानत पर ऋण औद्योगिक विकास हेतु दिये जाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास हेतु जिला अल्मोड़ा, झांसी, सहारनपुर, फूलपुर (इलाहाबाद), गाजीपुर एवं लखनऊ में ग्रामीण उद्योग परियोजनायें चलाई जा रही हैं। यह योजना केन्द्रीय पुरोनिधानित है।

मितेरेपार (उन्नाव) के श्री अमर बहादुर की हत्या

*86--श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि जिला उन्नाव थाना अजगैन मौजा मितेरेपार में श्री अमर बहादुर पुत्र झब्बा सिंह की मृत्यु दिनांक 7 अप्रैल, 1972 शुक्रवार की रात को 12 बजे हुई? क्या यह भी सत्य है कि मृतक श्री अमर बहादुर को नवाबगंज से लाकर मदखेरा के सामने गले में फांसी लगा कर मारा तथा लाश तालाब से बरामद हुई? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

थाना असोहा जिला उन्नाव पर दिनांक 9 अप्रैल, 1972 को लिखित सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 7 अप्रैल, 1972 को ग्राम मितेरेपार उन्नाव निवासी अमर बहादुर सिंह, पुत्र झब्बा सिंह को उसी गांव के दो व्यक्ति इंटा लकड़ी खरीदवाने के लिये नवाबगंज बुलाकर ले गये। उसी समय से उनका पता नहीं था। अमर बहादुर सिंह की काफी तलाश करने पर उसकी लाश 9 अप्रैल, 1972 को प्रातः काल मदखेड़ा की सीमा के पास एक तालाब से मिली।

उक्त सूचना के आधार पर थाना असोहा पर एक मुकदमा धारा 302/301/394 भारतीय दंड विधान के अधीन कायम किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गई। नामांकित दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा तीसरे ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। जांच जारी है।

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार अमर बहादुर सिंह की मृत्यु गला दबाये जाने के फलस्वरूप श्वास प्रक्रिया रुक जाने से हुई।

टिहरी गढ़वाल के सर्वश्री मातवर सिंह तथा भरत सिंह की हत्या

*87--श्री इन्द्रमणि--

क्या गृह मत्री को यह विदित है कि टिहरी गढ़वाल में दिनांक 13 फरवरी, 1972 को सामाजिक कार्यकर्ता श्री मातवर सिंह तथा भरत सिंह की हत्या की गई है ? यदि हां, तो सरकार ने इसमें अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

पटवारी चौकी सुसाण गांव, पट्टी बनगढ़, जिला टिहरी गढ़वाल पर दिनांक 14 फरवरी, 1972 की रात को तीन व्यक्तियों ने लिखित सूचना दी कि श्री मातवरसिंह निवासी ग्राम खूंडी गांव पट्टी सिरियाखाल जिला टिहरी गढ़वाल तथा श्री भरत सिंह निवासी चुराना गांव पट्टी चन्द्रवदनी जिला टेहरी गढ़वाल की एक जीप दुर्घटना में मृत्यु होने की खबर मिली है तथा दुर्घटना में फतेहसिंह ड्राइवर तथा श्री कृपाल सिंह निवासी नाग की साजिस का सन्दे है । पटवारी, पट्टी बनगढ़ ने उक्त सूचना के आधार पर भारतीय दन्ड विधान की धारा 279/304 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया और तुरन्त जांच शुरू की। बाद में सुपरवाइजर कानूनगो की विवेचना के फलस्वरूप मुकदमा धारा 302/396/201/109 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया।

उपरोक्त मुकदमें में नामांकित दोनों अभियुक्तों सहित 9 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये। एक अन्य फरार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 87/88 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। अब तक ६ अभियुक्तों के विरुद्ध चार्ज-शीट लगाई जा चुकी है। विवेचना जारी है।

*88-89--श्री भगवती सिंह विशारद--

[१२वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ३८-३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

तहसील नवाबगंज (बरेली) में कत्ल एवं डकैतियों की घटनायें

*90--श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

क्या मुख्य मन्त्री बतावेंगे कि वर्ष 1970-71 और 1971-72 जिला बरेली में तहसील नवाबगंज में कुल कितने कत्ल और डकैतियों की घटनायें हुईं ? और इनमें कितने केस सजायाब हुये तथा क्या-क्या सजा दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचनाएकत्र की जा रही है ?

*91--श्री राम नगीना मिश्र--

[7वें सोमवार में प्रश्न संख्या 87 पर उत्तरित।]

सहारनपुर की बन्द लार्ड कृष्ण टेक्सटाइल मिल

*92--श्री राम सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दी लार्ड कृष्णा टेक्साटाइल मिल सहारनपुर इस समय बन्द पड़ी हैं क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस मिल के बन्द होने के मुख्य कारण क्या-क्या हैं और सरकार इस मिल को चलवाने में क्या-क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। मिल के बन्द होने का मुख्य कारण वित्तीय कठिनाई है। भारत सरकार ने इस मिल की इन्डस्ट्री (डेवलपमेन्ट एन्ड रेग्यूलेशन) ऐक्ट, 1951 के अन्तर्गत जांच कराने के लिये एक जांच समिति का गठन मई, 1972 में कर दिया है। समिति की रिपोर्ट तथा उस पर भारत सरकार के निर्णय से शासन को तुरन्त अवगत कराये जाने के लिये भारत सरकार को लिखा गया है।

*93--श्री राम सिंह--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

पुलिस ट्रेनिंग कोर्स में स्वीकृत "सामान्य ज्ञान पुलिस दल के लिये" नामक पुस्तिका

*94--श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग कोर्स में सामान्य ज्ञान पुलिस दल के लिये नामक पुस्तिका स्वीकृत (Prescribed) की गई है जिसमें लिखा है कि पासी चोर होते हैं डकैती डालते हैं और घटना स्थल पर बल का प्रयोग करते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आपत्तिजनक वाक्यों को निकालने का आदेश देगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

स्थिति ऐसी नहीं है। पुस्तिका में विमुक्त जातियों, जिनमें पासी भी सम्मिलित हैं, का विवरण अंकित है तथा उनमें से केवल अपराध करने वाले व्यक्तियों के विषय में लिखा है कि यह गृह भेदन, लूट और डकैती करते हैं, घटनास्थल पर बल प्रयोग भी करते हैं। चूंकि संपूर्ण पासी वर्ग के लिये कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही गई है अतः उल्लिखित वाक्य को पुस्तक से निकालने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

*94--(क) श्री राम सिंह खन्ना--

[अल्प सूचित में स्वीकृत होने के कारण निरस्त।]

*95--श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

*96--श्री मोहन लाल--

[9वें सोमवार में प्र० सं० 39 पर स्थानान्तरित।]

श्रमायुक्त अधीनस्थ विभागीय प्रोन्नति प्राप्त अनुसूचित जाति के निरीक्षकों का प्रत्यावर्तन

*97--श्री सिया राम--

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के अधीन कार्यरत निरीक्षकों के पदों पर अनुसूचित जाति का 18 प्रतिशत का आरक्षण कोटा पूरा नहीं है किन्तु विभागीय प्रोन्नति प्राप्त अनुसूचित जाति के निरीक्षकों का प्रत्यावर्तन किया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

यह सही है कि श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के अधीन कार्यरत निरीक्षकों के पदों पर अनुसूचित जाति का 18 प्रतिशत का आरक्षण कोटा उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण पूरा नहीं है किन्तु अधीनस्थ श्रम सेवा श्रेणी 2 में सामान्य ज्येष्ठता के आधार पर केवल तदर्थ रूप से प्रोन्नत निरीक्षक जिनमें 3 अनुसूचित जाति के व्यक्ति भी सम्मिलित हैं के प्रत्यावर्तन की सम्भावना है, क्योंकि इन तदर्थ रूप से प्रोन्नत व्यक्तियों के स्थान पर लोक सेवा आयोग से अनुमोदित 54 अभ्यर्थियों के नाम उपलब्ध हो गये हैं जिनमें 14 अनुसूचित जाति के व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।

***98--श्री हुकुम सिंह परिहार--**

[12वें मंगलवार में प्रश्न संख्या 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध करप्शन ऐक्ट के अन्तर्गत चल रहे मुकदमों का निस्तारण

*99--श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)--

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1971 में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध करप्शन ऐक्ट के चल रहे मुकदमों को शीघ्र निस्तारण के लिये प्रार्थना की गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, यह आवेदन-पत्र शासन को फरवरी, 1971 में प्राप्त हुआ था। इसके प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुरोध किया गया था कि वह प्रीवेन्शन आफ करप्शन ऐक्ट के अन्तर्गत चलने वाले मुकदमों का निस्तारण करने के लिये लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, और वाराणसी में जहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय चल रहे हैं उन्हें स्पेशल जजेज की शक्तियां प्रदान कर दी जायं।

उच्च न्यायालय की संस्तुति प्राप्त होने पर उपरोक्त न्यायाधीशों को स्पेशल जजेज की शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं।

***100-101--श्री शमीम आलम तथा श्री मंजूर अहमद--**

[13वें सोमवार में प्रश्न संख्या 8-9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

***102--श्री मोती लाल देहलवी, चौधरी रामपाल सिंह यादव, श्री शिव प्रसाद पांडिया, श्री विश्वनाथ कपूर तथा श्री राम विलास पाण्डेय--**

[12वें मंगलवार में प्रश्न संख्या 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

परगनाधीश मुख्यालय हल्द्वानी (नैनीताल) का स्थानान्तरण

***103--श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)--**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना अधिकारी तराई जिला नैनीताल मुख्यालय हल्द्वानी के स्थान पर रुद्रपुर करने का निर्णय सरकार के द्वारा ले लिया गया है? यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक कार्यान्वित किया जायगा। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इस प्रकार का कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*104--श्री रामविलास पान्डेय--

[14वें बृहस्पतिवार के लिये प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मिर्जापुर का तीन मंजिला नटराज पैलेस सिनेमागृह

*105--श्री राम प्यारे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मिर्जापुर जनपद में नटराज पैलेस "चलचित्र-नियमावली" के नियमों के विरुद्ध निर्मित हुआ है? यदि हां, तो शासन ने अब तक उस टाकीज के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

नटराज पैलेस उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ नियमावली, 1951 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करके बनवाया गया है। किन्तु जांच करने पर उनमें कुछ त्रुटियां पाई गई हैं जिससे कतिपय नियमों की पूर्ति नही होती नियमों का अनुपालन कराने की कार्यवाही की जा रही है?

*106--श्री राम प्यारे--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चलचित्र नियमावली, 1971 की धारा ७ के अनुसार तीन मंजिला सिनेमा नहीं बन सकते? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में मिर्जापुर के उक्त सिनेमागृह को तीन मंजिला गृह बनाने की छूट दी गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ नियमावली, 1951 के नियम 7 में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

बुलन्दशहर में बालू का ठेका

*107--श्री त्रिलोक चन्द्र--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बुलन्दशहर में ग्राम छबेरा के पास सितम्बर, 1970 में दिल्ली की किसी फर्म को रेता उठाने के लिये ठका दिया गया था? यदि हां, तो उसने कितनी घनफुट रेता उठाया और कितने वर्षों से ठेका दिया जाता रहा है? रेता उठाने के लिये सितम्बर, 1970 से दिनांक 15 मई, 1972 तक कितनी रकम प्राप्त हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। घनफुट के हिसाब से ठेका न देकर क्षेत्रफल के हिसाब से दिया गया था। यह ठेका पिछले 10 वर्षों से दिया जाता रहा है। वर्ष 1970-72 के नीलाम की कुल धनराशि 12,70,100 रु० प्राप्त हो गई है।

कस्बा कोंच (जालौन) में मुंसिफी न्यायालय खोलने का निर्णय

*108--श्री बसन्त लाल (जिला जालौन)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद जालौन के कस्बा कोंच में सन् 1970 में मुंसिफी न्यायालय खोलने का निर्णय किया गया था और उसके लिये एक भवन भी किराये

पर ले लिया गया था और क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि गत वर्ष के बजट में कोंच मुंसफी के लिये धनराशि का प्राविधान भी कर लिया गया था ? यदि हां, तो अब तक इस न्यायालय के कार्यरत न होने के क्या कारण हैं और इस न्यायलय का कार्य कब से सुचारू रूप से चालू करने का विचार है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला जालौन की कोंच तहसील में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का अस्थायी न्यायालय सृजित करने का निर्णय 1970 में लिया गया था। परन्तु न्यायालय के लिये भवन प्राप्ति हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने और प्रदेश में मुंसिफ मजिस्ट्रेटों की कमी के कारण गत वर्ष न्यायालय स्थापित नहीं किया जा सका। 8 जून, 1972 से उक्त न्यायालय चालू हो गया है।

*109--श्री शेर सिंह दानू--

[12वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मऊनाथभंजन (आजमगढ़) के पावरलूम परमिट हस्तान्तरित करने हेतु आवेदन-पत्र

*110--श्री राम विलास पाण्डेय--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के मऊनाथ भंजन नगर के कुछ व्यक्तियों ने पावरलूम खरीदने का बयनामा प्रस्तुत करते हुए अपने पावर लूम की परमिट को अन्य व्यक्तियों के नाम हस्तान्तरित करने के लिये प्रान्तीय वस्त्र नियन्त्रण को सन् 1968 में आवेदन-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो क्या उनके नाम थे और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

जी हां।

उनके नाम निम्नांकित थे तथा उनक लाइसेन्स उसी वर्ष, अर्थात् 1968 में ही, क्रय-कर्ताओं के नाम हस्तान्तरित कर दिये गये थे :

(1) श्री खालिद जमाल,
(2) श्री इकबाल अहमद,
(3) श्री अब्दुल सत्तार,
(4) श्रीमती सुदामा देवी,
(5) श्री नजीर अहमद,
(6) श्री जफर अहमद।

फर्रुखाबाद जिले में पैदल गश्त करने वाले आर्म गार्ड का भत्ता

*111--श्री जगदम्बा प्रसाद, कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह तथा श्री शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में पुलिस लाइन से भेजी गई थानों के लिये आर्म गार्ड को पैदल गश्त करने के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1971-72 में कितना सफर खर्च व भत्ता दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जिला फर्रुखाबाद में पुलिस लाइन में थानों के लिये भेजी गई आर्म गार्ड को पैदल गश्त करने के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1971-72 में रु० 57,273.10 पै० सफर खर्च एवं भत्ता दिया गया।

*112--श्री जगदम्बा प्रसाद, कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह तथा श्री शिव महेन्द्र सिंह--

क्या पैदल गश्त करने का अन्य जिलों में भी सफर खर्च व भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो प्रति दिन कितना ? यदि नहीं, तो फर्रुखाबाद जिले में देने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। यह सफर खर्च व भत्ता वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 3 के नियमों में निर्धारित दरों पर दिया जाता है। अन्तिम भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय के वैयक्तिक सहायकों (ग्रेड-2) की परीक्षा

*113--श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिवालय में वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 के पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा 1964 के बाद कोई परीक्षा नहीं ली गई है जबकि ऐसे दो सौ पदों पर तदर्थ रूप से (सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा परीक्षा लेकर) सचिवालय में नियुक्ति की गई है। इस परीक्षा को इतने लम्बे समय तक जगह होते हुये भी लोक सेवा आयोग द्वारा न कराये जाने का क्या कारण है तथा सरकार इस परीक्षा को कब तक करायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। वर्ष 1964 के बाद कोई परीक्षा नहीं ली गयी है और रिक्त स्थानों पर तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं।

उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 1942 का संशोधन आयोग के पास उनकी सहमति हेतु भेजा गया है। आयोग की सहमति प्राप्त होने पर अगली परीक्षा आयोजित की जायेगी।

लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार के सुपुत्र श्री अजय कुमार तिवारी की हत्या

*114--श्री हिम्मत सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अजय कुमार तिवारी, लखनऊ के एक वरिष्ठ पत्रकार केलड़के की गुण्डों ने चाकुओं से प्रहार कर 17 मई, 1972 को निर्मम हत्या कर दी ? यदि हां, तो हत्या करने का उद्देश्य क्या था और पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिनांक 17-5-72 को रात में सवा आठ बजे थाना नाका हिन्डोला, लखनऊ पर इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि उसी दिन मुहल्ला खुरशेद बाग, लखनऊ निवासी अजय तिवारी (पुत्र श्री लक्ष्मी कान्त तिवारी पत्रकार) को कुछ लड़कों ने आपसी रंजिश के कारण चाकू से मार कर घायल किया। इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा 307 भारतीय दण्ड विधान के अधीन कायम किया गया। घायल अजय तिवारी की उसी रात मृत्यु हो जाने की सूचना मिलने पर उक्त मुकदमा धारा 302 भारतीय दण्ड विधान में परिवर्तित किया गया। दिनांक 19-5-72 को मुकदमें में धारा 120-बी भी लगाई गई।

घटना से सम्बन्धित तीन अभियुक्तों को पुलिस नेगिरफ्तार किया तथा दो ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। विवेचना के बाद इन पांचों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302/120, बी/109/149/34 भारतीय दण्ड विधान के अधीन चार्जशीट न्यायालय भेजी गई। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

पुलिस चौकी चांदपुर (बुलन्दशहर) के दरोगा के विरुद्ध शिकायतें

*115—श्री हिम्मत सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें मई 1972 के मध्य में श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री जिवा लाल निवासी ग्राम कहिरा थाना कोतवाली जिला बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित एवं श्री हिम्मत सिंह एम० एल० ए० तथा श्री सियाराम एम० एल० ए० द्वारा अग्रसारित एक प्रार्थना-पत्र जिसमें पुलिस चौकी चान्दपुर थाना उपरोक्त के दरोगा श्री खड़ग सिंह के अत्याचारों की शिकायत की गई थी मिली है? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित आशय का श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र जिवालाल निवासी ग्राम काहिरा थाना कोतवाली जिला बुलन्दशहर द्वारा हस्ताक्षरित तथा सर्वश्री हिम्मत सिंह व सियाराम विधायक गण द्वारा अग्रसारित एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-5-72 को प्राप्त हुआ। प्रार्थना-पत्र में लगाये गये मुख्यतः दो आरोपों में से एक आरोप से सम्बन्धित मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण जांच संभव नहीं पाई गई। एक अन्य आरोप के सम्बन्ध में जांच कराई गई परन्तु प्राप्त रिपोर्ट सन्तोषप्रद नहीं पाई गई अतः पुनः जांच के आदेश दिये गये हैं। सब-इन्सपेक्टर श्री खड़ग सिंह का स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया है।

*116—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

[14 वें बृहस्पतिवार के लिए प्र० सं० 28 के अन्तर्गत स्थानन्तरित।]

बलिया जिले में टैक्सी एवं ट्रक की चोरी

*117—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में 6 मार्च, 1972 को टैक्सी नं० 3594 चालक के साथ ही गायब हो गई? यदि हां तो गाड़ी और चालक का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और कितनी सफलता पुलिस को मिली है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री पारस नाथ मिश्र, निवासी ग्राम पोहारीपुर, थाना कोतवाली बलिया ने दिनांक 10-3-72 को थाना कोतवाली पर इस आशय की एक लिखित रिपोर्ट दी कि उनकी टैक्सी नं० डब्लू० बी० जो 3594 चालक सहित दिनांक 6-3-72 के 6.30 बजे शाम के बाद से गायब है। उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होंने पर थाने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 379/364 के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम कर के विवेचना शुरू की गई। टैक्सी तथा चालक के गायब होने के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित अधिकारियों तथा जिलों को वायरलेस भेजा गया तथा विवेचना कर्ता ने पड़ोसी जिले में जाकर स्वयं छानबीन की परन्तु अभी तक टैक्सी तथा चालक का कुछ पता नहीं लग पाया है।

*118--श्री मैनेजर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 2 अप्रैल, 1972 को बलिया जनपद के सोहाब स्थान के निकट कोयले से लदा हुआ एक ट्रक डकैत लेकर भाग गये ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिनांक 3-4-1972 को थाना नरही, जिला बलिया में श्री सुदर्शन सिंह, निवासी गंगहारा, थाना कोतवाली, बलिया ने इस आशय की एक लिखित रिपोर्ट दी कि उनकी गाड़ी संख्या यू० पी० जी० 591 को परमेश्वर सिंह निवासी आदर्शनगर, थाना कोतवाली, जो गाड़ी की खरीदारी के सम्बन्ध में जमानतदार थे, अन्य साथियों सहित दिनांक 2-4-72 को, जब कि उस पर कोयला लदा हुआ था, ड्राइवर सहित गांव सोहाव से पकड़ ले गये। उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर थाने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 382/342 के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम करके विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान नामजद अभियुक्त परमेश्वर सिंह तथा दो अन्य को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। विवेचना अभी जारी है।

*119--श्री राम कुमार दीक्षित--

[10वें मंगलवार में 107 के अन्तर्गत उत्तरित।]

ग्राम कुआं (गोरखपुर) की सुरसती की हत्या

*120--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर थाना बेलघाट के ग्राम कुंआ में एक महिला सुरसती का उसके ससुर एवं सास ने दिनांक 6-4-72 को निर्मम हत्या कर दी और 7 अप्रैल, 1972 को उस महिला को जलाकर मरे रूप में दिखाकर पंचनामा बनवाकर बिना डाक्टरी परीक्षा किए दाह संस्कार कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

ग्राम कुंआ थाना बेलघाट जिला गोरखपुर के चौकीदार कतवारू ने दिनांक 8-4-72 को सुबह थाना बेलघाट पर मौखिक सूचना दी कि गांव के शिवलाल धोबी को पुत्र बबू सरस्वती ने 7-4-72 की शाम को अपने कपड़ों में आग लगा कर आत्म हत्या कर ली है। सूचना पाकर थानाध्यक्ष ने तुरन्त मौके पर जाकर पंचायतनामा तैयार किया। पंचों और थानाध्यक्ष ने सरस्वती की मृत्यु आत्म हत्या के फलस्वरूप होना पाया और उस सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह नहीं पाया। अतः पन्चायतनामे के बाद उसकी लाश उसके घर वालों को अन्तिम संस्कार के लिये दे दी गई।

शिक्षित बेरोजगार को रोजगार दिलाने की योजना

*121---श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेकारों को काम देने के लिये 1972-73 में क्या-क्या नई योजनायें कार्यान्वित करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के बेरोजगार तकनीकी तथा गैर तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों, कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को वर्ष 1972-73 में रोजगार के अवसर

उपलब्ध कराने के लिये 864 लाख रु० की एक विशेष रोजगार प्रायोजना बनाई गई है। इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने कुल परिव्यय का आधा धन अर्थात् 432 लाख रु० सहायता के रूप में देना स्वीकार किया है और इतनी ही धनराशि राज्य सरकार को अंशदान के रूप में लगानी है। इस प्रायोजना में जो योजनामें शामिल की गयी हैं उनके कार्यान्वियन से वर्ष 1972–73 में विभिन्न वर्गों के 109731 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने की आशा है। वर्गवार रोजगार के अनुमान निम्न प्रकार हैं :—

श्रेणी	संख्या
1—अभियांत्रिक स्नातक	764
2—अभियांत्रिक उपाधिधारी	2089
3—कृषि स्नातक	1239
4—पशु चिकित्सा स्नातक	87
5—अंशकालिक अध्यापक	8792
6—अन्य तकनीकी व्यक्ति	627
7—लिपिक तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2859
8—कुशल श्रमिक	18925
9—अकुशल श्रमिक	73203
10—अन्य	546
योग ..	109731

*122—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[15 वे मंगलवार में प्र० सं० 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री आई० पी० गुप्ता, टी० टी० नार्दन रेलवे, मुरादाबाद को घायल किया जाना

*123—श्री सुरेन्द्र विक्रम —

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बरेली शहर में दिनांक 18-4-72 को श्री आई० पी० गुप्ता, टी० टी० ई० नार्दन रेलवे, मुरादाबाद को चाकुओं से बुरी तरह घायल किया ? यदि हां तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार वादी श्री आई० पी० गुप्ता, टी० टी० ई० ने जी० आर० पी० थाना बरेली में रिपोर्ट लिखाई कि उन्हें मोहन वासनी, सुरेन्द्र कुमार मेहरोत्रा तथा राज ने चाकुओं से घायल किया। इस सूचना पर मुकदमा धारा अन्तर्गत 307/324 भा० द० वि० अंकित किया गया। तीनों अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। आरोप पत्र न्यायालय भेजने के लिये तैयार किया जा रहा है।

*124—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[13वें सोमवार में प्र० सं० 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बंगला नम्बर १ ग्वालियर रोड, आगरा पर सिनेमागृह का निर्माण

*125—श्री सतीशचन्द्र (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बंगला नम्बर १ ग्वालियर रोड, आगरा कैण्ट पर जो सिनेमा हाउस बन रहा है उसके दोनों और स्कूल है और उन स्कूलों के प्रिंसिपल ने इस सिनेमा के बनने से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होने की दरखास्त दी है? यदि हां, तो क्या सरकार उसे रोकने का कष्ट करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। चूंकि यह स्कूल यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ नियमावली, 1951 के नियम 7 (2) में सिनेमागृह निर्माण के लिये निषिद्ध दूरी के बाहर है, अतः सिनेमा गृह का निर्माण रोकने का प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार दफ्तरों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त नवयुवकों का पंजीकरण

*126—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1970 से 30-3-1972 के बीच प्रदेश के रोजगार दफतरों में कुल कितने बेकार स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त नवयुवकों के नाम पंजीकृत हुए? उनमें कुल कितनों को काम दिलाया गया और आज तक उनमें से कितने अभी तक बेकार ही दर्ज हैं?

श्री गणेश दत्त बाजपेई—

एक जनवरी, 1972 से 30 मार्च, 1972 तक के आंकड़े देना सम्भव नहीं है क्योंकि यह आंकड़े अर्ध वार्षिक एकत्रित किये जाते हैं। वर्ष 1970 तथा 1971 में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पंजीकृत अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्रमशः 99,931 तथा 20,286 थी। इस अवधि में 8,108 स्नातकों एवं 1715 स्नातकोत्तरों को काम दिलाया गयी। 31 दिसम्बर, 1971 को जीवित पंजिका में दर्ज बेकार स्नातक एवं स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों की संख्या 37,761 तथा 8,578 थी।

इलाहाबाद जजी के अस्थायी तृतीय वर्ग कर्मचारी

*127—श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जजी में कितने तृतीय वर्ग के कर्मचारी कितने दिनों सेअस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं?

श्री बलरामसिंह यादव—

इलाहाबाद जजी के तृतीय वर्ग के अस्थायी 49 कर्मचारियों में से 44 तीन वर्ष से अधिक से, 4 तीन वर्ष से तथा एक एक वर्ष से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं।

*128—श्री विश्राम दास—

क्या सरकार का यह आदेश है कि तीन वर्ष कार्य करने वाले कर्मचारी को स्थायी कर दिया जायगा? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को स्थायी क्यों नहीं किया गया।

शासन ने कार्यालय ज्ञाप दिनांक 3 अप्रैल, 1972 द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों से यह अपेक्षा की है कि ऐसे समस्त पुराने कर्मचारियों को, जो ऐसे अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे हों, जो तीन वर्ष से अधिक चलते रहे हों तथा जिनका भविष्य में चलते रहना आवश्यक है, यदि उनके विरुद्ध कोई शिकायत या अन्य बात नहीं है, नियमानुसार शीघ्रतिशीघ्र उन पदों के सहित स्थायी किये जाने की कार्यवाही की जाय।

उपर्युक्त कर्मचारियों में कुछ स्थायी कर्मचारी इलाहाबाद जजी से मिर्जापुर जजी में जाने के विकल्प का प्रयोग कर चुके हैं। जबतक मिर्जापुर जजी स्थायी नहीं की जाती वे कर्मचारी मिर्जापुर जजी में स्थायी नहीं किये जा सकते और परिणाम स्वरूप उनके 'लियेन' (lien) इलाहाबाद जजी में तबतक बने रहने के कारण उन पदों पर इलाहाबाद जजी के कर्मचारी स्थायी नहीं किये जा सकते। मिर्जापुर जजी को स्थायी करने की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है। कुछ अन्य कर्मचारियों का स्थायीकरण इसलिय नहीं हो पाया है कि उनके पद ही अस्थायी हैं। उक्त पदों को स्थायी करने का कोई प्रस्ताव शासन को अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री मोहन लाल कपूर—

[7वें सोमवार में प्रश्न संख्या 14 पर उत्तरित।]

2—श्री मोहन लाल कपूर—

[7वें सोमवार में 15 पर उत्तरित।]

3—श्री मोहन लाल कपूर—

[7वें सोमवार में 16 पर उत्तरित।]

4—श्री तेज बहादुर—

[7 वें सोमवार में 17 पर उत्तरित।]

राजकीय हस्तकला के कर्मचारियों की स्थायीकरण सम्बन्धी सूचना

5—श्री गोविन्द सिंह नेगी (टिहरी गढ़वाल)—

क्या सरकार सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित प्रकाशन उत्तर प्रदेश समाजवाद पथ पर के पृष्ठ 9 के अनुच्छेद 3 के सन्दर्भ में बतायेगी कि इस प्रकाशन के प्रकाशित होने के बाद राजकीय हस्तकला में लगभग 15-20 साल के काम करने वाले तीसरी व चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारियों को स्थायी किया गया है?

डाक्टर राम जी लाल सहायक—

19 कर्मचारियों को स्थायी किया गया है।

कुरी (पीलीभीत) के प्रधान, श्री शफी मोहम्मद के घर पर डकैती

6—श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत के न्यूरिया थाने के कुरी ग्राम के प्रधान श्री शफी मोहम्मद के घर में 14 जनवरी, 1972 को भीषण डकैती पड़ी? क्या इस सिलसिले में डकैत पकड़े गये? डकैतों ने कितना माल लूटा और क्या उनसे कोई माल बरामद हुआ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 14 जनवरी, 1972 को नहीं वरन् दिनांक 7/8 जनवरी, 1972 की रात्रि में ग्राम कुरी, थाना न्यूरिया, जिला पीलीभीत के श्री शफीउद्दीन के घर डकैती पड़ने की एक रिपोर्ट लिखाई गई। इस घटना के सम्बन्ध में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 3 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। डकैतों ने लगभग 500 रु० की लागत का कपड़ा व चीनी के बर्तन आदि लूटे। उनसे कुछ चीनी के बर्तन व कपड़े बरामद हुये।

जालौन जिले में विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

7—श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में 15 मार्च से 31 मार्च 1972 तक कितनी गिरफ्तारियां दफा 399/402 ता० हि० इक्साइज ऐक्ट, आर्म्स ऐक्ट व दफा 109 जाप्ता फौजदारी में हुई और उनमें कितने व्यक्ति पकड़े गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 15 मार्च, 1972 से 31 मार्च, 1972 तक की अवधि में जिला जालौन में दफा 399/402 भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों के सम्बन्ध में 19, एक्साइज ऐक्ट के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों के सम्बन्ध में 24, आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों के सम्बन्ध में 40 तथा धारा 109 जा० फौ० के अन्तर्गत 22 व्यक्ति गिरफ्तार हुए।

गिधारा (प्रतापगढ़) में पुलिस तथा डकैतों में मुठभेड़

8—श्री राम देव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत चमरौरा के समीप अप्रैल, 1972 के प्रथम पक्ष में गिधारा ग्राम में अत्यन्त भीषण डकैती पड़ी और पुलिस ने डाकुओं का मुकाबला बड़ी बहादुरी से किया मुकाबले में तीन व्यक्ति पकड़े गयेऔर बन्दूक पेस्टल आभूषण एवं कारतूस बरामद किये गये। यदि हां, तो पकड़े गये डकैतों का पता क्या है और कितने घरों में डकैतियां डाली गई क्य डकैतों के पास कोई जीप भी थी जिसे पुलिस ने फायर करके पंचर कर दिया था ? यदि हां, तो जीप किसकी थी जीप वाले के विरुद्ध पुलिस ने क्या कार्यवाही की और क्या डकैतों से मुठभड़ करने वाले कोतवाली की पुलिस को सरकार पुरस्कृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक अभी तक कितने डकैत पकड़े गये हैं और कितने फरार हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 5/6 अप्रैल, 1972 की रात में 23-50 बजे ग्राम कुठार मजरे गोन्डे थाना कोतवाली, जिला प्रतापगढ़, जो चमरौरा पुल के पास है, के एक व्यक्ति ने टेलीफोन द्वारा कोतवाली पुलिस को सूचना दी कि उसके गांव में डकैती पड़ रही है। उक्त सूचना के आधार पर भारतीय दन्ड विधान की धारा 395/397 के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके कोतवाली पुलिस तुरन्त घटनास्थल के लिये रवाना हो गई लेकिन उसके वहां पहुंचने से पूर्व

अपराधीगण डकैती डाल चुके थे और वापस आ रहे थे। पुलिस ने इन डकैतों से मुठभेड़ की जिसके फलस्वरूप नीचे लिखे 4 अभियुक्त पकड़े गये :—

(1) समर बहादुर सिंह, निवासी गोंन्डे, जिला प्रतापगढ़,
(2) छेदी, निवासी गोंडे, जिला प्रतापगढ़,
(3) वारिस अली, निवासी गोन्डे, जिला प्रतापगढ़,
(4) अजब नरायन, निवासी बिबिया करनपुर, थाना कन्थई, (प्रतापगढ़),
(5) वाल गोविन्द, निवासी तुलापुर, थाना पीपरपुर (सुल्तानपुर)।

उपरोक्त अभियुक्तों के पास से नाजायज हथियार और लूटे हुये नगद रुपये तथा आभूषण बरामद किये गये ?

अपराधियों ने उस रात कुल सात घरों में डकैती डाली थी।

डकैतों के पास कोई जीप नहीं थी अतः पुलिस द्वारा किसी जीप को पंचर किये जाने और जीप के मालिक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ ने डकैतों से मुठफेड़ करने वाली पुलिस पार्टी के कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिये हैं।

उपरोक्त डकैती के सम्बन्ध में 5 डकैत पकड़े गये, 2 ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया तथा 1 फरार है जिसके विरुद्ध धारा 87/88 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

9-10—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[7वें सोमवार में 18-19 पर उत्तरित।]

बाराबंकी में मुख्य मंत्री सहायता कोष से वितरित धन

11—श्री भगेलू सिंह तथा श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला गोंडा) —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बाराबंकी के किन-किन लोगों को किस कार्य के लिये कितनी-कितनी धनराशि, मुख्य मन्त्री सहायता कोष से मार्च 1971 से 31 मार्च, 1972 तक दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बाराबंकी जिले के निम्नलिखत लोगों को मुख्य मन्त्री सहायता कोष से उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि 1 मार्च, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक आर्थिक सहायता के रूप में दी गई :—

(1) घायल हवलदार शिव प्रसाद शुक्ल की पत्नी श्रीमती सुमित्रा देवी—500 रुपया।
(2) घायल सैनिक निसार खां के भाई श्री बदलू—500 रुपया
(3) घायल सैनिक ठाकुर प्रसाद की माता श्रीमती फूल कली —500 रु०
(4) घायल सैनिक त्रिभुवन सिंह की पत्नी श्रीमती शिव कुमारी —500 रु०

उप पुलिस कप्तान कार्यालय, देवरिया का भवन एवं सज्जा

12—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या पुलिस मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या जिला देवरिया में उप-पुलिस कप्तान का कार्यालय सन् 1969 में स्थापित किया गया किन्तु अब तक कार्यालय भवन, टेलीफोन

[श्री रामधारी शास्त्री]

टाइपिस्ट आदि की व्यवस्था न होने के क्या कारण है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनके अभाव में काम में जो कठिनाइयां उपस्थित हो रही हैं उसके लिये क्या करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 9 अगस्त, 1969 से कसिया जिला देवरिया में एक उप पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई। उनका कार्यालय किराये के भवन में स्थित है। सर्किल अधिकारियों को कोई टाइपिस्ट स्वीकृत न होने के कारण उक्त अधिकारी को कोई टाइपिस्ट नहीं दिया गया। कार्यालय में टेलीफोन के लिये कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। उनके निवास-स्थान पर टेलीफोन देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

13—श्री सियाराम—

[9वें सोमवार में 14 पर स्थानान्तरण।]

14—श्री सियाराम—

[9वें सोमवार में 15 पर स्थानान्तरण।]

15—श्री सूबेदार प्रसाद—

[स्थगित।]

16-17—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[7वें सोमवार में 20-21 पर उत्तरित ।]

18—श्री दुर्जन भाई—

[7वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बस्ती जिलान्तर्गत कत्ल, डकैती एवं राहजनी की घटनायें

19—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि जनवरी 1970 से 30 मई, 1972 तक बस्ती जिले के विभिन्न थानों में कितने कत्ल, डकैती एवं राहजनी की रिपोर्ट प्राप्त हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 352 पर।)

थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर (बस्ती) के विरुद्ध शिकायतें

20—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष, त्रिलोकपुर, जिला बस्ती के विरुद्ध मार्च, अप्रैल और मई, 1972 के महीने में मुख्य मन्त्री तथा जिलाधिकारी आई० जी० को प्रश्नकर्ता को शिकायतीपत्र प्राप्त हुआ है कि वे कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की हत्या कराने का प्रयत्न कर रहे हैं ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

थानाध्यक्ष, त्रिलोकपुर, जिला बस्ती के विरुद्ध जिलाधिकारी बस्ती को सम्बोधित तथा पुलिस अधीक्षक बस्ती, उप-पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर, पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ व गृह मन्त्री, उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित एक शिकायती-पत्र दिनांक 6 मई, 1972 शासन को प्राप्त हुआ था परन्तु उसमें उपरोक्त थानाध्यक्ष द्वारा कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की हत्या कराने के प्रयत्न से सम्बन्धित किसी शिकायत का उल्लेख् नहीं है।

21--श्री अनन्तराम जायसवाल--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

22--श्री सर्वसुख सिंह--

[निरस्त ।]

भूतपूर्व सदस्य, नवाब सैयद ऐजाज रसूल के निधन पर शोकोदगार

श्री अध्यक्ष--

श्री ऐजाज रसूल की मृत्यु हो गई है अब शोक प्रस्ताव आयेगा।

*मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, यह बड़े दुख की सूचना कल सायंकाल मिली। सदन की सदस्या, श्रीमती ऐजाज रसूल का एक तार कल शाम को 6 बजे के करीब मुझे मिला कि उनके पति, नवाब ऐजाज रसूल साहब की हृदयगति रुकने से संडीले में कल प्रात: 9 1/2 बजे देहान्त हो गया है। बेगम ऐजाज रसूल के प्रति उसी समय सहानुभूति का संदेश भी भेजा परन्तु यह एक दुखद घटना हुई है क्योंकि नवाब ऐजाज रसूल से, उनके परिवार से और स्वयं बेगम साहिबा से, जो हमारे सदन की एक सम्मानित सदस्या हैं, हम पूरी तरह से परिचित हैं। नवाब ऐजाज रसूल इस सदन में बहुत दिनों तक हमारे साथ रहे हैं। मुझे तो उनके साथ 12-13 वर्षों तक सदस्य के रूप में काम करने का अवसर और सौभाग्य यहां प्राप्त हुआ। कदाचित 1930 से ही वे इस सदन के सदस्य थे और 50 तक थे। 20 वर्षों तक वे सदन के सदस्य रहे हैं और बड़े सक्रिय बड़े सम्मानित और प्रभावशाली सदस्य रहें हैं।

सन् 1937 में, मान्यवर, जब पहले पहल कांग्रेस दल का इस विधान सभा में प्रवेश हुआ मैं और हमारे जैसे जो सदस्य उस समय चुन कर आये, उन्हें भली-भांति मालूम है और आगामी 12-13 वर्षों तक उनके साथ कार्य करने का हमें अवसर मिला। उस जमाने में, मान्यवर, कांग्रेस की सरकार भी यहां थी। सन् 1942 का "भारत छोड़ो" आन्दोलन भी हो चुका था। सन् 1946 में फिर विधान सभा का चुनाव हुये, हम सब चुनकर आये हैं। स्व० श्रद्धेय गोविन्द वल्लभ पन्त हमारे मुख्य मन्त्री थे, और नवाब ऐजाज रसूल हमारे विरोधी दल में बैठते थे और वह विरोधी दल एक तो मुस्लिम लीग का था और दूसरा हमारे प्रदेश के जमींदारों और ताल्लुकेदारों का था। वें इस प्रदेश के एक बहुत बड़ें जमीदार और ताल्लुकेदार थे लेकिन उनका सौजन्य, उनका शील, उनकी रवादारी और सब के साथ मिलनसारिता और सब के साथ भाई चारा बड़ा सुन्दर और आकर्षक था और हम सब उनसे परिचित थे। सन् 1956 के बाद फिर से वे सदस्य नहीं रहे।

1937 से 20 वर्षों तक उनके साथ हमारा सम्बन्ध रहा है। वे राजनीतिक में ही नहीं, समस्त सामाजिक और सांस्कृतक कार्यों में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। अब उनकी लोक प्रियता इससे और प्रसिद्ध है कि कदाचित आज तक जब कि उनका निधन हुआ है, सन् 1930 से ही या उससे भी पहले से संडीला म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन, रहे हैं और आखीर तक अध्यक्ष बने रहे है। हमारे यहां पर हैन्डलूम्स की जो संस्थायें रही हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उसके भी यूपैक के अध्यक्ष रहे हैं और हमारे बुनकरों की अनेक समस्याओं और संस्थाओं से भी उनका सम्बन्ध रहा है। वे आल इंडिया हैन्डलूम संघ के भी सदस्य रहे हैं और औद्योगिक क्षेत्रों में भी उनका सहयोग हमें मिलता रहा है। सांस्कृतिक कार्यों में भी हमें उनकी सहायता मिलती रही है। भारत और पाकिस्तान के बटवारे के बाद मान्यवर, वे हमारे दल में भी शरीक हुये और बराबर एक राष्ट्रीयता और एकता के हिमायती बने रहे हैं।

अभी उनकी पत्नी, बेगम ऐजाज रसूल साहिबा हमारी कौंसिल की सदस्या भी रही हैं, विधान सभा की भी रही हैं, पार्लियामेंन्ट में भी रही हैं, संविधान सम्मेलन की भी रही हैं, जिसने हमारे देश के संविधान की रचना की और वे बहुत प्रतिष्ठित, प्रभावकारी सार्वजनिक कार्यकर्ता और राजनैतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में उनका भी अपना स्थान है। उनका परिवार पति-पत्नी दोनों ही एक बहुत ही आदरणीय और सम्मानित, सार्वजनिक व्यक्ति हमारे प्रदेश में रहे हैं। हमें इस बात का दुख है कि नवाब साहब का देहान्त कल संडीला में हुआ और अत्यधिक दुख इस कारण भी है कि हमारी इसी सदन की सदस्या, जो हम लोगों के साथ हैं और जिनके विचारों से और जिनके कार्यों से हम लाभान्वित होते रहते हैं उनके निधन से गहरा धक्का लगा है। सारे उस परिवार को जो एक बहुत सम्भ्रान्त परिवार रहा है, एक बहुत बड़ी चोट पहुंची है और एक ऐसे सार्वजनिक कार्यकर्त्ता जिनका विविध क्षेत्रों में कार्य रहा है, उठ जाने से हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में भी हानि पहुंची है। इस वास्ते मान्यवर, हम सब उनके निधन पर अपना हार्दिक शोक प्रकट करते हैं और हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारा यह शोक, हमारी यह सहानुभूति उनके परिवार तक पहुंचा दें जिनके निधन से निसन्देह गहरी चोट लगी है, हम सब उनके निधन के प्रति शोक, उनके परिवार के प्रति हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करते हैं।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने स्वर्गीय सैयद ऐजाज रसूल के सम्बन्ध में जो भावनायें व्यक्त की हैं मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। श्रीमान् जी, सैयद ऐजाज रसूल साहब पुरानी सभ्यता और तौर तरीकों के एक अच्छे व्यक्ति थे। वे बहुत ही मिलनसार थे और लोगों से बहुत शराफत का व्यवहार करते थे। उनके उठ जाने से स्वाभाविक है कि सभी को दुख हो। वे सन् 1937 से सन् 1957 तक इस सदन के सदस्य रहे हैं। मुझे भी उनके साथ इस सदन में काम करने का मौका मिला। उनके घर जाने का भी मौका मिला है। मैं उनकी मिलनसारी से और उनकी शराफत से बहुत प्रभावित हुआ। वे उद्योग विभाग में और सहकारिता विभाग में विभिन्न समितियों के अध्यक्ष या डायरेक्टर रहे और सामाजिक संस्थाओं में और शैक्षिक संस्थाओं में भी वे बहुत दिलचस्पी रखते थे और जितनी सेवा उनकी हो सकती थी उनकी करने में वे सदा तत्पर रहते थे।

वे सन् 1929 से अपने जीवन पर्यन्त संडीला नगरपालिका के अध्यक्ष रहे और शुरू से वे कस्बे की सेवा करते रहे। वे राजनीति में शुरू ही से भाग लेते रहे और जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा कि इस देश का बंटवारा होने के बाद वे कांग्रेस में शरीक हो गये और अपनी सेवा वे कांग्रेस को देने लगे। उनका समाज में एक काफी ऊंचा स्थान था। बड़ी इज्जत की निगाह से उनको देखा जाता था।

अखिल भारतीय हैन्डलूम बोर्ड के भी वे डायरेक्टर थे और हैन्डलूम के मामले में, बुनकरों के मामले में वे बड़ी दिलचस्पी लेते थे और बराबर दौड़धूप करते रहते थे और जो उनसे सेवा बुनकरों के सम्बन्ध में हो सकती थी, वह हमेशा करने को तैयार रहते थे। ऐसे सज्जन पुरुष के उठ जाने से सभी को दुख होता है और हम सब भी दुखी हैं। मैं और मेरा दल इस शोक क्षण में उनके साथ हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को मेरे और मेरे दल की ओर से संवेदना भेज दें। मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो दिवंगत आत्मा के बारे में अपने विचार व्यक्त किये है, उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, जैसा अभी हमारे दो पूर्व वक्ताओं से सुना कि उन्होंने भिन्न-भिन्न सार्वजनिक संस्थाओं में काम किया तथा सामाजिक संस्थाओं में काम किया, इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को सार्वजनिक कार्यों में बिताया। ऐसे व्यक्ति के उठ जाने से मान्यवर, हम सब दुखी हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे और हमारी माननीय सदस्या जिनको अवश्यमेव गहरी चोट लगी होगी, परमात्मा उनको शक्ति दे कि इस गम्भीर चोट को वह सहन कर सकें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारी इस संवेदना को उन तक तथा उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

जो भावनाएं नेता सदन तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त की हैं मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, जो बातें हमको नेता सदन तथा अन्य नेतागणों ने बताई उससे यह साफ जाहिर है कि कितना उनका स्थान सार्वजनिक जीवन तथा सहकारी आन्दोलन तथा राजनीति में था। श्रीमन्, जो मेरी सूचना रही है वह यह है कि वे प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट भी इसके पूर्व रहे। यह उनके प्रशासन की योग्यता और क्षमता के बारे में भी द्योतक है। ऐसे व्यक्ति के उठ जाने से हम सभी को बडा शोक है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बेगम ऐजाज रसूल जो खासतौर से इस सदन की सदस्या हैं और जो हम लोगों के साथ मन्त्रि-परिषद् में भी थीं, उनको और उनके परिवार को हम लोगों की भावना पहुंचाने का कष्ट करें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे तथा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, अध्यक्ष जी, जनाब ऐजाज रसूल साहब की दुखद मृत्यु पर माननीय नेता सदन और दूसरे नेतागण ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनके साथ अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हुआ यह आपसे निवेदन करूंगा कि जाती तौर पर मैं और मेरा दल उनके इस निधन से बहुत दुखी है। उनके परिवार तथा उनकी बेबा, श्रीमती कुदसिया बेगम जो इस सम्मानित सदन की सदस्या हैं, बहुत दुखी होंगी, को अपने माध्यम से यकीन दिलाना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अनन्तराम जायसवाल]

चाहता हूं कि उनके इस महान दुख में मैं और मेरा दल शरीक है। आपसे प्रार्थना है कि हमारी संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री अध्यक्ष--

ऐजाज रसूल साहब की दुखद मृत्यु पर जो विचार और भावनायें माननीय मुख्य मंत्री जी ने तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मेरा उनका सम्बन्ध सन् 1937 से ही बराबर रहा था। वे मेरे पड़ोसी भी हो गये थे चूंकि उन्होंने लखनऊ में मकान वगैरह बनवा लिया था। इसलिये सुबह घूमते वक्त वे मिल जाया करते थे और चर्चा हुआ करती थी। मैंने उनको ऐसा देखा कि वे बड़े ही नम्र हैं और उनमें जरा भी घमन्ड नहीं है। वे निस्वार्थ सेवा करने में हमेशा रत रहते थे यहां तक कि वे अपनी सेवा का जिक्र भी कभी नहीं करते थे। उनकी सेवायें राजनीतिक क्षेत्र में भी थीं और सामाजिक क्षेत्र में भी। कर्घा चलाने वालों को मदद करने में वे हमेशा समय दिया करते थे। संडीला म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन वे सदैव ही बने रहे--तब से जब से कि उन्होंने होश संभाला और अन्त होने तक। उसका कारण यह भी हो सकता है कि वे वहां के नबाव भी रहे। कोई उनके मुकाबिले में खड़ा नहीं हुआ। वे एक सज्जन पुरुष थे जो उद्योग के क्षेत्र में लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये कार्य करते रहे थे। वे बुनकर लोगों के लिये, सहकारी क्षेत्र में, सहकारी संस्थाओं में और खोए व मिठाई वालों के लिये सदैव कार्य करते थे। वे अन्य सहकारी संस्थाओं में भी भाग लेते थे।

शैक्षिक क्षेत्र में भी एक इन्टरमीडिएट कालेज संडीले में चलता है, उसकी भी वे मदद करते रहे। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो न कभी अपनी डींग हांकते थे गौर न कभी अपनी तारीफ करते थे। वे सेवा में रत रहते थे। ऐसे नम्र सेवक का हमारे बीच से उठ जाना हमारे लिये बड़ा दुखद है।

कल मेरे पास शाम को बेगम साहिबा का पत्र संडीले से आया। मुझे एकदम ही धक्का लगा। रात को बहुत देर तक नींद नहीं आई क्योंकि थोड़े ही दिन हुये मैं उनसे सुबह घूमते हुए मिला था और मेरी उनसे बातचीत हुई थी कि तबीयत कैसी है। उन्होंने कहा था कि अच्छी हो रही है तबीयत, हार्ट अटैक हुआ था, अच्छी हो रही है। मैंने सोचा कि अब तो वे तगड़े हो जायेंगे। लेकिन फिर हमला हुआ और उस हमले के बाद एक दो घन्टे के अन्दर ही उनकी मृत्यु हो गई। तो यह दुखद मृत्यु हम सब के लिये दुख देने वाली है क्योंकि वे एक अनएज्यूमिंग सेवा करने वाले थे जिनमें न घमन्ड था और न ऐंठ थी। जैसा कि आपने कहा कि आपकी भावनायें और आपका दुःख मैं उनके कुटुम्ब के प्रति भेज दूं तो मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से बेगम साहिबा के प्रति खास तौर पर और उनके कुटुम्बियों के प्रति भी जो कि यहां पर भारतवर्ष में हों, समवेदनायें और सहानुभूति भेज दूंगा।

अब हम उठें और दो मिनट के लिये उनकी आत्मा की शान्ति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य, दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये।)

मंत्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास एक प्रस्ताव सरकार में अविश्वास जाहिर करने का आया है। कार्य-स्थगन 11वें नम्बर पर है उसके पहले यह लिया जायगा क्योंकि उसकी जगह वही है। इसके पहले और कार्य होगा 10 नम्बर पर और कार्य होने के बाद यह लिया जायगा। जो हमारे यहां नियमों में उसकी प्राथमिकता दी गयी है वह यही है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के पहले उसे आना चाहिये।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष जी, हमारे नियमों में व्यवस्था है कि प्रश्नों के तुरन्त बाद इस प्रस्ताव को लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

जो नियम हमारे बन चुके हैं उसमें स्पष्ट अग्रेयता दी हुई है। उसके अनुसार मन्त्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव 25वें नम्बर पर है, 26वें नम्बर पर है विशेषाधिकार के प्रस्ताव और 27वें पर है कार्य-स्थगन। तो उसके पहले आयेगा।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया) —

श्रीमन्, यह नियमावली हमें मिली नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

वह आयेगी, नहीं आयी होगी तो।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) नियमावली 1972 †

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से खाद्य तथा रसद विभाग रेन्ट कन्ट्रोल अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 3504/उन्तीस-ई–58–72, दिनांक 1 जुलाई, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) नियमावली, 1972 को उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 42 के अनुसार सदन की पटल पर रखता हूं।

पंचायती वन नियमावली, 1972

वन उपमन्त्री (श्री गुलाब सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या 3394/चौदह–2, दिनांक 18 मई, 1972 द्वारा प्रख्यापित पंचायती वन नियमावली, 1972 को इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1972 की धारा 78(2) के अनुसार सदन क पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गई।

बदायूं नगर से बूचड़खाने को हटाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं आपकी आज्ञा से बदायूं नगर की बस्ती के बीच में बने बूचड़खाने को हटाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम प्रकाश वैश्य, दीपक वस्तु भन्डार, बदायूं तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह याचिका समिति के सामने जायगी।

गालिबपुर ग्राम (बुलन्दशहर) के निकट नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से बुलन्दशहर जिले के परगना डिबाई में गालिबपुर ग्राम के निकट नदी पर एक पुल बनाने के सम्बन्ध में श्री रामस्वरूप, निवासी बांदोर, पोस्ट डिबाई , जिला बुलन्दशहर तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह भी याचिका समिति के पास जायगी।

$3\frac{1}{8}$ एकड़ तक भूमि विकास कर न लगने के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री के कतिपय वक्तव्य के सम्बन्ध में विषाशेधिकार की अवहेलना की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक प्रिविलेज का सवाल आया है उसको मैंने अस्वीकृत कर दिया है क्योंकि सारे देश में यह अध्यादेश लागू हुआ है, उसके बारे में आक्षेप किया गया है, मुख्य मन्त्री के ऊपर कि उन्होंने तीन सही एक बटा आठ एकड़ के बारे में पहले ही जिक्र कर दिया था कि यह होना चाहिये। उसके बाद अब यह बिल लाये हैं। तो यह विशेषाधिकार की अवहेलना है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। किसी ने कुछ कहा हो और किसी ने कुछ और उसकी वजह से जो यहां सरकार की ओर से कोई बिल आ जाय तो उसके विशेषाधिकार की अवहेलना होनी है। उसमें अवहेलना का प्रश्न हीं नहीं उठता। इसलिये इसको खारिज कर दिया है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह जो प्रश्न है. इस पर सुनने की कृपा करें। हमने दो चीजें रखीं थीं, एक तो भूमि विकास कर पहली तारीख से लागू करने के बारे में था और दूसरा यह जो अध्यादेश सदन के सामने रख दिया है सदन की सहमति के लिये। मान्यवर, चाहिये यही था कि जब अध्यादेश सदन में आता तभी सदन में घोषणा करते लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने पार्टी मीटिंग में ही फैसला करके इसकी घोषणा कर दी और संसदीय परम्पराओं की अवहेलना की। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। जब परम्पराओं के विपरीत ही घोषणा होती रहे तो सदन में उसको रखने की ही क्या जरूरत है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें अवहेलना का प्रश्न नहीं है।

आइटम 9 को स्थगित कर दिया है। स्थगित इसलिये कर दिया कि मैंने नोटिस तो भेजी लेकिन किसी कारण वह माननीय मन्त्री जी के पास नहीं पहुंची।

राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

मान्यवर, विशेषाधिकार की अवहेलना वाले प्रश्न के सम्बन्ध में निवदन है कि मुख्य मन्त्री जी ने कोई घोषणा नहीं की।

श्री अध्यक्ष--

मैंने यह कब कहा। मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, आइटम 9 कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष--

कल आवेगा। उसमें यह है कि नोटिस तो भेजी गयी थी और मन्त्री जी के दफ्तर वालों ने उसे ले लिया लेकिन दफ्तर की गफलत की वजह से वह माननीय मन्त्री जी को प्राप्त नहीं हो सकी। चूंकि उन्होंने इसको देखा नहीं, इसलिये इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं तैयार किया गया। कल वह स्टेटमेंट दे देंगे।

जिला फर्रुखाबाद में एक जेल वार्डर की पुलिस द्वार कथित हत्या के सम्बन्ध में जांच कराने की मांग हेतु हो रही सभा पर अराजक-तत्वों द्वारा हमला किये जाने के विषय में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब अगला आइटम 10 है। जिला फर्रुखाबाद में एक जेल वार्डर की पुलिस द्वारा कथित हत्या के सम्बन्ध में जांच कराने की मांग हेतु हो रही सर्वदलीय सभा पर पुलिस की साजिश से अराजक तत्वों द्वारा हमला किये जाने के विषय में मुख्य मन्त्री का केवल वक्तव्य।

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 21 जून, 1972 को एक व्यक्ति दिन में लगभग एक-डेढ़ बजे फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन की ओर से डगमगाते कदम से दौड़ता और चिल्लाता हुआ पागल जैसी अवस्था में चौकी पलरा के बरामदे में आया तथा बरामदे में रक्खे एक लोहे के बक्स से ठोकर खाकर गिर पड़ा। स्थानीय डाक्टर के परामर्श पर उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया जहां लगभग तीन बजे उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की रिपोर्ट चौकी पलरा में दर्ज की गयी। पोस्टमार्टम से उसकी मृत्यु का कोई निश्चित कारण नहीं ज्ञात हुआ है। विसरा जांच के लिये रख लिया गया है। इस व्यक्ति का नाम अनोखेलाल ज्ञात हुआ तथा यह भी ज्ञात हुआ कि वह कानपुर जेल में वार्डर था। किसी भी व्यक्ति ने अनोखे लाल की हत्या पुलिस द्वारा करने की रिपोर्ट जिले के किसी भी थाने में नहीं दर्ज कराई है। मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच हो रही है।

2--जनता में यह अफवाह फैलना शुरू हुई कि अनोखेलाल जेल वार्डर को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इसी विषय को लेकर दिनांक 16 जुलाई, 1972 को लाल सराय, फर्रुखाबाद में एक सर्वदलीय सभा का भी आयोजन किया गया। सभा में शान्ति व्यवस्था हेतु दो कान्स्टेबिल तथा दो होम गार्ड के कर्म-

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

चारी तैनात किये गये। सभा का सभापतित्व श्री आर० डी० शर्मा, चैयरमैन, म्युनिसिपैल बोर्ड, फर्रुखाबाद को करना था पर जब वह समय से नहीं आये तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री रामरतन कटियार ने सभापतित्व किया। इस सभा में कुछ अवांछनीय तत्वों ने विघ्न डालने की चेष्टा की। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी नगर तथा सिटी मजिस्ट्रेट वहां पहुंचे। सभा में भाग लेने वालों का एक जलूस कोतवाली फर्रुखाबाद भी पहुंचा था जिसे तितर-बितर किया गया। कोई लाठी चार्ज इत्यादि नहीं किया गया। सभा साढ़े सात बजे के करीब समाप्त हो गयी। इससे कुछ समय पूर्व श्री आर० डी० शर्मा सभा-स्थल पर आये थे तथा सभा दुबारा की गयी।

3--उसी दिन कोतवाली में श्री रामरतन कटियार ने धारा 147/323 भा० द० वि० के अन्तर्गत कुछ लोगों के विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें लाल सराय में होने वाली सभा में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया। इस घटना में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तथा दो ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस मुकदमें की जांच उपपुलिस अधीक्षक एन्टीकरप्शन द्वारा कराये जाने की संस्तुति पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर क्षेत्र को की गई है। एक होम गार्ड ने भी धारा 147/323 भा० दं० वि० के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखाई कि सभा में वह ड्यूटी पर था और उसे सभा के कुछ लोगों ने मारा-पीटा।

4--अपने कतर्व्य का ठीक से पालन न करने के लिये इन्सपेक्टर इन्चार्ज कोतवाली फर्रुखाबाद तथा एक सब-इन्सपेक्टर लाइन हाजिर कर दिये गये हैं और दो कान्स्टेबिल निलम्बित किये गये हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मान्यवर, जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट है उसके अनुसार इस अनोखे लाल के शरीर पर कितनी चोटें हैं और कहां-कहां हैं, मन्त्री जी यह बता दें। उन्होंने कहा कि मृत्यु के कारण का पता नहीं चल पाया। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

श्रीमन्, एक्जैक्ट काज आफ डेथ तो बिल्कुल अस्पष्ट है। इसमें यह है कि एक्जैक्ट काज आफ डेथ कुड नाट बी असरटेन्ड, विसरा प्रिजर्वड। लेकिन इसमें यह है टू इन्टू वन एन्ड हाफ ओवर लेफ्ट साइड--इस तरह से एक सीरीज है, मान्यवर....

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

कितनी चोटें हैं और कैसे आयीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

क्रम-संख्या के आधार पर मान्यवर 8 की संख्या है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

किस चीज से चोटें आयी हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

खरोंच आयी। पहले, बताया गया कि लड़खड़ाता हुआ पागल ऐसी स्थिति में थाने पहुंचा और गिर पड़ा। केवल यह सूचना है, इसके पहले की कोई जानकारी नहीं है।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, यह विषय मुख्य रूप से इस बात का है कि जब यह अफवाह फैली कि एक वार्डर को पुलिस वालों ने मारा और वह मर गया, और इस सम्बन्ध में जब वहां के नागरिकों की सभा हो रही थी और उस सभा पर पुलिस के उत्साहित करने से वहां के असामाजिक तत्वों ने हमला किया और सभा भंग करने की कोशिश की—तो उस वार्डर की तो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आएगी, मुकदमा चलेगा वह तो अलग बात है। लेकिन जो शान्तिपूर्ण सभा हो रही थी और जिसको नगरपालिका के अध्यक्ष सम्बोधित करने वाले थे, उसमें असामाजिक तत्वों को उभार कर हमला कराया गया, उसके सम्बन्ध में पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इस सभा के आयोजन में शान्ति व्यवस्था के लिये निश्चित आदेश पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिये गये। वहां दो कान्स्टेबिल की ड्यूटी लगायी गयी। उनका यह कहना था कि उन्हें कोई आशंका नहीं थी कि कोई ऐसे तत्व आयेंगे जो उन्हें डिस्टर्ब करेंगे ..

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

लेकिन उनकी यह लापरवाही को मानकर ही इन्चार्ज कोतवाली और एक सब इन्सपेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और लाइन हाजिर कर दिया गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

जो पोस्ट मार्टम इक्जामिनेशन हुआ है उसके हिसाब से उसके शरीर पर कौन-कौन सी चोटें हैं और किस आले से उनको वे चोटें पहुंचाई गई हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जो चोटें उसके शरीर पर हैं उनमें से कहीं पर तो खरोंच हैं और कहीं पर हल्की चोटें हैं। इस प्रकार से 8 चोटें हैं लेकिन उनमें से कोई घातक चोटें नहीं हैं जिनके निशान उसके शरीर पर हों।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जब वह थाने पर पहुंचा और मर गया तो उसको अस्पताल पहुंचाया गया। क्या ये चोटें मौत से पहले की थीं। और थाने ही में उसकी मृत्यु हो गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जब थाने पर पहुंचा तो गिर गया और फिर उसको अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उसकी मृत्यु हुई। जब वह थाने में पहुंचा तो पागलों की सी हालत में था और डगमगाता हुआ चल रहा था। उसके पहले का पता नहीं कि वे चोटें कहां और किस प्रकार से उसको लगी थीं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

जब कोई मेडिकल आफिसर इन चोटों के बारे में लिखता है तब वह यह भी लिखता है कि ये चोटें उसको किसी नोकदार, धारदार या ब्लन्ट औजार से लगी हैं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मैंने पहले ही कह दिया कि उसको साधारण चोटें थीं और कोई सीरियस इन्जरीज नहीं थीं।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उसका डाइंग डिक्लेरेशन करवाया गया था ?

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--

जो गुन्डे वहां पर पहुंचे क्या वे पुलिस के इशारे पर पहुंचे जिससे कि सभा भंग हो गई।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

इसको कसे कह सकते हैं कि वह किसके इशारे से पहुंचे। आज के जमाने में कोई निश्चित रूप से जब तक कि पूरा सबूत न मिल जाय, नहीं कह सकता है कि वह किस प्रकार से पहुंचे। यह ठीक है कि वहां पर कुछ असामाजिक तत्व पहुंचे और मीटिंग को डिस्टर्ब करने की चेष्टा की। पी० आर० डी० का एक गार्ड था जिसको भी मारा-पीटा और उसके कपड़े फाड़ डाले। इसकी जांच हो रही है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि इसके पहले भी इस प्रकार की घटनायें हो चकी हैं। जबकि पुलिस कोतवाल और सी० ओ० तक को मारा गया। पुलिस मंत्री जी को यह केस बताया गया था। यहां पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें काज आफ डेथ क्या लिखा है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

इक्जैक्ट काज आफ डेथ एसर्टेन नहीं किया जा सकता है जिसकी मैं सूचना दे चका हूं।

श्री बलवीर सिंह--

काफी देर तक वह पुलिस की कस्टडी में रहा, फिर अस्पताल में रहा। मरने से पहले क्या उसका डाइंग डिक्लेरेशन लिखा गया था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

वह पागलों के समान हो रहा था और उसको फिट्स आ रहे थे इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि इसको पहले फर्स्ट एड दे दी जाये फिर आगे की कार्यवाही की जायेगी।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

वह थाने पहुंचने के कितनी देर बाद अस्पताल में दाखिल किया गया और अस्पताल में उसकी चोटें कितनी पुरानी लिखी हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

थाने में जैसे ही पहुंचा थोड़ी देर बाद ही उसको अस्पताल भेज दिया गया। उसके शरीर पर कितनी चोटें थीं इसका जिक्र मैं कर चुका हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

तीन, चार बातों को ध्यान में रखते हुये कि (1) उस व्यक्ति को पागल डिक्लेयर किया तो क्या उसका पहले से कोई रेकार्ड पागलपन का था, (2) वह व्यक्ति जहां पर गिरा वह पुलिस की चौकी थी और उसके शरीर पर चोटें पायी गयीं, और (3) जो सभा पुलिस के खिलाफ हो रही थी उसको भंग किया गया, क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि इसके अन्दर पुलिस का हाथ तो नहीं है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

पुलिस के सम्बन्धित अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी को सही रूप से अन्जाम नहीं दिया इस पर तो तत्काल कार्यवाही हो गयी। उनको सस्पेंड कर दिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया। पूरे मामले की सही जांच कराने के लिये ही सी० आई० डी० को दे दिया गया है जिसकी जांच चल रही है।

मन्त्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

अब मैं अविश्वास का प्रस्ताव लेता हूं। मैं उसे पढ़ कर सुना देता हूं :

"हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। सचिव महोदय, कृपया अध्यक्ष, विधान सभा से नियमानुकूल सम्मति प्राप्त करें।

जयराम वर्मा,
माधव प्रसाद त्रिपाठी,
कल्पनाथ सिंह,
अनन्तराम जायसवाल।"

जो लोग इस प्रस्ताव के पक्ष में हों कि अनुज्ञा दी जाय वे कृपा कर खड़े हो जांय।

(खड़े हुये सदस्यों की गणना के पश्चात्)

अनुज्ञा देने के पक्ष में 107 की संख्या आयी है जबकि 85 की होनी चाहिये। इसलिये अनुज्ञा दी गयी। दस दिन के अन्दर चर्चा होना चाहिये ऐसा नियम है। इस लिये इसके बीच में मैं कोई दिन मुकर्रर कर दूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव करीब 9 ह इसमें से 4-5 तो जो सूखे की अवस्था अपने यहां हो रही है उसके बारे में हैं। उसके लिये मैंने यह कह दिया है कि नियम 52 में एक दिन चर्चा हो जायगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

नियम 52 में नोटिस हम दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष--

दे चुके हैं तो उसको स्वीकार कर लूंगा मैं।

[श्री अध्यक्ष]

सूखा और बाढ़ यह दो चीजें ऐसी हैं जिन पर हर साल चर्चा होती ह.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या यह मतलब है आपका कि चर्चा हो चुकी है इसलिय न हो।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा कि काम रोको प्रस्ताव अगर आ सकता है तो परमात्मा के खिलाफ आ सकता है, इनके खिलाफ नहीं आ सकता।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

जब राजा बेइमान हो जाता है तभी यह संकट आता है.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आपने मान्यवर, अभी कहा कि परमात्मा के खिलाफ आ सकता है, मंत्री जी के खिलाफ नहीं आ सकता, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि दैवी आपत्तियों से छुटकारा पाने के लिये ही यह सरकार है, यह सरकार कोई तदबीर करे। 1/3 हिस्सा प्रदेश का आज केवल सिंचित हो पाया है..... (व्यवधान) 25 वर्ष के शासनकाल में इस सरकार को इन्तजाम करना चाहिये (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

इस 25 वर्ष में आप भी शामिल हैं ?

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मेरा व्यवस्था का सवाल है। यह जो 24 नं० पर प्रश्न ह इसे आप कृपया 5 बजे के पूर्व लेने की आज्ञा दे दें....

श्री अध्यक्ष--

उस पर तो बहस होनी है दो घंटे की।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इसको आप 5 बजे के पहल ले लें क्योंकि इस सदन म जो भी चर्चा हो उसको सदन क बाहर के लोग भी जानें। 5 बजे के बाद प्रेस नहीं रहता। इसकी अहमियत को देखत हुये आप इसे 5 बजे से पहले लेने की आज्ञा दे दें।

श्री अध्यक्ष--

वह तो नियम के हिसाब से ही होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह नियम के हिसाब से है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

निवेदन यह ह कि 5 बजे के बाद न तो प्रेस रहता है और न और कोई रहता ह। अगर कोई बैठना भी चाहे तो प्रेस गैलरी में नहीं बैठ सकता, आपने वहां का पंखा भी हटवा दिया।

श्री अध्यक्ष--

वह उसी समय आ सकता ह।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैंने एक प्रस्ताव और दिया था आबकारी विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं....

श्री अध्यक्ष---

वह स्वीकार नहीं हुआ।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

3,600 कर्मचारी 20 तारीख से हड़ताल पर हैं।

(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं जो हम लोगों ने दिया था, वह लोकमहत्व का प्रश्न था, 36 हजार कर्मचारियों के बारे में समस्या उपस्थित है। उसमें आपने क्या किया?

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति

*श्री विश्व नाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, जो विधेयक माननीय आबकारी मंत्री जी उपस्थित करना चाहते हैं, वह जिसकी आज्ञा मांग रहे हैं, उसके विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट पेंडिंग है। उसके कार्यान्वियन के बारे में उन्होंने स्टे दे दिया है। उसकी बहस भी परसों शुरू हो गई है। इसलिये इसकी आप आज्ञा न दें। यह नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान नियम 107 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं---

"ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो।" इसके बाद आप नियम 112 को देख लें, उसमें लिखा है :---

"कार्य स्थगित करने के लिये प्रस्ताव---(1) अनुच्छेद 204 के अन्तर्गत विनियोग विधेयक के अतिरिक्त किसी अन्य विधेयक पर, जो पुरःस्थापित किया जा चुका हो, अथवा कार्य-स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त किसी अन्य प्रस्ताव पर अथवा संकल्प पर विचार हो उसी सत्र में ऐसे कार्य के लिये उपलब्ध किसी भावी दिन अथवा भावी सत्र में अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा किसी समय प्रस्तुत किया जा सकेगा और ऐसे प्रस्ताव को तत्समय सभा के सम्मुख अन्य प्रस्तावों पर अग्रता होगी।"

तो मेरा निवेदन है कि हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा है। हाईकोर्ट ने उस ऐक्ट को ही रोक दिया है और उसी विधेयक के बारे में माननीय मंत्री जी अपनी चर्चा की अनुज्ञा मांगते हैं। इसलिये निवेदन है कि इसको रोक दिया जाए, जब तक कि उसका फैसला न हो जाए। वहां उसमें बहस भी चल रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में यह दिया है :—

"A Bill seeking to replace an ordinance can be discussed in the House notwithstanding the fact that an ordinance had been challanged in a court of law and the court has issued rule to the Government."

और यह भी दिया हुआ है :—

Matters pending judicial decisions—A matter, awaiting or under adjudication by a court of law, should not be brought before the House by a motion or otherwise. This rule applies to motions for leave to bring in bills, but not to other proceedings on bills."

तो बिल के जरिये से आ सकता है। इसके अलावा भी प्रसाइडिंग आफिसर्स की कांफ्रेन्स में यह आया है :—

"(I) Ever since the inception of the rule, it has not been held as a bar against legislation being introduced. Discussion in legislative business takes place on general principle implied and does not enter into the merits of individual cases though the result of a preceding case might be governed by the new enactment."

सवाल यह है कि इन लोगों ने कहा इस तरह की चीज बाहर नहीं होती है।

श्री बिश्वनाथ कपूर—

आप विचार कर लें। यदि हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि यह अल्ट्रावायरस है, तो इस सदन की सारी मेहनत बेकार जाएगी और उसके सम्मान के भी अनुकूल नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा वह बाहर नहीं है। आप डिस्कश कर सकते हैं। आबकारी मंत्री जी जारी रखें।

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972†

*आबकारी मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह विधेयक इस बात का है कि अभी हमारे प्रान्त में देशी शराब का नीलाम द्वारा तय होता था और विदेशी शराब का सरचार्ज यानी लाइसेंस द्वारा तय होता था। इसको तय करने के लिये जितनी विरोधी दलों की सरकारें—संविद सरकारें रहीं, उन्होंने तय किया था कि विदेशी मदिरा की नीलाम द्वारा कार्यवाई की जाए। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि जितने श्री टी० एन० सिंह की सरकार के समय में मंत्री और सदस्य थे, उन सबने संशोधन इसमें पेश किया है। उसमें श्री हिम्मत सिंह जी एक्साइज मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा है और जिन्होंने संशोधन दिया है, वे भी गवर्नमेंट के सदस्य थे, उन्होंने इसे पास किया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†24 जुलाई, 1972 की कार्यवाही में छपा है।

उन्होंने भी इस प्रस्ताव को पास किया था कि विदेशी मदिरा पर आक्शन सिस्टम लागू होना चाहिए। आक्शन सिस्टम हमारी सरकार ने मार्च के पहले, मंत्रि परिषद् ने पास किया, कि आक्शन सिस्टम हो। उसके लिए आर्डिनेंस बना। परन्तु जब पंजाब सरकार ने आक्शन सिस्टम को लागू कर दिया, उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए, जो आर्डिनेंस अप्रैल में लागू होना चाहिए था, जिसका हाउस में आश्वासन दे दिया गया, न लागू हो कर, तीन महीने के लिए स्टे कर दिया गया और तीन महीने के बाद 26 जून को जबकि जुलाई में तीन महीने की मियाद खत्म हो रही थी तो मंत्रि-परिषद् ने प्रस्ताव पास किया कि आक्शन सिस्टम को लागू किया जाय। उस आक्शन सिस्टम को लागू करने में कुछ कानूनी कठिनाइयां थीं क्योंकि एक्साइज ऐक्ट में देशी मदिरा को आक्शन करने के रूल्स थे लेकिन विदेशी मदिरा के लिए प्राविधान नहीं था इस लिए कानून में तब्दीली करने के लिये आर्डिनेंस लाया गया। जुलाई में तीन महीने की मियाद खत्म हो रही थी। या उस बात के लिए फिर टाइम बढ़ाया जाता।

लेकिन पिछले सेशन में बराबर सवाल किये गये, कि राज्य सरकार इसको नीलाम नहीं करना चाहती है, उसमें तरह-तरह के सवाल हुए। दफा 24 एक्साइज ऐक्ट में देशी मदिरा के लिए नीलाम के रूल्स हैं। उसके साथ 24-ए में विदेशी मदिरा के नीलाम के लिए कुछ कानूनी तब्दीली की गयी है। पहले यह था कि प्रकाशन होगा तब रूल्स बनेंगे इस लिए सेक्शन को जिसमें रूल्स के प्रकाशन की आवश्यकता थी उसको तब्दील कर दिया गया है ताकि शीघ्र लागू हो जाय चूंकि खुद मंत्रि परिषद् का ऐलान था कि विदेशी मदिरा को नीलाम द्वारा तय किया जाय। मुझे अफसोस है कि इसमें भी संशोधन पेश कर दिया गया। हाईकोर्ट में याचिका है लेकिन उस आर्डिनेंस के अवैध होने से विधेयक अवैध नहीं होगा। इसलिए माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा, आप इस विधेयक को पास होने में मदद करें और इस विधेयक को पारित होने दें।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, मैं प्रस्तुत विधेयक में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं--उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 को जनमत संग्रह के लिए 3 महीने तक परिचालित किया जाय तत्पश्चात् सदन में इस पर विचार हो।

(इस समय 12 बजकर 59 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहता हूं इसलिए उन्होंने बार-बार संविद सरकार की बात की, जब संविद सरकार थी तो मैंने इन्हीं विचारों का प्रतिपादन किया था जो आज भी करने जा रहा हूं। आजादी के बाद इस गांधी के देश में जो हमारे नेता लोग आजादी के पहले शराब की दूकानों पर पिकेटिंग करते थे, मद्य निषेध की बात करते थे, वह क्या आज मदिरापन करके जनता को जिलाना चाहते हैं। माननीय मंत्री ने जो दलील पेश की, उद्देश्य और कारण में उनकी एक ही दलील सामने आयी है कि राजस्व उगाहने के लिए ऐसा किया जा रहा है। माननीय मंत्री देशी और विदेशी दोनों शराबों से राजस्व उगाहना चाहते हैं। जिस बापू का यह देश है जिसके चरणों में यह लोग शिक्षाएं ग्रहण की हैं। मैं उनकी वाणी बतलाना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा था मैंने जो अविलम्ब मद्य निषेध की बात की है, उससे मेरा मतलब है कि पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडल के पद ग्रहण के दिन अर्थात् 14 जुलाई, 1937

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

से तीन वर्ष के अन्दर पूरा मद्य निषेध कर देने की घोषणा अविलम्ब कर दी जाय और वह घोषणा योजना के साथ हो। मेरी कल्पना है कि पूर्ण मद्यनिषेध दो वर्ष के अन्दर कर देना बिलकुल सम्भव है। परन्तु मैं शासन की कठिनाइयों से परिचित नहीं हूं, इसलिये मैंने तीन वर्ष कहे हैं। इस काम से आमदनी का जो नुकसान होगा, उसे बिलकुल महत्वपूर्ण नहीं समझता। अगर इस पहले दर्जे के राष्ट्रीय महत्व के काम में, कांग्रेस की कीमत का हिसाब लगाने बैठना है, तो मद्य निषेध सिर्फ एक दूर की पुकार ही रहने वाला है।

याद रखना चाहिये कि शराब और दूसरी नशीली चीजों से होने वाली आमदनी का जरिया एक बहुत ही नीचे गिराने वाला कर है। कोई भी कर उसी हालत में उचित हो सकता है, जबकि वह बदले में करदाताओं की दस गुनी सेवा कर सके। आबकारी व्यवस्था लोगों को अपने ही नैतिक, मानसिक और शारीरिक पतन के लिये कर देने को बाध्य करती है। यह कर उन लोगों पर बे मुआवजा बोझे के रूप में पड़ता है, जिनमें इसे सहने की ताकत सबसे कम है। मेरा विश्वास है कि इस आमदनी का अधिकांश औद्योगिक मजदूरों से वसूल होना है। उनकी और खेती के मजदूरों की कांग्रेस लगभग एक मात्र प्रतिनिधि है।

आमदनी का नुकसान सिर्फ दिखाऊ है। इस पतनकारी कर को उठा देने से पीने वाला अर्थात् करदाता, ज्यादा कमाने और ज्यादा खर्च करने में समर्थ होगा। इसलिये कर उठा देने से यह भारी लाभ है ही, साथ ही उसका मतलब राष्ट्र का ठोस आर्थिक लाभ करना भी है। यह महात्मा गांधी की वाणी थी। पत्रकारों ने उनसे पूछा अगर आप 1 घंटे के लिये तानाशाह बना दिये जाय तो कौनसा पहला काम करेंगे? उन्होंने उत्तर दिया कि अगर मुझे 1 घंटे के लिये तानाशाह बना दिया जाय तो पहला काम मैं यह करूंगा कि तमाम शराबखानों को मुआविजा दिये बिना ही बन्द करा दूंगा। बापू की यह वाणी हमारे समाने है, बापू का चित्र हमारे सामने है, उनके सिद्धान्तों की दुहाई दी जाती है। पता नहीं सरकार की अपनी कौन सी नीति है, कौन सा दर्शन है? इसलिये मैंने कहा जहां तक मैं जानता हूं आपकी कोई नीति नहीं है। जो कांग्रेस की नीति पहले थी उसे बदल दिया गया है। मैं चाहता हूं कि 8, 9 करोड़ जनता का यह प्रदेश है इसे जनमत संग्रह के लिये भेजा जाय। मेरा ऐसा खयाल है कि अब कोई नम्र नीति इस राज्य का उत्थान नहीं कर सकती। गर्म नीति के द्वारा ही जमनत को बल मिलेगा और सरकार ठीक से चलेगी। हमारे पहाड़ी इलाकों में पिकेटिंग हो रही है। इस देश में 15 अगस्त को रजत जयन्ती हम मानने जा रहे हैं लेकिन हमारी कांग्रेसी सरकार इस मौके पर रास्ता यह अपनाने जा रही है कि विदेशी शराब का भी खुला नीलाम करायेगी।

तो मान्यवर, इस खुली नीलामी से क्या होगा? आज देशी शराबों की खुली नीलामी होती है और बड़ी होड़ लगती है और उसमें जो ऊंची बोली बोलता है उसको नीलामी दी जाती है। मैं आपसे निश्चित रूप से पूछना चाहता हूं कि आज ये देशी शराब के लाइसेन्सी साल में भंडारों से कितना रुपया उठाते हैं। सरकारी आंकड़े देख लिये जांय। मैं बलिया के बारे में जनता हूं जितना रुपया उठाते हैं उसकी नीलामी 4–4 और 5–5 गुनी है। मैं समझता हूं कि सारी जगह यही स्थिति है और इससे क्या होता है कि इसमें स्प्रिट मिलाया जाता है और बहुत से लोगों की मृत्यु उस विषैली शराब के पीने से हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका संशोधन है। आप कह रहे हैं कि शराब बन्द हो। आपका यह संशोधन है कि इसे 3 महीने के लिये परिचालित किया जाय। आप तो खुद विरोध कर रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मान्यवर, मैं तो चाहता हूं कि इसको परिचालित किया जाय। लेकिन [illegible] तो नीलाम करने जा रही है.....

श्री उपाध्यक्ष--

तो बुनियादी बात आप कह रहे हैं कि शराब बन्द हो।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

श्रीमन्, मैं कहता हूं कि आज इस मद्य निषेध की समस्या ही न रह जाती यदि इसको उठाने का पहला कदम उठाया जाय। किन्तु मान्यवर, भैंस के आगे बीन बजाय, भैंस खड़ी पगुराय। आज आप कहते हैं नीलामी से उगाही ज्यादा होगी। तो मैं इस बात पर आ रहा हूं कि जो नई व्यवस्था आप करने जा रहे हैं उससे भी लोगों को नुकसान ही है। माननीय मंत्री जी ने इस संशोधन विधेयक के 24-क (1) में यह कह दिया कि विदेशी शराब के सम्बन्ध में बिक्री करने का एकान्तिक विशेषाधिकार दिया जायेगा.....

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)---

तो आप क्या चाहते है ?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

व्यक्तिगत अनुभव भी है या नहीं। वैसे ही कागजी भाषण से क्या होगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्य यह भी बता दें कि हमको व्यक्तिगत अनुभव है।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कबूल कर लिया है कि उनको व्यक्तिगत अनुभव है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

तो मान्यवर, जो यह आबकारी का संशोधन लाया गया है उसमें आयुक्त को अधिकार दिया जा रहा है कि उन्हें विदेशी शराब के सम्बन्ध में बिक्री करने का एकान्तिक विशेषाधिकार दिया जाय। यह बात मेरी समझ में नहीं आती साथ ही न माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम खुली नीलामी करने जा रहे हैं तो मैं यह कह रहा था कि एकान्तिक विशेषाधिकार का मतलब है एकाधिकार। यानी आप आयुक्त को एकाधिकार दे रहे हैं खुली नीलामी का। लकिन इन दोनों संशोधनों में कहीं पर खुली नीलामी का शब्द तो है नहीं। केवल यह है कि "कोई विदेशी शराब बेचने के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये लाइसेन्स अथवा लाइसेन्सों को स्वीकृत कर सकता है।" जहां तक मेरी छोटी बुद्धि जाती है एकान्तिक विशेषाधिकार का मतलब मैं तो यही समझता हूं कि कहीं पर खुली नीलामी हो तो आयुक्त को मिनिस्टर साहब इस विधेयक के जरिये यह अधिकार दे रहे हैं कि उसको विशेषाधिकार मिला हुआ है, वह अपनी मर्जी से जिसको चाहे लाइसेन्स अथवा लाइसेन्सों को स्वीकृत कर सकता है। इन शब्दों को पढ़ कर मैने इसका यही अर्थ निकाला कि आयुक्त

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकेगा। इसमें 24(2) इस प्रकार है—"किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कोई लाइसेन्स या लाइसेंन्सों के स्वीकृत किये जाने से उसी क्षेत्र में, होटलों और रेस्ट्रां में उनके ही भू–गृहादि में उपभोग के लिये विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के निमित्त लाइसेन्स के स्वीकृत किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।" मैंने एक उदाहरण दिया कि देशी शराब की जहां खुली नीलामी होती है, उस क्षेत्र में दूसरों को शराब बेचने की इजाजत नहीं दी गयी है और यहां माननीय मंत्री जी दूसरी बात कहते हैं। अभी माननीय मंत्री जी आजमगढ़ गये थे। वहां पर उनसे कुछ कांग्रेसी सदस्य मिले और वहीं पर माननीय मंत्री जी ने एक व्यक्ति के लिये चट से खुली तौर पर विदेशी शराब बेचने के लिये आर्डर कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये जहां कहा गया है उसका मतलब है, प्राइवेट यूज के लिये, एक्सक्लूसिव।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

ये तो आयुक्त को एक्सक्लूसिव अधिकार दे रहे हैं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य उसे थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। इस समय तक देशी शराब के लिये लाइसेंस देने का जिस तरह से कमिश्नर को एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है उसी रूल्स के हिसाब से कमिश्नर को आदेश करने का राइट है। उसी तरह से विदेशी शराब के लिये रूल्स के अन्दर उसको अधिकार है, कमिश्नर के आदेश से उसका आक्शन होगा और उसी लाइसेंसी के क्षेत्र में दूसरा आक्शन करना चाहे तो लाइसेंसी को लाइसेंस लेने वाले को पहले से नोटिस देना पड़ेगा, जहां प्रिमिसेज दर्ज है। उपधारा (3) में साफ दिया हुआ है—"जहां उसी अवधि के लिये किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन एक से अधिक लाइसेन्स स्वीकृत करने का प्रस्ताव हो तो प्रत्येक ऐसे लाइसेन्स के लिये भावी प्रार्थियों को प्रस्ताव की अग्रिम सूचना दी जावेगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

इसका मतलब तो यह हुआ कि होटलों और रेस्ट्रां में जहां शराब बेची जाती होगी कमीशन के आधार पर, वे तो ज्यों के त्यों चलते रहेंगे। उपधारा (2) इस प्रकार है—किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कोई लाइसेन्स या लाइसेन्स के स्वीकृत किये जाने से उसी क्षेत्र में, होटलों और रेस्ट्रां में उनके ही भू–गृहादि में उपभोग के लिये विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के निमित्त लाइसेन्स के स्वीकृत किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्री जी बतायेंगे कि देशी शराब के लिये तो ग्रामीण क्षेत्रों में किया और अन्य क्षेत्रों में फुटकर बिक्री के आदेश उन्होंने दिये हैं और विदेशी शराब की नीलामी करेंगे और यह भी कहते हैं होटल और रैस्टोरेंट्स में छूट रहेगी। इस प्रकार की मंत्री जी छूट देने जा रहे हैं इससे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हमें मालूम हो रही है कि जो आम तौर से फुटकर विक्रेता हैं होटल और रेस्टौरेन्ट वाले वे कई दफा सरकार के पास अपना प्रतिवेदन ले कर दौड़े कि हमारा नुकसान होगा। उधर माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि हम खुली नीलामी करेंगे। अब सरकार इन दो चीजों

की बीच में फंस गई है। अन्त में निर्णय किया गया और इतनी चीज साबित होती है कि मंत्री जी ने होटल वालों और रेस्टोरेन्ट वालों को खुश कर दिया कि जैसा अभी चलता आया वैसा ही चलता रहेगा। खुली नीलामी का क्या होगा। मंत्री जी हमारे भ्रम को दूर कर दें।

श्रीमन्, यह जो विधेयक लाया गया है इसमें भी बहुत त्रुटियां हैं। एक तो नियत साफ नहीं है और इसमें दोनों तरह की चीजें हैं कि खुली नीलामी भी करेंगे और अन्य प्रकार से भी विदेशी शराब देंगे। आपकी मंशा की पूर्ति होने वाली नहीं है। इसी तरह से यह धारा 40 को निकाल देना चाहते हैं वह बड़ी साफ थी और उसके निकालने का कोई औचित्य नहीं है। कोई बनाने के पहले उसका प्रकाशन पहले होगा। नीचे देखिये। वह इस प्रकार है कि—

"Provided that any such rules may be made without previous publication if the State Government considers that they should be brought into force at once"

इसी एक्ट में भी यह प्राविधान था कि अगर राज्य सरकार समझती है तो बिना पूर्व प्रकाशन के भी वह बन्द कर दे। यह चीज मेरी समझ में नहीं आई कि इसको क्यों निकाला जा रहा है? यह स्पष्ट रूप से आपने कहा है। निश्चित रूप से हम चाहते हैं और यह सरकार भी चाहती है और कम से कम रजत जयंती के अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा कर दें कि जो शराब पिला कर अथवा बेच कर जो कर उगाहा जाता है उसको बन्द करें। हम लोगों ने बड़ा विरोध किया था और सरकार ने मान लिया था कि हम कोई अगला लाइसेंस नहीं देंगे। कोई दूकान शराब की नहीं खोलेंगे। इस सरकार ने इन 5 महानगरियों में इस को शुरू किया था और कहा था कि पहले वहां इसे लागू करेंगे और फिर धीरे-धीरे हम चाहते हैं कि उसे पूरे राज्य में लागू करे। जिन सरकारों की बात यह कहते हैं उन के बारे में आप देखें कि इन्होंने चौधरी साहब की मंशा को भी तोड़ा। अनेक लाइसेंसों के बारे में बार-बार प्रश्न किये गये कि क्या सरकार ने अपनी नीति को बदल दिया है, यह बराबर ऐसा करते रहे हैं और अनेक लोगों को नये-नये लाइसेंस दिये गय हैं और जिन को नये लाइसेंस दिये गये उन में से 99 प्रतिशत लोगों से नाजायज पैसा चुनाव के लिये या दूसरे तरीके से लिया गया। अगर सरकार की नियत साफ रहती तो सचमुच ही कांग्रेस के लोग जो गांधी जी का नाम लेते हैं वह चौधरी साहब की नीति को मानते और उन्हें उसमें कोई हिचक न होती। अब आप जनता के बीच में जाने से क्यों डरते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आप यह बिलकुल झूठ और लगो भाषण दे रहे हैं, चौधरी सहब ने जो पालिसी अख्तयार की थी उसके अनुसार ही हम चल रहे हैं और एक भी लाइसेंस नहीं दिया गया है। आजतक चौधरी साहब ही की पालिसी यहां लागू है और उसके अनुसार एक भी नया लाइसेंस नहीं दिया गया है। अगर यह मैं उन को दिखा दूं तो क्या माननीय सदस्य यहां से इस्तीफा देंगे ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

चौधरी साहब ने साफ कहा था कि आगे अब कोई लाइसेंस नहीं दिया जायगा लेकिन अगर मैं दिखा दूं कि उसके बाद आप ने दिया है तो क्या आप इस्तीफा देंगे ? चौधरी साहब न स्वीकार किया था कि कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जायगा ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मैं सदन में कह रहा हूं कि एक भी लाइसेंस नहीं दिया गया है तो आप हाउस में इस तरह से क्यों गलत बयानी करते हैं ? चौधरी साहब की ही नीति के अनुसार कोई विदेशी मदिरा का लाइसेंस नया नहीं दिया गया. . . . . .

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मैं आप को बताऊं कि आजमगढ़ में दिया गया है, आप चाहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा कि किस को दिया गया है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

आप समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी नया लाइसेंस नहीं दिया गया है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

आजमगढ़ में दिया गया है कल मैं आप को नाम भी बता दूंगा, सदन को मैं कल बता दूंगा कि फलां आदमी को नया लाइसेंस दिया गया है । मैं यह कह रहा था कि जनता के सामने इसको आप सीधे रखें और इस पर जनमत जान लें, आप का यदि जनमत में विश्वास है तो आप हमारे संशोधन को मान लें और जो उसका निर्णय हो उसे स्वीकार करें ।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में दे ।

माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं । इसलिये मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस प्रस्ताव को रखता हूं । इस सदन में अनेक बार हर तरफ के माननीय सदस्यों ने मांग की है कि काशी प्रयाग, मथुरा तथा हरिद्वार आदि धार्मिक स्थलों पर और जो पहाड़ के लोग हैं उनकी ओर से भी अनेक बार मांग की गई है कि पहाड़ों से संलग्न स्थलों पर जहां बड़ी-बड़ी दूरी से नागरिक आते हैं पूरी शराब बंदी की जाय । जब इस संशोधन की स्वीकृति के बाद यह चीज प्रवर समिति में जायगी और इस की परिधि भी बढ़गी तो वहां अन्य चीजों पर भी इस सम्बन्ध में विचार हो सकेगा । 25 वीं जयंती स्वतंत्रता की आप मनाने जा रहे हैं, यह कम महत्व की चीज नहीं है, गांधी जी कहा करते थे कि जब हम लोग विद्यार्थी थे कि हमारे राज्य में पूर्ण नशाबन्दी होगी । भूखे मरते हुये मजदूर, श्रमिक और अल्प वेतन भोगी कर्मचारी कच्ची शराब पी लेते हैं या जो बड़े-बड़े रेस्ट्रां और बासे में जाकर शराब पी लेते हैं । तो उनकी आमदनी का सारा धन समाप्त हो जाता है । तो मैं यह चाहता था कि जहां यह संशोधन आया मैं इसका तो स्वागत करता हूं लेकिन यह अपूर्ण है । इसमें 90 प्रतिशत जनता का विचार नहीं है । अगर यह प्रवर समिति को भेज दिया जाय तो शायद एक चीज पर और विचार हो जायगा ।

पंडित जी पहले अध्यापक रहे हैं जो आज मुख्य मंत्री पद पर आसीन हैं, उन्होंने देखा होगा कि इलाहाबाद में नये और पुराने विद्यालयों के पास बड़े-बड़े डिग्री कालेजों के पास और इलाहाबाद में हमीदा इन्टर कालेज के गेट के सामने कच्ची और पक्की शराब की दुकानें खुली

हुई हैं। आज बड़ी 2 और छोटी-छोटी बस्तियों केअन्दर विदेशी और देसी शराब बिकती है और हमारे मनचले नवयुवक जिन्हें अपनी सभ्यता, संस्कृति और नैतिकता का ज्ञान नहीं है, वे पीते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रदेश का विकास हो, उसका हम स्वागत करते हैं, यहां के लोंगों का जीवन स्तर उंचा उठे, उनके रहने के लिये मकान बनाये जायं, उन्हें पहनने के लिए वस्त्र मिले लेकिन भूमि भवन कर, भूमि विकास कर लगाया जाय और विदेशी शराब की दुकानों की नीलामी की जाय उचित प्रतीत नहीं होता। हरिद्वार, प्रयाग, मथुरा और वाराणसी पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां पर श्रमिक लोग और अन्य लोग शराब पीये, यह उचित नहीं है और बड़-बड़े पूंजीपति जो विदेशी शराब, रेस्टोरेन्ट्स में जैसे हजरतगंज में हैं या अन्य स्थानों पर पीते हैं। तो यह संशोधन मैं इसलिये रख रहा हूं ताकि जनता के भी विचार आ जावें।

हमारे दल की नीति तो पूर्ण शराब बन्दी की है ही, पूज्य महात्मा गांधी जी ने भी जीवन भर मद्यनिषेध का ही प्रचार किया है। वे 3 बातें कहा करते थे आजादी मिलने के पूव। मैं आपको स्मरण दिलाऊं पहली बात तो उनकी यह है कि "गऊ कशी" बंद होगी, दूसरी अंग्रेजियत जायगी, अर्थात् सारा काम राष्ट्र भाषा में ही होगा और तीसरी बात उनकी यह थी कि अंग्रेज जब जायेंगे तो पूर्ण शराब बन्दी होगी। हम चाहे उधर के बैठने वाले हों, या इधर के बठन वाले हों वैसे तो बापू की दुहाई देते हैं लेकिन उनकी कही हुयी बातों को भूल गये हैं। तो इसलिये मैं इस संशो-धन को रख रहा हूं। जो नियम हैं वे बड़े गलत हैं और लचर हैं। उनमें बड़ परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके गलत होने के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनको चुनौती भी दे दी गयी है। जल्दबाजी में हमारे मंत्री और उप–मंत्री ने आर्डिनेन्स को पास कर दिया। इस वर्ष आप रजत जयन्ती भी मनाने जा रहे हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसको प्रवर समिति में भेज दें, हालांकि वहां पर भी आपका बहुमत है, ताकि समस्त दलों के विचार आपको मालूम हो सकें। मेरी यह भी प्रार्थना है कि आप माननीय बंशीधर पांडे और माननीय बलवीर सिंह जी की बात को मान लीजिए और कम से कम प्रतीकात्मक प्रयाग, मथुरा और वाराणसी से तो हटवा दीजिए और ऐसे अन्य नगरों में, पहाड़ी इलाकों में पूर्ण निषेध करवा दीजिए और इन आदेशों का पालन भी कड़ाई के साथ कराइये कि जो रेस्टोरेन्ट, चिकित्सालयों, स्कूलों और कालेजों के पास हों वहां पर शराब न पी जाय। इसलिये इन समस्त बातों पर विचार करने के लिए मेरी प्रार्थना है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

*श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे बोलने का आपने मौका दिया उस समय जबकि हमारे मुख्य मंत्री जी भी यहां पर उपस्थित हैं क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें उनके सामने रखना चाहता हूं। मुझे आशा है, जैसा कि मेरा अनुभव भी है, कि वे कुछ अच्छी बातों को छांट कर उन्हें मन्जूर भी कर लेते हैं।

सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय शम्भूनाथ चौधरी जी बोल रहे थे, उन्होंने जिस बिल को तरफ, जो हमें दिया गया है, उसको पढ़ने को, समझने की और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलबीर सिंह]

कोशिश की लेकिन ऐसा लगा कि वे समझ नहीं पाये और मंत्री जी का स्पष्टीकरण उनकी समझ में पूरा-पूरा नहीं आया। यह उन्हीं की स्थिति नहीं है बल्कि हम सब की स्थिति यही है। मैंने भी इस बिल को कई दफा पढ़ा लेकिन मेरी भी समझ में नहीं आ सका। कारण यह कि जो अमेंडिंग बिल पेश किया जाता है, संशोधन बिल पेश किया जाता है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भूल अधिनियम हैं, जिसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, उनकी प्रतियां सदस्यों को जरूर मिलनी चाहिए। मान्यवर, इसमें 24(क) बढ़ा रहे हैं परन्तु यह पता नहीं कि 24 क्या है। जब तक हम यह नहीं जाने कि 24 क्या है, 24(क) में क्या करना चाहिये यह ज्यादा नहीं जान सकते।

श्री उपाध्यक्ष—

जब बिल अंग्रेजी के लगा दिये जाते हैं तो कई माननीय सदस्य फाड़ने लगते हैं। इसलिये यह कठिनाई है। आखिरी पृष्ठ पर है।

श्री बलवीर सिंह—

तो मान्यवर, मैं यह कहना चहता था कि उसकी कापी मिलनी आवश्यक है। यह कहा जा सकता है कि यह तो हमारी नियमावली है। इसमें 125 नियम में यह प्राविधान है कि सदस्य चाहे तो जो जरूरी कागजात हैं उसके सम्बन्ध में उनको मंगा सकते हैं। ठीक है, मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर रहा था, वे सुन नहीं रहे हैं। मैं क्या करूं। आप सुन रहे हैं, इतना काफी है। मुझे आशा है कि आप मेरी बात को पहुंचा देंगे। 125, जैसा कि मैंने निवेदन किया उसमें सिर्फ इतना प्राविधान है कि अगर सदस्य चाहे तो आपसे मान्यवर निवेदन कर सकता है। आपकी इजाजत से वह उन्हें मिल जायेगा। यह सही है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें है कि विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकता है कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपि, यदि कोई हो, जिस पर विधेयक आधारित हो, जो गोपनीय न हो, सदन की मेज पर रक्खी जायेगी।

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, इस नियम के बारे में मुझे यह कहना है कि यह जो संशोधन का बिल आता है, इतनी जल्दी आते रहेंगे कि और कोई भी सरकार हो उन्हें लाने पड़ेंगे। इतना समय सदस्यों के पास नहीं होगा-उधर पटल पर रक्खें और इधर मांगे सरकार को भी कठिनाई होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त सीलिंग का बिल पेश किया गया तो माननीय चौधरी चरण सिंह ने एकदम खड़े होकर 125 नियम के बारे में एक प्रार्थना पत्र पेश किया...

श्री उपाध्यक्ष—

सरकार ने सभी कागज-पत्र जो देने लायक थे और जो दिये जा सकते थे वे दिये।

श्री बलवीर सिंह—

अभी तक हम लोगों को सीलिंग के भी नहीं मिल पाये हैं। लेकिन मैं इसकी प्रतिलिपि के बारे में निवेदन करना चाहता था कि जो मूल अधिनियम है वह हमको मिलना जरूरी है। अगर आपकी रूलिंग यह है कि नियम 125 में वह नहीं दिया जाना चाहिये या नहीं दिया जा सकता तो फिर मैं और भी जोर से निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमें मिलना चाहिये। कोई ऐसा प्राविधान होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम तो आपके लिये हैं आप इसकी मांग कर सकते हैं। पुरःस्थापन जब हुआ तभी मांग कर सकते हैं।

श्री बलवीर सिंह--

उसमें दिक्कत होती रहेगी। अगर नियमों में ऐसा कर दिया जाय कि हमार मांग करने पर नहीं कम से कम एक अमेन्डिंग बिल के साथ उसकी कापी दे दिया करें तो अच्छा होगा। कम से कम जो पार्टी के लीडर्स हैं उनको दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

यह नियम समिति में निर्दिष्ट कर दिया जायेगा।

श्री बलवीर सिंह--

नियम 24 की बात नहीं है। 24 (क) बढ़ाया है। उसमें कहा गया कि धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये भी आपका आयुक्त विदेशी दुकानों के व्यक्तियों को लाइसेन्स देगा और फिर कई सेक्शन्स का जिक्र है। और जो मान्यवर ने इसके सम्बन्ध में कहा कि वह काफी है। मान्यवर, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और इसलिये स्वागत करता हूं कि जैसा कि हमारा उद्देश्य है--इस उद्देश्य में दो बातें कहीं गई हैं। एक बात कही गई है कि समानता पर लाना चाहते हैं सब लोगों को। अब तक यह था कि किसी एक आदमी को जिसको डी० एम० या कमिश्नर साहब ने पसन्द किया उसको लाइसेन्स दे दिया, यह प्रथा गलत थी। इसका बदलना बहुत जरूरी था और वह हर तरह से अनुचित ही था उसको बदला जा रहा है। नीलाम उसका होगा, हर आदमी के लिये दरवाजा खुला होगा। जो चाहे नीलाम खरीद सकता है। इसके उद्देश्य और बने हुये प्राविधानों का मैं स्वागत करता हूं। परन्तु मान्यवर, एक दूसरा भी तथ्य है जिस पर मुझे आपत्ति है। मैं आबकारी मन्त्री जी से कहना चाहूं कि जहां उन्होंने यह लिखा है कि विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के सम्बन्ध में लाइसेंस देने के लिये, देशी शराब के सम्बंध में विद्यमान लाइसेंस देने की प्रणाली को, आवश्यक परिष्कार के साथ अपनाने की स्पष्ट व्यवस्था करना लोकहित में इष्टकर था, यह तो ठीक है और दूसरी बिलासिता वाली बात, यह भी ठीक है। लेकिन इससे अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, इसे मैं उचित नहीं समझता, अगर सरकार इसी आधार पर इसको तरमीम करना चाहती है तो। इसलिये उचित नहीं है कि, मान्यवर, मेरे साथी ने गांधी जी की मिसाल दी, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि गांधी जी के बहुत से लेख मिलते हैं, मगर मैं उनके द्वारा कही हुई दो लाइनें इस सम्बन्ध में पढ़ना चाहता हूं कि उन्होंने कैसे राष्ट्र की कल्पना की थी जिसके लिये उन्होंने आन्दोलन चलाया, हजारों लाखों की संख्या में लोग उनके साथ जेल गये। उन्होंने कहा था--"मैं ऐसे भारत को बनाऊंगा जिसमें गरीब से गरीब भी यह अनुभव कर सके कि यह उनका देश है और नशाखोरी जैसी बुराई के लिये कोई स्थान न होगा"।

मान्यवर, वह ऐसा देश चाहते थे कि जिसमें शराब का कोई स्थान न हो, उस शराब की वजह से जिससे लोग बरबाद होते हैं, जिससे घर के घर बरबाद हो जाते हैं। तो मान्यवर, पैसे के लिये शराब चालू रखना, यह ठीक नहीं है और न इस तरह की धारणा ठीक है। मैं समझता हूं कि जो सरकार आज है, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी और आबकारी मन्त्री

[श्री बलवीर सिंह]

जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह शराब के सम्बन्ध में मद्य-निषेध के सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करें। मान्यवर, सन् 1970 में जिसमें चौधरी साहब मुख्य मन्त्री थे, उनकी सरकार ने यह घोषणा की थी कि यह सरकार पूर्ण मद्य निषेध (Total prohibition) के पक्ष में है। लेकिन उसको किसी कारण से जिसमें एक कारण यह हो सकता है कि खजाने की कमी और भी अन्य कारण हो सकते हैं, इस पर जोर नहीं दिया गया। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि आप इसको फौरन लागू कर दें, लेकिन इस पालिसी को आहिस्ता-आहिस्ता लागू होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भी पूर्ण मद्य-निषेध की बात है। लेकिन जब गांधी जी का नाम लिया तो मैं यह कहना चाहूंगा कि दुनियां तीन चीजों से बदली जा सकती है। पहली चीज तो बल से—यानी तलवार से तथा कानून का बल और सब से बड़ा सत्याग्रह द्वारा। दूसरी चीज है प्रचार तथा तीसरी चीज है उदाहरण। उदाहरण के लिये यहां बहुत से व्यक्ति मांस खाते हैं, तो मस्तिष्क में यह बात है कि यह बुरी चीज है, प्रचार से इस बारे में काम चल सकता है लेकिन शराब के बारे में यह विचार भारतीय मस्तिष्क स्वीकार नहीं करता है। मानस में यह बात है कि यह बुरी चीज है। तीनों हथियारों से काम लेना है—प्रचार से, सत्याग्रह से और कानून से। मात्र कानून से यह नहीं हो सकता है। हम यहां बैठते हैं और बार-बार गांधी जी का नाम लिया जाता है। हम पूछें कि क्या हम गलत जगह पर बैठे हैं। यह काम उदाहरण के जरिये, प्रचार के जरिये और सत्याग्रह के जरिये से हो सकता है और फिर कानून तो जन इच्छा की स्वीकृति मात्र है। कानून तो अन्तिम बार है। तीनों को साथ लेकर चलना चाहिये।

श्री बलबीर सिंह—

गांधी जी के नाम लेने का मेरा ऐसा कोई मन्शा नहीं है। अगर सरकार टोटल प्रोहीबीशन की पालिसी पर चलना चाहती है तो उसका ऐलान कर दे जैसा कि पहली सरकार ने ऐलान किया था। यह सरकार यह भी कह सकती है कि वैसा नहीं करना चाहती है। गांधी जी का कहना इस सरकार के लिये कोई रूलिंग नहीं हो गई है कि वह उसे जरूर मानेगी। हो सकता है कि परिस्थितियां बदल गई हों।

यह सरकार न माने, उससे मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मेरा निवेदन तो यह है कि यह सरकार अपनी पालिसी स्पष्ट कर दे जैसे कि पहली सरकार ने अपनी पालिसी स्पष्ट की थी कि वह मद्यनिषेध पहाड़ों में पहले लागू करेगी। वह लागू की गई और उसके बाद तीर्थ यात्रा के स्थानों पर लागू की गई। हम इस सरकार से कम से कम यह आशा करते हैं कि वह इस सम्बन्ध में अपनी पालिसी बता दें। टोटल प्रोहीबीशन पूर्ण मद्य-निषेध ठीक है या नहीं, होना चाहिये या नहीं होना चाहिये, इसमें मुझे कोई झगड़ा नहीं है। अगर वे उसे चाहते हैं तो प्रोत्साहन दें और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इस वक्त सवाल मद्य-निषेध की पालिसी का नहीं है। इस वक्त तो विवाद विधेयक पर है। पालिसी के बारे में तो इस वक्त विचार भी व्यक्त नहीं हो सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--
उसके लिये कौन मौका आयेगा मन्त्री जी बता दें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--
इस वक्त तो धाराओं पर विवाद का सवाल है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--
क्या यह सरकार की नीति को परिलक्षित नहीं करता है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--
यह सरकार कोई नई दुकान नहीं दे रही है या कोई लाइसेन्स देने का सवाल नहीं है। न कोई यह बात है कि सरकार की मद्य-निषेध की नीति है जिसको हम हटा रहे हैं। इस वक्त तो सवाल यह है कि जो लाइसेन्स पर होता था उसको हम नीलाम कर रहे हैं।

श्री बंशीधर पाण्डेय--
मैं मन्त्री जी को सूचित कर दूं। जब कांस्टीट्यूशन का अमेन्डमेन्ट आता है पार्लियामेन्ट में तो उसका प्रिएमबिल और कम्प्लीट लिस्ट रखी जाती है। जब कोई कानून पेश होता है तो उसके अगल-बगल वाली सभी बातें पेश होती हैं यह बात भी आनी चाहिये कि उस कानून का क्या इफेक्ट होगा और उससे क्या फायदा होगा।

श्री उपाध्यक्ष--
इस विषय में मैं संविधान की धारा 47 आपके समक्ष रखना चाहता हूं :-

"राज्य अपने लोगों के आहार पुष्टि-तल और जीवनस्तर को ऊंचा करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्रमुख कर्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया मादक पेयो और स्वास्थ्य के लिये हानिकर औषधियों के औषधीय परियोजनाओं से अतिरिक्त उपभोग को प्रतिशेध करने का प्रयास करेगा।"

श्री बलबीर सिंह--
इसीलिय तो मेरा कहना मजबूत होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप संविधान पर चलने को तैयार हैं। मैं कोई बहस नहीं करना चाहता हूं। शायद मन्त्री जी गलती से ऐसा कह गये। उन्हें आप क्षमा कर दीजिये। वे पालिसी का जवाब नहीं देना चाहते, न दें, परन्तु मैं पालिसी के ऊपर कुछ निवेदन करना चाहता हूं। नीलाम के सम्बन्ध में आबजेक्शन हो सकता है। बड़ा वैलिड आबजेक्शन है। और उस पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें। वैसे मैंने जो इसकी ओर संकेत किया कि हमारी पालिसी यह होनी चाहिये लेकिन इसमें कहीं एडल्ट्रेशन वाली बात न हो जाय। देशी शराब के जो ठेके छूटते हैं उनमें जो माननीय सदस्य अपनी राय जाहिर करेंगे वह तो ठीक ही है लेकिन देशी शराब में एडल्ट्रेशन ज्यादा होता है। ठेकेदार जो ठेके लेते हैं वे बहुत कम पैसे पर ठीके खरीदते हैं और बहुत ज्यादा पैसों पर फिर शराब बेचते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि जगह-जगह पर शराब के पीने से मौतें होती हैं, दिल्ली में हुई है, लखनऊ में हुई है, मेरठ में बहुत सारी मौतें हुई हैं। मौतें हुईं, आदमी मर गये, उनसे छुटकारा मिल गया लेकिन इसके पीने से लोग अंधे हो जाते हैं और इसका कारण क्या हो सकता है ? वह शराब का एडल्ट्रेशन। जो आप कर रहे हैं वह तो ठीक है लेकिन कहीं देशी शराब वाला एडल्ट्रेशन का मर्ज उधर भी न पहुंच जाय, इसलिये मैं मन्त्री जी को सावधान करूंगा कि वे ऐसे तरीके अख्तियार करें जिसमें शराब में एडल्ट्रेशन न हो। यह थोड़ी सी बात कह कर मैं खत्म करता हूं।

*श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के अवसर पर देशी और विदेशी दो प्रकार की शराब जो इस देश भारतवर्ष में चल रही हैं और जिनमें आज तक असमानता ज्यादा थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया है और इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं क्योंकि इस देश में देशी आदमी को देशी शराब मिलती थी और जो आई० सी० एस० या बड़े-बड़े आफिसर्स होते हैं उनको पीने के लिये अच्छी शराब मिलती थी। इन दोनों के लिये मन्त्री जी ने एक ही नीति बरतने का फैसला किया और इसके नीलाम कराने का कार्य उन्होंने किया और यह बहुत ही सुन्दर कार्य है और इसके लिये हम सब इधर-उधर के बैठने वाले लोग जब कभी एक्साइज के मामले पर बातचीत करते थे तो एक स्वर से मांग करते थे कि यह जो विदेशी शराब की दुकानें हैं ये भी नीलाम होनी चाहिये। इसलिये जो संशोधन विधेयक आज आया है हम उसका स्वागत करते हैं।

श्रीमन्, लेकिन इसके साथ ही साथ श्रीमन्, भारतीय संविधान में भी है कि धीरे-धीरे सारे देश में पूर्ण मद्य निषेध करेंगे। लेकिन कुछ लोग इसको आमदनी का साधन मानते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि जिस समय महात्मा गांधी ने सबसे पहले इस प्रस्ताव को लिया था कि हमारे स्वराज्य को लाने का माध्यम क्या होगा तो उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना माध्यम बनाया। उस समय कितने लोग उस पर विश्वास करते थे कितने लोग समझते थे क्योंकि इससे पहले दुनिया में जितने भी राजनीतिक आन्दोलन हुये, जितने भी राजनीतिक उथल-पुथल हुई सब तलवार की ताकत से हुई, जितने राजनीतिक फैसले हुये सब हिंसा के बल पर हुये ताकत के बल पर हुये, लेकिन गांधी जी ने एक बिलकुल नया रास्ता दुनिया को बताया और हमारा मुल्क सत्य और अहिंसा के मार्ग से आजाद हुआ। इसलिये हमारे मुल्क में यह कहना कि पूर्ण मद्य-निषेध नहीं हो सकता, यह बिलकुल गलत बात है। यह उन लोगों की कमजोरी है जो करना नहीं चाहते और जो इस तरह से सोचते हैं। श्रीमन् किसी दूसरे मुल्क को लें। अमेरिका ही हमसे हजारों गुना अधिक धनी है, यूरोप के कितने ही देश हैं जिनकी पर कैपिटा इन्कम हमसे कितने ही गुने अधिक है लेकिन आज अमेरिका के सामने एक समस्या है मद्य निषेध को ले कर, वहां हिप्पी लोग बढ़ रहे हैं, नशे का प्रयोग बढ़ रहा है और वहां की सरकार के लिये एक सरदर्द बन गया है कि किस प्रकार नशे की वस्तुओं के प्रयोग को दूर करें। इस प्रकार कहने का मतलब यह है कि कोई भी देश रुपये पैसे या उत्पादन के बल पर धनी नहीं होता, रुपया पैसा ही किसी देश की दौलत नहीं है। किसी भी देश की अगर कोई दौलत है, तो वह है उस देश के चरित्रवान मनुष्य। उस राष्ट्र का निर्माण सही तरीके से उनके द्वारा हो सकता है। जिस देश में लोग शराब की बात करें और कहें कि मद्य-निषेध नहीं होना चाहिये और सरकार को दूकान खोलना चाहिये शराब की, तो उस देश में लोगों का चरित्र निर्माण कैसे होगा। जब राष्ट्र का चरित्र-निर्माण नहीं होता तो राष्ट्र आगे कैसे बढ़ सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि आप इस रजत-जयन्ती के अवसर पर पूर्ण मद्य-निषेध लागू कीजिये । उसके लिये यह बात करते हैं कि मद्रास, महाराष्ट्र और अन्य प्रान्तों में, जहां पूर्ण मद्य-निषेध था, वहां सरकार ने मद्य-निषेध खत्म कर दिया तो उत्तर प्रदेश में मद्य-निषेध क्यों करें, तो यह बात बेवकूफी से परे नहीं है। मैं पूछता हूं कि महाराष्ट्र और मद्रास कभी हमारी संस्कृति के केन्द्र नहीं रहे। हिन्दुस्तान की संस्कृति का केन्द्र उत्तर प्रदेश रहा है। बुद्ध और कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। हमारे चार धाम-गंगोत्री, जमनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ---और इसके अलावा प्रयाग राज और बनारस, हरिद्वार और ऋषिकेश, उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा ऐसी नदी बहती है कि जिसके जल के लिये हिन्दुस्तान का आदमी जगह-जगह से यहां आता है और श्रीमन्, यही नहीं, गंगाजल को कुछ लोग दक्षिण भारत में बेचकर लाखों रुपये कमाते हैं। तो वह प्रान्त जहां के पानी को प्राप्त करने के लिये लोग दूर-दूर से कितने लोग आते हैं, अगर ऐसे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मन्त्री जी इस रजत जयन्ती के अवसर पर पूर्ण मद्य-निषेध कर दें, तो यह सबसे बड़ा काम होगा।

एक बात की ओर मैं यहां पर सदन का ध्यान और दिलाना चाहता हूं। यह कहा जाता है कि फौज में शराब पीना जरूरी है। लेकिन मान्यवर, कितने लोग इस सम्बन्ध में हमारे पास आये और कहा कि आप सोचिये कि कोई फौजी अपने बाल-बच्चों से बहुत दूर लड़ाई पर रहता है और जब वह सुनेगा कि उसके गांव के अगल-बगल शराबी लोग उधम मचा रहे हैं तो उसका मन कैसे लड़ाई में लगेगा। इसलिये अगर फौजियों को निश्चिन्त होकर लड़ाना है तो उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी और शांति व्यवस्था तभी हो सकती है जब कि मद्य-निषेध हो, लोगों का चरित्र बने।

श्री उपाध्यक्ष ---

आप थोड़े में अपने विचार व्यक्त कर दें।

श्री इन्द्रमणि---

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

तो श्रीमन्, इन सब बातों को मद्य-निषेध के बारे में रखते हुये, यह जो संशोधन जोकि हमारी मन्त्री जी लाये हैं, वह सुन्दर है लेकिन एक बात मैं निवेदन कर दूं कि आपकी जो नीति है, वह बहुत स्पष्ट होनी चाहिये। अभी आपने कहा कि हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में शराब की दूकान नहीं होगी। लेकिन हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में, वहां से कोई ७-८ मील की दूरी पर रायवालों की दूकान हैं ताकि शराब हरिद्वार वाले भी ले सकें और ऋषिकेश के वाले भी ले सकें। तो हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में यह रायवालों की दूकान है, इसको बन्द कर दिया जाय। तो मान्यवर, अगर इससे वास्तविक रूप में रजत-जयन्ती बनाना है, अगर वास्तविक रूप में आप अपने को गांधी जी का शिष्य कहते हैं, तो इस मुल्क का निर्माण गांधी के उद्देश्यों के मुताबिक करना पड़ेगा। आपने इन 25 वर्षों में भटक कर देख लिया है कि आज राष्ट्र कहां पहुंच गया है। इसलिये आप रजत-जयन्ती के अवसर पर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मद्य-निषेध लागू कर दें।

*श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि एक समय अपने देश में ऐसा था कि जबकि अपना देश धन-धान्य से पूर्ण था। अपने इसी प्रदेश के अन्दर दूध और घी की नदियां बहती थीं। सदियों तक देश गुलाम रहने के कारण हमारे देश की अवस्था बिगड़ गयी। हमने पूज्य गान्धी जी के नेतृत्व में अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और कामयाब हुये। पूज्य गांधी जी यह समझते थे कि इस गिरे हुये देश को आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से ऊपर उठाना है। इसको विचार में रखकर उन्होंने राम राज्य की कल्पना की थी : ऐसे राम राज्य की कल्पना की थी जिसके लिये कहा गया है--दैहिक, भौतिक दैविक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। गांधी जी कहा करते थे कि देश में नशाबन्दी होनी चाहिये। आज जो कांग्रेस के नेता हैं, जिन्होंने पूज्य गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्हें उनकी इस बात को मानना चाहिये। यह जो शराब है यह कोई अच्छी चीज नहीं है। इससे मनुष्य का नैतिक पतन होता है। आदमी शराब पीकर जुआ खेलता है, चोरी करता है, जितने भी दुष्कर्म होते हैं, सब करता है। जो पैस वाले हैं, शहरों में रहने वाल हैं, जिनकी आमदनी बहुत है, वह चाहे कितना ही पिएं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप देहातों में चले जायं, पिछड़े इलाके में चले जायें, मिर्जापुर के पहाड़ी इलाकों में देखें तो जो वहां मजदूर लोग हैं, जिनको नशे की चसक है, बिना पिये नहीं रह सकते चाहे उनके छोटे-छोटे बच्चों को खाना-कपड़ा न मिले। तो इससे गरीबों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है।

श्रीमन, यह जो संशोधन है इसमें कहा गया है कि शराब की दुकानें जहां भी उपयुक्त समझे खोली जायं। जो गांधी जी के आदेश थे, जैसा कि संविधान में है कि इसको समाप्त करने का प्रयास किया जायेगा, उसका पालन करना चाहिये। एक तरफ तो मद्य-निषेध के लिये वर्ष में एक दिन मनाया जाता है, प्रचार किया जाता है, छोटी-छोटी पुस्तिकायें बांटी जाती हैं और दूसरी तरफ सरकार यह कर रही है कि लोग अधिक से अधिक शराब पियें। मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि गरीब इलाकों में, पिछड़े हुये इलाकों में शराब की दुकानें न खोली जायं। शहरों में जहां लोगों के पास धन है, जो समझ-बूझ कर पीते हैं, उन स्थानों पर ही दुकानें हों। लेकिन वहां भी जो पब्लिक प्लेसेज हैं जैसे स्कूल हैं, मन्दिर हैं, या जनता के आने-जाने के स्थान हैं, ओपन मार्केट हैं, वहां शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिये। इससे हमारे नौजवान भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ऐसी दुकानें पब्लिक प्लेसेज पर न हों। यह मैं मानता हूं कि नीलामी की प्रथा से पैसा प्रदेश को अधिक मिलेगा और विकास कार्य में उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसी देशी शराब में अधिक कीमत पर दुकान जाती है और फिर वहां एडल्ट्रेशन होता है, और हजारों की संख्या में लोग मरते हैं, यहां भी इस तरह का ऐडल्ट्रेशन न शुरू हो जाय। मैं तो कहता हूं कि हमारा प्रयास तो यह होना चाहिये कि इस प्रदेश के अन्दर ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष के अन्दर नशाबन्दी हो। जब तक नशाबन्दी नहीं होगी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति के सुझाव का समथन करता हूं। हो सकता है प्रवर समिति में कुछ ऐसे सुझाव आपको मिल जायं जिससे कि प्रदेश का भला हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बंशीधर पांडेय--

इस पर सरकारी पक्ष के लोगों की कोई राय ही नहीं आ रही है। मैं तो मान बैठा हूं कि यह सरकार जो है वह महाराष्ट्र और मद्रास के रास्ते पर चल रही है। उसने तय कर लिया है। मैं तो चाहता हूं कि नारायण दत्त जी हों, गुलाब सिंह जी हों, नगीना सिंह हों, तथा उदित नारायण शर्मा जी हों अपने विचार व्यक्त करें।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

सरकार के विचार तो विधेयक के रूप में प्रस्तुत हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब सवाल तो यह है कि नीति आपकी संविधान में वर्णित है और गांधी जी की विचाराधारा भी संविधान में है।

श्री बंशीधर पाण्डेय--

हाउस में तय हो गया है ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी जी की विचारधारा को सब लोग छोड़ देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

कोशिश तो होनी चाहिये।

*श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)--

जो यू० पी० एक्साइज ऐक्ट में संशोधन लाया गया है इसका मूल उद्देश्य तो यही है कि यह विलासिता की वस्तु मानी गई है और इससे राजस्व बढ़ाया जाय नीलामी आदि करके। फारेन लीकर शाप्स बहुत दिनों से चली आ रही हैं। यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह पंजाब की नकल की गई है। यह ठीक है कि आपका राजस्व बढ़े परन्तु यह तरीका तो नहीं है। हरियाणा में यह कर रहे हैं कि हर साल शराब की दूकानों के जो ग्वाइन्ट्स हैं उनकी लाट्री निकाली जाती है। 100 रु० पर हेड इसका होता है। जितने भी लोग लाट्री खरीदें वह पेश की जाती है और जिनका नाम निकलता है उसको दुकान मिल जाती है। पहले जिस गरीब दुकानदार की वहां पर दुकान थी उसको 2,500 रु० मिल जाता है। किसी को कष्ट नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जब नीलामी होती है तो उस पर बोली लगती है। बड़ी ऊंची-ऊंची बोलियां चली जाती हैं। मान लीजिये कि किसी दुकानदार की उतनी बिक्री नहीं हुई साल भर तक तो क्या होगा। वह घाटा तो देगा नहीं। नतीजा यह होगा कि वह एडल्ट्रेशन करेगा, मिलावट करेगा।

अभी आगरा म मौत हो गई। दिल्ली में शराब पीने से मौतें हुईं। लाखों आदमियों की जानें खतरे में पड़ जायेंगी। यह ठीक है कि आप इससे राजस्व बढ़ाने जा रहे हैं लेकिन इस पहलू पर भी आपको विचार करना होगा। इसका नतीजा समाज पर क्या पड़ेगा इसका क्या हस्र होगा। जो जमानत का रुपया जमा किया गया है उसको वापस लेने के लिये वह कुछ न कुछ तो करेगा ही? कोई भी दुकान दार घाटे पर तो दुकान चला नहीं सकता है और उसको पूरा करने के लिये एडल्ट्रेशन होगा। ऐसा करने से शराब जहरीली हो जायेगी। आपके यहां देशी शराब भी है और फारेन लीकर भी है। कुछ मात्रा में इम्पोर्टेड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी]

लीकर भी आती है। जो विदेशी शराबें हैं वे तो आसानी से मिलती नहीं हैं और मिलती हैं तो बहुत कास्टली होती हैं। यहीं की बनी शराब फारेन बाटिल्स में बन्द करके फारेन लीकर के नाम से बिकती है। अफसरों को घूस देने के लिये शराब दी जाती है। मोहन मीकिन्स की शराब फ्रान्स की बाटिल में बन्द करके अफसर को दी जाती है कि हमारे भाई फ्रान्स से यह तोहफा लाये हैं और इसको आप लीजिये। एक तो इसमें भावनात्मक दृष्टिकोण था कि गांधी जी ने कहा था कि शराब बन्द होनी चाहिये। इससे कोई असहमति प्रकट नहीं करता और मैं उसी बात पर आता हूं कि एक नीति निश्चित होनी चाहिये सरकार की कि वह शराब बन्द करना चाहती है अथवा नहीं। गांधी शताब्दी के बाद पहाड़ के 4-5 जिलों को ड्राई किया। कोटद्वार को ड्राई किया लेकिन नजीबाबाद में दुकान है। जैसा बड़ोनी जी ने कहा कि हरिद्वार ऋषिकेश ड्राई है और बीच में रायवाला में शराब की दुकान है। हरिद्वार के पास ३ मील पर ज्वालापुर में शराब की दुकान है। गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा जाहिर करने के लिये सौ साल में तीन जिले आपने ड्राई किये।

माननीय बड़ोनी जी ने कहा कि सभ्यता का केन्द्र उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र ने जो किया या तामिलनाडु ने जो किया उसको हम देश की संस्कृति नहीं मानते। लेकिन मैं मानता हूं कि सारा देश एक है और जो एक प्रदेश में होता है उसका असर दूसरे प्रदेशों में स्वभाविक रूप से पड़ता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति बहुत उच्च है, चारों धाम यहां है, गंगा यमुना यहां हैं, लेकिन इसके साथ-साथ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हिपोक्रैट्स भी यहां है जिनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। दिल में हम कुछ और रखते हैं लेकिन जब हम मंच पर भाषण देते हैं तो अपने को स्वस्थ गांधीवादी व्यक्त करते हैं। आज तामिलनाडु ने प्राहिबिशन को स्क्रेप कर दिया। महराष्ट्र भी खोलने जा रहा है। मद्य-निषेध की नीति खाली एक प्रदेश की नीति नहीं हो सकती।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, कोरम बिलकुल नहीं है और यह बहस हो रही है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि तामिलनाडु व महराष्ट्र ने मद्य-निषेध समाप्त कर दिया है। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बन्द करने के बाद भी वह चीज बन्द नहीं होती, उसका अनियमित व्यापार चलता रहता है। हरिद्वार और ऋषिकेश में आपने मद्यनिषेध लागू किया है लेकिन होता क्या है कि बीच में एक दूकान खुली हुई है वहां से लोग शराब लाकर चोरी से बेचते हैं। आपने ऐसा करके अवैध व्यापार का जरिया खोल दिया है और वह बढ़ता चला जा रहा है जिसकी तरफ माननीय मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिये। जिन पहाड़ी जिलों में आपने मद्यनिषेध किया है, उससे आम लोगों को खुशी है, लोगों ने उसका स्वागत किया है, लेकिन जो इससे दोष उत्पन्न हो रहे हैं, अवैध व्यापार करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस पर आपने अंकुश नहीं लगाया है और इसके कारण होता क्या है कि लोगों के बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते और वे नजीमाबाद से 5 रुपये की शराब

की बोतल लाकर कोटद्वार में 20 रुपये की बेचते हैं। इससे उनकी आमदनी होती है। कोटद्वार में स्प्रिट लोगों को गैस जलाने के लिये नहीं मिल रही है, लेकिन पीने के लिये मिल रही है। पिट्रोल और पानी डिब्बे में भर कर बन्द करके रख देते हैं और आग जला कर उसे दिखाते हैं, फिर उसको पीते हैं। कुछ लोग तो मजाक में यहां तक कह देते हैं कि सरकार का कोई नियन्त्रण इस पर नहीं है, महात्मा गांधी की कुटीर उद्योग की कल्पना साकार हो रही है, शराब का कुटीर उद्योग बढ़ रहा है।

मैं चाहता हूं कि सरकार को नीति बिलकुल साफ होना चाहिये भारत सरकार की भी और प्रदेशीय सरकार की भी कि भविष्य के लिये वे इसको बन्द करना चाहते हैं अथवा नहीं। अगर बन्द करने की नीति है तो केवल 2-1 जगह बन्द कर देने से लाभ नहीं होगा। इस अवैध व्यापार में कई नवजवान लड़के पकड़े गये हैं जो 18-20 साल की आयु के हैं। इसका असर समाज पर बुरा पड़ रहा है। गरीब आदमी का पैसा शराब पर खर्च हो रहा है। इसलिये जो योजना आप बना रहे हैं इस पर आपको पुन: विचार करना चाहिये। ऊंची बोली पर लोग ठेके लेते हैं और फिर अडल्ट्रेटेड शराब बिकती है। इससे अच्छा हो कि आप नीलाम की जगह लाटरी सिस्टम कर दें, इससे आमदनी वही होगी और अडल्ट्रेटेड शराब नहीं बिक पायेगी। नीलाम के प्रश्न पर भी विचार किया जाय। कई बार आदेश हुये, लेकिन इसको रुकवाने के लिये काफी रुपया दिया गया।

एक और निवेदन मैं नीलामी के बारे में करना चाहता हूं। इस नीलाम के प्रश्न पर भी विचार किया जाय। कई बार इसके लिये आदेश हुये, लेकिन इसको रुकवाने के लिये लोगों ने बहुत बड़ी रकम दी। तो बड़ी मात्रा में रिश्वत भी शराब के व्यापारियों द्वारा दिया गया और साल भर आक्शन इसीलिये रोका गया। क्योंकि पाम-ग्रीजिंग नीचे से ऊपर तक सभी अधिकारियों, जिम्मेदार लोगों का कर दिया गया इसलिये यह इतने दिन और टाल दिया गया तथा आगे भी रास्ता खुला रखा गया है। करीब दो लाख रुपया इस मद में दिया गया है, यह सही है या नहीं, इसे तो मन्त्री जी बतायेंगे।

यह आर्डीनेन्स हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया, उसके पीछे भी एक नीयत है। जान-बूझकर ऐसा कमजोर बिल लाया जाता है, ताकि जो रुपया दिया जा चुका है, उनके लिये कहने को आधार बना रहे। उनको कह दिया जायगा कि विधान सभा में कानून बन रहा है, लेकिन हमने ऐसा कर दिया है कि वह हाई कोर्ट में, पास होने के बाद चैलेंज हो जायेगा और इस तरह से आपको साल भर का और मौका मिल जायेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि किसी बड़े आदमी से इसमें प्रभाव डालने के लिये इतनी मात्रा में रुपया दिया गया है और इसके बाद भी खामियां हैं। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। यह जो बिल ला रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसे भी हाई कोर्ट रद्द कर देगा।

*श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने जो बिल पेश किया है। उन्होंने इसे ऐसा मानकर किया है कि अंग्रेजी शराब विलासिता की वस्तु है और अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिये उसकी नीलामी होनी चाहिये। श्रीमन्, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम कुमार दीक्षित]

है और खास तौर पर एक बुनियादी बात कहनी है। मेरा ऐसा विश्वास है कि सरकार में बैठे हुए निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे हैं, जिन के मनों में वही बात उठती होगी। वह बुनियादी बात यह है कि जिस समय इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वराज्य की लड़ाई चलाई जा रही थी, उस समय स्वाधीन भारत का एक नक्शा लोगों के दिमाग में था। एक सुखद कल्पना थी कि कैसा भारत होगा, जब स्वराज्य होगा। मैं अपने उन बुजुर्ग नेताओं का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या उस राष्ट्रपिता के कल्पना किये हुये स्वाधीन भारत में यह बात कहीं थी? उसका स्वप्न था कि इस देश में मादक वस्तुओं का निषेध होगा, इस देश में मद्यपान करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। उसने सोचा था कि ऐसा वातावरण बनेगा, चाहे वह शासन के माध्यम से हो, या प्रचार के माध्यम से बने अथवा वालन्ट्री कार्यक्रम के आधार पर बनाया जाये। श्रीमन्, यह बात थी। तो अब हमें अन्तर्मुखी होकर सोचना पड़ेगा कि हम इन 25 वर्षों में उस दिशा में कितना बढ़े। सोचना पड़ेगा कि हम बढ़े या नहीं बढ़े। सबसे ज्यादा बुनियादी विचारणीय बात यह है कि आखिर हमारी नीति, हमारा सिद्धान्त, हमारी धारणा क्या है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप राजस्व के लालच में, पैसे के लालच में हमें जहर पिलाना चाहते हैं। तो यह मुबारक हो आपको राजस्व प्राप्त करने का तरीका। कोई भी संस्कृति, कोई भी देश और उस देश की जनता अधिक दिनों तक ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करने वाली है, जो राजस्व के नाम पर जनता को जहर पिलाने का ठेका लिये हुये हों। श्रीमन्, इसलिये बुनियादी तौर पर आपसे कहना है, सरकार के संचालकों से कहना है, जिनके ऊपर यह उत्तरदायित्व है और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं, जो उनके सिद्धान्त के अनुसार इस भारत का निर्माण करना चाहते हैं। बड़े जोर-जोर से चीख-चीखकर बात कही जाती है कि हम हरिजनों का वेल्फेयर चाहते हैं, क्योंकि गांधी जी चाहते थे। तो क्या गांधी जी मद्यनिषेध नहीं चाहते थे?

उपाध्यक्ष महोदय, आपने संकेत अभी दिया कि सत्याग्रह एक अस्त्र है इस काम को करने के लिये। उन्होंने इसको स्वयं अपने जीवन में प्रयोग करके दिखाया था। इस अस्त्र के जरिये क्या उनको सफलता नहीं मिली थी? निश्चित रूप से मिली थी, यह इतिहास बताता है। जब कि अंग्रेज इस देश में चाहते थे कि इस देश की जनता का चरित्र गिरे।

इसलिये मैं सबसे बुनियादी बात माननीय मन्त्री जी से जानने की अपेक्षा करता हूं कि क्या वह चाहते हैं कि हमारे सारे सूबे में मद्यनिषेध हो। अगर वह चाहते हैं तो मद्य निषेध कब तक होगा? उनका क्या कार्यक्रम उनके मस्तिष्क में है, और कब तक उस को व्यावहारिक रूप प्रदान करेंगे? यदि इस प्रकार का उत्तर नहीं आता है तो हमें ऐसी आशंका है कि राजस्व की प्राप्ति के मोह में, क्योंकि ऐसा आर्थिक ढांचा बिगड़ता जा रहा है। आप भूमि विकास कर के रूप में, भूमि भवन कर के रूप में, और शराब की दूकानों को नीलाम कर कर के चारों तरफ पैसा अर्जित करना चाहते हैं और इस प्रदेश की जनता को उत्तरोत्तर उस ओर ले जाना चाहते हैं जिससे उसका चरित्र गिरे और गलत रास्ते पर जाय क्या आप अंग्रेजी शराब का नीलाम करके इस देश के लोगों को चरित्र-वान बनायेंगे? अंग्रेजी शराब विलासिता की वस्तु है।

नीलाम के बाद वह विलासिता की वस्तु न रहे तो मैं उसका स्वागत करता। अगर वह विलासिता की वस्त है और नीलाम करने की बीसों ऐसी चीजें पैदा हों जिससे उसमें अडल्ट्रेशन हो, ब्लैक मार्किटिंग हो, स्मगलिंग हो और उनको वैसे रोका जाय यह समस्या पैदा हो, तो मूल रूप में क्यों नहीं सोचते कि इसको हटा दिया जाय ? क्या दिक्कत है आपके सामने ? आप राजस्व की क्षति उठाइये। क्या आपमें हिम्मत नहीं है ?

आप घोषणा कीजिये कि इस प्रदेश में शराब बन्द होगी जब कि इस वर्ष आप स्वाधीनता की रजत-जयन्ती मनाने जा रहे हैं। केवल राजस्व के मोह में नीलाम करने की नीति आपने बना दी है। भले ही नीलाम करने से कुछ राजस्व की प्राप्ति हो सके लेकिन मेरे मन में, प्रदेश की जनता के मन में यह बात उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है कि आप गांधीजी के उसूलों और विचारों से अलग होते जा रहे हैं। आपको उनके उसूलों और विचारों को कुर्बान नहीं करना चाहिये जिनके माध्यम से वह देश का निर्माण करना चाहते थे जिसकी कल्पना उन्होंने रामराज्य के रूप में की थी। वह नहीं रहे, हो सकता है कि वह कल्पना भी चली गयी। क्या इस प्रकार का स्तर होता जाता है कि उसकी कोई गुंजायश आपके मन में न रहे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। उस पर विचार करके देख लीजिये। देश का बल क्या होता है ?

बड़ोनी जी ने कहा कि देश का बल जनमानस होता है। अगर उसका चरित्र शराब पीने से बनता हो तो बोर्ड लगवा दीजिये कि शराब पीने से चरित्र बनेगा। मद्य निषेद्ध के प्रचार में लिखा है —

शराब विष है, शराब पीने से चरित्र गिरता है, पतन होता है, आर्थिक स्तर गिरता है; इसके बड़े-बड़े बोर्ड लगाये जाते हैं। एक बोर्ड मद्य निषेध के नाम पर यह लगा दें और दूसरी आप यह साफ न कहें कि आपकी नीयत क्या है। लगता है कि आपकी दृष्टि साफ नहीं है। आपके सामने स्पष्ट चित्र नहीं है कि आप किस ओर इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। हमारे कानपुर में एक-एक ठेके पर पचास-पचास आदमी जहरीली देशी शराब को पीकर मरे हैं एक-एक दिन में, सरकार का तन्त्र और सरकार की सत्ता कहां थी ? कैसे जहरीली शराब पिला दी ? कहां से जहर आया ? इस प्रकार ठेका दे कर, लाइसेंस देकर जहरीली शराब पिलाने का काम निन्दनीय, घृणास्पद और लज्जाजनक है। आज जो विभाग के लोग नियंत्रण का काम करने वाले हैं पुलिस के लोग आप उनके लिये सेंट्रल इंटेलिजेंस नियुक्त कर दें।

हर ठेकेदार से थानेदार पैसे लेता है और जो ठेकेदार थानेदार को पैसे देगा वह जहर बेचेगा, घटिया शराब बेच कर आदमी को मार देगा। ज्यादा उत्तेजक तथा नशीले पदार्थ मिला कर घटिया चीज बेचेगा और आपके द्वारा लाइसेन्स के अन्तर्गत दी गई बढ़िया चीज नहीं बेचेगा। ठेकेदार यह भी कहता है कि उसको मजबूर किया जाता है कि वह इतना कोटा उठावें, इतनी शराब बेचे। अगर ऐसा कहा जाता है तब तो आप निश्चित रूप से मद्य निषेध के विरोध में हैं। इस नीति से आप, अप्रत्यक्ष रूप से चाहते हैं कि शराब खूब पी जाय और इस देश का चरित्र बल गिर जाय। अगर एक बार चरित्र बल गिर गया तो फिर कैसे बनेगा। हम और आप उसे बनाने में असमर्थ हो जायगे और यह देश ऐसे रास्ते पर चला जायगा जहां हम और आप पश्चाताप करेंगे। यह कहते रहना कि हम प्रयास कर रहे हैं तो वह प्रयास कब तक चलेगा ? ये हल्की बातें सुनने के लिये मैं तैयार नहीं हूं।

[श्री राम कुमार दीक्षित]

बैंक का राष्ट्रीयकरण आपने कर दिया, सीलिंग आप करने जा रहे हैं इसमें तो आपने एकदम से कदम उठा लिया लेकिन मद्य निषेध में अगुवाई क्यों नहीं करते ? एक नमूना आप क्यों नहीं पेश करते कि इस तरह से हम देश का चरित्र बनाना चाहते हैं ? आप अब अंग्रेजी शराब का भी नीलाम करने जा रहे हैं। बजाय बन्द करने के बेचने का जो काम आप करने जा रहे हैं वह गलत है। जब नीलामी होगी तो आदमी रुपया लगायेगा वह घाटे का रोजगार नहीं करेगा। वह ऐसे ढंग अपनायगा जिससे घाटा मुनाफे में परिणित हो जाय भले ही उसका वह कार्य असमाजिक हो, जनहित विरोधी हो, कानून के खिलाफ हो। वह ऐसे काम करेगा जिससे धन अर्जित कर सके। यह नीलाम का तरीका आपकी नीति के विरोध में है। मैं चाहूंगा कि आपकी बुद्धि तथा विवेक जागे और गांधी जी की भावनाओं की ओर आपका ध्यान जाय। इसलिये अच्छा है कि आप इस बिल को प्रवर समिति में भेज दें। वहां पर सब तरह के विचार आपके समक्ष आयेंगे। हो सकता है कि आपके विवेक में यह बात आये कि गांधी जी की जय-जयकार करने वाले लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिये उस रास्ते को उन्हें छोड़ देना चाहिये जिससे देश में प्रगति हो सके, इस देश का नागरिक चरित्रवान बन सके। इसलिये मैं इसका प्रबल विरोध करना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अधिक समय नहीं लूंगा और उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जिसको कि माननीय सदस्य कानपुर ने कहीं। उनके विचार बहुत अच्छे हैं लेकिन मजबूरी यह है कि अच्छे विचार इस सरकार की समझ में नहीं आते। मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि वह बातों को सुनते हैं और समझते हैं लेकिन सरकार की नीति को बदलने में वह असमर्थ हैं। दिल से वह मद्य निषेध के हामी होंगे, अपने दिल के अन्दर वह यह समझते हैं कि मद्य निषेध होना चाहिये लेकिन जिस मंडली में वे फंसे हुये हैं उसी का प्रभाव मुझे लगा। इसलिये जिस मजबूरी के साथ आज वे वहां पर बैठे हुये हैं अच्छा होता यदि वे किसी और विभाग को ले लिये होते। आप भी कहां शराब के अन्दर डूबे हुये हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--

शराब के अन्दर नहीं डूबे हैं, उसके ऊपर हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय नित्यानन्द जी देहरादून की शराब में डूबे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि एक मौलिक सवाल के ऊपर हम लोग विचार करें। आज इस प्रदेश के अन्दर जो आमदनी हमको इससे मिलती है, क्या हम उसको दूसरी तरह से नहीं ले सकते हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो यह कहते हैं कि प्रदेश के रिसोर्सेज बढ़ाने की हिमायत करते हैं कि इनको बढ़ना चाहिये। श्रीमन्, महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे मीन्स जस्टिफाइड होने चाहिये। हमारा मार्ग भी उतना ही पवित्र होना चाहिये जितना कि उद्देश्य पूर्ति हेतु बनाने के लिये होता है। यहां पर महात्मा गांधी का नाम बार-बार लिया जाता है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किन्तु आज महात्मा गांधी के नाम पर दूसरे गांधी के आदर्श याद आते हैं। यदि मैं नाम लूंगा तो आप नाराज हो जायेंगे। उनके नाम पर आज इन्दिरा गांधी के आदर्श आपके सामने हैं..... (कुछ देर रुक कर) श्रीमन्, मैंने कहा था कि नाराज हो जायेंगे। खैर, उनकी अच्छाई बुराई छोड़ दीजिये किन्तु आप यह निश्चित जानिये कि क्या आज वह समय नहीं है जब कि हम दूसरी तरह से अपनी आमदनी को बढ़ायें। केवल यही एक आमदनी का जरिया रह गया है प्रदेश के अन्दर। यदि आप अपनी आमदनी ही खाली बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहां पर वेश्यालय खोल दीजिये, जुये का अड्डा इस प्रदेश को बना दीजिये, आपको बहुत रुपया मिल जायेगा।

गन्दे कामों को करने में अच्छी कमाई हो जाती है। और तब इन विभागों को माननीय स्वामी प्रसाद जी ले लें तो फिर रुपयों की बरसात हो जायगी और लाखों रुपया आप उससे वसूल कर सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में और धार्मिक स्थानों में इस मद्य-निषेध को लागू कर दिया है। मैं आपकी इस बात के लिये सराहना करता हूं साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि आप टेहरी से थोड़ा नीचे उतरकर देहरादून तक आ जांय। यहांपर माननीय गुलाबसिंह जी भी बैठे हुये हैं वे भी चाहते होंगे कि वहां पर उनके क्षेत्र में शराब बन्दी कानून लागू हो। मैं आपसे कहता हूं कि जितने पर्यटक क्षेत्र हैं जहां सारे देश से पर्यटक आते हैं वहां-वहां फिर मद्य-निषेध लागू कर दिया जाय। यह आपका अगला कदम होना चाहिये।

इसी से सम्बन्धित एक और कदम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज जितने उत्तर प्रदेश में शहर हैं कस्बे हैं, गांव हैं, उनसे बराबर यह मांग आ रही है और वह यह है कि घनी आबादी के बीच में ये दुकानें नहीं होनी चाहिये। इस बात को आप सिद्धान्त रूप से स्वीकार करते हैं कि घनी आबादी क बीच, स्कूल, कालेज, मंदिर और मस्जिद यदि हों तो वहां पर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। किन्तु यहां पर यह है कि जब उनको हटाने का मौका आता है तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री जी ब्यूरोक्रेसी के हाथ में अधिकारियों के हाथ में चले जाते हैं। उन लोगों को तो जनता की परवाह नहीं होती है, उनको कोई जवाब नहीं देना पड़ता है, जवाब तो आपको हमको देना पड़ता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन घनी आबादी के इलाकों से दुकानों को हटना चाहिये। लेकिन हम और आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है वह जनता की प्रतिनिधि नहीं है।

अगर इन दुकानों को नहीं हटने देते तो श्रीमन्, देहरादून की मिसाल आपको मालूम है। वहां की ३ दूकानों के लिये वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी सहमत हो गया था कि उनको घनी बस्ती से हटा दिया जायेगा। उसके लिये हमने वहां आन्दोलन किया, शराब की दूकान नीलाम करने वालों को घेर लिया, महिलाओं ने भी घेरा डाला मैं भी स्वयं वहां उपस्थित था और मैंने कहा कि इन दूकानों का नीलाम नहीं होने देंगे तो उस समय ऐडमिनिस्ट्रेशन वालों ने हमसे वादा किया कि इन दूकानों को हटा दिया जायगा और नीलामी की एक शर्त भी लगा दी कि इन दूकानों को यहां से हटा दिया जायेगा, इस शर्त के होते हुए जो नीलाम लेना चाहे वह नीलाम की बोली बोले। श्रीमन्, मैंने इन लोगों की भलमनसाहत पर विश्वास कर लिया लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस वादे को पूरा नहीं किया गया और वे दूकानें उसी तरह से अपनी जगह पर चल रही हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी]

मैं तो कहता हूंकि जो शराब पीने वाले हैं बजाय इसके कि वे घनी बस्तियों में बैठ कर शराब पीयें, उनके लिये ऐसा प्रबन्ध कर दें कि वे शहर से 2 फर्लांग दूर जाकर पी आवें और जहां स्कूल, कालेज हों, मन्दिर, मस्जिद हों, महिलायें रहती हैं, वहां ये दुकानें न रहे। अगर आप इस चीज को नहीं करते हैं तो इस बात को समझ लें कि हर जगह आन्दोलन होगा, लोग मंत्रियों के घरों पर जाकर पिकेटिंग करेंगे। इसलिये आप कृपा करके इन शराब की दुकानों को घनी बस्तियों से हटवा दें।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं और वह यह है कि जब तक आप मद्य निषेध नहीं कर पाते हैं, एक काम तो कर सकते हैं और वह काम यह है कि जैसा अभी कानपुर के माननीय सदस्य ने कहा—वहां विषैली शराब से 40-60 आदमी मर गये और अभी कल परसों की आगरा की खबर है कि वहां 21 आदमी विषैली शराब पीने से मर गये। आखिर शराब उन ठेकों से ही तो मिलती है। उसके अन्दर ठेके वाले मिलावट करते हैं। मुझ मालूम है कि 50 हजार रुपये की शराब उनकी वहां से मिलती है लेकिन 2 लाख रुपये की बिक्री उसे दिखलानी पड़ती है। सोचने की बात है कि आखिर वह आता कहां से है। उसके अन्दर मिलावट करके शराब बेचते हैं। इसके लिये सुझाव के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि अपना एक स्टोर रखें जहां से बन्द बोतलें, आधा, पौवा या जो कुछ होता है, मैं नहीं जानता वहां से बन्द बोतले शराब की मिलें जिनको लोग अपने घरों पर ले जाकर आराम से बैठ कर पीयें लेकिन वहां मुहल्लों के अन्दर गन्दगी न फैलावें। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करें। चाहिये तो यही था कि माननीय मंत्री जी 15 अगस्त को ही पूर्ण मद्यनिषध की घोषणा कर देते लेकिन जब तक पूर्ण मद्यनिषेध न हो तब तक के लिये माननीय मंत्री जी कम से कम इसी बात को स्वीकार कर लें कि घनी बस्तियों से इन दुकानों को हटवा देंगे। आशा है कि माननीय मंत्री जी इस मांग को स्वीकार करेंगे इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं जो श्री रामगोपाल संड जी ने रखा है।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने, जैसा कि अपने शुरू के भाषण में कहा—कि यह नीति जो यह सरकार लायी है तो यह पुरानी सरकार की थी और मैं भी उसमें शामिल था। ऐसी बात नहीं है कि जो वह संशोधन लाये हैं, हम लोग उसके कोई विरोधी है। उसका विरोधी न मैं हूं और न मेरे साथी ही हैं। परन्तु असल बात यह है कि उस वक्त यह मसला था कि इन दुकानों की नीलामी न की जाय और कुछ लोगों को लाइसेंस न दिया जाय। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण रहा है और उनका कोई दूसरा दृष्टिकोण नहीं था। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जब इसको लाये तो पहले भी हमारे सामने था और यह मुश्किल सा लगता था कि यह हाईकोर्ट में जायेगा और रिट होगी। कई साल से मेरा अपना यह ख्याल है और हमेशा मैंने यही कहा कि इस तरह का कानून नहीं बन सकता कि विदेशी शराब की दुकानें ठेके पर नहीं उठायी जा सकतीं। परन्तु पंजाब गवर्नमेंट ने सबसे पहले कदम उठाया और वह कानून लाई। लोग हाई कोर्ट गये लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जीती। मैं मंत्री जी से कहता हूं कि जब इतनी बात मालूम थी कि पंजाब गवर्नमेंट कानून लाई और हाई कोर्ट में केस जीती तो क्या हमारे विधि वेत्ता यह नहीं जानते थे कि हमारे यहां भी यही हालत होगी। मैं कहता

हूं कि अगर सरकार की नीयत साफ होती और सरकार इरादे से कोई ऐसी बात करना चाहती तो यकीनन यह रिट नहीं आता और जो खामियां कानून में रह गई होंगी और हाई कोर्ट का निर्णय सरकार के विरुद्ध हो सकता है क्योंकि जान बूझ कर सोच समझ कर हमारे अधिकारियों ने और सेक्रेटरियों ने ऐस कानून बनाया है जिससे सरकार को दबना पड़े और मुंह की खानी पड़। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों ने इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये दस्तखत किये हैं जिसमें माननीय हिम्मतसिंह जी का नाम लिया। उनके दल के लोग बोल लें क्योंकि वह तो पूर्ण मद्य निषेध के हामी हैं, मैं भी हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार के लिये शायद अभी यह सम्भव न हो कि पूर्ण मद्य निषेध हो जाये। इसके लिये हमें जमनत तैयार करना पड़ेगा ।

श्रीमन्, जो संशोधन है वह हाई कोर्ट में पड़ा है और यह लागू नहीं हो पायेगा। अगर आप इसको पास भी कर लें तब भी लागू नहीं कर सकते हैं। जब तक हाई कोर्ट का निर्णय न हो जाव तब तक कोई ठेका नहीं उठ सकता और किसी की नीलामी नहीं होती है। इसलिये जो प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव आया है, उसका बड़ा औचित्य है। जनता से मालूम हो जाये कि वह मद्य निषेध चाहती है या शराब पीना चाहती है। इस नीयत से यह लाया गया था। हमने समर्थन किया था और आज विरोध कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम आज भी इसके समर्थक हैं और पहले भी थे। लेकिन हम समझते हैं कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी आना जरूरी है। मैं समझता हूं कि मौजूदा संशोधन के आधार पर जब तक निर्णय हो तब तक जनता में उसके जनमत के लिये भेज दें या प्रवर समिति में भेज दें जिसमें भिन्न-भिन्न पार्टी के लोग होंगे और वह इसके सभी पहलुओं पर विचार कर सकेंगे कि हमारे प्रदेश का क्या मार्ग है और कहां तक हम सफल हो सकते हैं। इससे सरकार की नीयत का भी पता चल जायगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक आया है इस पर सरकार का कोई आदमी नहीं बोला है इससे मालूम होता है कि सरकार नहीं चाहती है कि मद्य निषेध हो। कांग्रेस के जो पुराने क्रियाशील मेम्बर होते थे उनके लिये प्राविधान था कि वे खादी पहनेंगे और शराब नहीं पीयेंगे। लेकिन मौजूदा कांग्रेस के मम्बरों के लिये छूट कर दी है कि चाहे कोई खादी न पहने और शराब पिये तो भी क्रियाशील मम्बर हो सकता है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आप के यहां जो सदस्य बनते हैं तो उनके लिये यह लिखा होता है कि वे शराब नहीं पियेंगे।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

घोषणापत्र में नहीं है लेकिन इंदिरा बयान था जो खादी के बारे में था।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आपकी पार्टी बी० के० डी० में जो सदस्य बनते हैं तो उसमें ऐसा प्रतिबंध है कि जो शराब पियेगा वह मेम्बर नहीं हो सकता।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

उसमें है कि जो व्यक्ति आदतन शराब पीयेगा वह मेम्बर नहीं हो सकता। मोहब्बत आप को शराब से होगी हमें तो वह है नहीं और न हम ऐसा समझते हैं कि ऐसी बुरी चीज से किसी को मोहब्बत होना चाहिये क्योंकि यदि कोई समझता हो कि इस शराब से कोई जेनरेशन या संतति

[श्री त्रिलोक चन्द]

बनने वाली है तो ऐसी बात नहीं है वह तो उससे और बिगड़ेगी, वह एक बुरी चीज है, एक बुरी लत है जिससे देश और प्रदेश का गरीब तबका तबाह हो रहा है और उसके कुफल को भोग रहा है। बड़ लोग भी पीते हैं लेकिन उनके पास पैसा है वह पीते हैं लेकिन छोटे लोगों को लत पड़ जाने पर वह नहीं मिलती तो वे स्प्रिट पीते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य गिरता है।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को वह प्रवर समिति में जाने दें या जनमत संग्रह के लिये भिजवा दें, तब तक इस पर हाईकोर्ट का निर्णय भी आ जायगा और उन को इसे लागू करने में भी कोई दिक्कत न होगी। यदि आप इस पर जनता की भावना को नहीं जानना चाहते तो हम समझेंगे कि आप को ही इससे मोह है। जनता चाहती है कि कोटे परमिट की व्यवस्था समाप्त हो क्योंकि इस से राज्य में भ्रष्टाचार फैलता है। ऐसा दिखाई देता है कि आप इसको हाईकोर्ट के माध्यम से लटकाना चाहते हैं ताकि पूंजीपति जो लाइसेंस होल्डर हैं वह आप से भयभीत रहे कि सरकार क्या न कर दे और इसलिये सरकार की बात का समर्थन करना उनके लिये बड़ा जरूरी हो जाता है। आप जिस काम को कराना चाहते हैं उसको आप इसलिये नहीं कराना चाहते हैं कि इससे जनहित का भला होगा। आप केवल अपने दल का और अपना भला ही चाहते हैं, जहां तक मंत्री जी की बात है वह बिलकुल निर्दोष हैं लेकिन बहुत से हमारे साथी शायद पीते हों बात अलग है लेकिन जनभावना की कद्र कर के इसे प्रवर समिति में या जनभावना जानने के लिये जरूर भेजना चाहिये ताकि आम जन्ता की राय का पता लग सके। इतना ही मुझे निवेदन करना था।

*श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, उपाध्यक्ष जी, पिछले 25 साल की सरकारों ने और उनकी फिजूल-खर्ची ने इस सूबे के राज्यकोष को निरन्तर सुखाया है और इसीलिये आजादी के समय में पूर्ण मद्य निषेध का जो संकल्प था वह बराबर बदलता रहा है। पूर्ण मद्यनिषेध से आंशिक मद्य-निषेध आंशिक मद्य-निषेध से क्रमिक मद्य-निषेध और अब तो खाली जबान से मद्य-निषेध है और वैसे खूब शराब बिकवाइये और पैसा दिलवाइये। सूखते हुये राज्यकोष के लिये सरकार बराबर स्रोत तलाश करती रहती है कि उसे कोई स्रोत मिले। यह कानून भी उसी का परिणाम है। इसके द्वारा भी सरकार ने अपनी आय बढ़ाने की कोशिश की है लेकिन मैं शुरू में ही आप का ध्यान इसी कानून में जो पेश किया गया है, उस चीज की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस में छपा है कि एडल्ट्रेशन या आमेंजिस होकर रहेगी उसको कोई रोक नहीं सकता। आप यह सब देखेंगे इस कानून में कि एक तरफ जो अंग्रेजी शराब की दुकानों का प्राविधान किया गया है वहीं पर दूसरी ओर जो बार हैं या होटल में जो अंग्रेजी शराब चलती है उसको इससे मुक्त कर दिया गया है। तो जो कानून मन्त्री जी ने पेश किया है इसमें यह चीज मौजूद है। जो आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो जो रेस्टोरेंट हैं या बार हैं, या होटल में जहां आप शराब पीने के लाइसेन्स दे रहे हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। जब उन पर यह कानून लागू नहीं होगा तो नीलाम से जो कीमत आती है वह उन्हें नहीं देनी पड़ेगी। पहले से जो कमीशन वे देते रहे हैं, वही देते रहेंगे। लेकिन जो दुकानों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की नीलामी से या जो आपकी ड्यूटी वगैरह हैं, वे भी अगर इनको देनी पड़ेगी दोनों में ऐसा कम्पटीशन होगा कि उनके मुकाबले में ठहरना मुश्किल होगा और उन्हें अवैध तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को भेज दिया जाय जिसमें इसकी पूरी सम्पूर्णता पर विचार हो सके और इसका कोई अच्छा रूप अपना सकें और उसको यह सदन पास करे तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। मैं समझता हूं कि आपका ध्यान इस तरफ पूरी तरह से नहीं गया।

इस डिबेट में हिस्सा लेने का भी मेरा इरादा यह है कि उसकी ओर आपका ध्यान खींच सकूं। आप समझते हैं कि अगर आपका कोई अधिकारी बेईमान है तो उसके कारण एडल्ट्रेशन जैसी बातें होती हैं लेकिन आपके ध्यान में यह बात नहीं आती कि सरकार की निश्चित नीति को बढ़ावा देने से कि किसी तरह से विभाग से या शराब की बिक्री से सरकार की आमदनी बढ़े, ये सब बातें होती हैं। नतीजा क्या होता है कि जो वास्तविक मूल्य दुकानों का होता है, उससे कहीं ज्यादा मूल्यों पर से इन दुकानों का नीलाम होता रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि आसानी से इस देश में लोगों को धन्धा या रोजगार नहीं मिलता है और जो आदमी किसी काम में लगा हुआ होता है, वह उसी को करने का प्रयास करता है भले ही वह अपनी गृहस्थी को बरबाद करता हो। तो फिर नाजायज धन्धे होने लगते हैं और यह सरकार की नीति का ही परिणाम है, किसी सरकारी कर्मचारी की बेईमानी का परिणाम नहीं है।

अंग्रेजों के वक्त में कमीशन सिस्टम था। उस समय नीलाम की प्रथा नहीं थी तो जिसको कमीशन के बेसिस पर दुकान मिली हो, वह हिम्मत नहीं कर सकता था कि उसमें किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन कर सके। आपके विभाग की तलवार उसके ऊपर लटकती रहती थी और वह भी सोचता था कि जो रोजगार हम को मिला हुआ है, वह भी समाप्त हो जायगा। लेकिन जब से यह नीति आयी है, जिसके जरिये से आमदनी बढ़ती है, तब से एडल्ट्रेशन होता रहा है। आपके ही वक्त में कम से कम जहरीली शराब से एक हजार आदमी मरे होंगे और अभी कल की खबर है कि आगरा में जहरीली शराब पीकर लोगों की मृत्यु हुयी है। कोई भी बड़ा आदमी, जिसकी नीति के कारण 1 हजार आदमी मर जायं, अगर उसे हया होती तो यह सोच कर कि यह विभाग हमारे लायक नहीं है किसी दूसरे को सौंप देता जो उसके लायक होता।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

क्या आप लेने को तैयार हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

आप तो हमारे साथ आते ही नहीं। तो यह हुआ कि एक हजार लोगों की जानें गयीं तो यह किस चीज का परिणाम है। जब तक आपकी यह नीति रहेगी, तब तक लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। इस सरकार ने पता नहीं कि कब-कब फैसले किये हैं। अब इन्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन के जरिये से एक फैसला किया यहां कि चरस और अफीम की बिक्री बन्द कर दी जाय। बहुत अच्छी बात है कि इनकी बिक्री बन्द होनी चाहिये, लेकिन उसी के साथ-साथ आपने अफीम की काश्त की भी इजाजत दे दी। अंग्रेजों के वक्त में जब कांग्रेस की नीति मद्य-निषेध की सर्वोपरि थी तो उस वक्त एक बात यह भी थी कि अफीम की काश्त

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

को बन्द किया जाय लेकिन अफीम की काश्त बन्द नहीं हुई। नतीजा क्या हुआ है कि चाहे चरस हो—चाहे अफीम हो— सरकारी आमदनी को तो आपने मार दिया और उसके बजाय अवैध धन्धा खड़ा कर दिया है। आप चाहें जहां चले जायं, चाहे काश्तकार हो, चाहे स्मगलर हो, सब के सब इस धन्धे में लगे हैं। चाहे पुलिस की मशीनरी हो, चाहे एक्साइज की मशीनरी हो, चाहे ओपियम प्रिवेन्टिव सैल हो, इसको कोई रोक नहीं पाता है। मान्यवर, जब सन् 1967 में हुकूमत बनी थी तो भी उन लोगों से जो अधिकारी थे कहा था कि जो भांग की दुकानें दे रक्खी हैं, नाजायज अफीम और नाजायज गांजा जो सब बिक रहा है, इसको क्यों नहीं रोकते। अगर इसमें सख्ती से मान्यवर, रोक की जाय तो जो राजस्व प्राप्ति होती है वह एक तिहाई भी नहीं रह जायेगी यह इनकी मजबूरी है।

जितने अवैध काम हो रहे हैं, जितनी स्मगलिंग चल रही है इसमें प्रत्यक्ष रूप से सरकार का हाथ भी शामिल है। इस पर आपका ध्यान जाना चाहिये। अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें बन्द हों, तो सरकार को निश्चय लेना पड़ेगा कि हम अपनी आमदनी के हाथ धोयेंगे या नहीं धोयेंगे। अगर आप हाथ धोना चाहते हैं तो निश्चय कर लें क्योंकि जो आपके विभाग को मिलता रहेगा, सरकार को मिलता रहेगा वह सब जाता रहेगा और सरकार के रोके यह मामला रुकेगा नहीं। अगर आप समझते हैं कि यह रुकेगा नहीं तो यह बेवकूफी का काम हुआ कि राजस्व भी मारा गया और नाजायज धन्धों को भी बन्द कर दिया। यह आपके पहले लोगों से हो चुका है और उसको आप कान्टीन्यू कर रहे हैं।

आप इसको रोकना चाहते हैं या नहीं रोकना चाहते हैं। अगर रोकना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि सरकार अपनी नियत में साफ हो जाय, जुबान से कुछ कहेगी और कानून कुछ बनायेगी इससे मामला दुरुस्त होने वाला नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपके बस का यह काम नहीं रह गया है। उसका कारण है। इसलिये कि जो नौकरशाही का काम है उसको सरकार ने अपने ऊपर ओढ़ लिया है। गवर्नमेंट का काम होता है कि वह अपनी निश्चित नीति निर्धारित कर ले फिर उसके बाद नौकरशाही का काम होता है कि वह अमल दरामद करे। कहीं अगर त्रुटि पाये तो त्रुटि करने वाले अधिकारी को पकड़ कर खींचे, सजा दें। यह देखना होता है कि नियम न टूटे, नीति न टूटे। जो नीति हो वही चलती रहे। मैं यह मानता हूं मान्यवर, कि किसी भी मन्त्री की क्षमता की यह पराकाष्ठा है कि वह खुद अपने कर्मचारियों के स्थानान्तरण की लिस्ट बनाने लगता है। और वह इस दफे हुआ है। जो पहला आदेश 24 जून को जारी हुआ है उस आदेश में लिखा हुआ है कि जहां पहले कमिश्नर काम करता था वहां लिखा हुआ है कि वह काम उत्तर प्रदेश शासन ने किया मैं समझ सकता था, मैं आपकी दलील भी मान सकता हूं कि ट्रान्सफर्स में नीचे के अधिकारी या विभागीय अधिकारी गड़बड़ी कर सकते हैं। उसमें आप भी चलते हैं, वे भी चलते हैं। अगर आपने अपने स्तर में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाया होता तब भी आप बधाई के पात्र होते।

मान्यवर, मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि इसके चलते हुये आपका फिर कोई समय मिल पाता है। मैंने सेक्रेटेरियट में मान्यवर, आप मौजूद थे मैंने मुख्य मन्त्री से कहा था कि सेक्रेटेरियेट का जो विधायक निवास है, विधायक बिचारा शासन से अपना काम नहीं करा

पाता, उनकी नींद हराम है। वे नित्यप्रति का काम भी नहीं कर पाते हैं। वे बीमार हैं। जहां पर सरकारी कर्मचारी दो एक लोगों को और ले एम० एल० ए० का गला काट डालते हैं कि यह ट्रान्सफर करा डालो, यह ट्रान्सफर करा डालो। इसलिये ट्रान्सफर्स गवर्नमेंट का काम नहीं है। आप सख्ती से कह सकते हैं कि यह नई नीति बन गई है इसमें कोई फर्क नहीं किया जायेगा। जब तक कि कोई कान्विन्स न कर दे कि यह नीति खराब है। मैं आपके सामने उदाहरण पेश करना चाहता हूं और चाहता हूं कि सरकार पता लगाये कि यह चीज कैसे हो रही है। एक इन्सपेक्टर श्री जटाशंकर सिंह बस्ती में तैनात थे। इनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था कि इनका ट्रान्सफर हो गया। उसके पीछे बैक ग्राउन्ड यह है कि दिनांक 9 मई, 1970 को उन्होंने पूरे एक बैगन शीरा को पकड़ा जो वहां की मिल नाजायज तरीके से बाहर भेज दिया करती थी। उसमें कई मुलजिम हैं और इस मिल के खिलाफ पहले भी ३ केसेज पेंडिंग हैं जिनमें सरकार की ड्यूटी का मामला इन्वाल्व है। जब से घटना घटी है तब से मिल के समर्थक बराबर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ही यह इन्सपेक्टर यहां के हटे, क्योंकि जब तक यह नहीं हटेगा उनके विचार में मिल का कल्याण नहीं हो सकता। नतीजा यह है कि उस प्रेशर में इसका ट्रान्सफर हो गया।

उसी तरह से एक श्री एस० एन० चौरसिया हैं। यह कानपुर के गोदाम में थे और शायद आपने मुअत्तल किया था। इनको सजा भी मिली और इनके इन्क्रीमेंट रोक दिये गये, लेकिन उसके बाद जिस तरह के काम में इनको सजा मिली उसी तरह के काम में इनको फिर से तैनात कर दिया गया।

तीसरे नम्बर पर हैं श्री राम स्वरूप पटेल। जब जहरीली शराब से लोग मरे थे, उस सिलसिले में इनको मुअत्तल किया गया था, लेकिन अब उनको प्राइज पोस्ट मिल गई है। वह बुलन्दशहर सिटी के इन्चार्ज हो गये हैं।

नम्बर चार यह है कि श्री हीरा लाल शर्मा। इनके बारे में मन्त्री जी को याद दिला दूं कि मन्त्री जी ने खुद इनको पकड़ा था। इनके खिलाफ यह चार्ज था कि इन्होंने नाजायज ढंग से वहां से शराब निकालने दिया जिससे सरकार की ड्यूटी की क्षति हुई। अभी इनको मुअत्तिल हुये 6 महीने भी नहीं हुये हैं, इनकी हापुड़ में पोस्टिंग हो गई। यह सर्किल ऐसे हैं जिन्हें एक्साइज विभाग में प्राइज पोस्ट मानी जाती है।

एक हैं श्रीकृष्ण कुमार श्रीवास्तव। यह बांदा सिटी में 8 महीने रहे। शिकायतों के कारण इनको मुख्यालय इलाहाबाद भेज दिया गया। उस तैनाती के फौरन बाद इस साल पहले आजमगढ़ सिटी में तैनात किया गया, फिर लखनऊ सेक्टर नम्बर 3 में तैनात किया गया और अब इलाहाबाद के सेक्टर नम्बर 1 में तैनात हैं। एक तरफ शिकायतों के कारण हटाया जाता है और दूसरी तरफ अच्छे सर्किल में तैनाती कर दी जाती है। आप एक बार चार्ट बनाते हैं, उसके बाद तीन-तीन बार उसमें तरमीम की जाती है—आजमगढ़, लखनऊ और फिर इलाहाबाद।

एक हैं श्री टी० बी० सिंह। इनका कार्यकाल आजमगढ़ में पूरा हो चुका और इनके तबादले के आर्डर भी हो चुके। आप शायद यह जानते न होंगे कि पूर्वी जिले में शायद यह सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है। पता नहीं क्यों, आपके आदेशों में तरमीम हुये होंगे और उनको केवल एक साल के लिये फिर रोक दिया गया। एक साल तक तो उसको कोई

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

छू नहीं सकता। आप मुकाबला करें पहले केस से श्री जटाशंकर वाले से। एक का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ उसका ट्रान्सफर हो गया और दूसरे का कार्यकाल पूरा हो गया उसको एक साल और स्टे मिल गया।

मान्यवर, एक-आध और रह गये हैं। श्री सी० बी० सिंह, लखनऊ में देहाती क्षेत्र में तैनात थे। उनका सेवा काल केवल 10 साल का है। आपके विभाग में ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनकी 25-26 साल की सेवायें हैं और उनका सर्विस रिकार्ड इज ऐज क्लीन एज ए काऊ। उनके काम के लिये मेरिटोरियस एवार्ड भी मिले हैं। वे बेचारे इधर-उधर मारे-मारें धूम रहे हैं और 10 साल की सर्विस वालों के ऊपर आपकी नजरें इनायत हो गई हैं। अगर पक्षपात की नीति न बरती गई होती तो ऐसी बात न होती। इसके पहले वे सीतापुर में थे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

क्या नाम है उनका?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्री सी० बी० सिंह। एक दफा तैनाती की और फिर बदली। क्या इससे पक्षपात को बढ़ावा नहीं मिल रहा है? आप सच मान लीजिए कि वे रहेंगे देहात में जिनका सेवा काल 25-26 साल का है, जो अच्छे भले हैं और जिन्हें मेरिटोरियस एवार्ड मिले हैं तथा जिनका सेवा रिकार्ड अच्छा है। अगर मैं या आप उनकी जगह पर हों, तो क्या हमारे दिल पर चोट नहीं लगेगी। उनके दिल पर जरूर चोट लगती है। वे सोचते हैं कि उनकी कितनी बेइज्जती हो रही है। क्या हालत हो गई है? कल के लड़के जिनका सर्विस रिकार्ड खराब है और जिनमें किसी-किसी को आपने पकड़ा भी है अच्छी जगह पा रहे हैं और अच्छे-अच्छे सीनियर लोग अपने को उनके बीच में पाते हैं। क्या यह उनका अनादर नहीं है? वे सोचते जरूर हैं कि उनसे कोई गलती हुई है इसीलिये उनकी यह बेईज्जती की गई है। फिर उनके काम में उनका मन नहीं लगेगा। मैं पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसे ट्रान्सफर जन-हित में नहीं हैं।

श्री ताहिर अली खां साहब को मुरादाबाद गांजा स्कवाड में ट्रान्सफर किया गया। उनके बारे में अजीब किस्सा बताया जाता है। किसी दिन वे आपके ही घर पर पहुंच गये और पकड़ लिये आपके पांव। उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं आपके पांव हुजूर चाहे जो कर लीजिये। वे घन्टों आपके पैर पकड़े रहे। हुजूर आखिर मेहरबान हो ही जाते हैं। मुरादाबाद गांजा स्क्वाड से हट कर अब उन्हें बरेली सेक्टर मिल गया है।

एक साहबान हैं श्री के० एस० बिसारिया। एक साल पहले आपके बगल में बैठे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने उन्हें इलाहाबाद गोदाम से सिंथेटिक रबड़ फैक्टरी बरेली में भेजा था। अब इन्हें कानपुर में सेक्टर 2 मिल गया है। तो मैंने आपका भी उदाहरण दिया और आपके डिप्टी मिनिस्टर साहब का भी।

श्री उपाध्यक्ष—

सूची लम्बी हो तो दे दीजिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

एक आखिरी रह गया है। श्री मुरली मनोहर को वाराणसी से गोला गोकरन नाथ भेज दिया गया है ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

ये जानकारी दे रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

फिर तरमीम करके उन्हें देवरिया में तैनात कर दिया गया है। यह सारा विवरण देने का मतलब यह था कि आप कोई पालिसी नहीं बना सके जो कि मिनिस्टर का काम है। आप यह करते कि जो 3 साल या 2 साल से कम एक जगह पर तैनात हैं उनका ट्रांसफर नहीं किया जायगा सिवाय ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर्स के। जो मैरिटोरियस रिकार्ड वाले हैं उनको ये--जगह दे दी जायेंगी और उसके बाद धीरे-धीरे उनको वे जगह दी जातीं। उसका नतीजा यह होता कि हर आदमी निश्चिन्त हो जाता कि उसे किस वक्त किस जगह जाना है। आपके ऊपर कहीं कोई दबाव न होता। आप ऐसा करते जैसा कि हाई कोर्ट में होता है। हाई कोर्ट सबार्डिनेट जजेज से उनकी च्वाइस मांग लेती है एक, दो, तीन करके कि वे किस-किस जगह अपना ट्रांसफर चाहते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि फिर किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलता है। कर्मचारी अपनी पसन्द की जगह चला जाता है। तो यह काम आपका था लेकिन आपने तो उस काम को अपने सिर पर ओढ़ लिया जो काम आपके कमिश्नर का था। खाली नुकताचीनी की गरज से नहीं बल्कि सलाह के तौर पर आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो गड़बड़ी आपके हेडक्वार्टर पर थी वह अब आपके सेक्रेटेरियट में चली आयी है। आज आपको बहुत से आदमी मिल जावेंगे जो यह चर्चा करते हैं कि अब कोई फाइल यहां से बिना पैसे के मूव ही नहीं कर सकती।

आपका परसनल स्टाफ भी भ्रष्ट हो गया है चाहे उसे आप जानते हो या न जानते हों। इससे दो नतीजे निकलते हैं और मैं उन लोगों में से हूं जिसकी राय यह थी कि इस मंत्रीमन्डल में आप साफ आदमी हैं। लेकिन खाली साफ होना ही काफी नहीं है बल्कि सक्षम भी होना आवश्यक है जिससे आप की नीति ठीक से चल सके। लेकिन अब कोई क्या नतीजा निकाले। आपके खिलाफ पैम्फलेट्स भी छापे गये हैं तमाम आपकी ईमानदारी के बावजूद और अगर कोई भी आदमी जो आपको न जानता हो आखिर उससे क्या नतीजा निकालेगा। यही, कि इन गड़बड़ियों में मन्त्री जी का हाथ जरूर शामिल है और मान लो कि आपका हाथ शामिल नहीं था तो फिर दूसरा नतीजा यह निकलेगा कि आप इतने अक्षम हैं कि आपका जो परसनल स्टाफ है और आपके जो दूसरे सबार्डिनेट्स हैं उन पर आपका कोई नियन्त्रण नहीं है। गड़बड़ियां बराबर चलती रहती हैं, मेरे पास निश्चित प्रूफ हैं और सदन में मैं उनको इसलिये नहीं कहना चाहता कि यह वाशिंग आफ दि डर्टी लिनेन है लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो निश्चित सबूत है मेरे पास, मैं आपको बता दूंगा कि किसने-किसने कितना-कितना पैसा लिया है अब की दफा जब आपने ट्रान्सफर्स किये हैं तब। लेकिन संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि यह काम ओढ़ लिया आपने अपने ऊपर जो आपका काम नहीं था फिर क्या नीति बनाने के लिये आपको मौका मिलेगा। आप कब सोचेंगे, कब पढ़ेंगे और कब मसलों पर विचार करेंगे क्योंकि आपको

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

इन चीजों से ही फुरसत नहीं मिलेगी, जब हम लोगों को मौका नहीं मिलता है तो फिर आपको कैसे मौका मिलेगा।

नतीजा क्या होगा कि आपकी ईमानदारी और मेहनत के बावजूद आपका विभाग इस तरह से सड़ता चला जायेगा और फिर जो हेड आफ दि डिपार्टमेंट होगा, मान लीजिये कि कमिश्नर है तो क्या मुहकमा उसकी डिसिप्लिन के अन्दर चलेगा। जब आपने अपने कामों से अपने कमिश्नर को कमजोर बना लिया तब आप अपने विभाग पर नियन्त्रण नहीं रख सकेंगे आपका सारा रोब, आपका सारा आदर खत्म हो जावेगा और आज ही लोग कहने लगे हैं कि जिनके पुल्स और पुश हैं, जो दबाव डाल सकते हैं वे बेईमान होते हुये भी, पकड़े जाने के बावजूद भी अच्छी जगह पा सकते हैं लेकिन जिसके पास पुल्स तथा पुश नहीं है वे अच्छे रिकर्ड्स के बावजूद भी सडाये जांयगे, यह धारणा बन गयी है और खतरनाक है। अगर आपके सबार्डिनेट्स में यह भावना बन जायगी तो आप कामयाबी नहीं पा सकेंगे। आप अगर उनका विश्वास नहीं हासिल कर पाते और यह नहीं सीख पाते कि कैसे काम हैंडिल किया जाता है तब कोई हित होने वाला नहीं है, कोई सुधार होने वाला नहीं है चाहे आप जो करें। आप इस चीज के ऊपर ध्यान दें।

जहां तक बिल की बात है मैंने शुरू में ही कहा कि इसके अन्दर इसके आ जाने से एडल्ट्रेशन की गुंजायश है और इसलिये इसको प्रवर समिति में जाने दीजिये। आप यह कहेंगे शायद कि संविद् सरकार थी। उसमें मैं भी एक हकीर सदस्य था, उसका एक अदना मेम्बर था। और वह सरकार भी तो यही चाहती थी। मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम मेरे जैसा आदमी शरारतन इसको चाहता था और शरारतन इसलिये चाहता था कि जब यह देशी शराब पीने वाले कुछ लोग हैं जो इक्केवाले हैं, रिक्शे वाले हैं, चमार हैं, मेहतर हैं और बड़ी छोटी मीन्स वाले लोग हैं तो यह जो बीच के लोगों की दुर्दशा हो रही है तो थोड़ा सरकार के जो बड़े अफसर हैं, उद्योगपति हैं और राजनीतिज्ञ हैं, उनको भी खराब शराब को, जहरीली शराब को मिलने दें, शायद इससे कुछ नतीजा निकल आये। इसमें कुछ सुधार आये। आज इसलिये जब यह कानून आयेगा तो इसी शरारत के कारण उसका समर्थन करूंगा। तो आप इन सारी चीजों पर ध्यान द, इनको सुधारें। जो डिपार्टमेंट की बात कही गयी, उसको सुधारें, जो नीति है, उसको भी सुधारें और गम्भीर चिन्तन करें, मंत्रि मण्डल की बैठक करायें और इन तमाम बातों पर गम्भीर चिन्तन करें। क्या हम पिसते ही चले जायेंगे। सरकार भी मजबूर है, अफसर भी मजबूर हैं और अन्य लोग भी मजबूर हैं। उसके लिये आपको कोई न कोई तरीका निकालना ही पड़ेगा। जैसा कि अभी दीक्षित जी ने कहा कि एक दिन या दो दिन बंद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे तो जो अभी तक इसपेक्टर खाली लूट रहा था, उसमें पुलिस का आदमी भी शामिल हो जाता है। इन सब बातों पर गम्भीर चिन्तन करें, सेमीनार करायें, लोगों की बहस करायें और राय मालूम करें। गांधी जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान जैसे गरम और गरीब देश में शराब पीने की गुन्जाइश ही नही है। यह गुन्जाइश आज भी नहीं है। आज भी हमारा देश गरीब है, गरम है, भले ही वह पीढ़ी बदल गयीहो और आपकी तरफ बैठने वालों में से कुछ लोग पीने लगे हों। इसलिये गांधी जी की इच्छा

के मुताबिक इस कानून को बनाइये। उस इच्छा को व्यक्त किया गया है, संविधान के 47 वें अनुच्छेद में जिसे मैं पढ़े देता हूं:—

"47—राज्य अपने लोगों को आहारपुष्ट—तल और जीवन स्तर को ऊंचा करन तथा लोक-व्यवस्था के सुधारने को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में से मानेगी तथा विशेषतय: मादक—पेयो और स्वास्थ्य के लिये हानिकर औषधियों क औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिशेष करने का प्रयास करेगी।"

तो इन चीजों को अगर आप अपना मार्ग-दर्शक बनायेंगे तो अच्छा नतीजा निकलेगा। इन शब्दों के साथ इस बिल को प्रवर समिति को भेजने का जो प्रस्ताव आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री बसन्त लाल शर्मा—

श्रीमन्, सरकार की ओर से कोई बोलने खड़ा नहीं हुआ केवल मैनेजर सिंह के अलावा, जिनको आपने बोलने का मौका नहीं दिया ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसके कारण का तो मुझको पता नहीं।

*श्री राम विलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया।

मैं नयी बात, मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि शराब न आप पीते हैं, न इस सदन के माननीय सदस्य पीते हैं, न सचिव विधान सभा पीते हैं और मैं नहीं समझ पाता कि हम नया विधेयक लाकर जहां देशी शराब पिला रहे हैं इस देश की भोली भाली जनता को वहां विदेशी शराब पिलाने का हम एक विधेयक पास करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं शराब से इस गरीब मल्क के गरीब बजट को पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन नैतिकता के आधार पर.....

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, पांडेयजी अपने बारे में तो कह सकते हैं, लेकिन बाकी और लोगों के बारे में कैसे कह सकते हैं।

श्री कन्हैया लाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, यह पीने वालों का अपमान है।

श्री राम बिलास पांडेय—

श्रीमन्, इनकी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने यह पास किया है कि जो शराब पियेंगे वह भी कांग्रेस में रहेंगे और जो खद्दर नहीं पहनेंगे वह भी रह सकेंगे। इसलिये ये लोग ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन जिन महत्मा गांधी की यह दुहाई देते हैं वह नहीं चाहते थे कि इस देश के लोग शराब पियें, मदिरा में मदमस्त रहें। लेकिन आज थाने पर जो सिपाही तैनात है जो हमारी सुरक्षा की गारन्टी लिए हैं, वह शराब और तारी की दुकानों पर मदमस्त होकर झूमता रहता है। उसे परवाह नहीं कि बगल में क्या हो रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामविलास पांडेय]

मान्यवर, यह संशोधन क्या यह पूरा बिल ही प्रवर समिति को दे दिया जाय कि यह शराब रहे या न रहे। मान्यवर, उड़ीसा में, गुजरात में मोरार जी देसाई ने शराब बन्द की थी लेकिन इन लोगों की सरकार आयी तो फिर शराब शुरू हो गयी। मैं नहीं चाहता कि अनैतिकता के आधार पर हम पैसा इकट्ठा करें। यह चीज ठीक नहीं है। अगर पैसे के लिहाज पर ही हम वेश्यालय हर जगह खोल दें और वेश्यावृत्ति से जगह-जगह पैसा इकट्ठा करके, बजट में पैसा प्राप्त कर करके देश का उत्थान करना चाहें, तो उस पैसे से देश का उत्थान होने वाला नहीं है ।

इसलिये मान्यवर, मैं इस संशोधन का ही नहीं बल्कि मूल बिल का ही विरोधी हूं और और मेरा निवेदन है कि सदन इस पर गम्भीरता से विचार करे और माननीय मंत्री जी मेरे विचार से सहमत होंगे क्योंकि वह ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति हैं, वह पीते नहीं है।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, प्रस्तुत विधेयक के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने मद्यनिषेध की जोरदार वकालत की है। जैसा कि हमारे जायसवाल जी ने कहा, हमारे संविधान में राज्यों के नीति निदेशक तत्वों में स्पष्ट व्यवस्था है कि राज्य मद्य निषेध सम्बन्धी कानून बनायेंगे और इस देश में पूर्णतः मद्य निषेध लागू होगा। श्रीमन्, इस देश का दुर्भाग्य ही कहा जाय कि आज स्वतंत्रता के 25 वर्ष बाद भी देश में मद्य निषेध की बात ही सुनने में नहीं मिलती है और जो बात कुछ होती भी है वह केवल मुंह तक ही है, हृदय से आज कोई भी दल इस बात को दृढ़ता से मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस देश में मद्य निषेध को किया ही जाय। यों भाषण देने के लिये जब मंच पर नेता लोग जाते हैं, इस आदरणीय सदन में जब माननीय सदस्य खड़े होते हैं, तो मद्य निषेध की वकालत करते हैं, किन्तु जब उन्हें अवसर मिलता है इन बातों को कार्य रूप में परिणत करने का परन्तु वह अपनी बात को कार्यान्वित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाते हैं ।

इस प्रदेश में विभिन्न पार्टियों की सरकारों ने 6 महीने या साल भर काम किया परन्तु बदकिस्मती से इस तरह का कानून किसी ने भी पास कराने की चेष्टा नहीं की। किसी पार्टी की सरकार ने इस प्रकार का कोई कानून पास नहीं करवाया कि इस प्रदेश में पूर्णरूपेण नशाबन्दी हो जाय। आन्ध्र, तामिलनाडु आदि में नशाबन्दी की योजना लगाई गई परन्तु बदकिस्मती है कि वहां पर भी नशाबन्दी की योजना को समाप्त किया जा रहा है। वहां पर खुले आम शराबघरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं तो इसको देश का दुर्भाग्य ही मानता हूं। ऐसी हालत में शराबघर बन्द हों तो कैसे ? जिस देश के नौकरशाही अधिकारी आधे से अधिक शराबखोर हैं, विधायक शराबखोर हैं उस देश में शराबखोरी बन्द कैसे होगी ? बल्कि यह तो बढ़ रही है। चाहे देश और समाज का पतन हो जाय। जहां तक कि प्रस्तुत विधेयक का सम्बन्ध है यह कहा जाता है कि जहां तक कि विदेशी शराब की नीलामी के प्रबन्ध की बात है मैं इस प्रकार का कथन और समर्थन करता रहा हूं कि इस पर अंकुश लगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देशी शराब की नीलामी होती है जिस शराब को हमारा गरीब तबका पीता है, रिक्शेवाले पीते हैं, मजदूर पीते हैं। ऐसी शराब के बेचने के लिये जो व्यवस्था है वही व्यवस्था विदेशी शराब की भी हो जाय जिसको हमारे नेता या अधिकारी पीते हैं। शराब पीनेवालों में जैसे छोटे लोग हैं वैसे ही बड़े लोग भी हैं। जैसे छोटे लोग मरते हैं उसी तरह से बड़े लोग भी मरें। जब रिक्शा चलानेवाला और मजदूर देशी शराब को पीकर मरता है उसी तरह से विदेशी शराब को पीकर बड़े लोग भी मरें। नेता मरें और अधिकारी मरें। ऐसी स्थिति में शायद कुछ अच्छी व्यवस्था हो जाय। इसलिये मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं मंत्री जी को बधाई देना चहता हूं कि प्रतिपल विरोध के बाद भी वह अडिग रहे। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह पनः इस पर विचार करेंगे जो धारा 24 (क) (2) है होटल आदि में जिसमें होटलों आदि में पुरानी लाइसेन्स प्रणाली की छूट रखी गई है इसको हटा देते तो अच्छा होता। जो लाइसेन्सदार लोग हैं वे पुराने तरीकों से काम करेंगे जो हितकर प्रस्ताव नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तत किया है उसका समथन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब माननीय शम्भू नाथ चौधरी बोलेंगे।

श्री जगवीर सिह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं बहुत जल्दी ही अपनी बात को समाप्त कर लंगा। मुझ थोड़ा ही समय दें। माननीय शम्भूनाथ जी कुछ कम ही बोल लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, अब समय नहीं दिया जा सकता। माननीय शम्भू नाथ चौधरी बोलेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, सदन की राय तो मेरे ही पक्ष में है चूंकि जिन लोगों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया सभी ने मद्यनिषेध का समर्थन किया और सरकार के दल की तरफ से भाई मैनेजर सिह ने भी दबी जबान से हमारे ही पक्ष का प्रतिपादन किया। एसी स्थिति में मत तो हमारे ही पक्ष में आया। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसको वापस ले लें और अगर वापस नहीं लेते हैं तो जैसी लोगों की शंकायें हैं वह स्पष्ट करें कि क्या उनकी नीति मद्यनिषेध की है? यदि हां, तो इसको कार्यान्वित करने के लिये वह क्या करने जा रहे हैं? दूसरे, जो यह शंका हुई कि खुली नीलामी से जो मिलावट देशी शराब में हो रही क्या वही मिलावट इस शराब में भी होगी और देशी शराब को पीने से जो मौतें हो रही हैं क्या इस शराब को पीने से उसी प्रकार से मौतें होंगी। इसको रोकने के लिये वह क्या करने जा रहे हैं? तीसरे, जो रेस्ट्रां और होटलों में पहले की ही व्यवस्था कायम रख रहे हैं और दूसरी तरफ खुली नीलामी की व्यवस्था करेंगे इससे प्रतिस्पर्द्धा होगी और आपके लक्ष्य की पूर्ति कहां तक होगी?

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, मैंने जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा उसका करीब करीब सभी सदस्यों ने समर्थन किया है। किस प्रकार स्कूल और कालेजों के पास शराब की दुकानें नीलाम की जाती हैं। इसके उदाहरण देहरादून में स्वामी जी ने रखा और मैंने इलाहाबाद के कई कालेजों का नाम लिया जहां शराब की दुकानें हैं। सभी सदस्यों ने उसका समर्थन किया। ट्रांसफर्स में कितना भ्रष्टाचार है अंग्रेजी शराब अधिक बिकने लगेगी। इस देश में जो राम राज्य की कल्पना गांधीजी की थी कि इस देश में शराबबन्दी होगी, गोवध बन्द होगा,

[श्री रामगोपाल संड]

ये सारे उसूल ताक पर रख दिये जायेंगे। इसलिये भ्रष्टाचार को रोकने के लिये और इस देश में चरित्रवान नवयुवक बने जिससे देश का मस्तक ऊंचा हो, इन सब बातों पर पूरा विचार करने के लिये यह प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, हमारे माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार प्रकट किये उसका मैं बहुत आभारी हूं और जो सुझाव उन्होंने दिये वह भी बहुत न्यायपूर्ण हैं। जिन बातों का संशय किया गया है कि एक ओर तो नीलामी होगी और दूसरी ओर होटल्स और बार में नीलामी नहीं होगी उसके लिये चौधरी साहब की जो गवर्नमेंट थी उसकी भी यही राय थी कि नये लाइसेन्स नहीं होने चाहिये बार्स और रेस्ट्रां के लिये। जब लीगल एडवाइज मैंने ली तो मंत्रिपरिषद् का यही फैसला हुआ कि बार्स और और रेस्ट्रां पर यह लागू नहीं होगा। और उसका एक प्राकृतिक कारण है और वह यह कि उन्ही बार्स और रेस्ट्रां को लाइसेन्स दिया जाता है जो बहुत ही अप-टु-डेट, वेलफर्निश्ड हों और जिनको जिलाधिकारी रेकमेंड करते हैं कि यह ए-क्लास का होटल है। एक मिनट के लिये मान लीजिये कि आपके यहां जो क्लार्क होटल बन रहा है उसके बारे को अगर हम नीलाम करें और कोई दूसरा आदमी उसमें जा कर काम करे तो क्या यह उचित होगा? होटलों को लाइसेन्स सिर्फ इस बात का होता है कि जो उसके अन्दर जा कर रहेगा वही उसको पीने का अधिकारी होगा और कोई शख्स उस होटल से शराब बाहर नहीं ले जा सकता। तो वह जनरल पब्लिक को टच नहीं करेंगे।

हमारे जायसवाल जी, जो कि इसमें बहुत विशेषज्ञ हैं उन्होंने एक बात कही कि उसकी और इसकी कीमत में फर्क होगा। जैसा मैंने कहा बार और रेस्टोरेंट का लाइसेंस नीलाम नहीं किया जा सकता और वह प्रैक्टीकेबिल भी नहीं है। आक्शन वही करा रहे हैं जो नम्बर 4-5 हैं जो फुटकर बिक्री के लिये हैं। वह चाहे उसे बन्द बोतल में ले जाये या वैसे ही ले जाय।

अब जहां तक मद्य निषेध पालिसी का सवाल है, उस पर कई मर्तबा माननीय सदस्य सवाल उठा चुके हैं और सरकार की नीति को कई बार स्पष्ट किया जा चुका है और मैं तो यह कहता हूं कि जब माननीय सदस्य इधर बैठते थे और माननीय टी० एन० सिंह की सरकार थी तो उस वक्त क्यों नहीं आपने पूरे प्रदेश में मद्य निषेध किया और यदि आपकी इस पालिसी को सरकार नहीं चाहती थी तो आप सरकार से अलग क्यों नहीं हो गये? स्वामी जी की पार्टी जो प्रमुख थी उसके भी तो आदमी मंत्री परिषद् में थे। उन्होंने क्या किया? बात यह है कि जब आप विरोध पक्ष में बैठते हैं तो आपको सब कुछ कहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और जब आप इधर सरकार में आ जाते हैं तो वही करने लगते हैं जो यह सरकार कर रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आपने उस सरकार को अपनी करामात से चलने ही नहीं दिया अगर कुछ दिन चलती तो अवश्य करके दिखाती (व्यवधान)।

श्री बलवीरसिंह—

मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। (बुलाया नहीं गया)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह कानून तो टी० एन०सिंह साहब की सरकार ने पास किया।

श्री रामगोपाल संड—

मान लीजिये कि उन्होंने ही किया, यह उनकी भूल हो गयी, पर उसका यश आप ही ले लीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं कहता हूं कि उस समय भी यह तय हुआ था कि फारेन लीकर का आक्शन होना चाहिये पर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं आपने पूरे प्रदेश में मद्यनिषेध लागू किया?

श्री रामगोपाल संड—

हमने भूमि भवन कर वापस लिया। आप फिर लगा रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि चाहे कोई स्वयं पीता क्यों न हो 10 ठेके हों, पर कहता यही है कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। दूसरे लोग ही भ्रष्टाचारी हैं। वह दुनिया को ही भ्रष्टाचारी समझते हैं। आज उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। मने एक बहुत बड़ी कम्पनी को पकड़ा था और मैं उसको सैक करना चाहता था, मेरे पास दस-दस सिफारिश माननीय सदस्यों की आयीं कि उसको वहीं रहने दीजिये। कई केसेज में माननीय सदस्यों ने मुझे प्रभावित करने की कोशिश की। मैं प्रभावित नहीं हुआ। जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है उनको अपनी तई देखना चाहिये। बाराबंकी में, मेरे पास कितनी शिकायतें आयी हैं, वह गलत हों या सही, लेकिन शायद माननीय सदस्य को, जो बाराबंकी में इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने सोचा हो कि मंत्री रेड करने वाला है तो पहले से कह दो कि रिश्वत मांगता है, इस लिए वहां चला गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मंत्री जी मंत्री न रह कर इंस्पेक्टर हो गये बेचारे, इस पर उनको बधाई दे दी जाय लेकिन आपकी हैसियत नहीं है। मैं आपको साफ कहता हूं। आपने जितनी डिस्टिलरीज में खराबियां पायी हैं, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, सिवा एक-आधे इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने, जहां पर उनको फिर प्रोमोशन दे दिया, अच्छी जगह भेज दिया गया है, किसी एक डिस्टिलरी के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की। आप तो पूंजीपतियों के हाथ में बिके है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं पूंजीपतियों के हाथ में बिका हुआ हूं, माननीय सदस्य शराब वालों के हाथ में बिके हुए हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अगर आपकी यही समझ है तो फिर मैं आपकी समझ की दाद दिये बगैर नहीं रह सकता ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारी नीति है मद्यनिषेध की, माननीय सदस्यों का यही कहना कि पूर्ण मद्यनिषेध कर दिया जाय, जहां पर मद्यनिषेध है, क्या वहां पर शराब नहीं बिकती है ? हमारे आबकारी विभाग की तरफ से गांजा स्क्वड भी है, मद्यनिषेध डिपार्टमेंट भी है जिसको 15–16 लाख तनख्वाह दे रहे हैं। लेकिन क्या कानून ही जुर्मों को रोक सकता है ? हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है ।

लेकिन जो जरायम पहले कम होते थे आज एक-एक जिले में चार-चार जज हो गये, क्या कानून से कोई आफेंस रोके जायेंगे ? क्या मद्यनिषेध पूरे सूबे में कर देने से जैसा हमारे माननीय सदस्य ने कहा पहाड़ में एक जिले में मद्यनिषेध है, दूसरे जिले में खुला हुआ है, वहां से लाकर शराब बिकती है । एक सूबे में शराब बन्द कर देंगे तो चार सूबे जो उससे मिलते हैं उनसे शराब आयेगी । गांजे का सूबे भर में प्रोडक्शन नहीं है, गांजा कहां से आता है ? या तो पूरे संसार में प्रोडक्शन न हो । आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारा सूबा चारों तरफ से समुद्र से घिर जाय ताकि दूसरे सूबे के लोग शराब न ला सकें। यह इम्प्रैक्टिकल है कि पूरे सूबे में शराब बन्द कर देने से शराब बन्द हो जायगी । हमें कथनी और करनी के फर्क को मिटाना है । सिर्फ यह कह देना कि मैं जो मुंह से कह दूं मैं ईमानदार हूं, और दूसरे लोग ठेकेदारों का दलाल कहते रहे, हम मानने को तैयार नहीं हैं ।

श्री बसन्तलाल शर्मा--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता था । अभी आपने बताया कि मद्यनिषेध की नीति पर 15 लाख रुपया खर्च होता । 29 करोड़ रुपया सालाना शराब से विभाग को मिलता है, 15–16 लाख की यह नगण्य धनराशि बता रहे हैं । क्या वह इस बात की घोषणा करेंगे कि करोड़ों की संख्या में मद्यनिषेध की नीति में खर्च करने को तैयार हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

शर्मा जी को इल्म नहीं है । एक हमारा मद्यनिषेध डिपार्टमेंट है जिस पर 15 लाख खर्च करते हैं । पुलिस डिपार्टमेंट है उसको शराब रोकने का अधिकार है ।

श्री बसन्तलाल शर्मा--

चरित्र की बात कही है । मद्यनिषेध की नीति से चरित्र ठीक करने की कोशिश करें । उसके लिए पैसा बढ़ाने की बात कह रहा हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

पुलिस का डिपार्टमेंट, मद्य निषेध डिपार्टमेंट, ला डिपार्टमेंट सब उसको प्रिवेन्टिव के हिसाब से रोकते हैं और सरकार की तरफ से बराबर इस बात की कोशिश की जाती है कि जहां नाजायज शराब बनती है, जहां से आती है, जहां टिंचर-जिंजर बनता है, उसके बारे में उसको किसी न किसी तरह रोका जाए । सबकी कोशिश है कि इसको बन्द करने की कोशिश की जाएगी। वह बन्द हो या न हो, लेकिन माननीय सदस्यों के सहयोग से यह सम्भव हो सकता है । लेकिन बहुत से लोगों ने सिफारिशें की हैं उनके ट्रांसफर आदि के बारे में या

रोकने के बारे में। मेरे पास रिटेन में हैं, जिनकी आपने सिफारिश की है या जिसके द्वारा आई। लेकिन यदि मैंने उनका काम नहीं किया तो आज जिस तरह से लोग और खासकर हमारे जायसवाल जी बोले .....

श्री जगबीर सिंह--

लिखित हो तो सबको यहीं उनके नाम बता दीजिए। सस्पेंस में सबको रखने की क्या जरूरत है। आपने सस्पेंस में डाल दिया है, बता न दीजिए किसने किया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

इस तरह से तो यह गुमराह कर रहे हैं। आप सबको कैसे कह देते हैं। हमारा एक भी बता दीजिए। कब मैं आपके यहां ट्रांसफर कराने या रुकवाने गया हूं। आप उन सदस्यों के साफ-साफ नाम बताइये, इस तरह से काम नहीं चलेगा

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

यहां इसके विरोध में बोले, और यों इसमें सिफारिश करवाते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनक नाम आप बता दीजिए, ताकि सबको पता चल जाए कि वे कौन-कौन से लोग हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

चौधरी साहब मैंने आप लोगों को नहीं कहा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, आप मंत्री जी से कहें, हम तो उनकी बात तब मानेंगे जब वह सम्बन्धित पत्र जो उनके पास ट्रांसफर के सिलसिले में गये हैं, उन्हें वह सदन में पेश करें। मान्यवर, आप उनको मंत्री जी से तलब करके टेबुल पर पेश करा दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

पकड़ कर दिखाऊगां, तब मेज पर रखूंगा। जब इन्फार्मेशन हमारे पास बाराबंकी की आई और छापे का प्रबन्ध किया गया, तब ही तो आप घबड़ाये। अब तो हम पकड़ कर ही दिखायेंगे। तब सदन में रखेंगे।

(व्यवधान)

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)--

मैंने एक केस आपको दिया था। एक आदमी का 700 लीटर का कोटा था स्प्रिट का और उसे काटकर 400 कर दिया गया। इसके विपरीत एक आपकी पार्टी के मेम्बर थे, जिनका 400 से काटकर 1,500 कर दिया गया है तो आप न्याय कीजिए। इस तरह से ऊंची-ऊंची बातें, लफ्फाजी हांकने से क्या लाभ है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मुझे मालूम नहीं है। आप सवाल कर लीजिए।

श्री पारसनाथ सिंह--

आपका कहना था कि कोई कोटा नहीं बढ़ाया जाएगा। तो यह तो उसके विपरीत काम हुआ है, इसलिये मैंने कहा है। जो आपकी पार्टी का आदमी था उसका आपने कर दिया। यह तो आपका अन्याय है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह मैं समझता हूं गलत फहमी है। मैंने अपने किसी पार्टी वाले का कोटा नहीं बढ़ाया है। अगर आप सवाल करें तो सवाल से आपको वास्तविकता पता चल जाएगी। लखनऊ में एक बी० के० डी० के एम० एल० ए० क अलावा हमन किसी का कोटा नहीं बढ़ाया ह, चूंकि वह एम० एल० ए० था।

श्री रामगोपाल सण्ड—

सबका कहने का मतलब यही है कि आप न्याय करें। जो सिफारिश करें, उसका नाम स्पष्ट सदन में लाएं।

श्री स्वामी प्रसाद सिह—

तो मैं कह रहा था कि हाई कोर्ट की समस्या आई, इसलिये यह रूल में चेंज करने की बात आई। हाई कोर्ट में अध्यादेश अवैध होने से वह चीज नहीं होगी। हाई कोर्ट से फैसला उल्टा हो जाता है। उसे क्यों मान लेते हैं? शायद हाई कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में हो। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि ऐसा ला बनाया जाता है जिससे वहां चैलेंज हो जाय और लोगों को फायदा मिलता रहे। प्रिविपर्स को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया था? तो क्या कानून इसलिये बनाया गया था? वित्त परामर्शियों ने ऐसा कानून बनाया कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों पर लांछन लग जाय? अगर वहां कानून चैलेंज न हो तो फिर जुडीशियल कोर्ट्स क्यों बनाई जायं? कानून बनता है और बदलता है।

इतना मानना पड़ेगा कि जिन राज्य सरकारों ने कैबिनेट में यह पास किया था और आक्शन करने की हिम्मत नहीं की तो फिर पास ही क्यों किया था? लेकिन जब इस राज्य सरकार ने आक्शन करने की हिम्मत की तो यह कहते हैं कि आदमी मरेंगे। आज तक इधर अथवा उधर के किसी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि देशी शराब को बन्द कर देना चाहिये क्योंकि हजारों आदमी मर रहे हैं। जैसे ही बड़े आदमियों के मरने का सवाल आया तो तकलीफ होने लगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अन्धे के आगे रोइये अपने दीदे खोइये। अभी तक जो बहस हो रही थी उसका क्या नतीजा निकला?

श्री स्वामी प्रसाद सिह—

मेरे सामने ठेकेदार आया और माननीय सदस्य ने ही उसे भेजा था.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यह किस की बात कह रह हैं?

श्री स्वामी प्रसाद सिह—

क्या यह सब झूठ है?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

स्वामी प्रसाद तथा अनन्तराम जी में आज फीस्टाइल हो जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हम तो हार मान गये।

श्री राम गोपाल सण्ड––

शराब के ऊपर बहस क्या चल रही है सभी को नशा आ गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

नाम ले कर माननीय मंत्री बतलायें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह––

ठेकेदारों का कहना है कि इतने आदमी मरेंगे। मैंने कहा कि टेक्निकल चीज है, मैं ज्यादा नहीं जानता लेकिन देशी शराब से हजारों गरीब मर रहे हैं तो विदेशी शराब से अपर क्लास मरेगा। यह सब एग्जामिन हो जायगा और एक सही तरीका निकल आयेगा कि क्या होना चाहिये। बड़े आदमियों को भी मरने दीजिये क्योंकि उनके लिये तो यह लक्जरी है। जिनके लाइसेन्स नं० 4, 5 के हैं वह जानते हैं कि उनकी मौरूसी चली जायगी इसलिये चिल्ला रहे हैं। नं० चार का लाइसेन्स जिस पर है वह मरने लगा तो लड़के का नाम दे दिया कि वह पार्टनर है और वह लाइसेन्स उसके नाम हो जाता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी––

देशी विदेशी का मिलान होगा तो नामकरण क्या होगा ?

श्री अनन्तराम जायसवाल––

शंकर वर्ण का होगा।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह––

यह जो संशोधन है कि इसे प्रवर समिति में जाना चाहिये तो देर होगी और इसमें पूरा साल निकल जायगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य इस संशोधन की वापस ले लें और विधेयक को पारित करने की कृपा करें।

श्री बलवीर सिंह––

मंत्री जी का यह कहना है कि मद्य निषेध कानून के जरिये नहीं हो सकता। क्या मंत्री जी यह समझते हैं कि उनकी पालिसी यह हो गयी है कि मद्य निषेध करना इस सरकार की नीति नहीं है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह––

जब तक आप कानून को चरित्र बल के साथ नहीं चलायेंगे तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। प्रेक्टिकल आस्पेक्ट्स आपको देखने होंगे।

श्री बलवीर सिंह––

गवर्नमेंट की क्या नीति है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह––

मद्य निषेध की।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 को जनमत संग्रह के लिये ३ महीने तक परिचालित किया जाय तत्पश्चात् सदन में इस पर विचार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, 4, 5, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972

यूनाइटेड प्राविन्सेज एक्साइज ऐक्ट, 1910 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

यू०पी० एक्ट सं० 4,1910 की धारा 21 का संशोधन

2---यूनाइटेड प्राविन्सेज एक्साइज ऐक्ट, 1910, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 21 में, उसके प्रतिबन्धात्मक खंड का खंड (3) निकाल दिया जाय।

नई धारा 24-क का बढ़ाया जाना

3---मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्---

विदेशी शराब के संबंध में बिक्री करने का एकान्तिक विशेषाधिकार देना।

"24-क(1) धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आबकारी आयुक्त किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में (लाइसेन्स प्राप्त भू-गृहादि में और उसके बाहर उपभोग के लिये, अथवा केवल लाइसेन्स प्राप्त भू-गृहादि के बाहर उपयोग के लिए) दुकानों पर फुटकर बिक्री द्वारा कोई विदेशी शराब बेचने के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये लाइसेन्स अथवा लाइसेन्सों को स्वीकृत कर सकता है।

(2) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कोई लाइसेंस या लाइसेन्सों के स्वीकृत किये जाने से उसी क्षेत्र में, होटलों और रेस्ट्रां में उनके ही भू गृहादि में उपभोग के लिये विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के निमित्त लाइसेन्स के स्वीकृत किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) जहां उसी अवधि के लिए किसी क्षेत्र के संबंध में उपधारा (1) के अधीन एक से अधिक लाइसेन्स स्वीकृत करने का प्रस्ताव हो तो प्रत्येक ऐसे लाइसेन्स के लिए भावी प्रार्थियों को प्रस्ताव की अग्रिम सूचना दी जायेगी ।

(4) इस धारा के अधीन एकान्तिक विशेषाधिकार के निमित्त लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने के संबंध में धारा 25 और 30 के तथा धारा 39 के प्रतिबन्धात्मक खंड के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 24 के अधीन एकान्तिक विशेषाधिकार के निमित्त कोई लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।"

संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (3) निकाल दी जाय। उत्तर प्रदेश

5--उत्तर प्रदेश, एक्साइज (संशोधन) अध्यादेश, 1972, एतद्द्वारा अध्यादेश संख्या निरस्त किया जाता है । 13, 1972 का

श्री उपाध्यक्ष-- निरसन

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5 तथा खंड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, 1972†

*राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह वह विधेयक है जिसके बारे में शायद मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं यदि यह कहूं तो यह गलत नहीं होगा कि इस सदन के सम्पूर्ण माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं कि हम इस देश में समाजवादी समाज की स्थापना के लिये, इस देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिये, इस देश में समानता लाने के लिये हमारे लिय यह आवश्यक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†24 जुलाई, 1972 की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

है कि हमारे सामने जो सम्पत्ति संचय की समस्यायें हैं, उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाय और उसी के अनुसार इस दिशा में इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु आपके सामने दो विधेयक आये। एक तो इस बात के लिये आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सम्पत्ति है--विशेष तौर से जो भूमि के रूप में है--उसके ऊपर अधिकतम जोत सीमा निर्धारित कर दी जाय। दूसरे नागर क्षेत्रों में जो सम्पत्ति है उसको सीमित किया जाय। ये दोनों विधेयक आपके सामने अध्यादेश के रूप में थे।

(इस समय 3 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राम सिंह पीठासीन हुये।)

इसके पहले हमने इनको सदन में पेश किया था किन्तु उसके पहले ही यह सदन अपनी कार्यवाही करके उठ गया था लिहाजा पारित न हो सका था। इसलिये यह आवश्यक हुआ कि इसके ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। इस सम्बध में सभी लोग जानते हैं कि ऐसे समय पर बहुधा इस बात की कोशिशें हुआ करती हैं कि जिसके पास सम्पत्ति होती है, चाहे वह शहरी सम्पत्ति हो या चाहे वह ग्रामीण सम्पत्ति हो, वह आने वाले कानून के शिकंजे से बचने के लिये, उसे निरर्थक करने का प्रयास किया करते हैं। उससे वंचित रहने के लिय किसी न किसी प्रकार की कोशिश लोग किया करते हैं। इन बातों को दृष्टि में रखते हुये यह आवश्यक था कि इस बीच में हम इस अध्यादेश को कानून का रूप दे सकें और अधिनियम बना सकें। इस बीच में जो समय निकला उसे चूंकि अन्ततोगत्वा कानून का रूप देना था और उसकी जो मन्शा थी कि इसे कोई निरर्थक न कर पाये, इसके लिये यह आवश्यक था कि सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। उसी उद्देश्य से पहले एक अध्यादेश लाया गया और अध्यादेश के बाद जब यह सत्र प्रारम्भ हुआ है हमने यह बिल आपके सामने प्रस्तुत किया है।

यह बहुत छोटा सा बिल है और बहुत थोड़े समय के लिये यानी केवल तीन महीने के लिये है। केवल तीन महीने के लिये इस बात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि कोई भी अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं कर सकता और यदि कोई करेगा तो वह शून्य होगा, नगण्य होगा, मान्य नहीं होगा और उससे जो वह फायदा उठाना चाहता है, वह नहीं उठा पायेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी माननीय सदस्यों की यह राय रही है कि इस तरह का कानून बनाया जाय और कानून बनाया जाय तो इस बात की कोशिश की जाय कि उसके जरिये लोग उनकी मंशा के खिलाफ काम न करने पावें। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसको पास करेंगे।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं--उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसको परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मैंने यह संशोधन इसलिये पेश किया कि माननीय मन्त्री जी ने अभी अपने भाषण में कहा कि यह तीन महीने के लिये है। यह ठीक है कि 3 महीने के लिये है लेकिन मैं तो यह नहीं समझ पाया कि 3 महीने के लिये संशोधन क्यों किया गया। जबकि

माननीय मन्त्री जी पहले इस सम्बन्ध में एक विधेयक---शहरी सम्पत्ति सीमा निर्धारण विधेयक और एक देहात की भूमि सीमा निर्धारण विधेयक पेश कर चुके हैं और उसमें उसके लागू होने की तारीख दी गयी है 24 फरवरी या १ली जनवरी, 1970 से। और अब जो बिल आया है वह भी 24 जनवरी, 1971 का है। तो अब इसको पीछे क्यों लाना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाता कि इस संशोधन विधेयक को लाने की क्या जरूरत थी? क्या इस तीन महीने में इतने बैनामे या रजिस्ट्रेशन हो जाते? अगर इसको लाना ही था तो इसका निश्चय तो बहुत पहले से करना था या फिर यह हो सकता है कि तीन महीने का विधेयक आप इसलिये लाये हैं कि दूसरे विधेयक को लाने की आपकी मंशा ही नहीं है। मैं यह समझता हूं कि आपका इरादा नहीं है कि दूसरा विधेयक पास हो सके।

आप गरीब जनता को गुमराह कर रखना चाहते हैं कि तुमको जमीन दी जायेगी। उसके लिये यह एक लुभावना स्वप्न है जो केवल दिखावा मात्र है। साथ ही तीन महीने के लिये यह संशोधन विधेयक लाकर आप जनता की वाहवाही लूटना चाहते हैं, खैरख्वाही लेना चाहते हैं कि सरकार ने जमीन के वितरण के लिये जमीन के बेचने पर रोक लगा दी है जिससे गरीब आदमी को अहसास हो जाय कि हमें जरूर कुछ मिलने वाला है। इस विधेयक को आप केवल तीन महीने के लिये ही लाना चाहते हैं, इसका अर्थ मैं समझ नहीं पाया कि इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने अपने सूक्ष्म भाषण में कहा कि यह थोड़े समय के लिये है ताकि कोई अपनी सम्पत्ति का बैनामा वगैरह न कर सके और करे भी तो वह खारिज हो जाय। फिर पता नहीं आप किसलिये यह संशोधन विधेयक लाये हैं। मैं समझता हूं कि जहां आपने गरीब जनता को एक लुभावना स्वप्न दिया वहीं पर दूसरी तरफ उनके लिये परेशानी भी पैदा की है। जो गरीब लोग हैं, जो छोटे दूकानदार हैं जिनकी प्रापर्टी नहीं आती शहरी सम्पत्ति सीमा निर्धारण के अन्दर या गांव के आदमियों की सम्पत्ति उस सीमा के अन्दर नहीं आती जो भूमि सम्बन्धी है, तो उन पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है। मान लीजिये किसी को अपनी जमीन बेचनी है, किसी को अपना मकान बेचना है और जरूरी काम है तो यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया जब आप अधिकतम जोत सीमा पर रोक लगाना चाहते हैं? और उसकी तारीख पीछे आयेगी तो इनके लिये आपने एक परेशानी और कर दी है कि वे अपनी जमीन जायदाद न बेच सकें। इससे जो पैसे वाले हैं वे ज्यादा सूद पर उसको पैसा देंगे और इसके खुलने पर सस्ते दाम पर उसकी जायदाद की रजिस्ट्री करा लेंगे। इसलिये इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो यह संशोधन विधेयक आया है, इससे गरीबों को नुकसान होगा।

दूसरी बात मैं समझ नहीं पाया कि इस पर कौन सी प्रापर्टी पर रोक लगेगी? कहां तो सरकार एक तरफ पैसे के लिये रोती है कि पैसे की कमी की वजह से योजना नहीं चल रही है और सीमा जब पिछले दिनों से आ रही है तो इसको लाने की क्या जरूरत थी? इससे पैसा रुक जायेगा और गवर्नमेंट खजाने में पैसा कम आयेगा। एक तरफ तो आप लैंड डेवलपमेंट और भूमि भवन-कर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ रेवेन्यू को कम कर रहे हैं

[श्री त्रिलोक चन्द]

कि स्टाम्प की बिक्री को रोक दिया जाये। क्या आपका इरादा बड़ी प्रापर्टी पर सीलिंग लगाने का या लैंड सीलिंग बिल लाने का नहीं है? आपने तीन महीने के लिये लगा दिया है तो आप इस बिल को इस समय में पास करेंगे या इसकी मियाद को तीन महीने के लिये और बढ़ायेंगे? आपने जिन्युइन डिमांड पर पहले से ही रोक लगा दी है और गरीब लोग अपने कामकाज से वंचित रह जायेंगे। इससे मैं समझता हूं कि बड़ी प्रापर्टी वालों पर कोई रोक नहीं लगती ह।

जहां तक लीगल ओपीनियन की बात है, और के लिये तो कहा जा सकता था कि उसने लीगल परामर्श न लिया हो लेकिन हमारे मन्त्री जी प्रदेश के माने हुये वकील हैं और ला को अच्छी तरह से जानते हैं और आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया सिवाय इसके इल्लीगल ट्रान्सफर्स न हो सकें। इसलिये इस विधेयक को यह लाये हैं। आपने क्षुद्र बुद्धि की बात कही लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि आप कौनसी बुद्धि से लाये हैं। मन्त्री जी जो छोटे लोगों को मुसीबत हो गई हैं, उसको स्पष्ट कर देते तो परेशानी न होती। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री जी प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)--

मन्त्री जी ने यह 3 मास के लिये सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया है इस विधेयक के माध्यम से। हम यह नहीं समझ सके कि मन्त्री जी ने जो उद्देश्य इस बिल में रखा है और जिसकी अभिव्यक्ति उन्होंने अभी की है, वह उन के इस बिल से कैसे संगत है। आपने कहा कि हम इस सूबे में सीमा या हदबन्दी तय करना चाहते हैं शहरी सम्पत्ति की और गांव की सम्पत्ति की। उस सीमा को तय करने के सम्बन्ध में आपने दो बिल भी पेश किये हैं और यदि मैं भूल नहीं करता तो उनमें भी कुछ समय की सीमा रखी गई है कि वह कब से लागू होंगे। उस बिल में कहा गया है कि वह 26 सितम्बर, सन् 1970 से लागू होंगे यानी उसके बाद से अन्तरण अवैध घोषित हो जायगा। लेकिन उस के बाद आपके दल के हाई कमान्ड का निर्णय भी समाचार-पत्रों में आया है कि दिनांक 24 फरवरी, 1971 के बाद के जो अन्तरण होंगे वे अवैध होंगे। यह दोनों बातें आप ने कहीं। लेकिन उन दोनों विधेयकों को लाने के बाद आप ने यह एक आर्डिनेन्स और यह बिल पेश कर दिया जिसमें अन्तरण पर ३ मास का प्रतिबन्ध लगाया गया है। लेकिन यह चीज आपकी और आपकी सरकार की नीयत पर निर्भर करता है कि क्या सरकार की यह नीयत तो नहीं है कि जिन लोगों ने चालाकी से इन दोनों शहरी और देहाती सीमा या हदबन्दी से बचने के लिये अन्तरण कर दिये हैं इस बीच में उनका संरक्षण करने के लिये या आप उनके दबाव से इतना प्रभावित हैं, इतना प्रेशर आप पर है कि आप उन को बचाने के लिये यह 3 मास की प्रतिबन्ध लगाने का विधेयक लाये हैं। यदि सरकार की नीयत साफ थी तो ऐसा अध्यादेश या विधेयक लाने की आवश्यकता ही नहीं थी।

आप के बिल में है कि दिनांक 24 फरवरी, 1971 से लागू करेंगे लेकिन जब कि रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट होने वाला था तो इसकी क्या आवश्यकता थी? ऐसा मालूम पड़ता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि आप इस सूबे के लोगों को केवल नारा ही दे रहे हैं कि हम भूमि की सीमा मुकर्रर करेंगे और आपके घोषणा-पत्र में भी है और केन्द्रीय सरकार की यह नीति भी है लेकिन ऐसा लगता है कि वह ऐसे समय में लागू किये जायेंगे कि जब कोई लाभ सूबे की गरीब जनता को नहीं मिल सकेगा। जब भूमि ही नहीं निकल सकेगी, तो वह भूमि सुधार किसके लिये होगा और इससे क्या लाभ होगा? आप ने इसी सदन में कहा था कि रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट दिये जाने वाला कानून यह है और यह बड़ी पेचीदगियों से भरा है और पता नहीं कि उसके सम्बन्ध में हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय क्या निर्णय देगा। यदि आपकी नीति स्पष्ट थी, आपकी नीयत साफ थी तो इस तरह का उत्तर और इस प्रकार का बिल यहां लाने की आवश्यकता ही क्या थी।

आप ने कहा कि हम सम्पत्ति पर सीमा कायम करके बची हुई भूमि और सम्पत्ति गरीब लोगों में बांटेंगे और वह आपसे आशा लगा रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि यह गरीबों के साथ धोखा किया जा रहा है, उनको भुलावे में रखा जा रहा है, यह सरकार झूठा वादा कर रही है, न कोई जमीन निकलेगी और न यह सरकार बांटेगी, कब वह निकलेगी और कब यह बांटेंगे। आप बराबर इस चीज को टाल रहे हैं, आप के आन्तरिक झगड़ इतने ज्यादा हैं कि आप इस चीज को कार्यान्वित नहीं करना चाहते और एन केन प्रकारेण' उससे बचने का रास्ता निकालना चाहते हैं। अपने लोग भी खुश रहें और लोगों की सम्पत्ति भी बनी रहे। आप हमारे इस सन्देह का निवारण कर के दिखायें तभी यहां की जनता समझेगी कि आप हदबन्दी करने जा रहे हैं। या तो आप कहें कि जो अन्तरण हो चुके हैं, वे अवैध हैं या यह घोषणा करें कि दिनांक 24 फरवरी, 1971 के बाद जो अन्तरण हुये हैं, वह अवैध माने जायेंगे। आप कहें कि यह नीति हमारी मजबूत नीति है और इस पर हम कायम रहेंगे। तो फिर मैं यह समझूंगा कि निश्चित रूप से आप चाहते हैं कि कुछ जमीन निकले, कुछ सम्पत्ति निकले जो गरीबों में बंटे। इस तरह से, श्रीमन्, जब आपने यह ३ महीने वाला बिल पेश कर दिया तो हमारा माथा ठनका कि आप अब कुछ करने वाले नहीं हैं।

आप तो छूट दे रहे हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं कि वे लोग ट्रान्सफर्स कर लें। इस बिल को भी आपने बहुत दिनों से पेश नहीं किया और इसका मूल कारण यह है कि आप अपने दल वालों को या प्रदेश के उन लोगों को जिनके पास काफी मिल्कियत है, काफी भूमि है, काफी सम्पत्ति हैं, उनको मौका है कि वे फर्जी ट्रान्सफर्स कर लें। आप इस बात की जांच करायें कि इस अवधि में जबसे आपने हदबन्दी की चर्चा की है, कितने ट्रान्सफर्स हुये हैं, उनमें कितने सम्पत्ति वाले थे और कितने गरीब लोगों के हुये हैं। प्रायः 90 प्रतिशत ट्रान्सफर्स ऐसे लोगों के हुये हैं जिन्होंने अपनी भूमि, अपनी सम्पत्ति को बचाने के लिये किये हैं और उन ट्रान्सफर्स को वैध करार देने का आप काम कर रहे हैं।

आप अपनी बात से उठ कर अब 24 फरवरी, 1971 की बात करने लगे हैं और या 3 महीने का आर्डिनेन्स लगा कर करेंगे। यह आप धोखा देने का काम कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि इस बिल की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जैसा हमारे साथी ने कहा कि आप जिस उद्देश्य से इस बिल को लाये हैं कि ज्यादा सम्पत्ति वाले लोग ट्रान्सफर्स न करें तो आप इसमें कोई सीमा रखते कि साढ़े 6 एकड़ से नीचे वाले आदमी अपनी जमीन

[श्री रामकुमार दीक्षित]

को बेच सकते हैं या 1 लाख, 2 लाख या 4 लाख की सम्पत्ति वाले आदमी अपनी शहरी सम्पत्ति को बेच सकते हैं।

आपने तो हमारे मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात कर दिया है। अगर हमारी आवश्यकता है तो हम उस आपत्ति से बचने के लिये दूसरे साधन न अपनाकर जो अपनी सम्पत्ति है, प्रापर्टी है, बेच सकते थे लेकिन उस पर भी आपने इस बिल के द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया है। आपने इसमें क्यों नहीं कर दिया कि जिन लोगों की भूमि सीलिंग में नहीं आवेगी, उनको सब को ट्रान्सफर्स करने का अधिकार है? वह अधिकार रहने देते। आपने आमतौर पर घोषणा कर दी। इससे एक बात और झलकती है कि भूमि की हदबन्दी की बात भी आपके दिमाग में साफ नहीं है। यह आपकी नियत का दोष है। आप नहीं कह सकते हैं कि आप क्या सीमा तय करेंगे, 18 एकड़ करेंगे, 16 एकड़ करेंगे 10 एकड़ करेंगे। यह निश्चित रूप से छिपी हुयी बात है नहीं तो आप को कहना चाहिये था कि हमारी नीति यह है हदबन्दी की जो हम लाना चाहते हैं और उसके नीचे के लोगों को ट्रान्सफर करने का अधिकार है। इसलिये यह बात भी साफ नहीं है।

आपको एक इंच भूमि भी नहीं मिलेगी आपके इस धीरे-धीरे काम करने के कारण। पहले तो यह 3 लाख थी लेकिन 24 फरवरी, 1971 जो आपने कर दिया उससे 3 लाख के बजाय 1 लाख भी मिलनी मुश्किल है और अब आपने 3 महीने कर दिया है। तो जब यह बिल पास होगा तो 1 लाख एकड़ तो क्या आपको 5–10 हजार एकड़ भी जमीन नहीं मिल पायेगी गरीबों को बांटने के लिये। इसलिये ये सब बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, काफी महत्वपूर्ण तथा तथ्यपूर्ण बातें हैं और इन के बारे में आपको जनता की राय जानने के बाद ही कार्यवाही करनी चाहिये। तब तो आपके जो उद्देश्य हैं, उनकी सार्थकता सिद्ध होती है अन्यथा सरकार ने अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिये, अपनी कमी को छिपाने के लिये इस प्रकार के झूठे प्रलोभन देकर इसे आर्डिनेन्स के रूप में अपने साथियों को बचाने के लिये उपाय कर लिये हैं।

मैं इसके लिये सरकार की तीव्र आलोचना करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के बिलों को स्वीकार करना निश्चित रूप से सरकार की ऐसी कमियों को प्रोत्साहन देना होता है। यही नहीं, सरकार में जो लोग बैठे हैं, उनको भी सोचना चाहिये। उस तरफ के जो लोग बैठे हैं उनको भी सोचना चाहिये कि वे क्या चाहते हैं? अन्दर बैठ कर कहते हैं कि दो सौ विधायक इन्डीकेट के सीलिंग के पक्ष में हैं। कहां ह सीलिंग के पक्ष में? आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे व सीलिंग के विपरीत होते चले जाते हैं। आपको जनता में क्या हक है झूटी बातों के कहने का? आप सदन में कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं। आपको इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिये जिससे जनहित में वह काम हो सके।

माननीय मन्त्री जी कानून के अच्छे ज्ञाता हैं और कानून के ज्ञाता होने के नाते हमारी जो तर्कपूर्ण बातें हैं उस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि आखिर यह रेट्रास्पेक्टिव एफेक्ट हो रहा था या 24 फरवरी, 1971 से, जो आपकी केन्द्रीय पालिसी है, उस दिन से लागू करने की बात है। क्या इस बात पर आप कायम ह? यदि उस बात पर आप कायम हैं तो मैं बिल का विरोध नहीं करता। यदि कायम नहीं हैं, तो

मैं इसका तीव्र विरोध करता हूं और निश्चित रूप से विरोध करता हूं। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इसको स्पष्ट करेंगे और जनमत का आदर करेंगे।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री त्रिलोक चन्द्र जीने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उद्देश्य और कारणों को पढ़ने के पश्चात् मुझे ऐसा लगा किसी सूराख में से हाथी तो पूरा निकल गया और उसकी दुम रह गई। दुम पर ही झगड़ा चल रहा है। मान्यवर, बिल को देखें। 24 जनवरी से अब तक हिसाब लगायेंगे। डेढ़ साल के अन्तर्गत जो बैनामे हुये हैं उनका क्या होगा। माननीय मन्त्री कहते हैं कि उद्देश्य और कारणों में उक्त विधेयक के प्रयोजनों को निष्फल करने की नीयित से हस्तान्तरित कर देंगे। जो बिल हमारे सामने है उनकी नीयत बताता हूं। उस पीरियड में जो होगा तो यह बिल को इन्फेक्चुअस बना देंगे। समझ में नहीं आता कि डेढ़ वर्ष बाद बैनामा होगा तो क्या मन्त्री जी जायज समझ रहे हैं। अगर जायज समझते हैं तो तीन महीने वाली बात समझ में आती है। तीन महीने के बाद बैनामा होगा शहरी होगा या जोत के ऊपर ? तो तीन महीने में जो बैनामा होगा वही नाजायज होगा और बाकी 24 जनवरी, 1971 के बाद जो बैनामें होंगे, वे सब जायज होंगे। इसके माने तो यह निकले।

इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो उद्देश्य और कारणों के पढ़ने के पश्चात् कहते हैं कि इसकी भावना जो निकल रही है, वह सही है। मेरी भावना भी ठीक है कि मुझे सन्देह हो रहा है कि मन्त्री जी पर कि देश को जो आश्वासन दे रक्खा है कि जो जमीन निकलेगी वह हम छोटे-छोटे किसानों को, भूमिहीनों को और जो अलाभकर जोत जोत रहे हैं, उनको दी जायगी। अगर यह भावना सही है, जैसा कि उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है, तो मैं समझता हूं कि एक बीघा जमीन भी नहीं निकलेगी। किसी एक का भी भला होने वाला उससे नहीं है। अगर यह बात सही नहीं है तो इस बिल को लाने का मतलब नहीं रहता है। इस समय तो मैं यह कह दूंगा कि इससे तो सदन का समय ही नष्ट करना है वरना और कोई उद्देश्य नहीं है।

जैसाकि भाई त्रिलोक चन्द्र जी भी स्वीकार करते हैं और मैं भी कहता हूं कि अगर यह उद्देश्य था तो हम बड़ी-बड़ी जोतों पर सीमा लगाने वालों को रोकेंगें तो स्पष्ट हो जाता लेकिन आपने एक डंडे से सारी चीजों को हांक दिया और उस हांकने का परिणाम यह निकला कि अपने लड़के की बीमारी में, शिक्षा में अच्छा नहीं दे सकते हैं, अपनी लड़की की शादी में अच्छा नहीं दे सकते हैं। सबको रोक दिया और रोकने का परिणाम यह निकला कि उन लोगों को नुकसान तो हुआ ही लेकिन सरकार का भी सत्तर पचहत्तर लाख रुपये की रेवेन्यू का लास हुआ है। इसकी जिम्मेदारी माननीय मन्त्री की है। इसीलिये यह उद्देश्य रख रहे हैं। अगर इन चीजों को आंका जाय और देखा जाय जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि इनकी नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो यह बिल लिगर आन न किया जाता इसको टाला न जाता। मैं समझता था कि सेशन खुलते ही दोनों के दोनों विधेयक प्रायरिटी पर आयेंगे लेकिन मालूम हुआ कि ये नहीं लिये जा रहे हैं। 4 अगस्त तक सेशन चलने वाला है इस बीच

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मत सिंह]

आयेंगे कि नहीं यह भी नहीं मालूम और इसके बाद अक्तूबर, नवम्बर, में भी सदन में आयेंगे, यह भी निश्चित नहीं है। इसलिये हम लोंगों को धीरे-धीरे यह सन्देह हो चला है कि यह सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। इसका भूमिहीनों को जमीन देने का इरादा नहीं है और इसलिये यह सब षड़यन्त्र रचा जा रहा है। चाहे आप वर्किंग कमेटी के नाम पर इसको टालें चाहें और किसी कारणों से, लेकिन आपका इरादा साफ नहीं है। पहले मन्त्री जी का इरादा सन् 1970 से करने का था। पता नहीं किन कारणो से ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि 80-90 एम० एल० एज० के कहने पर कि उन्होंने 70 तक बैनामा किये हैं, उनको नुकसान हो जायगा, इसलिये चलते चलाते उन्होंने अब 24 जरवरी, रखा। और इस बीच में उन्होंने अपना इन्तजाम कर लिये। मैं पूछना चाहता हूं कि इस 24 जरवरी, की सेंटिटी क्या है? इसका पता नहीं चला। अगर 25 जनवरी, करते, तो कुछ सही भी था। पता नहीं क्या भावना मन में आई कि प्रदेश के अन्दर घोषणा कर दी कि इस तारीख से बिल आने वाला है इसलिये उन लोगों ने अपने-अपने बैनामे अपने बेटे वगैरा, रिश्तेदार वगैरा के नाम कर दिये। यह सारा मामला. ऐसा हौच-पौच सा बना गया है कि समझ में नहीं आता कि क्या-क्या है। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बिल को वापिस ले लें क्योंकि इससे कोई मामला हल होने वाला नहीं है और न ही भूमिहीनों को जमीन मिलने वाली है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोन्डा)—

मान्यवर, आप उधर ही के लोगों को बोलने के लिये समय दे रहे हैं .....

श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, त्रिलोक चन्द्र जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का मैं समर्थन करता हूं। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जो इसके काम्पलीकेशन्स हैं और जो इसकी पेचीदगियां हैं, उनको हमारे माल मन्त्री नहीं समझते। मैं यह समझता हूं कि हमारे माल मन्त्री जी सब कुछ समझते हैं लेकिन कुछ मजबूरियां हैं उनके सामने, कुछ परेशानियां हैं उनके सामने, जिसके कारण से वह कुछ कह नहीं पाते। पता नहीं यह सोचते हों कि उनके कुछ कहने से उनकी गद्दी छिन जायेगी या उन्हें रहने भी दिया जायेगा कि नहीं। मान्यवर, जहां तक उनके सोचने का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है कि उनके सोचने का तरीका भी सही है। सब कुछ जानते हुये भी, सब कुछ सोचते हुये भी वह जानबूझ कर सत्य पर पर्दा डाल रहे हैं। मान्यवर, उन्होंने अपने भाषण के आरम्भ में यह कहा कि वे समाजवादी समाज की स्थापना के लिये ऐसा करना चाहते हैं। मान्यवर, किसको आपत्ति है कि इस प्रदेश में समाजवादी समाज की स्थापना न हो, लेकिन इनके करने का एक निराला तरीका है। केवल कहने भर से ही समाजादी समाज की स्थापना नहीं हो सकती। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से अधिष्ठाता महोदय, क्या इस विधेयक के लाने से कोई समाजवादी समाज की स्थापना होने जारही है? नहीं, लेकिन यह बात इन्होंने रट ली है अपनी जबार पर और मौके-बेमौके, घर-बाहर, बैठते-उठते हर समय समाजवादी समाज की स्थापना के ढोल पीट कर गंगा प्रसाद जी जैसे व्यक्तियों को अपने पास जरूर बैठाते रहेंगे जीवन भर। ठीक है। कुछ लोग बैठते रहेंगे और कुछ लोग आपके बहकाये में आकर उधर भी बैठने चले जायेंगे, लेकिन कुछ वक्त के लिये जायेंगे। लेकिन आप सब लोगों को हर समय के लिये नहीं बैठा सकतेहैं,

कुछ को कुछ समय के लिये बहका सकते हैं और कुछ को लम्बे समय तक बहका सकते हैं। हो सकता है गंगा प्रसाद जी तथा अन्य मित्रों को कुछ दिन और बहकाते रहें। बहुत समय तक बहका पाएंगे इसमें मुझे सन्देह है। वह समय आने वाला है जब वे अपनी गलती को समझेंगे और आपके बहकावे में नहीं आएंगे।

अधिष्ठाता महोदय, इसके उद्देश्यों और कारणों में एक बात कही गई है :

"----इस बीच अपनी जोत तथा शहरी सम्पत्ति उक्त विधेयकों के प्रयोजन को निष्फल करने की नीयत से हस्तान्तरित कर देंगे।"

सही बात है। बात समझ में आती है, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपका आर्डिनेन्स आया था उस दिन बड़े-बड़े मालदार आदमियों ने और और बड़ी-बड़ी जोत वालों ने खुशियां मनाई थीं। खुशियां यों मनाई थीं कि उन्हें अन्दाज हो गया था कि केवल 3 महीने वाली ही बात है और रिट्रास्पेक्टिव एफैक्ट नहीं होगा। रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट करने की आपकी नीयत नहीं है। अगर 3 महीने बैनामे चलते रहते तो कौन सा आसमान टूट पड़ता ? क्या आपकी नीयत उनको जायज मानने की है जो कि पहले हो गये हैं ? आपकी नीयत यह है और फिर आप कहते हैं समाजवाद की बात।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--
आप क्या चाहते हैं ?

श्री जगबीर सिंह-
मैं तो वही चाहता हूं जो भाई रियासत हुसैन साहब चाहते हैं।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)--
जब रियासत हुसैन इधर थे तो कुछ और चाहा करते थे और अब कुछ और चाहते हैं।

श्री जगबीर सिंह--
मैं ठाकुर बलबीर सिंह जी को सही कर दूं। रियासत हुसैन साहब न पहले कुछ चाहते थे और न अब कुछ चाहते हैं। पहले बेपर्दा बात किया करते थे और अब बापर्दा करते हैं। वे हाउस में कुछ कहते हैं और बाहर हमसे कुछ और। उनका क्या ईमान धर्म है ? उनकी बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं उनसे माफी चाहता हूं अगर उन्हें कोई तकलीफ हुई हो तो। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। तो मैं कह रहा था कि जो पहले के बैनामें हुए हैं उनका क्या होगा ?

एक दूसरी बात है। इससे ऐसी झलक निकलती है कि आप ३ महीने के बैनामों को खत्म करना चाहते हैं और बाकी जो बैनामे हो गये हैं उन सबको जायज करार देना चाहते हैं। अधिष्ठाता महोदय, इसका क्या असर हुआ ? इसका असर यह हुआ कि आपने 3 महीने की रजिस्ट्रेशन की आय को, जो लगभग 60–70 लाख रुपये होती, समाप्त कर दिया। एक तरफ तो आप आय को समाप्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ 1 एकड़ के किसान पर डेवलपमेन्ट लेवी लगाने तथा भूमि भवन कर लगाने की बात कर रहे हैं। आप इस प्रदेश की आय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

[श्री जगवीर सिंह]

अधिष्ठाता महोदय, एक बात और कही गई । किसी दोस्त ने उस तरफ इशारा नहीं किया। शहरी सम्पत्ति कोई नहीं बेच सकेगा और न कोई बंटवारे की बात करेगा। शहरी सम्पत्ति से आपने कारखानेदारों को निकाल दिया है। अगर कोई मशीन लगाता है तो वह शहरी सम्पत्ति नहीं है और अगर कोई मकान बना लेता है तो वह शहरी सम्पत्ति है। इसमें एक क्लाज है:

"किन्तु इसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, उद्योग या ऐसे ही अन्य तत्सदृश्य" इस प्रकार शहरी सम्पत्ति को डिफाइन किया है। मैं नहीं जानता कि आप 3 लाख या 5 लाख रुपये कितने की सम्पत्ति पर सीमा लगाने वाले हैं लेकिन वह बड़ा आदमी जो 10 लाख रुपये का सिनेमा हाउस चला रहा है उसको आप छूना नहीं चाहते लेकिन जिसके पास ३ लाख रुपये की जायदाद है, जमीन है, मकान है, उनको आप छूना चाहते हैं। मेरी आपत्ति यह नहीं है कि आप इन तीन लाख वालों को नहीं छुयेंगे लेकिन बात जो है वह तो यही है कि जो उससे कहीं बड़ा आदमी है, उसको आप क्यों नहीं छूना चाहते। यह कौन सा समाजवाद है? आप बड़ों को नहीं छूना चाहते, वह क्यों? वह भी मैं जानता हूं वह इसलिये है कि आप उनसे पैसा लेना चाहते हैं, उनकी दौलत चाहते हैं उनसे आप एलेक्शन लड़ना चाहते हैं शर्मा जी. . . . .

श्री अधिष्ठाता--

जब यह सीलिंग का विधेयक आवेगा तभी आप कह सकेंगे इस बात को।

श्री जगबीर सिंह--

मैं इस विधेयक से बाहर नहीं जा रहा हूं। इसमें शहरी सम्पत्ति की डिफिनीशन दी हुई है और जो बात इस विधेयक में है, उसके अन्दर मुझे जो बात होगी, वह कहने का हक है। अगर वह नहीं होता तब तो आपका आदेश शिरोधार्य होता। मुझे जो बात इसमें दी हुई है, उसे मैं कहूंगा। तो यह है आपके समाजवाद का, आपका तौर तरीका। तो मैं शर्मा जी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आपके मन में जो है वही कहिये, जो आप करना चाहते हों और जो आपके दिल में सही, सही बात है, वह कहिये, उसकी हिम्मत दिखाइये लेकिन मुंह में कुछ और दिल में कुछ, यह आपका अनुचित तरीका है। नारों से समाजवाद देश में नहीं आने वाला है। आपको सच्ची बात करनी होगी। कुछ दिनों तक ही सचाई को छिपा सकते हैं। झूठे नारों, झूठी बातों और झूठे वादों से इस देश का भला होने वाला नहीं है और न इससे जनता का भला होने वाला है।

*श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)--

मान्यवर, यह शहरी सम्पत्ति और उसकी अधिकतम सीमा पर पाबन्दी लगाने के लिये यह विधेयक लाया गया है उसके लिये मेरा ऐसा विश्वास है कि यह कदम बहुत ही अधूरा है और सोच समझ कर नहीं लाया गया है। यह सही है कि धारा 3 और 4 में कृषि भूमि के बनामे पर और उसकी रजिस्ट्री पर रोक लगायी गयी है लेकिन मंत्री जी को यह जानकारी होनी चाहिये कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट और यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, इन दोनों कानूनों के अन्दर ट्रांसफर्स की बहुत बड़ी गुंजायश है। धारा 165, जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में पट्टे देने की साफ-साफ व्यवस्था है। अगर कोई भूमिधर किसी को ऐसी वस्तु का पट्टा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देता है जिसके पास साढ़े 12 एकड़ से कम जमीन है तो वह सीधे-सीधे ऐसी भूमि का सीरदार हो जायगा। इस पर कोई रोक नहीं है। इसके अतिरिक्त माल की अदालत में धारा 229 ब और धारा 209 के अन्दर सुलह समझौते के द्वारा जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं और अपनी जमीन जिनको वह बेचना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन पर, उनके ऊपर वह रोक लगा दी गयी है अगर बैनामा करने की पाबन्दी लगा दी गयी हो तो माल की अदालत में उनके लिये यह अधिकार स्वीकार कर लिया गया है। इस दिशा में उनके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं लगायी गयी है।

लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा 33 में जो असल खातेदार हैं अगर उसके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है तो वह उस जमीन का ट्रांसफर करेगा। जो असल खाते हैं किसी भी व्यक्ति के असिस्टेंट कलक्टर फर्स्ट क्लास के सामने स्वीकार कर लेता है कि वह भी खातेदार है तो इस पर कोई पाबन्दी है? उसी तरीके से जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में सुलहनामे के द्वारा वसीयत कर सकते हैं। किसी तरह से अपनी जमीन के वसीयतनामे के लिये पाबन्दी नहीं है। यह है कि उसको रजिस्ट्री कराया जाय महज दो गवाहों की जरूरत है। अदालत माल में इधर दो महीने से जब से हाउस ऐडजर्न किया गया है धड़ल्ले से ऐसी बात की गयी है कि बड़े-बड़े काश्तकारों ने अपनी-अपनी जमीनों का ट्रांसफर किया है और अदालत में उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गयी।

अधिष्ठाता महोदय, उन्हें रोक नहीं लगायी। 229 में यह व्यवस्था है कि दो महीने की नोटिस देना अनिवार्य है। लेकिन मान्यवर, देखा गया है यह कि लोगों ने पिछली तारीख में एस० डी० ओ० के यहां नोटिस देकर अपनी सारी जमीन ट्रान्सफर कर दी। दो महीने के अन्दर गंगा और जमुना में कितना पानी बह गया? मान्यवर, 17 जुलाई के २/३ महीने पहले अध्यादेश जारी किया गया। यह बहुत पहले क्यों नहीं जारी किया गया? लेकिन नहीं मान्यवर, इसके पीछे कुछ मन्सा थी और वह यह कि जो बड़े बड़े फार्मों के मालिक इस सत्ता कांग्रेस में हैं, वे इसका विरोध करते हैं। उनको संतुष्ट करने के लिये कि वे अपनी जमीन ट्रान्सफर कर लें, ऐसी व्यवस्था की गयी। यह अध्यादेश पहले कर दिया होता, तो उन पर रोक लग गयी होती। जब समझा कि सेशन बहुत नजदीक है, तो अध्यादेश जारी कर दिया। मान्यवर, आप कितने की सीलिंग करने जा रहे हैं? मान लीजिये 10 और १८ एकड़ के बीच चाहते हैं तो 10 एकड़ के नीचे जो काश्तकार हैं, उनके ट्रान्सफर में क्यों पाबन्दी लगा दी, इस सीलिंग के विधेयक में जिसको कि आप बनाने जा रहे हैं? 10 एकड़ से नीचे वालों पर यह पाबन्दी लगाना कहां तक जायज है? जनता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगाने की क्या मन्सा है, यह मेरी समझ में नहीं आया। तो मान्यवर, यह जो विधेयक लाया गया है (देर में आये लेकिन दुरुस्त आये) इसका ज्यादा विरोध मैं नहीं करता हूं।

*श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो बिल रखा है राजस्व मंत्री जी ने, इसके ऊपर जो पूर्व वक्ताओं ने बहस की, उसको बड़े ध्यान से सुनकर और इस बिल का जो नामकरण है, उसको देखकर बड़ी शंका और संदेह पैदा हो रहा है, मेरे मस्तिष्क के अन्दर। मैं तो, मान्यवर, यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बसन्त लाल शर्मा]

कहना चाहूंगा कि यह केवल एक राजनीतिक स्टन्ट है, सीलिंग के नाम पर। वास्तविक मन्सा इसकी बिल्कुल नहीं है। हमारे राजस्व मंत्री जी एक अच्छे खासे योग्य वकीलों में से हैं। वे इस वकालत का सही उपयोग करते हैं, कभी एक पक्ष का और कभी दूसरे पक्ष का, जिस पक्ष से अच्छा मेहनताना पाते हैं, उस पक्ष को ग्रहण कर लेते हैं। यह मैंने एक विशेष गुण उनमें देखा और पाया। मान्यवर, जब यह बिल पढ़ा गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मान्यवर, आप देखेंगे कि पहले इस बिल को सन् 70 में लाने को कहा गया। बाद में जो इनकी आल इन्डिया कमेटी है, उसने एक वर्ष की और गुन्जाइश कर दी और सन् 71 आ गया। फिर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। यह बिल रखा अध्यादेश के रूप में कि कोई भी रजिस्ट्रार मकान या जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर सकता है।

मान्यवर, यह संविधान के दफा 19 के अनुसार देखेंगे कि यह जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है। ठीक है। आप कर लें। लेकिन जो बरा सो जरा और जो जरा सो बुताना। वह तो होगा ही। लेकिन इसके ऊपर विचार करें कि यह कितना वेग और संदिग्ध है। इसके शब्दों को देखें, मान्यवर। अभी तो ऐसी शंका है कि अगर बहुमत के आधार पर यह मन्जूर भी कर लिया और हमने पास भी कर दिया इसको, तो मान्यवर, यह तीन महीने की अवधि में ही इस बिल की दूसरी डेट मुकर्रर करनी पड़ेगी और जितने ट्रान्सफर हो जायेंगे, वह सब मान्य होंगे। क्योंकि इस पर इन्होंने 24 फरवरी, 1971 वाला भी कंडेम कर दिया। जब बीच में इन्होंने अवधि निश्चित कर दी कि इतनी अवधि तक वाले अवैध माने जाएंगे तो पिछली चीज तो इन्होंने न्यायालय के लिये छोड़ दी। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा। श्रीमन्, तीन डिग्री हैं-अधिक, अधिकतर और अधिकतम। न कोई अधिक ही निश्चित किया है, न अधिकतर और न अधिकतम। इतना वेग है कि कोई भी नागरिक अगर हाईकोर्ट में चैलेन्ज कर देगा तो यह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अधिकतम सीमा कोई है ही नहीं। जीरो से लेकर प्रतिबन्ध लगा दिया और मौलिक अधिकारों का हनन किया है। हाईकोर्ट में उड़ जाएगा तो यह फिर दूसरा लाएंगे। अगर सरकार की नीयत साफ थी तो निश्चित कर लेते कि इतने मूल्य का मकान या इतने मूल्य की भूमि छोड़कर, बैनामा करेगा या बेचेगा या हस्तान्तरण करेगा तो वह अवैध माना जायगा। तो इसमें वेगनेस लाकर बड़ी कठिनाई उत्पन्न कर दी है। इसमें सदन का समय भी कोई सही उपयोग में नहीं ला रहे हैं। और श्रीमन्, इसका कारण है। कारण यह है कि इनके यहां जो इतने दलबदलू हैं उनके कारण इनकी हिम्मत नहीं है कि कोई भी इस प्रकार का समाजवाद के हित का कानून लाकर यहां उपस्थित कर सकें। आपने आज भी अखबारों में पढ़ा होगा कि कल ही विकास कर के मसले को लेकर पार्टी के अन्दर कैसे जूतम-पैजारी चली है कहीं एक एकड़ कहते हैं, कहीं सवा तीन एकड़ कहते हैं। अभी तो इनके यहां ऐसे-ऐसे सदस्य हैं, जब विकास कर का विधेयक यहां आएगा तो वह उसका विरोध करेंगे।.....

श्री अधिष्ठाता---

वह विधेयक अलग है। इस वक्त आप इसकी बात करें।

श्री बसन्तलाल शर्मा---

श्रीमन् मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई भी काम साफ नियती से किया जाय-हम लोग केवल इसलिये कि विरोध नहीं करते हैं कि विरोध पक्ष में बैठें हैं-अगर समाजवाद के हित

(इस समय 4 बजकर 46 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

में कोई चीज हो तो हम मानेंगे। लेकिन नीयत कुछ और है। राजस्व मंत्री जी दुहाई देते हैं कि जनता साथ देगी, चुनाव में देखा जाएगा। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। यह मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी इस पर सोचें और इसको वापस लें और एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दें, उसके अन्दर बैनामों को बन्द करें। वैसे समय तो आपने पूंजीपतियों की, बड़े-बड़े काश्तकारों को काफी दे दिया।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, अगर यह बिल माननीय शर्मा जी 9 फरवरी को लाते तो मैं इसका हृदय से स्वागत करता। बिल के उद्देश्यों में कहा गया है कि इस बात का खतरा है कि कुछ लोग इस बीच अपनी जोत तथा शहरी सम्पत्ति उक्त विधेयकों के प्रयोजनों को निष्फल करने की नीयत से हस्तान्तरित कर देंगे। माननीय शर्मा जी, खतरा खत्म हो चुका। जमीनें बट चुकी हैं। 9 फरवरी को आप बिल लाए। तमाम प्रदेश में ढिंढोरा पीटा कि हम हृदबन्दी करने जा रहे हैं। बड़े बड़े काश्तकार, जमींदार, धनी किसान, जो इधर और उधर दोनों तरफ मौजूद हैं, उनको आपने जानबूझ कर छूट दे दी कि बैनामा कर लो, जमीन बांट लो, बंटवारा कर लो। तो जमीनें बंट गयीं। खतरा आज आपको महसूस हो रहा है जबकि आपके सिर पर असेम्बली आ गयी। जब असेम्बली में पूछा जाने वाला है कि आपने हृदबन्दी की बात की तो क्यों नहीं आपने ट्रांसफर्स पर रोक लगायी? जब आपका जवाब तलब होने वाला है, जनता की आंखों में धूल झोकने के लिए तब आप इसको लाते हैं।

मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर रोज ही यह मांग रही है कि जमीन जोतने वाले को जमीन मिलनी चाहिये। क्रान्तिकारी सुधार होने चाहिये। 25 साल हो गये हैं इसमें क्या किया गया? जो भी विधेयक लाया गया उसमें कोई न कोई लूपहोल्स ऐसे रह गये जिससे उसकी अवहेलना हो सके। पहले भी इस प्रदेश के अन्दर भूमि की हृदबन्दी की गई। जान-बूझ कर उस कानून को ढीला किया गया। पिछले हृदबन्दी के कानून में एक तारीख नियत की गई थी। उस समय दोनों कांग्रेस एक थीं। उस समय भी उसको ढीला छोड़ा गया। बड़े-बड़े और धनी किसानों को यह मौका जानबूझ कर दिया गया कि वह जमीन को बांट लें। ठीक वही बात अब भी आप कर रहे हैं। हिम्मत नहीं पड़ती है। ऊपर से तो आप समर्थन दे रहे हैं लेकिन दिल के अन्दर क्या है? बात यह है जो धनी किसान इसके समर्थक मौजूद हैं वह इसको करने नहीं देते हैं।

मैं भानू प्रताप सिंह जी को धन्यवाद देता हूं और वह आपके मन की भावनाओं को प्रकट करने के प्रतिनिधि हैं। आपकी जो दिली भावनायें हैं उसके प्रतीक इन्दिरा जी या कमलापति जी नहीं हैं। मैं तो इसको भानू प्रताप सिंह जी को मानता हूं। आप आयोग गठित करते हैं और वह सो जाता है। जब उस पर दबाव पड़ता है तो वह अपनी शिफारिश देता है। लेकिन क्या वह मानी जाती है? अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक अलग कमेटी बैठी। उस कमेटी ने भी शिफारिश की लेकिन फिर भी इसको लागू करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। आप यह कहते हैं कि मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हो उसमें यह तय करेंगे। वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

सम्मेलन भी हो गया। आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आप जमीन की हद बन्दी करें। विरोधी पक्ष मांग करता है परन्तु आपके दल के अन्दर भी तो ऐसे लोग हैं किसान हैं, और जिनका स्वार्थ अटका है, वे इसको नहीं करने देते हैं। शासक दल में ऐसे भी लोग हैं जो जमीन का बटवारा और जोतने की बात करते हैं लेकिन इसमें आपके नेतृत्व को खतरा है क्योंकि इससे लाभ तो बड़े किसानों का है. जमीदारों का है। पार्टी का अनुशासन आपका मुंह बन्द किये है लेकिन आप अपनी पार्टी के अन्दर तो जमकर संघर्ष कर सकते हैं। यही स्थिति रही तो कांग्रेस की भी वही स्थिति हो जायगी जो कि अनडिवाइडेड कांग्रेस की हुई है।

जो आपका घोषणा पत्र था, जो-जो बातें आपने चुनाव के समय जनता के बीच में कहीं थीं आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का आश्वासन दिया था उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के विधायकों पर है। उनका कर्त्तव्य है कि वे देखें कि बीच में कौन से ऐसे लोग हैं जो क्रान्तिकारी कदम उठाने की मुखालिफत करते हैं या करना चाहते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

अब आगे से तो आप कांग्रेस की ड्रम नहीं पीटेंगे ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

अब आपके समझ में आया। कहीं आप न करन लगियेगा।

आज भी एक संदेह पैदा होता है। ३ महीने की हद रखी। कहीं ऐसा न हो कि जिस तारीख से आपने हस्तान्तरित किया उसी तारीख को आप जोत की सीमा समझें। आप इस स्थिति को स्पष्ट कीजिये। इस प्रदेश के अन्दर जब कि चौधरी चरण सिंह का शासन था 20 फरवरी को चौधरी साहब ने यह घोषणा की थी कि जमीन की हदबन्दी की जायेगी। क्या आपका कानून भी तो उसी तरह से नहीं है ? आपको इस पर विचार करना चाहिये।

श्री बलवीर सिंह--

मान्यवर, मैं बहुत कम समय लूंगा। जिन सदस्यों के भाषण हुये हैं, उन्होंने यह साबित कर दिया है कि यह जो बिल लाया गया है या जनता के साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी ह। हमने एक हिन्दी के अखबार में एक कार्टून देखा था .....

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

"गायबाना" का जरा मतलब बता दीजिये।

श्री बलवीर सिंह--

"गायबाना" का मतलब है पीछे। यानी पीछे आपको दुनियां क्या कहती है। तो अखबार वाले ने एक कार्टून बनाया और हमारे मन्त्री जी को इशारा कर के कहा कि मन्त्री जी, करने वालों को जो करना था कर गये, अब क्या रखा है।

(श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री राम गोपाल सण्ड के बोलने के लिये खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष ---

अब समय कहां है। असल में यह जो संशोधन रखे गये हैं, यह इस विधेयक के उद्देश्य और कारण के विपरीत पड़ते हैं। क्योंकि विधेयक का उद्देश्य यह है कि जल्दी कार्यवाही हो। संशोधन पर बोलिये लेकिन संशोधन पर बोलने की बहुत कम गुंजायश है।

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

इस विधेयक के पास होने तक समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

समय तो हमारे पास है क्योंकि एक तो आधा घंटे की चर्चा है और 2 घंटे की चर्चा है। तो ढाई घंटे का समय है। इसको भी बढ़ा देते हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

जैसा कि आपने कहा, इस पर बोलने की गुंजायश यों है कि अगर हस्तान्तरण पर रोक लगाने का मकसद है तो 9 मई को यह विधेयक आया था और हम लोगों ने उस समय यह मांग की थी कि ट्रान्सफर हो रहे हैं, सरकार उन पर रोक लगाये। लेकिन सरकार ने उस वक्त रोक न लगा कर 12 जुलाई को रोक लगायी जबकि 17 जुलाई से सदन होने जा रहा था। तो हमें तो ऐसा लगता है कि मुख्य मन्त्री और राजस्व मन्त्री बड़े चतुर हैं। इनको आज प्रदेश दिखलायी नहीं देता और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है यह विधेयक। इन्हीं दोनों मन्त्रियों के नाबालिग बच्चे नहीं है केवल बालिग बच्चे हैं। तो इस विधेयक में बालिग को तो हक दिया लेकिन नाबालिग को नहीं दिया। इनका मकसद ऐसे लोगों को दो, तीन महीने की छूट देना था जिनके पास बड़ी जमीनें थीं। दो महीने में बहुत ट्रान्सफर्स हो गये। आप 1970-71 की कह रहें हैं, मैं तो कह रहा हूं कि जब से जमींदारी उन्मूलन हुआ है तब से रोक लगा दीजिये। इस विधेयक से तो गरीबों पर चोट पड़ रही है। आज एक एकड़ जमीन वाले और शहर में छोटे मकान वाले पर भी रोक लग गयी है। तो गरीब आदमी जो बाढ़ वगैरह के कारण ऋणी होता गया है उन लोगों को यह सरकार ऋणी बना रही है और ऋणी बनाते-बनाते उनकी सारी सम्पत्ति को खुद हथिया रही है। आपने तो छोटी-छोटी जोत वालों पर रोक लगा दी। अगर उनको छूट दिये होते तो मैं समझता कि आपको उनसे हमदर्दी है।

मान्यवर, हमारे क्रान्तिदल ने कहा था कि सम्पत्ति की सीलिंग के साथ साथ वाणिज्य, व्यापार, सिनेमाघर, शीतगृह, ट्रान्सपोर्ट आदि पर भी सीलिंग लगनी चाहिये थी। सरकार की नीयत अगर उनको भी छूने की है तो उस पर भी सीलिंग लगाइये।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैं इस विधेयक का इसलिये विरोध कर रहा हूं कि मई के महीने में यह विधेयक जब आया था तो उस समय कहा गया था कि जोत की सीमा निश्चित की जायेगी, लेकिन फिर 12 सितम्बर तक के लिये टाल दिया गया। यह सरकार अनिश्चितता की शिका है। यह कोई निश्चय ही नहीं कर पाती है। कभी किसी कमेटी को मामला रिफर (Refer) कर दिया जाता है, कभी चन्द्रजीत यादव की रिपोर्ट आती है, कभी वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट आती है तो कभी मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रश्न उठाया जाता है मगर अभी तक यह सरकार कोई निश्चय नहीं कर पायी है। इनमें आपस में ही अभी एकमत नहीं हो पाया है।

भारतीय जनसंघ ने अपने गाजियाबाद सम्मेलन तथा अन्य सम्मेलनों में भी यह मांग की कि शहरी सम्पत्ति की सीमा ३ लाख होनी चाहिये। यह विधेयक जो मान्यवर, आया है, अपूर्ण है। मैं तो मांग करता हूं कि जिस तिथि से आपने सीलिंग लगाने की घोषणा

[श्री राम गोपाल सण्ड]

की थी उस तिथि को उसको लगाया जाय। आप की नीयत साफ नहीं है। जब से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया तभी से इसको जारी करना चाहिये था। यह तिथियां समय-समय पर आप क्यों बदलते रहे। इनके घर के अन्दर ही अभी विवाद चल रहा है। मैं नारायणदत्त तिवारी जी से पूछना चाहता हूं, जो सरकारी आपकी सम्पत्ति है महानगर के अन्दर जो बिल्डिग हैं, श्रम विभाग के जो मकान हैं, इलाहाबाद में जो सम्पत्ति है, उस पर ३ लाख की सीलिंग क्यों नहीं लगायी? यह बिल अपूर्ण है। इस में तमाम खामियां हैं। इसको रिजेक्ट कर देना चाहिये। इसलिये यह संशोधन जो रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह प्रवर समिति में जाय जहां सारे मामले पर विचार हो। (व्यवधान) इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मेरे संशोधन का समर्थन किया। मैं उन लोगों का भी आभारी हूं जिन्होंने मेरे संशोधन पर अपनी मौन स्वीकृति प्रदान की और सरकारी पक्ष से वे बिलकुल नहीं बोले। तो उससे महसूस होता है कि उनकी भी मौन सहमति है, क्योंकि चुप रहना स्वीकृति का सूचक है। जहां तक इस बिल की बात है, ३ महीनों में लाये हैं। इस सदन में एक मात्र मन्त्री जी ऐसे सदस्य हैं जो अपनी बात की वकालत कर रहे हैं, जिसमें कोई दम नहीं है, यह माननीय सदस्यों की राय से जाहिर हो गया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप जो जनता को गुमराह करना चाहते हैं, बहकावा देना चाहते हैं, आप उस जनता के सामने साफ घोषणा करें कि उनको करना क्या है। छोटी जनता परेशान हो रही है जबकि बड़ी फैक्टरी वालों को, सिनेमा वालों को, आपने छूट दे रखी है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह यहां सर्वमान्य राय है कि यह जो यह बिल लायें हैं वह बिलकुल अपूर्ण हैं, उसे प्रवर समिति को भेज दिया जाये, ताकि उस पर विस्तार से विचार हो जाये, कि किन-किन चीजों पर इल्लीगल ट्रान्सफर के लिये रोक लगनी चाहिये। मैं अन्त में पुन: एक बार मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे संशोधन को सहर्ष स्वीकार कर लें।

श्री उदित नारायण शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरम्भ में ही यह निवेदन कर दूं कि माननीय सदस्यों ने शहरी सम्पत्ति की परिभाषा के ऊपर जो आपत्ति की है, उनका उत्तर देना शायद आज के सन्दर्भ में उचित नहीं होगा। उसका समय आयेगा और जल्दी आयेगा, जिस उस वक्त हम उस पर चर्चा करेंगे और विस्तार से करेंगे। दो-एक बातें ऐसी हैं, जिनका मुझसे स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। माननीय नेगी जी ने मेरे ऊपर आक्षेप लगाया है और कहा है कि यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि आपके दोनों विधेयक जो हैं, उनमें जब पहले से—विथ रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट (पीछे की तारीख से) लागू करने का प्राविधान मौजूद था, तो यह तीन महीने का प्राविधान और लाने की क्या आवश्यकता थी? श्रीमन, इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि यदि बात समझ में न आये तो वह सन्देह को जन्म देती है। मैं यह बात तो नहीं जानता कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों को वास्तव में यह बात समझ में नहीं आई या श्रीमन्, जानबूझ कर उसको समझने से इन्कार किया। बहरहाल मैं ऐसी धृष्टता नहीं करूंगा कि

उनकी समझ में नहीं आया। मैं समझता हुं कि उनके समझ में जरूर आया है। किन्तु आखिर आलोचना तो करनी ही है, तो अवश्य करनी चाहिये। तो वह सदैव हमें शिरोधार्य है, और सुबह से शाम तक शिरोधार्य होती है। यह सही है कि हमने बिल पेश कर दिये हैं और यह भी सही है कि इन दोनों विधेयकों को पहले की तारीख से लागू करने का निश्चय किया है और उसका प्राविधान किया है। श्रीमन्, इस सम्मानित सदन में जो विधेयक आते हैं, उनके बारे में यह सोचना, अगर आप अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करने की इजाजत दें तो मैं कहूं--"है पी-फिक्शन", तो उसको कोई मानकर नहीं चल सकता कि वह पास ही हो जायगा। हमारा भारी बहुमत है, पास हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं, फिर भी यह मानकर चलना होता है और सम्भावना यही भी हो सकती है कि सदन में आयेगा, हो सकता है उसमें अदल बदल हो, उलट-फेर हो, जिसे माना जाय और कोई न माना जाय। जब तक पास नहीं होता सभी तरह की सम्भावनायें बनी रहती हैं। समझ में नहीं आया तो उसके होते हुये पास कर दिया था, तो हमारा इरादा कैसे गलत हो गया? वह तो अपनी जगह लिखित ही है।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष, महोदय, अगर आप आज्ञा दें, तो मैं मन्त्री जी से एक स्पष्टीकरण जान लूं। अगर यह निर्णय था कि इसके इफेक्ट उस रोज से होगा या 24 फरवरी, 1970 से तो यह जो आर्डिनेन्स आप लाये हैं, वह उसी रोज क्यों नहीं लाये थे? मैं माफी चाहता हूं, मैं उस वक्त नहीं था। लेकिन यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर औचित्य था तो तब क्यों नहीं लाये, और अगर औचित्य नहीं था तो अब क्यों लाये? इसका मतलब सब यह हुआ कि एक तरीके से आप लोगों से कहते हैं कि तुमने जो अब तक कर लिया है वह सही है अब आगे को नहीं होने देंगें।

श्री उदितनारायण शर्मा--

चौधरी चरण सिंह ने थोड़ा साइन्तजार किया होता तो उन्हें यह कष्ट न करना पड़ता। उसके ऊपर काफी एतराज किया गया है। जाहिरा मालूम पड़ता है कि उस पर उन्हें एतराज हो सकता है। मैंने यह नहीं कहा कि इसमें सन्देह है कि बिल पास होगा। मैंने यह कहा कि यह मान्यता देनी पड़ेगी कि किसी भी सदन के सम्मुख किसी भी विधेयक को लायें तो यह मान कर चलेंगे कि वह पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, तरमीम भी हो सकता है। केवल यह बात कही है। जिस बात की तरफ चौधरी साहब और दूसरे मित्रों ने ध्यान दिलाया है, मैं उस बात को पहले कह देता हू यद्यपि किसी दूसरे संन्दर्भ में कहने की बात थी। हमारे ऊपर यह आरोप है कि जब मई में हम लोग उठे थे तो उसी वक्त क्यों नहीं ला दिया गया मैं निवेदन करूंगा कि विधान सभा स्थगित हुई 12 मई, 1972 को।

विधान परिषद् का सत्रावसान हुआ 15 मई, 1972 को। मन्त्रि परिषद् ने निर्णय लिया दिनांक 18 मई, 1972 को। यह वह अध्यादेश था जिसकी स्वीकृति प्रेसीडेन्ट से होना आवश्यक थी। 18 तारीख को हमनें इसको के पास भेज दिया, प्रस्ताव करके गृह मन्त्रालय के पास पत्र दिनांक 18 मई, 1972 को ही भेज दिया। और विशेष पत्रवाहक के द्वारा भेजा, जो उनको 19 मई को मिल गया। उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त

[श्री उदित नारायण शर्मा]

हुई दिनांक 30 जून, 1972 को जिसमें से यहां वहां आने में चार-पांच रोज का समय बीत गया 11 तारीख को पेश हुआ। उस रोज माननीय नेगी जी को बड़ी आपत्ति हो रही थी कि आखिर सत्र प्रारम्भ हो रहा था, दो दिन पहले अध्यादेश की क्या जरूरत थी। जितने अध्यादेश आते हैं उनके विरोध में अगर यह कहा जाय कि जैसे ही सत्रावसान हुआ वैसे ही अध्यादेश लें आयें तब तो आपत्ति की बात हो सकती है, दो रोज और सदन चल सकता था, हमारे सम्मुख बिल ला सकते थे। लेकिन इसमें क्या किसी की नीयत खराब हो सकती है।

हम जानते हैं कि दो दिन तक इसी सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ेगा बिल के रूप में। फिर क्या जरूरत है कि हम पेश कर दें, केवल इसलिये कि जिस काम को जल्दी से जल्दी होना चाहिये, उसको यथासम्भव जल्दी करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी नीयत हो नहीं सकती है। यह तीन महीने का जो हमने समय रखा है अगर इस पर निष्पक्ष हो कर विचार करने की कोशिश करें, यदि वास्तव में सब लोग मिल जुल कर किन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति की आकांक्षा करते हैं, तो उनकी जरूर समझ में आ जाता कि हमारी नीति का साफ होने, स्वस्थ होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हमने कहा कि तीन महीने के लिये ला रहे हैं जिसका मतलब यह है कि तीन महीने के अन्दर इस बिल को पेश करेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

काम से या जबान से ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

इस तीन महीने में मालूम हो जायगा। इससे ज्यादा थोड़े ही ठहरना पड़ेगा। ये सारी चीजें दस बारह रोज में मालूम होने वाली हैं। इतनी उतावली क्यों है ? कई माननीय सदस्यों ने कहा आप लाना नहीं चाहते। जरा सोचते, मान लीजिये नहीं लाने वाले हैं तो आपको यह कहने का मौका दे दिया कि हम नहीं लाने वाले थे। लेकिन थोड़ी सी दो तीन महीने की गुंजायश कर ली। और उसके बाद यह जितने लांछन, टीका-टिप्पणी तथा इरादों पर हमले हो रहे थे उनकी जरूरत नहीं पड़ती। यह एक रिवाज सा हो गया है कि मौका मिलना चाहिये ताकि सबसे पहले इरादों तथा मंशा पर हमला हो और यह जो विधेयक हम लाये उसके इरादे पढ़ लिये गये कि नीयत हमारी खराब है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस निष्ठा तथा निश्चय के साथ हमने बिलों को पेश किया है उसी के साथ हम उनको पास करना चाहते हैं। इसीलिये यह आवश्यक हुआ कि इस विधेयक को भी हम अध्यादेश के रूप में लावें और उसके बाद विधेयक के रूप में लावें। बहुत चर्चा इस बात की हुई कि रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट कब से देंगे। थोड़ा सा ध्यान यह देना चाहिये कि कौन-सी बात किस सन्दर्भ में कही जा रही है। जो विधेयक आपके सामने लाया गया है, उसी पर हमको यहां पर चर्चा करनी चाहिये। वह विधेयक आयेगा।

कौन सी तारीख रखने वाले हैं, रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देने वाले हैं वह चीज आपके सामने आयेगी। इसमें कहां गुंजायश है कि आप इरादों पर हमलें करें ? जिस रूप में आना है वह आपके सामने आ जाय तब शौक के साथ आप आलोचना कीजिये और उसके लिये आपको समय मिलेगा। आज उन बातों को आप क्यों कहते हैं कि जो कल जाकर निश्चय

पूर्वक गलत सिद्ध होने वाली हैं? माननीय सदस्यों ने एक आपत्ति यह भी की कि जो 10 एकड़ से कम की जोतें हैं उनके हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाने की आखिर क्या आवश्यकता थी? यह बात जाहिर करना ठीक मालूम होती है। कारण यह है कि जब कभी रजिस्ट्री के आफिस में हर एक बैनामा जायगा तो रजिस्ट्रार के लिये यह सम्भव नहीं होगा कि उसको पता चलता जाय कि उसके पास केवल 10 एकड़ जमीन है, उसके कम है अथवा उससे ज्यादा है। तीन महीने की बात है इसलिये यह रखना जरूरी था। वैसे धारा 3 है जिसके अन्तर्गत आवश्यकता पड़ेगी और मालूम होगा कि जायज है, आवश्यकता है इस बात की तो वहां पर हम इजाजत भी दे देंगे। बैनामा कर लिया जाय। कुछ जरूरतमन्द ऐसे हो सकते हैं कि उनकी इजाजत दे दी जायगी लेकिन दुरुपयोग न हो सके इसलिये यह नियम के रूप में रखना पड़ा।

एक बात यह कही गयी कि हमने लाखों रुपये का नुकसान कर दिया इतने दिन तक रजिस्ट्री बन्द करके किसी कानून को निष्फल करने की वजह से गलत बैनामा न होने पाये उसे भी रोकिये और उससे जो आमदनी होने वाली है उसको भी मत रोकिये तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? जो बैनामे होने वाले हैं वह होंगे और इस प्रकार वह आमदनी कहां जायेगी? हां जो फर्जी होने वाले थे वह नहीं होंगे उससे हमारे अभीष्ट तथा लक्ष्य की पूर्ति होगी। यह जो विधेयक आपके सामने हम लाये हैं यह बहुत आवश्यक था, हमारी निष्ठा का प्रमाण था। हम जो कहते हैं उसे करना चाहते हैं इसलिये इसे लाये थे और मेरे इस स्पष्टीकरण के बाद मुझे उम्मीद है कि हमारे जो माननीय सदस्यों ने संशोधन पेश किया है कि इसे एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो एक माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे यह संशोधन इस सन्दर्भ में उचित भी नहीं है जब आप कहते हैं कि हम इसको लाने के लिये जल्दी क्यों नहीं करते। प्रवर समिति में जाने से इसमें देर लगेगी। इसलिये यह आपका संशोधन केवल संशोधन के लिये ही है और मेरी दरख्वास्त है कि वह इसको वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, 1972 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, 1972 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "कृषि-भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी के अधिकार या अध्यासन के कृषि, उद्यानकरण या पशुपालन,

जिसके अन्तर्गत मत्स्य सम्बर्धन और कुक्कुट पालन भी है, से संबंध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये हो और इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि पर विद्यमान कोई भवन, वृक्ष, कुंए तथा अन्य समुन्नतियां भी हैं,

(ख) "शहरी सम्पत्ति" का तात्पर्य उन समस्त भूमि और भवनों से है जो किसी नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटी-फाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या कैन्टोनमेंट बोर्ड के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किस क्षेत्र मे स्थित हों ;

किन्तु इसके अन्तर्गत व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, उद्योग या ऐसे ही अन्य तत्सदृश्य कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ भूमि में लगाये गये या भवन में अन्तर्विष्ट कोई संयंत्र, मशीन या अन्य फिक्स-चर नहीं है ;

(ग) "बहुजन-धारित कम्पनी" का तात्पर्य कम्पनीज ऐक्ट, 1956 में यथापरिभाषित कम्पनी (जो प्राईवेट कम्पनी न हो) से है, जिसके अंश सिक्यूरिटीज कंट्रेक्ट्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1956, और तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूची-बद्ध हो।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 3, 4, 5, 6, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

अन्तरण पर निर्बन्धन

3—(1) दिनांक 12 जुलाई, 1972 से प्रारम्भ होने वाली तीन महीने की अवधि के भीतर कोई व्यक्ति, उपधारा (3) और (4) में स्पष्टतया की गयी व्यवस्था के सिवाय, किसी शहरी सम्पत्ति या कृषि भूमि का अन्तरण नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) का उल्लंघन करके किया गया कोई अन्तरण शून्य होगा और तदनुसार किसी अधिकतम सीमा का, जो एतद्पश्चात् किसी विधि के अधीन आरोपित किया जाय, अवधारण करने के प्रयोजनार्थ उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

(3) उपधारा (1) की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं समझी जायगी—

(क) एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये शहरी सम्पत्ति के किसी पटटे पर;

(ख) 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 157 में व्यवस्थित मामलों में कृषि भूमि के किसी पट्टे पर ;

(ग) उन सभी अन्तरणों पर जो निम्नलिखित द्वारा या उसके पक्ष में किया गया हो—

(1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण ;

(2) कोई निगमित निकाय (जिसमें कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कम्पनी शामिल है) जिसमें समादत्त अंश पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या अंशतः केन्द्रीय सरकार और अंशतः राज्य सरकार द्वारा, धृत हो ;

(3) विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् या विधि द्वारा स्थापित अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई अन्य निगम ;

(4) कोई सहकारी समिति जिसकी अंश पूंजी में राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से अंशदान किया हो अथवा जिसकी अंशपूंजी के निर्माण या वृद्धि में, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अध्याय 6 में व्यवस्थित रीति से उसने अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की हो, अथवा उक्त अधिनियम के अर्थान्तर्गत कोई शीर्ष समिति अथवा कोई सहकारी भूमि विकास बैंक;

(5) कोई बहुजन धारित कम्पनी ;

(6) उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित बैंकिंग कम्पनी, अथवा कोई सहकारी बैंक ।

(4) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायें किसी शहरी सम्पत्ति अथवा कृषि भूमि को इस अधिनियम के उपबन्धों से अवमुक्त कर सकती है ; और यदि ऐसी सम्पत्ति या भूमि का प्रयोग शैक्षिक, वैज्ञानिक , औद्योगिक या व्यापारिक प्रयोजनों के लिये या अन्य उसी प्रकार के प्रयोजनों के लिये किया जाने वाला हो, तो उसके विक्रय या अन्य अन्तरण की अनुज्ञा दे सकती है ।

रजिस्ट्रीकरण पर निर्बन्धन

4—भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधियिनम, 1908 के अधीन नियुक्त कोई रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी धारा 3 द्वारा प्रतिषिद्ध किसी अन्तरण से सम्बद्ध किसी लेख्य का रजिस्ट्रीकरण नहीं करेगा ।

यह अधिनियम किसी अन्य विधि या संविदा पर अभिभावी होगा ।

5—इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी अन्य विधि, या किसी संविदा अथवा अन्य संलेख में तत्संबंधी किसी असंगत बात होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15, 1972

6—(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम संपत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायगी मानों यह अधिनियम 12 जुलाई, 1972 को प्रवृत्त हो गया था।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, 1972

कृषि भूमि तथा शहरी सम्पत्तियों के कतिपय अन्तरणों को, अस्थायी अवधि के दौरान, निर्बन्धित करने और तत्सम्बद्ध प्रयोजनों की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 (1) को हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

> "दिनांक 20 फरवरी, 1970 से लेकर इस अधिनियम के पारित होने से 3 माह की अवधि तक किसी शहरी सम्पत्ति या कृषि भूमि का अन्तरण वैध नहीं समझा जायगा।"

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 (4) में शब्द "औद्योगिक या व्यापारिक" निकाल दिये जाय।

मान्यवर, इस संशोधन की इसलिये आवश्यकता है जैसे कि हमारी कांग्रेस सिद्धान्ततया यह स्वीकार कर चुकी है कि इन विधेयकों को रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट लागू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 20 फरवरी को जब माननीय चौधरी चरण सिंह थे और जो वर्तमान मुख्य मंत्री हैं वे भी थे, इन्होंने घोषणा की थी कि यहां पर हदबन्दी की जायेगी। तो मैं माननीय शर्मा जी से भी यह कहना चाहूंगा कि यदि आप इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करेंगे तो जिस इरादे से इसको आप लागू करना चाहते हैं कि बंटवारा भूमि का न हो सके, वह नहीं होगा। इसलिये मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे इस संशोधन को मान लें।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, मैं नहीं समझ पाया कि माननीय नेगी जी ने कैसे इसे प्रस्तावित किया है। यह रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट कब से होगा, यह तो जब मूल विधेयक आयेगा तब उस पर विचार

किया जायेगा। उसके पहले नहीं हो सकता है। इसलिये यह मेरी मजबूरी है, मैं इस संशोधन को नहीं मान सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3(1) को हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"दिनांक 20 फरवरी, 1970 से लेकर इस अधिनियम के पारित होने से 3 माह की अवधि तक किसी शहरी सम्पत्ति या कृषि भूमि का अन्तरण वैध नहीं समझा जायेगा।"

खण्ड 3 (4) मेंशब्द "औद्योगिक या व्यापारिक" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3, 4, 5, 6 तथा खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, 1972 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, 1972 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

आज नियम 51 की 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। सबसे पहली सूचना माननीय विश्वनाथ कपूर, माननीय बंशीधर पांडेय, माननीय सुरेन्द्र विक्रम, माननीय राम विलास पांडेय तथा माननीय चन्द्रमोहन सिंह नेगी की है जिसमें उन्होंने फैजाबाद के साकेत डिग्री कालेज में बी० ए० की कक्षा में मिलेट्री साइंस एवं साइक्लोजी में छात्रों को अनुमति न दिये जाने के बारे में कहा है। यह 1–8–72 को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

दूसरी सूचना श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह की है जिसमें उप निदेशक संस्कृत के पद पर संस्कृत निरीक्षकों की पदोन्नति न करके एक राजकीय महाविद्यालय के प्राध्यापक की नियुक्ति की है। इसको अस्वीकार किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको मैंने सम्बन्धित मंत्री को निर्देशित कर दिया है कि इस पर कार्यवाही करें और उस कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें।

3—श्री गोविन्द सिंह नेगी का है— "जिला आजमगढ़ के भूतपूर्व जमींदारों द्वारा पुलिस की साजिश से हरिजनों पर अत्याचार।"

इसको दिनांक 1–8–72 को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

4—सर्वश्री शम्भूनाथ चौधरी व त्रिलोक चन्द जी का है—"जनपद फैजाबाद के जैदपुर टिकरी ग्राम के शोषित पीड़ित हरिजनों की अपनी मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल।"

यह भी स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, हरिजनों पर अत्याचार किया गया है। रिपोर्ट यह है कि रिपोर्ट हुई फिर भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष—

यह इसलिये अस्वीकृत हुआ है कि हरिजनों के सम्बन्ध में एक जगह और वक्तव्य देना स्वीकार हुआ है तो उसी में उसका समावेश कर दिया जायेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

वहां मारपीट हुई और 6-5-72 को कत्ल भी हुआ और उस घटना का मैंने उल्लेख भी कर दिया है। रिपोर्ट लिखाने की चीज तो सन् 1971-72 से चल रही है और पुलिस ने उस पर कोई कार्यवाही ही नहीं की। जब पुलिस कोई कार्यवाही ही नहीं करती तो विधान सभा के सामने यह सरकार किस लिये बैठी हुई है। मैंने तो तारीख वाईज रिपोर्ट का उत्तर दिया है। यह सरकार हरिजनों की बड़ी हामी बनती है लेकिन उनके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, कत्ल भी हो गया लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सूचना चूंकि आपकी पर्चे पर आधारित थी इसलिये इसको अस्वीकार कर दिया गया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

अब तो मैंने स्वयं जाकर उनसे सम्पर्क स्थापित किया और फिर आपको लिख कर सूचना दी।

श्री उपाध्यक्ष—

उसी में इसको शामिल कर लिया जायेगा जो हरिजनों पर वक्तव्य दिया जायेगा। उसी पर आप अपनी बात भी कह देंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

हरिजनों पर हुए अत्याचार को वहां शामिल करने से क्या होगा?

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, यह बड़ा सीरियस मामला है। इस तरह की कार्यवाही के सम्बन्ध में कम से कम दर्जनों दरख्वास्तें मेरे पास आयीं। मैंने उनको अधिकारियों के पास भेजा लेकिन किसी अधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की। अगर इसी तरह से मारपीट होती रही, अत्याचार होते रहे, और उसी सिलसिले में कत्ल भी हो गया एक नान हरिजन का। हरिजनों पर दूसरे जिले में मुकदमें दायर कर दिये गये, कहीं मुरादाबाद में, कहीं आगरा में, कहीं ट्रैक्टर उनके रास्ते में आया, तो कहीं गायें चरती हुई उनके खेतों में पायी गयीं तो उनको लेकर उनको परेशान किया जाता रहा और उन पर बाहर मुकदमें चलाये गये और इस तरह से उनको परेशान किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

दोनों को एक साथ मिलाने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? उस पर चर्चा कर लें या वक्तव्य हो जाय।

श्री जयराम वर्मा--

इससे उनके साथ जस्टिस नहीं हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, तो मैं इसको केवल वक्तव्य के लिये अलग से ले लेता हूं।

अब शेष अस्वीकार हैं। श्री सुरेन्द्र विक्रम जी का आगरा में विषैली शराब पीने से 12 व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में है। इस पर आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें।

6--श्री त्रिवेणी सहाय--"घोर वर्षा के कारण राज्य सरकार द्वारा गोंडा जिले को 30 लाख का अनुदान के वितरण में अधिकारियों द्वारा अनियमितायें।"

श्री त्रिवेणी सहाय जी, इस पर भी आप प्रश्न कर लें।

7--चौधरी रामपाल सिंह यादव--"ग्राम कानपुर और इटावा जिले के सरहदी बाजार कन्चौसी से काकोरी सड़क बनाये जाने पर सरकार के निर्णय के सम्बन्ध में।"

यह सड़क बनाने से सम्बन्धित सवाल है। आप प्रश्न कर लें, यह नियम 51 में स्वीकार नहीं हो सकता।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि नियम 51 में दे दो, जब मैंने उनसे इस सम्बन्ध में निवेदन किया था।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्न कर लीजिये।

अब यह आखिरी माननीय नित्यानन्द स्वामी जी का है। उन्होंने उसे दोहरा दिया है। देहरादून शहर में हत्याओं, डकैती और लूटमार के सम्बन्ध में है। इसके संबंध में अल्प सूचित तारांकित प्रश्न कर लें।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर,

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम 23 को लेने वाले हैं आपको किसके संबंध में कहना है?

श्री कल्पनाथ सिंह---

मुझे 24 के संबंध में कहना है।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी 24 नहीं आया। पहले हम 23 लें लें।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप मान्यवर, सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी 23 को हम ले रहे हैं। जब 24 आये तब आप कहिये। उसको अभी कैसे ले लें।

मसोधा धान अनुसंधान केन्द्र (फैजाबाद) के श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टी बन्द कर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, फैजाबाद जिले में मसोधा धान अनुसंधान केन्द्र राज्य सरकार का है। उसका हमारे देश में आठवां स्थान है। वहां का जो इंफीरियर स्टाफ है उसको एक वर्ष से कोई छुट्टी नहीं दी जा रही है। न इतवार की छुट्टी, न केजुअल लीव, न अर्नलीव और न किसी त्योहार की छुट्टी उनको दी जाती है। हमने जब प्रश्न किया तो हमें उत्तर मिला कि इनको कभी छुट्टी नहीं दी गई इसलिये छुट्टी देने का सवाल नहीं उठता है। इस पर डाक्टर सीताराम के हस्ताक्षर हैं। अनुसंधान केन्द्र में कभी छुटटी नहीं दी जाती है, इसलिये प्रश्न नहीं उठता है। मान्यवर, ताज्जुब हुआ कि यह उत्तर कैसे आ गया। जो हमारे माननीय कृषि मंत्री हैं वे तो रिजर्व सीट से आते हैं और यह इंफीरियर स्टाफ का मामला है और हमारी सरकार हरिजनों की बड़ी हमदर्द अपने को कहती है। लेकिन इनकी प्रवृत्ति पुराने जमींदारों से भी गई गुजरी है। अब यह देखें कि यह एक नेचर है कि नौकरशाही ने जो चीज मेज दी वही जबाब आ गया। यह गलत बयान दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें जबाब का प्रश्न नहीं आता। आप इस मामले पर चर्चा कीजिये कि आप क्या बात कहना चाहते हैं?

श्री विश्वनाथ कपूर--

मान्यवर, गलत उत्तर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको यदि चर्चा शुरू करनी हो तो कीजिये वरना हम आगे चलते हैं। आप चर्चा शुरू करें।

श्री विश्वनाथ कपूर--

उनको साप्ताहिक छुट्टी मिलती थी, कैजुअल लीव और अर्नलीव भी मिलती थी। मान्यवर, यह चिट्ठी में दिया है। अंग्रेजी में है मैं इसको पढ़ देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अंग्रेजी में नहीं पढ़िये बल्कि सारांश बता दीजिये।

श्री विश्वनाथ कपूर--

मान्यवर, यह राज्यपाल महोदय ने 21 अप्रैल, 1956 को एक जी० ओ० इश्यू किया था कि दस दिन की इनको त्योहार की छुट्टी मिलेगी, चार दिन की स्पेशल लीव मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह तो सब जानते हैं यह सामान्य जानकारी की बात है। आप खास बात बताइये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विश्वनाथ कपूर---

मान्यवर, उधर से उत्तर आ गया है कि उनको कभी कोई छुट्टी नहीं दी गई, इसलिये छुट्टी नहीं दी जा सकती है। इसके बाद श्रमिक मजबूर होकर लेबर इन्सपेक्टर के पास गये। उन्होंने लिखा कि आप इनको छुट्टी दीजिये। लेकिन यह नहीं माने तो दुबारा यह लिखा गया कि सरकारी अधिकारी नहीं मानते हैं। इसलिये उनको मश्विरा दिया गया कि लेबर कोर्ट में जाओ। अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी है और जिन अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। जो श्रमिकों को छुट्टी मिलती है वह रजिस्टर में मैंने स्वयं देखी है। इस तरह से उनको छुट्टी प्रदान करनी चाहिये।

कृषि राज्य मन्त्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)---

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि फार्म पर काम करने वाले श्रमिकों की साप्ताहिक छुट्टी का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी नियम है या सरकार के आदेश हुये हैं उनमें कहीं भी ऐसा प्राविधान नहीं है कि श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टो दी जाय। एक शासनादेश अप्रैल, सन् 1949 में हुआ था उसमें अन्य छुट्टियों का जो जिक्र है लेकिन अस्थायो श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टी देने की कोई प्राविधान नहीं है। सन् 1965 में पुन: एक और शासनादेश हुआ है जिसके अन्तर्गत कहा गया है कि नियम 23 के उपधारा (5) के अन्तर्गत यह छूट दी गई है कि अस्थायी श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टी देने का नियम लागू नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मिनिमम वेजेज ऐक्ट के नियम 23 का उपधारा (5) को मैं प्रस्तुत करूंगा जिसमें साफ-साफ लिखा है कि :

"The provisions of the rule shall apply to employees in employment other than agricultural farms."

इसका आशय यह है कि इस नियम के प्राविधान कृषि फार्मों के श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों पर लागू होंगे। तो जितने भी नियम और शासनादेश हुये हैं सब में कृषि फार्म पर जो अस्थायी श्रमिक काम करतें हैं उनको साप्ताहिक छुट्टी देने का कोई प्राविधान नहीं है। मसौधा फार्म पर भी अस्थायी कर्मचारी कार्य करते हैं और उनको इस समय छुट्टी नहीं दी जा रही है। त्योहार की छुट्टी की सूचना मुझे नहीं है कि वह दी जाती है या नहीं। सम्भवत: सन् 1960 के जी० ओ० में है कि वह मिलना चाहिये। माननीय सदस्य की सूचना को सही मानकर मैं जांच करा लूंगा कि त्योहार की छुट्टी उन्हें मिलना चाहिये या नहीं, अगर मिलना चाहिये तो वह आदेश जारी किये जायेंगे।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया) ---

उपाध्यक्ष जी, मन्त्री जी ने अभी कहा कि इस प्रकार की कोई छुट्टी इन फार्म श्रमिकों को नहीं दी जा रही है तो क्या मन्त्री जी यह उचित नहीं समझते हैं कि जो मजदूर 30ओं दिन सरकारी फार्म पर काम करते हैं उनको रविवार की छुट्टी भी न दी जाय? शासन का आदेश मान लिया जाय कि नहीं गया लेकिन क्या आप मुनासिब नहीं समझते कि आपके कृषि फार्म पर जो खेतिहर मजदूर काम करते हैं उनको मास में 4 रविवारों की छुट्टी न दी जाय? सारा गरीब मजदूर आप का समर्थक है, उन्हीं के बल पर आप यहां विराजमान हैं उनको छुट्टी देने में आपको क्या आपत्ति है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

उनको इसलिये छुट्टी नहीं दी जाती थी क्योंकि कभी-कभी लगातार काम की आवश्यकता फार्मों पर पड़ती थी और उस समय छुट्टी देने से फसल का नुकसान हो जाता था। अब माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर हम विचार कर लेंगे कि छुट्टी उनको दी जाय या न दी जाय।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि सन् 71 तक उनको विधिवत् छुट्टी दी जाती थी इसी मसौधा फार्म पर ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

यह सही है कि मसौधा फार्म पर श्रमिकों को 5 दिसम्बर सन् 1970 तक यह छुट्टी दी जाती थी और उस वक्त तक वहां के अधिकारियों को इस जी० ओ० का ज्ञान नहीं था, नियम से उनको वह नहीं मिलना चाहिये थी। जब उनको उसका ज्ञान हो गया कि वह नहीं देना चाहिये तब उन्होंने दिसम्बर, सन् 1970 के बाद से देना बन्द कर दिया।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

रेलवेज की, टेलीफोन्स की भी 24 घंटे की अनिवार्य सेवायें हैं। अगर कृषि भी अनिवार्य है तो क्या नियमों को संशोधित कर के श्रमिकों की वहां इतनी संख्या बढ़ा लें ताकि क्रमानुसार साप्ताहिक छुट्टी सब को मिलती रहे। क्या मन्त्री जी इस तरह से नियमों में परिवर्तन कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

कृषि फार्म पर यह अन्दाजा नहीं होता कि किस दिन काम की आवश्यकता होगी ?

श्री राम गोपाल सण्ड—

श्रीमन्, रेलवे में ऐसा ही होता है कि अगर किसी को इतवार को काम पर लगाया जाता है तो उसे किसी और दिन छुट्टी दे दी जाती है तो इसी प्रकार से यहां पर भी सरकर इसकी कोई व्यवस्था करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जिस मिनिमम वेजेज ऐक्ट का हवाला दिया जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि यह ऐक्ट अदर दैन एग्रीकल्चरल एम्प्लायमेंट पर लागू होता है तो क्या सरकार ने उस ऐक्ट की यह मंशा नहीं समझी कि यह उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो देहात में कृषि फार्मों पर लगे हुये हैं या जिसको सरकार द्वारा एम्प्लायमेंट दिया जायगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय —

जो प्रदेश में एग्रीकल्चर के फार्म्स हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मिनिमम वेजेज ऐक्ट जिसको आपने पढ़ा उस पर शासन ने यह राय कहां से ली कि उनकी जो एम्प्लायमेंट में हैं, जो कर्मचारी सरकारी फार्मों पर हैं, उन पर यह ऐक्ट लागू

नहीं होगा। इसके लिये उस ऐक्ट की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिये। यह सरासर आर्बिट्रेरी प्रोसीडिंग्स की बात है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह निश्चय नहीं हो पाता कि किस दिन फार्म पर काम होना चाहिये। मान लीजिये इतवार को पानी बरसा उस दिन फार्म पर काम करने की आवश्यकता पड़ी। उसमें यह हो सकता है कि उनको छुट्टी मिल जाय। इस सम्बन्ध में आप जो सुझाव देना चाहते हैं, दे दें। अगर जांच करवाने की आवश्यकता होगी तो वे यह भी करवा लेंगे। इसमें बहस की क्या जरूरत है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैंने सिर्फ यह पूछा था कि जिस मिनिमम वेजेज ऐक्ट का हवाला दिया गया है, उनकी छुट्टी बन्द कर रहे हैं, या बन्द कर दिया है, उसकी मंशा यह नहीं है कि जो सरकार मंशा लगा रही है। वे एग्रीकल्चरल एम्प्लाईज नहीं हैं, उनको तो सरकार ने एम्प्लायमेंट दिया है। सरकार अपने अन्य कर्मचारियों को सुविधा देती है, तो उस आधार पर इन्हें भी सुविधा न देने में सरकार को क्या एतराज है ? सरकार किसान नहीं तो उसे कैसे हलवाहा समझ लिया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जो ऐक्ट में प्राविधान है वह यह है कि यह एग्रीकल्चरल फार्म्स पर भी न लागू हो।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

यह सही है कि इतवार को सारे श्रमिकों को छुट्टी नहीं दी जा सकती है लेकिन यह देखते हुये, जैसा कि माननीय सण्ड जी ने कहा, कि एक दिन की सब को छुट्टी नहीं दी जा सकती तो सरकार ऐसा करने के आदेश देगी कि कुछ को इतवार को, कुछ को सोमवार को और कुछ को मंगलवार को दे दी जाय ताकि महीने में 4 छुट्टी प्रत्येक श्रमिक को किसी न किसी दिन अवश्य मिल जाया करे ? क्या इस प्रकार के प्राविधान करने पर सरकार गम्भीरता-पूर्वक विचार करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

यह तो मैंने पहले ही कह दिया कि उनको साप्ताहिक छुट्टी दी जाय, इस पर सरकार विचार करेगी।

श्री राम बिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

मार्च, 1971 से कितने दिन पहले वे इतवार की छुट्टी पाते रहे हैं ? उनको मार्च, 1971 में किस माध्यम से जानकारी हुयी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इसका उत्तर तो मैंने पहले ही दे दिया कि 5 दिसम्बर, 1970 तक उनको साप्ताहिक छुट्टी मिलती रही है। उसके बाद से बंद हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आपके पास सूचना है तो यह बता दें, इनके प्रश्न के उत्तर में कि उस तारीख से पहले कितने दिन तक यह सुविधा मिलती रही।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

इसकी ज। सूचना नहीं है ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

खेती की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उस दिन की एवज में इन्हें ओवर टाइम क्यों नहीं दे दिया जाता है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

छुट्टी पर ही तो हम विचार कर रहे हैं कि उनको साप्ताहिक छुट्टी दी जाय ।

श्री रामविलास पांडेय--

श्रीमन्, इन्होंने मेरे प्रश्न के दूसरे हिस्से का जवाब नहीं दिया है । वह यह था कि 31 मार्च में जो जानकारी हुयी कि हमारी गलती होती रही है । अब तक हर सप्ताह में छुट्टी मिलती रही है। वह किस माध्यम से हुई क्या मन्त्री जी को जानकारी है। वह जानकारी किस माध्यम से हुई है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

उनको जानकारी दिसम्बर को हुई। इसके बाद बन्द कर दी ।

श्री राम बिलास पांडेय--

क्या माननीय मन्त्री जी यह देखते हुए कि मार्च, 1971 के पहले उन्हें छुट्टी मिलती रही तो क्या यह सरकार विचार करेगी कि कोई विधेयक लाकर अध्यादेश जारी किया गया तथा मजदूरों की मांगों को देखते हुए यह विधेयक लाने के लिये तैयार हैं ताकि उहें हफ्ते में एक छुट्टी मिल सके ।

श्री उपाध्यक्ष--

विचार करेंगे--यह कह सकते हैं ।

श्री विश्वनाथ कपूर--

आप स्वयं कह रहे हैं कि दिसम्बर, 1970 तक उनको साप्ताहिक तथा अन्य छुट्टियां मिलती थीं। मान्यवर, अब छुट्टियां नहीं मिलती हैं। मेरा निवेदन यह था कि वे जो श्रमिक हैं वे इन्फीरियर स्टाफ हैं, वे गवर्नमेंट एम्प्लाइज हैं फार्म के नाम पर अप्वाइन्टमेंट नहीं हुआ है। वे तो गवर्नमेंट सर्वेन्ट इन्फीरियर स्टाफ में हैं अगर गवर्नमेंट की फैक्टरी है और फैक्टरी वालों ने अप्वाइन्ट किया तो दूसरी बात है। यहां तो सरकार नियुक्त करती है। उन पर मिनिमम वेजेज ऐक्ट अप्लाई नहीं करता है । इसका स्पष्टीकरण कर दें या ला डिपार्टमेंन्ट से पूछकर स्पष्ट कर दें ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, मैं तो यही समझता हूं कि अप्लाई करता है । उसका जवाब दे दिया गया है । जहां तक छुट्टी देने का सवाल है, उस पर भी कह दिया कि शासन इस पर विचार कर रहा है। इसके बाद मान्यवर, मैं समझता हूं कि कोई ऐसा विवाद नहीं है जो कि चालू रहे।

पुलिस द्वारा फीरोजाबाद तथा वाराणसी में अल्प-संख्यक समुदाय पर कथित अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम कार्यसूची संख्या 24 पर आते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह इतना महत्वपूर्ण मसला है कि आप कल इसको प्रश्नों के बाद ले लें। अगर सारे लोग इस बात से सहमत हों जायं क्योंकि यह मसला बहुत महत्वपूर्ण है। (थोड़ी देर बाद)।

कल असरकारी दिवस है। मैं अपनी बात को वापिस लेता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, नियम 52 के अन्तर्गत, प्रस्तुत सूचना को मैंने भी दिया था। अगर मेरा नाम भी कहीं आ गया होता तो अच्छा होता। अक्सर हमारी लिखी हुई चीज को आप भूल जाते हैं। इसमें भी भूल गये। यह मैं केवल याद दिला रहा था।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसे मैं भूलता नहीं। यह तो नियमानुसार कार्यवाही होती है। हो सकता है कि बाद में पहुंचा हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, जिस प्रकार यह विषय रक्खा गया है उस ढंग से मैंने नहीं दिया था। मैंने सीधे ढंग से विषय दिया था कि—वाराणसी और फीरोजाबाद के विषय में दंगों पर किसी सम्प्रदाय पर अत्याचार हुये ऐसे कोई आरोपित करते हुये नहीं दिया था। नियम 52 में जो विषय लिखा गया है वह रिकार्ड में भी ऐसे ही चला जायेगा, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि उसको सिर्फ रक्खा जाय 'वाराणसी और फैजाबाद में जो घटनायें हुई हैं उसके सम्बन्ध में चर्चा"।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय नित्यानन्द जी ने जो कुछ कहा है वह ठीक ही कहा है। जो जिस रूप में रखा जाय उस रूप में आना चाहिये। बातें तो सब आ ही जायेंगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

हम लोगों ने बी० के० डी० की तरफ से जो दिया है 52 में उसमें हमने यही लिखा है कि पुलिस की ज्यादती से हुआ है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, जो हमने 52 में नोटिस दी है, उसे आप पढ़ लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह एक महत्व की बात है। प्रस्ताव जिस रूप में रखा जाय उसी प में आना चाहिये। हमने किसी रूप में रखा तो हो सकता है कि दूसरे माननीय सदस्य ने ूसरे में रखा हो। यह तो हम जानते हैं कि हर चीज का परिणाम एक होने वाला है और इसके

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

लिये सरकार जिम्मेदार है। जिस रूप में हमारा प्रस्ताव जो नियम 52 में लिखकर दिया थ उसी रूप में अंकित होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो देखना पड़ेगा क्योंकि यह माननीय अध्यक्ष जी के सामने आया था। इसमें बी० के० डी० का भी और आपका भी है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया) —

मान्यवर मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि 21 नम्बर का कार्यक्रम का कुछ स्वरूप और ही होना चाहिये। इसमें लिखा है पुलिस ने गोली चलाई। मान्यवर, घटना तो दूसरी है तथा मूल स्वरूप ही भ्रामक है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह काम रोको प्रस्ताव के रूप में दिया गया था। अध्यक्ष जी ने स्वीकार नहीं किया और नियम 52 में किया।

श्री वंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

काम रोको प्रस्ताव हम लोगों का था।

श्री उपाध्यक्ष—

वह जिस किसी का भी अध्यक्ष जी ने स्वीकार नहीं किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हम लोगों का चर्चा के बारे में था।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 52 के अन्तर्गत 2 घंटे की चर्चा दी गई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, मेरा सुझाव यह है कि इस रिकार्ड को ठीक कर दिया जाय। हमारा और माघोजी का नियम 52 का है उसे नियम उसी तरह लिख दिया जाय और दूसरों का जैसा हो उस तरह लिख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा अध्यक्ष जी ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जो स्वीकार किया है वह वैसा ही है जैसा यह है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, यहां पर नियम 51 में सरकार का वक्तव्य आ गया था। उसके बाद यह मांग की गई थी कि चर्चा हो। उसके फलस्वरूप यह चर्चा के लिये विषय आया है।

श्री उपाध्यक्ष—

चर्चा का विषय हुआ है यह मैं मानता हूं। लेकिन आपका कथन यह है कि शब्दावली यह होनी चाहिये। यह तो अध्यक्षजी ने तय किया है और यह उसी रूप में है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, इसको तो आप दुरुस्त कर दें। रिकार्ड में ऐसी चीज जायेगी जो हम नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मेरे सामने आ गया है मैं इसे पढ़े देता हूं। आदेश यह है कि 'महत्व का विषय है। माननीय मन्त्री जी के वक्तव्य पर चर्चा रखी जाय, न कि माननीय सदस्य की सूचना पर चर्चा' क्योंकि माननीय मन्त्री का वक्तव्य कार्यवाही का अंश मान लिया गया है। इसलिये माननीय मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया है उसे आधार मानकर चर्चा का विषय दिया गया है।

माननीय चौधरी साहब चर्चा आरम्भ करें। 2 घटे हैं, 5 मिनट बाकी हैं 6 बजने में। 8 बजे तक बैठेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

पक्ष और विपक्ष—दोनों के ही लोग बोलेंगे। अच्छा होता समय और बढ़ा दिया जाता।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो शुभारम्भ भी नहीं हुआ है।

श्री बंशीधर पांडेय—

हम तो रात भर बैठना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप रात भर बैठना चाहते हैं। नियमानुसार तो ढाई घन्टे ही बैठ सकते हैं।

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, फीरोजाबाद और वाराणसी में 16 जून से 18 जून तक जो घटनायें घटी वे आज की चर्चा का विषय हैं। मैं यह समझता हूं कि यह मामूली विषय नहीं है। यूं तो रोज ही चर्चायें होती रहती हैं। यह विषय अपना महत्व रखता है क्योंकि जिस तरह से वे घटनायें घटी हैं और जिस पृष्ठभूमि में वे घटी हैं उनसे हमारे सारे सार्वजनिक जीवन पर एक व्यापक प्रभाव पड़ने की आशंका है। पहली बात तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह हमारे देश के लिये निहायत ही अफसोसनाक बात है कि देश के तक्सीम हो जाने के बाद भी हमारे यहां दंगे होते रहते हैं। आशा यही की जाती थी कि सन् 1974 के पहले अंग्रेजों के जमाने में हमारे यहां जो सामुदायिक दंगे होते थे वे अंग्रेजों के बढ़ावा देने के कारण ही होते थे। यह हम लोगों का विश्वास था कि जब देश आजाद हो जायेगा तो वह एक अतीत की बात हो जायगी और एक यूनाइटेड नेशनेलिटी, एक मिक्सड नेशनेलिटी और मुशतर्का कौमियत एमर्ज करेगी। यह उम्मीद थी कि हमारा देश इन दंगों को भूल जायेगा और वह तरक्की करेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, जैसा कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

मैंने अर्ज किया कि उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ा। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हालांकि यह विषय उससे रेलेवेन्ट जरूर है। इतनी बात तय है कि हमारी लीडरशिप की तरफ से, उसमें सभी लोग शामिल हैं, पूरे देश की लीडरशिप शामिल है, कोई सीरियस एटेम्प्ट या संजीदगी के साथ कोशिश कभी नहीं की गई कि सोशियल डिसह र्मनी की वजह से हम लोग कन्धे से कन्धे मिला कर अपने देश की तरक्की की बाबत काम नहीं कर सकते और हर त्योहार पर मौके बेमौके ये दंगे हो जाते हैं उनका क्या कारण है ? आया हमारी कल्चर में, हमारी हिस्ट्री में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में खराबियां हैं ? दंगे होते हैं तो उनका कारण तो जरूर होगा। वे कारण क्या हैं ? उनके जानने की कभी कोशिश नहीं हुई और उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है उसका लिहाजा सवाल नहीं उठता।

नेशनल इन्टीग्रेशन काउंसिल वगैरह बनीं और मीटिंग्स हुई, लेकिन उन सब की कोशिशें वहीं तक महदूद रहीं कि प्रशासनिक दृष्टि से क्या किया जाय। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पीस प्रसासनिक दृष्टि से तो शान्ति कायम की जा सकती है फौज और पुलिस से, लेकिन सोशल पीस या सामाजिक दृष्टि से तो शान्ति को स्थापित करने कीं कोई कोशिश नहीं हुई यद्यपि हमारा देश इन दंगों की वजह से दुनिया भर में बदनाम है। अगर कुछ कोशिश हुई भी तो वह बहुत फीबिल, बहुत निर्बल और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। जिक्र की तरह से मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। मेरा ख्याल है कि उस तरफ ध्यान जाना चाहिये।

दूसरी बात और है। उसकी भी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडिंग ऐक्ट तैयार हुआ। अब उस एक्ट के मातहत आज मुझ जैसे ख्याल के लोगों की शिकायत यह है कि यूनिवर्सिटी की अटानामी को खत्म किया गया और सारे अधिकार गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिये हैं या विजिटर ने अपने हाथ में ले लिये हैं। विजिटर के माने हैं मिनिस्टर और मिनिस्टर के माने हैं वाइस चान्सलर, इसलिये इस तरह से सारे अधिकार वाइस चान्सलर ने अपने हाथ में ले लिये। हमें तो 16, 17 और 18 जून की मालूम हुआ कि जो माइनारिटी कैरेक्टर यूनिवर्सिटी का था वह खत्म हो गया। अखबारों में मैं बराबर पढ़ता रहा लेकिन मैंने कभी अध्ययन करने की कोशिश नहीं की। इस के बारे में एक बहुत छोटा सा पैम्फलेट भी निकला, बड़ा मुदल्लल और मुफस्सल जिसमें सारा इतिहास दिखलाया गया मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर। दो तबके वहां थे। एक तबके की बराबर कोशिश होती रही कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सारा तन्त्र उनके हाथ में आ जाय और वह बराबर उसमें नाकामयाब होता रहा।

इस तबके में माननीय त्रिपाठी जी मुझे माफ करेंगे कि मैं किसी और गरज से नहीं लेकिन वाकयात सदन के सामने आ जाय अगर कहूं कि हमारे डाक्टर नूरुल हसन साहब जो हमारे एजूकेशन मिनिस्टर यूनियन में हैं वह उस तबके के एक फरीक थे और उस तबके के लीडर भी थे। उनकी तरफ से बराबर कोशिश होती रही कि उनके हम ख्याल लोगों के हाथ में यूनिवर्सिटी का इन्तिजाम आ जाय और वह उसमें बराबर नाकामयाब होते रहे। उनकी खुशकिस्मती और इस देश की यह खुशकिस्मती कि वह इस देश के आज एजूकेशन मिनिस्टर हैं और जो सबसे पहला नुमायां काम उनका

हुआ और वे इस ऐक्ट के बनाने में जिसमें वे सारी उम्र या 15 साल से नाकामयाब रहे युनियन के एजूकेशन मिनिस्टर होकर उनको इस बात में सफलता मिली और यूनिवर्सिटी की अटानामी खत्म हुई और मुझे यह कहने का अधिकार है, मुमकिन है कि उधर के लोग मुझसे ऐग्री न करे कि यही नहीं कि यूनिवर्सिटी अटानामी को खत्म किया गया बल्कि एक पोलिटिकल ख्याल के लोगों के हाथ में वह यूनिवर्सिटी सुपुर्द कर दी गयी और जिनके साथ मिल कर हमारी यह गवर्नमेंट चल रही है।

अभी हमारी प्रधान मन्त्री जी हैदराबाद में गयी थीं अखबारों में निकला कि कांग्रेस की और सी० पी० आई० की मिली-जुली रैली को उन्होंने ऐड्रेस किया। अब यह तो उनको अधिकार है कि चाहे जो करें लेकिन मैं कहता हूं कि डाक्टर नूरूल हसन साहब ने एजूकेशन मिनिस्टर बनते ही अपने समख्याल लोगों के हाथ में यूनिवर्सिटी दे देने की कोशिश की।

अब यूनिवर्सिटी अटानामी के मुताबिक मैं बहुत थोड़ा सा यह अर्ज करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी या जनतन्त्र तभी चल सकता है कि जिनके हाथ शक्ति हो वे अपने ऊपर लगाम लगा कर रखें, सेल्फ रेस्ट्रेन्ट या आत्म-संयम यानी जो रूल्स आफ दि गेम्स है, यानी जो खेल के नियम हैं उनका पालन किया जाय। डिमोक्रेसी एक गेम है जिसको कई फरीक मिलकर खेल रहे हैं, दूसरी जगह दो ही फरीक होते हैं, एक आपोजीशन और एक रूलिंग पार्टी जो भी हो जाय और उसके कुछ नियम हैं यह नहीं कि जो लोग इन पावर हैं चाहे वह चीफ मिनिस्टर हों या प्राइम मिनिस्टर वह आकर येनकेन प्रकारेण पावर को अपने हाथ में रखे रहें और पकड़े रहे। यह वह कर सकते हैं क्योंकि जब पुलिस अपने हाथ म हो, फौज अपने हाथ में हो और मेजारिटी पार्लियमेन्ट या असेम्बली में हो तो वह चाहे जो कर सकते हैं लेकिन अगर रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं वे अपने ऊपर लगाम लगाकर चलें तब जाकर डेमोक्रेसी चलेगी।

अब उसमें यो कांस्टीट्यूएंट्स हैं और अथारिटीज हैं जिनको उस पर लगाम लगाना है या रिस्ट्रेन्ट लगाना है वह कई हैं। मैं इस समय उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा लेकिन उनको गिनाये देता हूं। हमारे यह प्रेसीडेन्ट हैं दूसरी जगह किंग्स हैं। मान लो इंगलैंड का किंग है, उनके पास बहुत पावर नहीं होती और 99 परसेंन्ट जो बात वहां के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं करते हैं लेकिन यह बात भी नहीं है। वहां के किंग और क्वीन प्राइम मिनिस्टर से बातें करते हैं उनको समझाते हैं कि यह करो और कभी-कभी ऐसे भी मौके आते हैं जब प्राइम-मिनिस्टर की किसी बात को वह मानते भी नहीं हैं। लेकिन हमारे यहां यह सम्भव नहीं है। मैं उसकी सरकमस्टासेंज में नहीं जाना चाहता लेकिन डेमोक्रेसी में प्रिंसिपिल आफ लिबर्टीज भी एक प्रश्न है। वह तो हम देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है। एटारनी जनरल भी हैं, वह सही फैसला दें। इलेक्शन कमीशन और हमारी जो जुडीशियरी है, वह सही फैसला दें। लेकिन अब जुडीशियरी को भी प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। मैंने सुना है, मैं नहीं समझता कि मेरी इत्तला कहां तक सही है, त्रिपाठी जी हमें माफ करेंगे, कि कुछ जिलों के लिये नाम गये हैं गवर्नमेंट आफ इन्डिया को। तो उसमें रूल्स के अमेन्डमेंट की बात है और भी नियमों की बात है। जो जुडिशियरी कोई फैसला करती है, उसका जो जूरिडिक्शन है। हमारे हाथ में अधिकार है ला बनाने का। हम तो कान्स्टीट्यूशन अमेन्ड कर सकते हैं। तो आज जुडिशियरी को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहें है दूसरा कस्टोडियन डेमोक्रेसी का है– प्रेस। लेकिन आज हम देखते हैं कि प्रेस का क्या हाल है। अन्दर खबर कुछ है और पुर्जा कुछ है।

[चौधरी चरण सिंह]

हो सकता है कि हमारे त्रिपाठी जी और हमारे उन दोस्तों को जो ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हैं, इसका अहसास न हो। लेकिन जो दूसरे लोग बैठे हैं, उनको इस बात की जानकारी है कि आज पूरे प्रेस नहीं तो एक बड़ा सेक्शन प्रेस का ऐसा है जो अपनी बात कहने में आजादी महसूस नहीं करता है, । अब कारण जो भी हो इसका। तो जुडिशियरी एक्जीक्यूटिव, लेजिसलेचर और प्रेस, ये हमारी डेमोक्रेसी के कस्टोडियन हैं। अब मैं कहना यह चाह रहा था कि इसी शुमार में, इसी कैटेगरी में हमारी यूनिवर्सिटीज भी आती हैं। डेमोक्रेटिक कन्ट्रोज में यूनिवर्सिटीज केन्द्र हैं, इन्डिपेंडेंट थिंकिंग की, डिस्सेंट की और डिबेट की। लेकिन नहीं, आज उनकी भी आटोनामी खत्म की जा रही है। वह जो प्वालिसी है, दृष्टिकोण है, रंग है, आज देश को किस तरफ ले जा रहा है।

कांग्रेस और सी० पी० आई० की रैली हो रही है। मेरा मतलब यह कि जिस दिशा में देश जा रहा है, उसकी मंजिल में एक बात यह भी है कि यूनिवर्सिटीज की आटोनामी को खत्म किया जाय। लेकिन मैं उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं वास्तव में इस डिबेट में हिस्सा नहीं लेना चाहता था। हिस्सा इसलिये ले रहा हूं कि यह एक अहम मसला है। मेरे और मेरे ख्याल के लोगों को जो इधर बी० के० डी० की तरफ बैठे हैं और मैं समझता हूं कि हमारे जनसंघ के दोस्तों को और इधर के अन्य साथियों को यह बात मालूम है कि हमारा मुस्लिम लीग और मुस्लिम मजलिस से कोई पोलिटिकल एलायन्स नहीं है। मुस्लिम लीग ने तय किया कि इस ऐक्ट के खिलाफ आन्दोलन किया जाय। इस मुस्लिम लीग और मुस्लिम मजलिस की पोलिटिकल एलायन्स कांग्रेस से है। तो पोलिटिकल एलायन्स और पोलिटिकल नजदीकी मुस्लिम लीग और मुस्लिम मजलिस की अगर किसी के साथ है, तो वह रूलिंग पार्टी के साथ है, इस कांग्रेस के साथ है। और जैसा कि अभी सी० पी० आई० की बात किसन नहीं देखा है कि किस तरह से इलेक्शन लड़ा गया, किस तरह से सीट छोड़ी गयी और किस तरह से केरल और बंगाल में मिनिस्ट्री बनायी गयी। मुस्लिम लीग और मुस्लिम मजलिस की इनायत से आज कांग्रेस को इतनी मेजारिटी मिली और कांग्रेस को इस बात को नहीं भूलना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि इनके साथ कोई रियायत आप करें। लकिन कम से कम इनके साथ अन्याय न करें। अगर अन्याय करते हैं तो उसके खिलाफ वे प्रोटस्ट करेंग। लेकिन मालूम होता है कि उन्होंने जो प्रोटेस्ट करने की बात तय की तो गवर्नमेंट को नापसन्द आयी और जिस लहजे में यह फिकरा लिखा गया है बयान में उसकी तरफ म ध्यान दिलाना चाहता हूं। गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान है उसमें उन्होंने जो यह हिम्मत की कि हम प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट की नजर में वह गुस्ताखी है।

श्रीमन्, जरा अल्फाज देखें—"अलीगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक के प्रश्न को लेकर मई माह के तीसरे व चौथे सप्ताह से जहां एक ओर इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने आन्दोलन के रूप में अपने विचार प्रदर्शित किये वहीं दूसरी ओर साम्प्रदायिकता में आस्था रखने वाले कुछ अन्य व्यक्तियों ने इस बात का जोरों से प्रचार करने का प्र यास किया कि भारत सरकार पर जलूसों व प्रदर्शनों आदि से इस बात का पूरा दबाव डाला जाय कि वह विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक रूप को न बदले।" क्या जुर्म किया अगर यह प्रचार करना शुरू किया? मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से यह ड्राफ्टेड है उससे लगता है—मैं

तो कहता हूं कि साम्प्रदायिक तत्वों को भी दबाव डालने का अधिकार है (व्यवधान)—तो जिस ढंग से यह लिखा गया है उससे ध्वनि यह निकलती है कि कैसे हिम्मत की इन्होंने।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक तत्वों को भी गवर्नमेंट पर दवाब डालने का अधिकार है, जलूस निकाल कर और सभा करके। अगर आप इसको नामुनासिब चीज नहीं समझते तो इसका जिक्र शिकायत के तौर पर क्यों? तो तय किया गया कि इसको दबाया जाय। और हमने अखबारों में पढ़ा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेन्डमेंट ऐक्ट पास हो गया, ऊपर से हुक्म आया कि अगर साम्प्रदायिक तत्व सिर उठायें तो उसको सख्ती के साथ कुचल दो। इसी सन्दर्भ में आया है। तो मालूम होता है कि माननीय त्रिपाठी जी ने यह तय किया कि यह प्रदर्शन वगैरह का मामला शायद उनकी स्टेट में ही होगा, इसलिये इनको सबक सिखाना है। तो सबक सिखाया गया। मैं जानना चाहता हूं माननीय त्रिपाठी जी से कि वह लोग जुलूस निकालना चाहते थे, पब्लिक मीटिंग करना चाहते थे, क्यों धारा 144 लगायी गयी? मान लीजिये कि साम्प्रदायिक तत्व हैं। किसी ऐक्ट के खिलाफ क्यों उनको प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? कौन सा सबूत पहले से था जिससे यह प्रकट होता था या साबित होता था कि वायलेन्स होगी, कि मुस्लिम लीग और मुस्लिम मजलिस के तत्वावधान में जो जलूस निकलेगा वह वायलेन्स करेगा या आग लगायेगा? यह माना कि जलूस में कुछ जोश आ सकता था, लेकिन पब्लिक मीटिंग को क्यों रोका गया? पलिब्क मीटिंग में तो यह होता कि दो-चार लोग इधर से आये, 10–5 उधर से आये, मीटिंग हुई और चले गये। तो जाहिर होता है कि बड़े मुकम्मल इरादे के साथ कुचलने की बात थी। आखिर क्यों? जलूस पर रोक, पब्लिक मीटिंग पर रोक। लोगों का एक ख्याल है—मैं कहता हूं मैं बहुत कुछ उस ख्याल से सहमत हूं जिस हद तक कि उसकी आटोनामी ली जा रही है। तो उसके एक्सप्रेसन का डेमोक्रेसी में अधिकार नहीं होगा तो कहां होगा? कब होगा मैं जानना चाहता हूं। यह गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक न होती, दूसरी ही होती तो भी इससे ज्यादा बदतर क्या करती, क्या स्टेप लेती?

डी० एम०, बनारस ने जब उन लोगों की नोटिस देखी कि हम हड़ताल करेंगे और जलूस के लिये भी नोटिस देखी तो पहले से ही दफा 144 लगा दी थी। 13 तारीख को डी० एम० ने उन लोगों को बुलाया और कहा कि आप पब्लिक मीटिंग न करें। 14 तारीख को इत्तिला दे दी कि कोई पब्लिक मीटिंग या जलूस नहीं निकाला जायगा। मेरा यह ख्याल है कि इसका जरूर जिक्र आया होगा कि हम काले बिल्ले पहनेंगे और काले झंडे लगायेंगे। डी० एम० ने इस पर कोई एतराज नहीं किया। अब जलूस नहीं, मीटिंग नहीं काले झंडे और बिल्लों से यह चीज शुरू हुई। उपाध्यक्ष महोदय मुझको यह चीज मालूम हुई है कि हमारे जय राम वर्मा जी वहाँ गये थे क्योंकि बी० के० डी० ने लिखा था कि यहां पर जिम्मेदार लोगों को आना चाहिये। वर्मा जी ने अपने बयान में भी कहा और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि बनारस दो हिस्सों में बंटा है। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। इन दोनों में एक ही हिस्से में बलवे आदि हुआ करते हैं और दूसरा हिस्सा इससे प्रभावित नहीं होता। परन्तु अबकी यह वारदात इस दूसरे में हुई और वहां की 90 प्रतिशत जनता इससे प्रभावित हुई। वहां के डी० वाई० एस० पी० ने काले झंडों को उतरवाया और काले बन्द को भी उतरवाया। भीड़ इक्ट्ठी हो गई।

[श्री चरण सिंह]

पेपर में भी 6 जगहों पर लिखा है कि इस पर मुसलमान इक्ट्ठे होने लगे और पथराव करने लगे और पुलिस को इस पर गोली चलानी पड़ी। एक जगह पर लिखा है कि हड़ताल करवाना चाहते थे, पुलिस ने उनको रोका लेकिन वे नहीं माने। साढ़े 8 बजे पुलिस के एक सब-इन्सपेक्टर जाते हैं झंडे उतारते हैं जिनके यहां झंडे लगे थे उनको गिरफ्तार करते हैं। इस पर मुस्लिम लीग और मुसलिम मजलिस के नुमाइन्दे मिलते हैं। लेकिन वह सब इन्सपेक्टर दूसरे लोगों को भी पकड़ता है। डी० एम० फिर उनको छुड़वा देते हैं लेकिन फिर वह सब-इन्सपेक्टर तीसरी जगह पर जाता है और एक बूढ़े आदमी को पीटता है। इस पर मुसलमान फिर इक्ट्ठे होने लगते हैं और पत्थर फेकने लगते हैं और यहां से वह चीज शुरू होती है। एक जगह पर लिखा है कि पुलिसवालों और कर्मचचारियों को चोटें लगीं तब यह गोली चलाई गई। जब वे पत्थर मार रहे थे और पुलिस वालों को व कर्मच रियों को चोटें लग गई तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी। यह सारा मजमून है। मैं यह नहीं कहता हूं कि जब इस तरह से गोलियां चलीं तो मुस्लिम भीड़ की तरफ से गलती नहीं हुई होगी। जरूर हुई होगी। माननीय वर्मा जी ने कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि इनसे गलती हुई ही नहीं। गल्ती हुई लेकिन बहुत कम। अगर वह हिन्दू मुल्लिम रायट था तो मन्त्री जी बतलाने की कृपा करें कि कितने हिन्दू और कितने मुसलमान मरे? कितने मकान और दुकानें जलीं, कितनों का सामान लुटा हिन्दुओं का और कितना मुसलमानों का? पुलिस कितनी ही एफिशियेन्ट क्यों न हो, एक्सेप्शनल केसेज को छोड़ कर, जब राइट हो जाय तो दोनों कौमों के लोगों को चोटें भी आती हैं, मर्डर्स भी होते हैं, स्टेबिंग भी होती है। लेकिन मैंने सुना यह कि केवल एक हिन्दु गालिबन मरा बनारस में और 8 मुसलमान मरे। क्यों? मुसलमान जब आक्रमणकारी थे और हिन्दू डिफेन्स में थे तो बाद में पुलिस चाहे कितना कन्ट्रोल करती शुरू में तो हिन्दू हताहतों की तादाद ज्यादा होनी चाहिये।

वाकया यह है कि लास जो कुछ हुआ मुसलमान भाइयों का हुआ। यह कैसे? शिकायत यह है कि पी० ए० सी० ने खुद अटैक किया और हिन्दुओं में जो अनडिजारेबिल एलीमेन्ट्स थे उनको पुलिस ने अपने साथ लिया। और जो बनारस में हुआ उससे कहीं ज्यादा ज्यादा शदीद और तफतीशनाक फीरोजाबाद में हुआ। गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि 23 आदमी मरे फेरोजाबाद में। मेरे पास फैहरिस्त है, नाम बतला सकता हूं कि किस जगह मरे, कैसे मरे। 49 मुसलमानों की फैहरिस्त है और वह कहते हैं कि 9 और गायब हैं। वह यह नहीं बता सकते हैं कि कब, कौन, कहां मरा लेकिन 9 या 7 और गायब हैं। तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी आपक नोटिस में यह बात आयी या नहीं कि मुसलमानों का कहना है कि 50 और 60 के बीच में आदमी मरे। यह कैसे हो गया? आखिर जो 30 आदमी गायब हैं क्या हुआ उनका? कोई जवाब आपकी तरफ से तसल्ली बख्श नहीं है। तो यह मानना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग और मुस्लिम मजलिस वालों का जो यह कहना है कि 50–60 आदमियों के बीच में मरे हैं, वह सही है। कितने हिन्दू मरे? वहां एक मस्जिद है हिन्दू इलाके में।

तो दूसरे इलाकों में मुसलमान उस मस्जिद में नमाज पढ़ने आये। उससे पहले सैकड़ों की तादाद में पीली पट्टी बांध कर हिन्दू निकलते हैं। मैंने पूछा ठाकुर बृजराज सिंह से, जो एस० एस० पी० के बड़े अच्छे वर्कर हैं और एक बार एम० एल० ए० भी रहे हैं, कि जो

पीली पट्टी बांध कर निकले वह किसी हिन्दू आर्गेनाइजेशन के थे। उन्होंने कहा नहीं, कहां से आये, किसने आर्गेनाइज किया, नहीं मालूम। जहां से मुसलमानों को गुजरना था एक मटका रख दिया गया और उस पर मुसलमानों के लिये गालियां लिख दी गयीं। पहले एक मटका रखा गया और कुछ ही देर बाद, न मालूम क्या जादू हुआ, तीन-चार मटके रख दिये गये ताकि जो मुसलमान वहां से नमाज पढ़ने के लिये गुजरे उसको गुस्सा आये। फिर इस्लामिया कालेज वहां जला, मस्जिद में एक मौलाना मरा, वह तो कहते हैं कि जिन्दा जला दिया गया अब्दुल सलाम। उसके पीठ पीछे कुछ मुसलमान रहते थे, वहां एक शख्श मरा और जितने मकान जले हैं मुसलमानों के जले हैं। हिन्दुओं की 2–3 टालें जली हैं, ज्यादातर टालें मुसलमानों की जली हैं। एक मिस्टर आफताब अहमद खां हैं, जो आनरेरी मजिस्ट्रेट रह चुके हैं, सन् 62 में असेम्बली के लिये कांग्रेस की तरफ से उनको टिकट भी मिला था, मैं कांग्रेस की तरफ से उनके लिये प्रचार भी करने के लिये गया था, उनका मकान जला दिया गया, उनको गिरफ्तार इसलिये किया गया कि वे बतायें कि उनका मकान कैसे जल गया। जिनके मकान जले उन्हें ही गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि हिन्दुओं से उन्हें शिकायत है हीं नहीं, यह सारा काम पी० ए० सी० ने किया।

माननीय त्रिपाठी जी, क्या आपको यह बात नहीं खटकती है कि वहां डी० आई० जी० थे, एडीशनल आई० जी० थे, और लोग भी तशरीफ ले गये थे, मगर सब के सब इस कांड को नहीं रोक सके। मेरी इत्तला यह है कि जिलाधीश ने ईमानदारी से कोशिश की कि यह कांड न हो, मुझे मुसलमान दोस्तों ने बताया, वर्मा जी ने बताया, मगर जिलाधीश के आर्डर को किसी ने नहीं माना। जिलाधीश चाहते थे कि बलवा न हो। जब उसकी बात को अनसुनी कर दिया इन पुलिस आफिसर्स ने तो वह खामोश होकर बैठ गया। 3–4 दिन तक आग लगती रही। सब कुछ होता रहा। मैं पूछता हूं फीरोजाबाद से टीयर गैस क्यों नहीं मंगायी गयी? इसलिये इसको कम्युनल राइट कहना अन्याय होगा, न्याय के साथ अन्याय होगा, यह कम्युनल राइट था ही नहीं। यह तो या तो आपने तय किया हो, या ऊपर से तय हुआ हो या पुलिस वालों ने तय किया हो, किसी ने तय किया हो, पर यह कम्युनल राइट नहीं था। मुझे पता चला कि जब यह किस्सा खत्म हो गया तो 18 या 19 जून को माननीय त्रिपाठी जी वहां तशरीफ ले गये। लेकिन उन इलाकों को देखने का उन्हें शायद अवसर नहीं मिला। इसके बाद गये शायद पहली या दूसरी तारीख को। उनसे लोगों ने कहा कि अब आप क्यों तशरीफ लाये हैं। मुझे मालूम नहीं त्रिपाठी जी ने क्या कहा, लेकिन जो तामिलनाड् की टीम वहां गयी थी.....

(व्यवधान)

उसका अखबार में एक बयान निकला है। कल के टाइम्स आफ इन्डिया में निकला है, मैं इसका कुछ अश पढ़ता हूं— फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसमें कई इनके एम० पीज० हैं, मुस्लिम लीग और डी० एम० के० के भी हैं, उसने दिया है :

"The Fact Finding Mission quotes Mr. Tripathi as saying, 'The P.A.C. is a striking force, and it will be punished if it shoots at the legs and not the head'."

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मुझे खेद है कि डी० एम० के० ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है और मुझे इसका भी खेद है कि डी० एम० के० के स थ-साथ बी० के० ड.० ने भी मेरे साथ अन्याय किया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी पीछे नहीं रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मुस्लिम लीग और मार्क्सवादी कम्युनिस्टों का एक गठबन्धन हो गया है, वैसा ही गठबन्धन बी० के० डी० का डी० एम० के० के साथ हो गया है।

श्री चरण सिंह—

यह अन्याय हुआ है तो मुझे भी खेद है, निहायत अफसोस है। यदि गठबन्धन की आपको शिकायत है तो यह नजीर तो आप ही ने कायम की है। गठबन्धन तो आप ही ने सबसे पहले किया था और उन्हें राष्ट्रीयता और देशभक्ति का सार्टीफिकेट दे दिया था। मैं कहना चाहता हू कि बड़े जिम्मेदार मुस्लिम मजलि स के लीडर्स हमारे पास आए और कहा कि हमारे साथ यह हुआ है, वह हुआ है, कहा पहले और कुछ था। यह भी कहा कि प्राईम मिनिस्टर ने हमारे साथ यह वायदा किया था वह किया था। मेरे पास इसी सिलसिले में शिकायत करने गये थे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ आ आवाज उठाइये। तो मैंने आना-कानी की और उनसे कहा कि जनाबे डाक्टर साहब आपक और कांग्रेस वालों का तो मियां-बीबी का झगड़ा है, परिवार का झगड़ा है, हम किसलिए उसमें पड़ें। तो अगर आपको शिकायत है कि आपकी बीबी हमसे कुछ बात करने लगी, तो आपने अन्याय क्यों किया, जो वह हमसे बात करने लगी। मुझे तो पेश्तर कुछ पता ही नहीं थ कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी इस तरह से कायम की जाएगी। आपको गठबन्धन की क्या शिकायत होनी चाहिये, आप तो रास्ता दिखा चुके हैं ?

मैं आपको बताऊं सन् 69 में मुस्लिम संगठनों की कुछ बड़ी-बड़ी मीटिंग्स हुई थीं। ये सम्भल, कानपुर और चांदपुर में हुई थीं, उसमे हमसे कहा गया कि सारे मुसलमान आपको वोट देंगे, यदि आप उर्दू को सेकेंड आफिसियल लैंग्वेज मानने के लिये तैयार हो जाएं। हमने तीनों मीटिंग्स में यही कहा कि यह नहीं हो सकता है। यह डेमोक्रेसी है और इसमें इस तरह से नहीं चल सकता है। हमने यह कहा कि हमारी मेजारिटी आएगी यदि हम सही हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों हैं, इस भाषा के मसले पर दोनों फरीकेन तैयार हो जाएं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं हैं। मैंने वोट की परवाह नहीं की। किन्तु उन्होंने महज वोट के खातिर कह दिया था कि मुस्लिम लीग एक नैशनलिस्ट पार्टी है। और अब कह दिया कि वह साम्प्रदायिक पार्टी है। तो महज वोट के खातिर हमने कभी कोई बात नहीं की है। आप कहते हैं कि यह बात आपकी गलत है, लेकिन यह बात .....

श्री उपाध्यक्ष—

केवल पांच मिनट में समाप्त कर दें।

श्री चरण सिंह—

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। दो मिनट में खत्म करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हो सकता है मेरी कुछ इत्तिला गलत हो, क्योंकि मैं चश्मदीद नहीं था, मेरे सामने के ये वाक्यात नहीं हैं। हो सकता है कि मेरे अनुमान और कांक्लूजंस भी गलत हों, लेकिन यह बात मेरी गलत नहीं है कि ये घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिन्होंने पब्लिक लाईफ को बड़ा स्प्वायल कर दिया

है। मैं समझता हूं मेरी बात से उधर जो मित्र बैठे हैं वे भी सहमत होंगे कि इसकी जूडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिये फिरोजाबाद और बनारस के राइट्स की। और वह ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिसकी रिपोर्ट 6 महीने में आए, एक महीने में रिपोर्ट आ सकती है, यदि आप चाहें।

एक जज अलग से फीरोजाबाद के लिए और एक अलग से बनारस के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। त्रिपाठी जी, बहैसियत बहस काम चलने वाला नहीं है। आप अपनी तरफ से यह क्लियर कर दीजिए पुलिस को, अफसरों को और पुलिस अफसरों को कि आप वाकई, ईमानदारी से चाहते हैं कि सच्ची बात जूडिशियल कमीशन के सामने आ जाए। और जिन पर यह लगता हो कि उन्होंने गलती की है—पांजेटिवली या नेगेटिवली उन्होंने अपने कर्त्तव्य का उचित रूप से पालन नहीं किया है, उनमें से कुछ को आप अभी सस्पेंड कर दें। आपने इनक्वायरी कमेटी बैठा दी, छः महीने में रिपोर्ट आयी, चार महीने में आपने फैसले किये, और कुछ लोगों को त दील कर दिया, लोग भूल जायेंगे। लेकिन मुसलिम मजलिस वाले या और लोग भूल जायेंगे, तो कोई असर नहीं होता है, आगे के लिए ऐडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है, पुलिस वाले गलती न करें, गलती करने वाले गलती न करें उसके लिए जरूरी है कि तत्काल प्रभावकारी कार्यवाही हो। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न है। चूंकि इस चर्चा में मुसलिम मजलिस का नाम लिया है, मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

मौका देंगे।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, यह विषय बड़ा गम्भीर है। इस पर जैसे हमारे चौधरी साहब ने प्रकाश डाला मैं भी इस मत का हूं कि यह झगड़ा साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं था। मैं विशेष दोष इस सरकार पर देता हूं, इस सरकार की नीतियों पर देता हूं, जो इस झगड़े की जड़ हैं। पार्टिशन हुआ, हमने समझा फिर वह अपीजमेंट की पालिसी, या कोई गलत पालिसी धारण नहीं की जायगी, यद्यपि उसका यहां प्रश्न नहीं है, लेकिन वोट के लिए ये कहां तक जा सकते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए यह कहां तक जा सकते हैं, एक प्रमाण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इस झगड़े की जड़ में। 1971 में जब चुनाव आये तो आपने एक संधि की। इस आज के कांड से इतना उसका सम्बन्ध नहीं है लेकिन आपने एक संधि की। उसका उद्देश्य क्या था? उस संधि का उद्देश्य यह था कि 1971 के चुनाव में हमको लाभ मिले। डाक्टर फरीदी साहब जो मुसलिम मजलिस के अध्यक्ष हैं उनसे आपने सलाह की। उन्होंने अपना बयान दिया। उस वक्त हर एक नीति को ताक पर रख दिया गया। कौन कौन व्यक्ति उसमें शामिल हुए? इसमें हमारे प्रधान मंत्री थीं, श्री चन्द्रजीत यादव थे, श्री डी० पी०

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मिश्रा थे, श्रीमती सुभद्रा जोशी थीं, श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा थे, श्री जोगेन्द्र सिंह थे और हमारे माननीय मुख्य मंत्री भी थे ।

जब उन्होंने आठ सूत्री मांग रखी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब कि यह सब मुलाकात हो चुकी थी प्राइम मिनिस्टर तक से तो यह कहा कि इसका आदर होगा क्योंकि यह समझौता दो शरीफों के बीच में है। ठीक है हम किसी को य नहीं कहते कि कोई शरीफ नहीं है। लेकिन सूत्रपात कहां से होता है यह किस हद तक जा सकते हैं देश को गलत दिशा देने में, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किस हद तक ऐसे लोगों से सुलह कर सकते हैं, यह देखने की बात है। हमारे माननीय चौधरी साहब ने कहा अपना अपना सोचने का तरीका है केरल में आपने इसी नीति को लेकर कम्युनिस्टों से सुलह की कि राजनीतिक लाभ कैसे मिलेगा ? उस नीति के अलावा आप कुछ नहीं देखते। यह मुस्लिम यूनिवर्सिटी संशोधन बिल जो हमारे सामने आया गजेन्द्र गडकर कमेटी ने कहा था कि इस तरह से सुधार हो। उस तरह से सुधार होने की, किसी सुलह की कोई गुंजायश नहीं थी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शर्त जो थी उसे आप न मानते। मैं यह सब इसलिये कह रहा हूं कि इस सबका कारण उनकी गलत नीति थी। आज देश और समाज किधर जा रहा है ? आप इसकी कोई चिन्ता नहीं करते, केवल आप का उल्लू सीधा होना चाहिये। जो यह विरोध दिवस मनाया गया उसके सम्बन्ध में उन्होंने कुछ अपनी भावनायें बनाई, प्रोग्राम बनाया जिसकी सूचना उनको पहले से थी। मैं फिर दोहराता हूं कि उसे साम्प्रदायिक रूप देने की आशा नहीं थी लेकिन कोई झगड़ा हो सकता है इसके लिये कोई सावधानी सरकार ने नहीं बरती। और इसके लिये पूरी जिम्मेदारी सरकार के अधिकारियों की है ।

मैं दो एक उदाहरण इस सम्बन्ध में दूंगा। मेरी धारणा है कि जहां तक इस आन्दोलन का सम्बन्ध है यह आन्दोलन था सरकारी अधिकारियों के प्रति रोष प्रकट करने के लिये। उनके प्रति विद्रोह और ला एंड आडर के प्रति विद्रोह प्रकट करने के लिये उनकी मंशा हो सकती थी लेकिन हिन्दुओं के खिलाफ गड़बड़ी करने की उनकी भावना नहीं थी। उनका यह कार्य-क्रम सुनियोजित था, सुसंगठित था और जो उनका विरोध का स्वरूप था उस से साफ जाहिर होता था कि वह सरकारी अधिकारियों के प्रति डायरेक्टेड था। मैं बनारस गया था और वहां मैंने सब देखा लेकिन इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर सरकारी अधिकारी हमारे सतर्क होते तो यह घटना नहीं घटती और जब ऐसे अवसर आते हैं तो उनकी सी० आई० डी० सूचना देती है और ला एंड आर्डर के लिये जो आफिसर जिम्मेदार होते हैं वे उस के अनुसार कार्यवाही करते हैं। किस प्रकार उनकी मशीनरी अकुशल रही, असावधान रही, ऐसे मौके पर कितनी अदूरदर्शिता का परिचय उसने दिया, मैं उसके एक-दो प्रमाण आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने यह माना कि बनारस में 16 तारीख को यह घटना घटी लंगड़ी मस्जिद के पास। यह मस्जिद चेतगंज थाने से एक या डेढ़ फर्लांग पर है और उनको मालूम था कि यहां पर संकट हो सकता है। जब लोग एकत्रित होने लगे रोष को प्रकट करने के लिये तो उन्होंने किसी प्रकार का हमला नहीं किया ।

वहां पर 7 पुलिस वाले पहुंचे लेकिन भाव की संख्या बहुत अधिक थी और उन्होंने उनके बिल्ले छीन लिये, झंडे फाड़ दिये जिसका परिणाम यह हुआ कि आपस में झगड़ा शुरू हो गया और पुलिस वालों पर जोर से पथराव हुआ। पत्थर वहां इक्ट्ठा थे और पुलिस वाले

उसे संभाल नहीं पाये। उन्होंने और फोर्स मांगी। लगभग 10–15 आदमी और आये और कुल मिला कर 20 पुलिस वाले हो गये लेकिन 20 पुलिस वाले भी उस पथराव को रोक नहीं पाये। अब तक कोई कम्युनल बात नहीं थी। पुलिस वाले केवल लाठी ले कर गये थे। जब उन्होंने देखा कि वे संभाल नहीं सकेंगे स्थिति को तब जो उधर हिन्दू खड़े थे उनको उन्होंने बुलाया और हिन्दू जो दूसरे वर्ग के आदमी थे मदद के लिये आये। वहीं से स्थिति ने टर्न लिया। अब मैं एक दूसरी बात कहता हूं। जब वहां पर हिन्दू आ गये तो वे नाराज हो गये। इसी स्टेज पर स्थिति बदली और वहां पर हिन्दू मुस्लिम रंग आने लगा। मान्यवर, पुलिस पर्याप्त मात्रा में होती पूरी शक्ति का प्रयोग किया गया होता और उसका प्रबन्ध किया गया होता वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, तो आज बनारस का नक्शा ही बदला हुआ होता। मान्यवर, उसी दिन एक दूसरी जगह पर आगे चलकर एक घटना होती है, रेवड़ी तालाब में। मान्यवर, यहां पर अभी तक भी करफ्यू नहीं लगाया गया। यह घटना रेवड़ी तालाब में 2 बजे होती है। दोनों तरफ काफी भीड़ थी। चारो तरफ हिन्दू-मुस्लिम का रंग आ गया था। एक भी पुलिस वाला वहां नहीं गया शुरू में, किन्तु बाद वहां पर दो आदमी गये लेकिन काफी भीड़ होने की वजह से ये आदमी बिलकुल अपर्याप्त थे। भीड़ ने ढेले भी इन पुलिस वालों के ऊपर फेंके और कहा जाता है कि एक हेड कांस्टीबिल जख्मी हुआ।

मान्यवर, इन पुलिस वालों को पहले से ज्ञान था कि यह ट्रोबुल्ड स्पाट है। एक दूसरा स्थान देवनाम पुरा मदनपुरा है। वहां पर भी ऐसी ही स्थिति थी। वहां पर गोलियां चली, छत से ढेले बरसाये जाने लगे किन्तु वहां पर भी पहले से पुलिस का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया था। एक घटना बज्जडिया नामक स्थान में हुई जो कि 17 तारीख को हुई जिसमें कि दो मुसलमानों को चोटें भी आई हैं क्योंकि वे उसी रास्ते से जा रहे थे। इसी से टेन्शन वहां पर बढ़ा और हिन्दुओं ने अटैक कर दिया। बताया जाता है कि एक औरत भी इस चपेट में आ गई। इस प्रकार हिन्दु-मुस्लिम झगड़ा प्रारम्भ हुआ, किन्तु इस बीच कोई पुलिस फोर्स वहां पर नहीं पहुंची।

मान्यवर, मैं भी उस स्थान पर मौके पर गया था। पता चला कि शाम को पुलिस आई और फिर वापस चली गई। 18–6–72 को 7 बजे यह झगड़ा प्रारम्भ हो गया और अलगभग 1 हजार मुसलमान और एक हजार हिन्दू एक दूसरे की तरफ हो गये। वहां पर कोई आदमी नहीं पहुंचा। 2 बजे के करीब वहां के मजिस्ट्रेट पहुंचे किन्तु वे अपने साथ इतने आदमी लाये जो कि बिलकुल अपर्याप्त थे। वहां से उन्होंने डी० एम० को टेलीफोन किया तो उन्हें क्या जवाब दिया जाता है कि इस समय हमारे पास पर्याप्त पुलिस नहीं है, शाम तक आ जायेगी और हमने पी० ए० सी० मंगाई हुई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बनारस में जाने पर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि जहाँ-जहां झगड़ा हुआ और जहां-जहां झगड़ा होने की सम्भावना तक थी, वहां-वहां पुलिस पहुंची ही नहीं और जहां गई भी, वह पर्याप्त मात्रा में नहीं गई। मान्यवर, मैं कहता हूं कि इसी के कारण झगड़ा भी हुआ और बाद में हिन्दू-मुस्लिम के रूप में हो गया। यह साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं था बल्कि इसका कारण पुलिस की इन्इफीसियेन्सी ही थी। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चारों तरफ से असफल हो गये तो उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे ऊपर बात आ जाय, इसलिये उन्होंने वहां मसलमान मुहल्लों में ऐसे लोगों को भेजा जिन्होंने कि मुस्लिम्स को बहुत पीटा।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

एक जगह दीनदयालपुर और रसूलपुर है। तो दीनदयालपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गये। वहां एक कारपोरेटर थे जिनका नाम राम सिंह है, उनको और 4/5 मुसलमान भाईयों को भी अपने साथ ले गये जिनसे उन्होंने यह कहा कि देखिये हम आपके सामने उनकी क्या दुर्दशा करते हैं। वहां इन्होंने लोगों को बुरी तरह से पीटा, घरों की लूटपाट की और यह डी० एम० के सामने हुई।

मान्यवर, मैं भी वहां गया था मैंने वहां पर खून गिरा हुआ देखा। पांच-छः रोज बाद पता चला कि वह आदमी मर भी गया है। बाद में वह चीज चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी आई कि वह आदमी मर गया। एक दूसरी जगह कथा हो रही थी जहां वे यह दिखलाने के लिये कि दूसरे दल के साथ हमने क्या व्यवहार किया, जूते के साथ उस पर चढ़ बैठे और कथा का सामान वगैरह फेंक दिया। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि ये पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में वहां रखे होते तो कदाचित् यह स्थिति आज न होती।

यही स्थिति फीरोजाबाद की भी बतलायी गयी है। मैं स्वयं तो वहां नहीं गया था लेकिन मेरे दल के लोग गये थे। उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार झगड़े का कारण था कि सी० आई० डी०, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पहले से मालूम था कि यहां झगड़ा हो सकता है यहां के लोग तैयारी कर रहे हैं विरोध प्रकट करने के लिये, सरकार पर रोष प्रकट करने के लिये लेकिन फिर भी वे पर्याप्त मात्रा में पुलिस का प्रबन्ध नहीं कर सके। यह नहीं कहा जा सकता है कि उसमें कितने आदमी हिन्दुओं के मरे। मुझसे तो यह भी कहा जाता है कि बहुत से आदमियों को आग में झोंक दिया गया, उसमें हिन्दू भी थे, मुसलमान भी थे। कौन-कौन थे मैं ठीक से नहीं कह सकता लेकिन सारा दोष एडमिनिस्ट्रेशन का था जिसने पुलिस फोर्स काफी मात्रा में वहां भी नहीं रखा। बनारस के एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन वहां कम्पलिटली फेल्योर रहा। वह चाहे बनारस का मामला रहा हो, चाहे फिरोजाबाद का मामला रहा हो, जैसा कि मैंनें प्रारम्भ में ही कहा। एक शब्द मैं और कह दूं।

मेरे कुछ सुझाव हैं। मैं जानता हूं कि अपनी-अपनी राय भिन्न हो सकती है लेकिन झगड़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कारण ही प्रारम्भ हुआ। वहां असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों का केन्द्र सदा से रहा है। जब कभी भी ऐसे अवसर आये हैं, वहां के लोगों ने आग में घी छोड़ने और मिट्टी का तेल छोड़ने का काम किया है। झगड़े की बात अलग छोड़ दीजिये, लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन के द्वारा जांच करायी जाय और उसमें देखना चाहिये कि चूंकि सरकार उसको इतना पैसा देती है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। दूसरा सुझाव है कि जैसा कि मैंने दोषारोपण किया कि हमारे अधिकारी बिलकुल असफल रहे, ऐडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर रहा और इनएफिशिएंट भी रहा, तो जो लोग इसके जिम्मेदार रहे, इस दुर्घटना के और सारे कार्यकलापों के, उनके खिलाफ जुडिशियल इनक्वायरी बैठानी चाहिये।

जहां तक ऐसे स्थानों पर म्युनिटिव टैक्स लगाने की बात है, जहां इस तरह की गड़बड़ियों के लिये सरकार जिम्मेदार हो, वहां अंधाधुन्ध म्युनिटिव टैक्स नहीं लगाना चाहिये। इसका अधिकांश सरकार को बर्दाश्त करना चाहिये और जिसकी हानि हुई हो, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हों, इसकी अच्छी तरह से खोजबीन करके उनकी सहायता करनी चाहिये।

क्योंकि ऐसा भी कई जगह हुआ है कि कुछ लोगों ने अपने हाथों ही अपने घर को फूंक दिया है। तो इसकी जांच करनी चाहिये और ऐसे लोगों को छोड़ कर जितने और लोग हों उनको कम्पेनसेशन देना चाहिये।

एक बात मैं और कह दूं कि हमारी सरकार इसमें अफसल रही है और आज भी बहुत से असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्व हैं जो अनेकों प्रकार के नारे लगाते फिरते हैं। ऐसे तत्व हमारे हिन्दुओं में भी हो सकते हैं। मैं यहां खड़ा होकर अगर प्रधान मन्त्री की दिन-रात आलोचना करता हूं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि मेरे मन में उनके प्रति आदर का भाव नहीं है। उनकी एक भी नीति से मैं सहमत नहीं हूं, चाहे वह शिमला समझौता सम्बन्धी हो, चाहे मुस्लिम लीग सम्बन्धी हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम उनको गाली दें और उनके प्रति अनादर सूचक शब्दों का व्यवहार करें। मेरे सुनने में आया है कि इस तरह के नारे लगाये गये जिनसे उत्तेजना फैल सकती है। मैं जानता हूं कि सारे मुस्लिम भाई असामाजिक या अराष्ट्रीय तत्व हैं, ऐसा नहीं है। अराष्ट्रीय तत्व हमारे में भी हो सकते हैं लेकिन ऐसे लोगों को रोकना चाहिये और आइन्दा इसकी पुनरावृत्ति न हो। इसकी कोशिश होनी चाहिये। कई जगह पाकिस्तान तक के नारे लगे। तो मै आपको बतला दूं कि पाकिस्तान का नारा हमें किसी तरह से भी सह्य नहीं है। इस देश में रह कर पाकिस्तान के नारे लगाये जायं, अराष्ट्रीयता के नारे लगाये जायें या प्रधान मन्त्री को गाली दी जायें, इसको हम कभी बर्दास्त नहीं कर सकते हैं। आप एजीटेशन कीजिये और मैं यह भी मानता हूं कि सरकार गलत रास्ते पर है। सरकार ने लाठियां चलाई और मेरी पीठ पर भी चलीं। अगर मुस्लिम मजलिस शान्तिपूर्ण ढंग के कोई आन्दोलन छेड़ना चाहती है तो हम उसके विरोधी नहीं हैं। लेकिन सरकार के रवैये से हम चौंकते हैं क्योंकि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है। हमने आवाज उठाई तो लाठियां लेकर हमारे ऊपर पिल पड़े। जहां तक इनको सूट करता है वहां तक यह प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं। अगर शान्तिपूर्ण ढंग से कोई आन्दोलन करना चाहता है तो जो सरकार रवैया एडाप्ट करती है वह सही नहीं है। एक बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। हमारे बनारस के साथी भी अपनी बात कहेंगे। आप विचार करें कि जिस समय मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट....

श्री हबीब अहमद—

मैं जानना चाहता हूं कि जब आपने शिमला कांफ्रेन्स के खिलाफ प्रदर्शन किया तो वह आपने शान्तिपूर्ण ढंग से किया या अशान्तिपूर्ण ढंग से किया जब आप पर लाठी पड़ी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने शान्तिपूर्ण ढंग से आन्दोलन किया था या अशान्तिपूर्ण ढंग से किया था यह तो आप अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि मैंने शान्तिपूर्ण ढंग से किया था। मैं तो कहता हूं कि हर एक व्यक्ति को राइट है कि जब तक वह अशान्तपूर्ण ढंग से आन्दोलन न छेड़ें उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिये चाहे वह जनसंघ का हो या मुस्लिम मजलिस का हो।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती) —

मान्यवर, मैं अपने मित्र से यह जानना चाहता हूं कि कारण कोई भी रहे हों अगर वे कह रहे हैं कि काफी संख्या में हिन्दू-मुसलमान झगड़े हुये और मार-पीट हुई तो इसकी शक्ल कम्युनिलिज्म की हो गई या नहीं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने मेरे विचारों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने यह कहा कि हिन्दू-मुस्लिम झगड़े के रूप में परिणित करने की जिम्मेदारी हिन्दू-मुसलमानों की नहीं है बल्कि सरकार की है। आपने हिन्दुओं से मदद लेकर मुकाबला करने की कोशिश की और वही टर्निंग प्वाइंट हो गया और हिन्दू-मुसलमान के झगड़े में वह बदल गया। मैं कहता कि मुसलमानों ने झगड़ा किया था। मैंने यह कहा कि सारी जिम्मेदारी इस झगड़े की एडमिनिस्ट्रेशन की है। अगर आप ठीक व्यवस्था करते तो यह नौबत नहीं आती। एक जगह भी मामला ठीक हो जाता तो झगड़ा न होता जहां एक अ र एक हजार हिन्दू थे और दूसरी ओर एक हजार मुसलमान थे और वहां पर गवर्नमेंट का एक भी आदमी नहीं था। वहां एक कारपोरेटर थे जो हिन्दू-मुसलमानों की भीड़ में खड़े थे। शायद उनका नाम श्री देवेन्द्रदत्त तिवारी था जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर मुसलमानों की जान बचाई। मुझसे मुसलमानों ने कहा कि इन्होंने कम्बल ओढ़ कर हमारी जान बचाई।

मैं समझता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन एफीशियेंट होता और अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले की और आज की कहानी को देखकर कदम उठाया होता तो यह घटना नहीं घटती। कभी यह हिन्दू-मुस्लिम झगड़े में परणित नहीं होता। यह हिन्दू-मुसलमानों का झगड़ा नहीं है बल्कि इस झगड़े की जिम्मेदारी सरकार की है। मैंने जुडीशियल इन्क्वायरी की मांग की तो इसलिये नहीं की किसने रायट किया, किस ने झगड़ा किया बल्कि इसलिये की कि सारी घटना की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की है। मैं किसी कम्यूनिटी को दोष नहीं देता हूं। लेकिन जो बातें मेरे सामने आईं उनका जिक्र करना जरूरी था इसलिये मैंने दोनों कम्युनिटीज का नाम लिया है साम्प्रदायिकता हिन्दुओं की हो या मुसलमानों की, किसी की भी हो मेरी राय है कि उसको कुचलना चाहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष जी, जो चर्चा शुरू हो रही है उसके सम्बन्ध में जो वक्तव्य सरकार का आया है .....

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि आप दफा 52 में देख लें ....

श्री कल्पनाथ सिंह—

उसी पर बहस हो रही है ...यह चर्चा हो रही है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

चर्चा ही सही, दफा 52 में चर्चा हो रही है, अब एक सदस्य ने उसको आरम्भ कर दिया अब शासन दल के लोगों को भी बोलने दिया जाना चाहिये। क्या हमें भी समय मिलेगा, हमको भी अवसर दिया जाय। आप समय बढ़ा दें, समय आप निश्चित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

वह देखेंगे।

*श्री कल्पनाथ सिंह—

सरकार का वक्तव्य ही इस बहस का आधार बना है जैसी कि आपने व्यवस्था दी। सरकार ने अपने वक्तव्य में कहा है कि यह साम्प्रदायिक उपद्रव हुये। उन्होंने कहा है कि अलीगढ़, वाराणसी और फीरोजाबाद के जो यह साम्प्रदायिक उपद्रव हुये उनका घटनाक्रम इस प्रकार है। इस तरह से उन्होंने मान लिया है कि यह साम्प्रदायिक दंगे थे। अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो जब मुख्य मन्त्री जी अपनी बात कहेंगे तो सफाई इसकी हो जायगी लेकिन जब मुख्य मन्त्री जी वाराणसी गये और उन्होंने वक्तव्य दिया तब उन्होंने इन उपद्रवों को साम्प्रदायिक नहीं कहा था लेकिन बाद में यह बयान कहां से आ गया, यह समझने में हमें कठिनाई हो रही है। क्या वहां पर वाराणसी की जनता का असर था और ऐसा लगता है कि यहाँ सरकार का असर है।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि अभी जो चौधरी साहब कह रहे थे तो मुख्य मन्त्री जी ने बीच में टोक कर एक बात कहना मुनासिब समझा कि बी० के० डी० और डी० एम० के० का कोई तालमेल होने वाला है। वह तालमेल होगा या नहीं लेकिन यह सारा भारत जानता है कि सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोगों ने सारी असेम्बली की सीटें डी० एम० के० को देकर समझौता किया और अब यह दूसरों पर लांछन लगाना चाहते हैं।

एक बात मैं यह भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि यह साप्ताहिक दिनमान हमारे सामने है 16 जुलाई, सन् 1972 का, यह कोई किसी दल का पत्र नहीं है। इसमें लिखा गया है शीर्षक: फरीदी साहब का दावा—डाक्टर फरीदी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 30 दिसम्बर, 1970 को वह श्री चन्द्रजीत यादव से तथा 31 दिसम्बर, 1970 को श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र से मिले, 4 जनवरी, 1971 को श्री मिश्र के निवास पर प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी से मिले और 22 जनवरी, 1971 को श्री बहुगुणा के निवास पर कांग्रेस चुनाव घोषणा-पत्र में अल्प-संख्यकों की मांगों के सम्बन्ध में कुछ बातें डा० फरीदी (यानी मुस्लिम मजलिस) तथा कांग्रेस के बीच मंजूर की गयीं। इस प्रपत्र के 54वें तथा 55वें पैरा में घोषित किया गया कि कांग्रेस इस बात पर जोर देती है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक तथा अन्य संस्थायें स्थापित करने, प्रबन्ध करने तथा चलाने का पूरा अधिकार है तथा वह विश्वास दिलाती है और वह सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं को, उन सस्थाओं को भी जो अल्प संख्यकों के हित में चलती हैं, सुरक्षित रखेगी।" इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि यदि सत्ताधारी दल के चुनाव घोषणापत्र में यह बात छपती है या उसको अखबार छपा देता है तो आप अपने बयान में यह कहते हैं कि जैसा कि माननीय चौधरी साहब ने कहा कि अलीगढ़ में वह बात कही गई उन्होंने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी थी। इनका इरादा क्या था। इनका इरादा जुलूस निकालना, कारोबार बन्द रखना, दुकानों वा कारखनों पर काले झंडे लगाना व स्वयं भी अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांधना। यही कार्यक्रम अलीगढ़ के बारे में था, वाराणसी के बारे में भी वही बात कही और फिर फिरोजाबाद के बारे में भी वही बात कही।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

फिरोजाबाद के बारे में जो कार्यक्रम था वह यह था कि फीरोजाबाद नगर में दिनांक 16 जून, 1972 को विरोध दिवस मनाने का कार्यक्रम बनाया गया। जिसके अनुसार मुसलमानों द्वारा अपना तमाम कारोबार बन्द रखना, दुकानों व कारखानों पर काले झंडे लगाना व स्वयं भी अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांधना था। उक्त कार्यक्रम को देखते हुये जिले पर की पुलिस को पहले ही सर्तक किया गया था। फीरोजाबाद की बात है। यह प्रोग्राम मैंने अपनी ओर से नहीं बताया बल्कि यह सरकारी वक्तव्य में दिया हुआ है जिसे मैंने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। उन्होंने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बनाया था कि जिसमें सरकार यह कहती कि उन्होंने भीड़ इक्ट्ठा करने की, अहिंसक भीड़ बनाने की या गोली चलाने का कोई दूसरा कार्यक्रम बनाने की बात कही हो। उन्होंने केवल यह कहा कि काले झंडे लगाना, अपनी बांहों पर काली पट्टियां बांधने का ही प्रोग्राम था जैसा कि सरकार ने भी कहा है।

अलीगढ़ का जहां तक सम्बन्ध है वहां पर यह घटना 3 जून, 1972 को हुयी और फिर यह 5 तारीख तक चली और वहीं उसके बाद बन्द हो गयी। वाराणसी में और फिरोजाबाद में एक दिन दोनों स्थानों पर 16 तारीख को ये घटनायें हुयीं। अगर कुछ दूसरा इरादा होता तो संगठन के लोग अलग-अलग जगहों पर यह बात कहते लेकिन अलीगढ़ की बात छोड़कर अब मैं फीरोजाबाद की घटना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसलिये कि आप देखें कि फिरोजाबाद में क्या हुआ। अलीगढ़ में तो कहते हैं कि 5 तारीख के बाद कोई घटना नहीं हुयी। फिरोजाबाद में कहते हैं कि जिले भर की पुलिस को पहले ही सतर्क कर दिया गया था। फिरोजाबाद और आगरा में विशेषरूप से प्रबन्ध किया गया था। कुछ अवांछनीय व्यक्तियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

फीरोजाबाद में आपने गिरफ्तार कर लिया, आपने विशेष प्रबन्ध कर लिया। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि यह जो आपकी रिपोर्ट है इसमें जहां-कहीं भी कहा है कि गोली चली वहां सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक गैर कानूनी भीड़ में बदल दिया व यह भीड़ पुलिस चौकी पर पहुंच गयी और पुलिस के मना करने पर वे नहीं माने। इसी बीच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व परगनाधिकारी भी वहां पहुंच गये तथा उन्होंने लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर-बितर करना चाहा। इस पर भीड़ ने अहिंसात्मक रूप धारण कर लिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि फीरोजाबाद और आगरा के बीच में कितनी दूरी है। अगर विशेष प्रबन्ध किया गया था तो आगरा से फीरोजाबाद में कितनी दूरी का फासला है। अगर फीरोजाबाद में टियर गैस नहीं थी तो आगरा से न मंगाने के क्या कारण थे? गोली चलाने के पूर्व उन्होंने टियर गैस चलाना क्यों मुनासिब नहीं समझा। अगर भीड़ अनियन्त्रित हो रही थी तो उसको उन्होंने क्यों तितर-बितर किया, अश्रु गैस का क्यों प्रयोग नहीं किया।

जैसा माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा फीरोजाबाद की स्थिति को देखें। कहा जाता है कि चौकी पर एक घड़ा रखा गया, उस पर ऐसे लफ्ज लिखे गये जो आपत्तिजनक थे। उसके बाद 2-3 घड़े रखे गये जिन पर भी आपत्तिजनक बातें लिखी गयी थीं और सबसे अधिक आपत्ति तो उस समय पैदा होती है जब कि महीपाल सिंह नाम का दीवान जिसने सारी खुराफात फीरोजाबाद में पैदा की।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से मांग करता हूं कि अगर वे यह चाहते हैं कि सही माने में इस बात पर लोगों के दिल में तसल्ली पैदा हो तो सबसे पहले जो महीपाल सिंह दीवान था जिसका एमुल नामक लड़के से झगड़ा था उसके चलते यह सारी खुराफात पैदा हुई उसके बारे में मुख्य मन्त्री कोई जांच कराकर उसकी रिपोर्ट पेश करायेंगे। अभी जुडिशियल इन्क्वायरी की बात तो अलग है। मैं किसी आदमी के कान्डक्ट के बारे में कैसे कह दूं। यह जरूर है कि महीपाल सिंह नामक दीवान ने सबसे पहले गोली चलाई बगैर किसी मैजिस्ट्रेट या सीनियर आफिसर पुलिस के आदेश के। ऐसा क्यों हुआ। और फिर तब उसके ऐसा करने के बाद सी० ओ० पहुंचे। सारी भीड़ को शान्त करते हैं। शान्ति स्थापित हो जाती है। उसके बाद फिर वही कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है। और यह सारी की सारी घटना पुलिस और पी० ए० सी० के लोगों के द्वारा की जाती है। ऐसा करने का कारण क्या था। जब इनको यह मालूम था तो आगरा से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब जब पहुंचे फीरोजाबाद तो उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो आगरा में मौजूद थे और उनको जब मालूम हो गया कि सवा नौ और साढ़े नौ बजे यह सारा कार्यक्रम शुरू हो गया, कुछ मनमुटाव शुरू हो गया है ....

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन् मुझे कितना समय दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी और भी वक्ता बोलेंगे। दस मिनट के करीब हुये हैं। आप संक्षेप में कहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मुझे कुछ बातें कहनी हैं। इसलिये आप सुनिये और फिर समय को निर्धारित कीजिये। मान्यवर, डी० एम० पांच बजे पहुंचे हैं जिनका जिक्र किया जाता है और मुस्लिम बस्ती में पहुंचकर यह अफवाह फैलाने की कोशिश की जाती है।

(पुन : लाल बत्ती होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

विरोधी दल का समय समाप्त हो गया। उससे ज्यादा समय दिया गया। अभी सरकारी पक्ष को कुछ भी समय नहीं दिया है। जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उनको भी समय मिलेगा।

श्री वंशीधर पान्डेय (जिला वाराणसी)—

सरकारी पक्ष ने किसी विधेयक पर प्रश्न ही नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो आप प्रश्न कर रहे हैं इसका जवाब भी तो चाहेंगे। जवाब के लिये मुख्य मन्त्री आधा घंटा चाहेंगे ही।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, इसमें समय की पाबन्दी न लगाइये। इसमें सदस्यों की दिलचस्पी है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप इस पर चर्चा होने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

तब भी नहीं पूरा होता। मुस्लिम मजलिस का नाम आया है। उनको समय देना पड़े। ज्यादा समय बढ़ाकर नहीं हो सकता। आप संक्षेप में बोलें।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर—व्यवधान)

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, आप समय बढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

कैसे बढ़ा दिया जाय।

एक सदस्य—

कल भी इसको चालू रखा जाय। अभी केवल 3 ही आदमी बोले हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि पहले दिन फाइरिंग में 6 आदमियों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद की घटनायें देखें, मान्यवर। करफ्यू लगा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि करफ्यू में यह इस्लामिया कालेज कैसे जला दिया गया और यह तमाम जिले के अधिकारी क्या करते रहे। मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं कि यह जलाने वाले लोग कौन थे, उनको पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया और पकड़ा। सिर्फ सवाल यह आता है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया, वह कौन लोग थे, क्या वही जलाने के लिये गये थे, क्या उन्होंने ही जामा मस्जिद जलाई, क्या यह लोग वही थे और अगर आप कहते हैं कि वही लोग हैं तो सरकार की अकल को मुबारक.....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह आप बतावें कि वही लोग थे। आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि वही लोग थे, यह हमने कब कहा कि वही लोग थे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मुख्य मन्त्री जी समझते हैं कि वे लोग नहीं थे। इसका मतलब यह है कि दूसरे लोग थे। वह दूसरे लोग कौन थे जिनको आपने गिरफ्तार नहीं किया और जिन्होंने इस्लामिया कालेज, जामा मस्जिद को जलाया और सारा काम करफ्यू में होता रहा और एक दिन नहीं तीन-तीन दिन होता रहा और पुलिस और जिले के सारे अधिकारी तमाशा देखते रहे और तब तक देखते रहे जब तक कि उनका जी न भर जाता, क्योंकि उनके मन में तो एक बात थी कि उन लोगों को सबक सिखाना था और जब तक उनको सबक न सिखा दिया जाता कि जनतान्त्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने का हक हर आदमियों का नहीं है और संविधान में जो मान्यता दी गई है वह कुछ लोगों के लिये है सब के लिये नहीं। अगर दूसरे लोग सर उठाते हैं, काले झंडे लगाते हैं, काली पट्टी बांधते हैं या कोई दूसरी चीज करते हैं तो उनको सबक सिखाने का फैसला, ऐसा लगता है कि सरकार ने पहले से ही कर लिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो आप समाप्त करें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जब आप आज्ञा दे रहे हैं समाप्त करने की तो मानना ही होगा, लेकिन बात यह है कि जो मृतकों की संख्या दी गई है, वह मेरी सूचना के अनुसार.....

श्री उपाध्यक्ष—

वह चौधरी साहब बता चुके हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अकेले फिरोजाबाद में आप देखें कि पुलिस की गोली से जो लोग मरे हैं उनकी संख्या सही मायने में बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन करीब 49–50 व्यक्ति या तो जला दिये गये या मार दिये गये.....

श्री उपाध्यक्ष—

चौधरी साहब ने 50–60 के बीच कहा है, और आपने तो कम करके बताया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैंने बहुत एतिहात बरत करके बताया है। अभी भी मैं इस बात के लिए कह रहा हूं कि जो लोग लापता हैं, अपने घरों से लापता हैं अगर उनकी तरफ ध्यान रखा जाए तो बात दूसरे ही प्रकार की हो जाती है।

एक बात और कहकर मुझे अपनी बात समाप्त करनी है कि क्या लूट और आगजनी पुलिस के द्वारा नहीं की गई? सरकार इस बात का पता लगाए कि पी० ए० सी० और दूसरे लोगों ने हजारों की संख्या में वहां के पोस्ट आफिस से दूसरी जगहों के लिए मनीआर्डर नहीं कराए और अगर कराए तो फिर वह उतना रुपया कहां से आया? अगर यह सूचना सही है तो भी इस सरकार को सदन के सामने रखनी चाहिये और अगर यह सूचना गलत है तो भी इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिये।

एक बात और कहनी है। यूं तो टेलीफोन विभाग केन्द्रीय सरकार के हाथ में है मगर कहा यह जाता है कि सारे के सारे मुसलमानों के टेलीफोन एक साथ लगातार 3 दिन तक काट दिये गये। क्या सरकार इस तथ्य की जानकारी कराकर सदन के समक्ष रखेगी? चौधरी साहब ने बृज राज सिंह का नाम लिया। मेरा भी उनसे परिचय है। वर्मा जी से भी मेरा परिचय है। किसी मुसलमान ने मुझे नहीं बताया बल्कि वर्मा जी तथा दूसरे लोगों ने बताया और ये सारी घटनाएं बतायीं।

बृज राज सिंह ने मुझसे बताया कि उन्होंने इन दंगों में अमनो–आमान कायम करने की कोशिश करनी चाही और इस सिलसिले में अधिकारियों से बात करने की कोशिश की लेकिन अधिकारियों ने उन्हें इस बात का अवसर नहीं दिया। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी के लिये और इस सरकार के लोगों के लिये आज की हालत में यह अत्यावश्यक हो गया है कि वहां के कलेक्टर को, एस० पी० को, उस दीवान को और दूसरे लोगों को तत्काल मुअत्तल करके हाई कोर्ट के जज द्वारा पूरी की पूरी इनक्वायरी कराकर सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करें और साथ ही सरकार को इस सदन से प्रजातांत्रिक मान्यताओं के

[श्री कल्पनाथ सिंह]

अनुसार माफी मांगनी चाहिये उस कार्यवाही के लिये जो कि एक वर्ग को कुचलने के लिए इस सरकार ने अधिकारियों द्वारा करायी है।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

यह मामला मेरी कास्टीटुएंसी का है। कितनी देर पहले मैं खड़ा हो जाता था।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको समय देंगे।

श्री हबीब अहमद खां—

मुझे आप 10 मिनट दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

5 मिनट में समाप्त कर दें तो अच्छा हो।

श्री हबीब अहमद खां—

उपाध्यक्ष जी, मैं चौधरी चरण सिंह का बहुत मशकूर हूं और यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ सदस्य ऐसे जरूर हैं जो सच बात कहने से नहीं डरते हैं। पोलिटिकल कंसीडरेशन्स को अलग करके बड़ी सफाई के साथ सही बात यहां पर कह सकते हैं। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। खासतौर से चौधरी साहब ने पूरी तफसील बतलाई कि किस-किस तरह से क्या-क्या नुकसानात हुए और कितने लोग शहीद हुए तथा पी० ए० सी० और पुलिस ने क्या-क्या ज्यादतियां की हैं। मैं उन मामलात से हट करके सदन के समक्ष यह रखना चाहता हूं कि 16 तारीख को प्रोटेस्ट-डे, योमे एहतजाज मनाना स्वीकार किया गया जिसको मुस्लिम मजलिस, मुस्लिम लीग और दूसरे लोगों ने स्वीकार किया था।

चूंकि दफा १४४ लग गई थी इसलिये जरूरत इस बात की महसूस हुई कि इजाजत मांगी जाए। यह सोचा गया कि अगर मीटिंग करना है तो बगैर इजाजत के मीटिंग नहीं कर सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर तो इस बात की भी इजाजत नहीं दी गयी इस डिमोक्रेटिक सेटअप में लोगों को कि वे स्याह पट्टी बांध सकें या काले झंडे अपने घरों पर लगा सकें। यहां पर लखनऊ में इस बात की इजाजत मांगी गयी कि पब्लिक मीटिंग हो, ब्लैक बैजेज और स्याह झन्डे लगाने की, लेकिन सारी चीजें रोक दी गयीं, यहां तक कि स्याह झंडे भी नहीं लगा सकते। पूछा गया कि क्यों नहीं लगा सकते तो जवाब दिया गया कि इससे साम्प्रदायिक झगड़े हो जाने का अंदेशा है।

इलाहाबाद में हमने जब मीटिंग के लिये एप्लीकेशन दी कि हमको मीटिंग करने की इजाजत दी जाय तो उसके लिये तो इलाहाबाद में मना कर दिया गया लेकिन वहां के अफसरान ने कहा कि आप स्याह झंडे लगावें, स्याह पटियां लगा सकते हैं लेकिन पब्लिक मीटिंग नहीं करने दी जायगी। बनारस में भी यही बात हुई और जहां-जहां जिस जिस बात की मांग की गयीं और इजाजत नहीं दी गयी तो हमने अपने प्रोग्राम को महदूद कर लिया और उसी तरह से कर दिया जिस तरह से हुकूमत चाहती थी। लखनऊ में न पब्लिक मीटिंग की गयी और न स्याह बिल्ले लगाये गये और न लोगों ने अपने घरों पर स्याह झन्डे लगाये।

यही बात अलीगढ़ में हुई इसलिये कि ३ तारीख से वहां अरेस्ट शुरू हो गयी थीं और वहां झगड़े शुरू हो गये थे। तो जहां पर जिस चीज को रोका गया वहां कहीं भी कोई भी मिसाल

ऐसी नहीं हैं जहां मीटिंग के लिये इजाजत मांगी गयी हो न मिली हो और मीटिंग की गयी हो, या जुलूस निकालने के लिये इजाजत मांगी गयी थी और इजाजत नहीं मिली तो वहां जुलूस निकाला गया हो। और जब यह झगड़े हो जाते हैं और एक तरफ ज्यादती हो जाती है तो उसके बाद यह कहा जाता ह कि मजलिस या मुसलिम लीग या दूसरी तनजीम ने झगड़ा करा दिया ।

मुख्य मंत्री जी का बयान आया था कि पूरे प्रदेश में जो झगड़ा हुआ उसके लिये जिम्मेदार यह तनजीम हैं लेकिन वह कामयाब नहीं हो सके सिर्फ एक या दो जगह कामयाब हुये। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी अपनी जवाबी तकरीर में इस पर रोशनी डालें कि उन दिनों जब जहां ये झगड़े हुये हैं वहां पर क्या लोगों ने कोई ऐसे काम किये थे जो दफा 144 की मुनाफी थी उसको लोगों ने तोड़ा, मुख्य मंत्री जी यह कह सकते हैं कि दफा 144 जब लगी थी तो पांच आदमी से ज्यादा क्यों निकले। फीरोजाबाद में जिस वक्त यह झगड़ा हुआ लोग नमाज जुमा अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। पुलिस और पी० ए० सी० वाले यह कह रहे थे कि दफा 144 लगी हुई है आप लोग दो-दो या तीन-तीन आदमी से ज्यादा बाहर न निकलें। सिनेमा के चार-चार शो रोजाना दिखाये जाते हैं और जिस वक्त सिनेमा छूटता है तब पी० ए० सी० या पुलिस वाले कुछ नहीं कहते लेकिन जब नमाज पढ़कर लोग निकलना चाहते हैं हजारों का मजमा है और पांच-पांच करके निकलें तो उस हिसाब से तब चाहें पांच या 6 घंटे में मस्जिद से निकल पावें ।

इलाहाबाद में लोगों ने स्याह झंडियां या स्याह पट्टियां लगायीं महज लेकिन हमारे कुछ साथियों ने जो रूलिंग कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने इस बात की कोशिश की कि लोग स्याह पट्टियां और झन्डे अपने घरों पर न लगावें। पर्चे निकलवाये गये, वहां एक फ्रन्ट बनाया गया कि किसी तरह से भी यह काम नहीं होना चाहिये और योमे एहतिजाज में लोगों को हिस्सा नहीं लेना चाहिये। इसके बाद जब मुखतलिफ जगहों पर झगड़ा होता है और जुडीशियल प्रोब हो की मांग की जाती है तो उसे ठुकरा दिया जाता है।

मुख्य मंत्री जी से हम लोग मिले थे लेकिन मुख्य मंत्री जी ने साफ कहा कि अदालती जांच नहीं होगी। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मजलिस ने फिरकेवाराना झगड़े कराये और दूसरी तरफ जब हम मांग करते हैं कि हमने लोगों के फिरकेवाराना जजबात को भड़काया तो जांच करवाकर हम लोगों को उसके लिये सजा दीजिये तब कहा जाता है कि जुडीशियल प्रोब नहीं होगा। मैं समझ नहीं पाता हूं कि हमारी यह मांग जुडिशियल प्रोव कराने की क्यों नहीं मानी जाती। चौधरी साहब ने बतलाया है कि फीरोजाबाद में 49 लोग मारे गये जिनमें से 48 मुसलमान है और एक मौत जिनकी हुई जो गैर मुसलिम हैं और जिसकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट कहती है कि थ्री नाट थ्री का बुलेट से चोट आई है। वे अपने कोठे पर थे और वहीं थ्री नाट थ्री की चोट लगी। मरने वालों की तादाद बनारस में 8 मुसलिम और 1 गैर मुसलिम की गिनती बतायी जाती है। मैं यह कहता हूं कि चूंकि एक तरफ नुकसान हुआ है इसलिये जुडीशियल प्रोब की मांग सरकार न मंजूर कर रही है।

श्रीमन्, जब 1971 में पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान अलीगढ़ में दंगा हुआ तो जब वहां जुडीशियल प्रोब की मांग की जा सकती है और स्वीकार की जा सकती है, जबकि उसमें

[श्री हबीब अहमद खां]

बहुत कम नुकसानात हुये, बहुत कम जानें गयीं, लेकिन इसमें, जिसमें कि सैकड़ों जानें गयीं, करोड़ों की दौलत का नुकसान हुआ, अगर जुडीशियल प्रोब की मांग की जाती है तो उसे क्यों नहीं माना जाता है। मेरी राय में सिर्फ इस कारण से कि एक तरफा नुकसान हुआ है। जिसको सरकार छुपाती है। श्रीमन्, कम्युनल रायट जब भी होगा, नुकसान दोनों तरफ होंगे। ऐसी सूरत में जुडीशियल प्रोब जरूर होनी चाहिये और जिन लोगों की जानें गयीं, हैं, उनके परिवारों को, और जिनका माली नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा मिलना चाहिये। फीरोजाबाद के लिये यह बात बताने की जरूरत नहीं कि वहां 87 घंटे करफ्यू था। सारी पुलिस आगरे से आ गयी थी। वहां लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी।

सैकड़ों लोगों के मकान जला दिये गये और लूट लिये गये। आफताब साहब का घर पूरी तरह से लूट लिया गया और न मालूम कितने लोग पुलिस की गोली के शिकार हुये। न हिन्दू और न मुसलमान, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था। तो यह अगर पुलिस और पी० ए० सी० ने नहीं किया तो कौन से लोगों ने किया। जहां तक बनारस का झगड़ा है, वह इस तरह से शुरू होता है। पुलिस का एक स्क्वायड, दरोगा के साथ जूते पहने हुए मस्जिद में घुस जाता है। किसलिये? वहां के मुअज्जन को मारने के लिये। मस्जिद में मरम्मत का काम चल रहा था। पुलिस जूता पहने वहां घुस जाती है। श्रीमन्, यह कितनी शर्मनाक बात है। मन्दिर और मस्जिद में पुलिस का जूता पहने घुसना वहीं तक किसी हद तक ठीक है, जबकि वह किसी अपराधी का पीछा कर रही हो, इसलिये उस वक्त उसको मौका नहीं है कि वह जूता उतारे।

लेकिन बनारस में पुलिस मस्जिद में जूता पहने घुस जाती है वहां के बूढ़े मुअज्जन को जख्मी करने के लिये तथा मस्जिद पर लगा काला झंडा नोंचने के लिए इस तरह से झगड़ा वहां शुरू होता है। उसके बाद करफ्यू इम्पोज कर दिया जाता है। उसके बाद हम नहीं जानते कि कोई घर के निकला। फीरोजाबाद में जैसा कि अभी कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कितने लोग मारे गये, कितने लोगों के मकान जला दिये गये। तो यह किसने किया। करीब-करीब 6/7 सौ मुसलमान करफ्यू के खिलाफवर्जी में पकड़े गये और बाद में 10 रु० जुर्माना अदा करने पर छोड़े गये। श्रीमन्, मैं एक मिनट में अपनी बात खतम करता हूं। आखिर में यह होता है कि एजीटेशन हुआ और गिरफ्तारियां की गयीं। लोग बन्द किये गये। अलीगढ़ में भी कुछ लोगों को पकड़ा गया। बाद में माफी मांगने पर छोड़ दिया गया। तो श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी जब बोलें तो इन चीजों पर जरूर रोशनी डालें। इसमें चार लोग अलीगढ़ के अभी भी बन्द हैं। इनके नाम हैं, (1) डा० अहसान अहमद, (2) एहतसान बिन हसन, (3) अब्दुल बारी कैरानवी, (4) मसूल आलम। ये चारों लोग मेन्टनेन्स आफ इन्डियन सिक्योरिटी ऐक्ट में आज भी बन्द हैं। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, जब डी० आई० आर० या सीक्योरिटी ऐक्ट में लोग बन्द किये जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का एप्रूवल होना चाहिए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का एप्रूवल अभी तक नहीं पहुंचा है और लोग बन्द हैं। इसके अलावा डिटेन्शन के बारे में कायदा है कि जिले के हुक्काम हुकूमत को इत्तला दें। वह इत्तला भी नहीं दी। और आखीर में, जिन लोगों का डिटेन्शन होता है उनकी सुनवाई होती है,

उसका एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है। अभी तक कोई बोर्ड भी नहीं बनाया गया। और लोग इस तरीके से बन्द हैं और उन पर दवाब डाला जा रहा है कि किसी तरीके से मांफी मांग लें तो छोड़ दें।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप खत्म करें। माननीय मुख्य मन्त्री जी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, जहां यह दंगे हुए हैं वहां से जो माननीय सदस्य आते हैं उनको थोड़ा समय अवश्य दें। वाराणसी के बख्शी जी हैं, शंकर प्रसाद जायसवाल जी हैं। इसी तरह से फीरोजाबाद वालों को भी अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आज तो ऐसा है कि 120 मिनट में 100 मिनट आपको मिले। अब सरकारी पक्ष को 20 मिनट मिल रहे हैं जिसमें मुख्य मन्त्री जी जवाब देंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं यह समझता हूँ कि हमारे जिन मित्रों ने इस पर बहस मांगी थी उन्होंने दो घंटे की बहस मांगी थी। 6 बजने में 5 मिनट बाकी थे तब यह बहस शुरू हुई। जो उनकी मांग थी और जो नियम है उसके अनुसार 8 बजने में 5 मिनट पहले यह बहस समाप्त हो जानी चाहिए।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, जो आदमी अपनी बात कहना चाहता है, बाहर तो 144 लगा दी जाएगी, बोलने नहीं देंगे, मीटिंग नहीं करने देंगे, जलूस नहीं निकालने देंगे। अब यहां भी ये चाहते हैं कि जबान पर पाबन्दी लगायी जाय। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि सारे नियम सस्पेंड कर दिये जायं और इस मामले पर बहस हो जाय, सबको मौका दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

उस पर तो माननीय माधव प्रसाद जी त्रिपाठी ने कहा है। अध्यक्ष जी ने इस प्रश्न को स्वीकार किया है। आप लोगों ने एक विचार रखा है। माननीय अध्यक्ष जी अगर कोई अवसर देना चाहेंगे तो देंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जो माननीय सदस्य उन जगहों से आते हैं, जो मुझसे ज्यादा जानते हैं, उनको जरूर मौका मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

आज तो बीस मिनट का समय है। उसके बाद फिर विचार किया जाएगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, यह बात ठीक नहीं होगी कि मेरे उत्तर के बाद किसी को बोलने का अवसर दिया जाय। यदि आप अवसर देना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, जो समय आप देना चाहें दे दें, लेकिन मेरे बोलने के बाद फिर किसी को समय देना सम्भवत: उचित न होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आज का सवाल नहीं है। अध्यक्ष जी ने इस प्रश्न को स्वीकार किया था। अगर कोई दूसरा अवसर वह चाहेंगे तो देंगे। आज तो समाप्त हो जाएगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से समय नहीं बढ़ता है। माननीय अध्यक्ष ने दो घंटे की बहस स्वीकार की है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, इस सदन के बहुत अधिकार हैं। पूरी नियमावली को सस्पैन्ड किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला दिया है उसमें भी तरमीम आप अपने विवेक से भी कर सकते हैं और सदन चाहे और आवश्यकता समझे तो सदन भी कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रस्ताव तो अनियमित हो जाता है। नियम कहां स्थगित हुआ? इसका जो नियम है उसको देखकर ही तो चलना होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, नियम में तो है कि ढाई घंटे तक हो सकती है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, सदन को कोई एतराज नहीं है और इसको पूरा सदन चाहता है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इधर के और उधर के दोनों ही लोग यह चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

बहस में पहले आपको समय दिया जायगा फिर सरकारी पक्ष को भी बोलने का अवसर दिया जायगा। अब वह बोलेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या मूवर को ज्यादा समय नहीं दिया जायगा?

श्री कल्पनाथ सिंह—

मुख्य मंत्री जी को भी कोई एतराज नहीं है आप बढ़ा दें।

श्री चरण सिंह—

जो बहस जिस पक्ष से आरम्भ होती है उसी से समाप्त होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जब उपस्थित करते हैं तो उसका उत्तर मंत्री देते हैं फिर आप बोलते हैं परन्तु यह तो पुराना वक्तव्य मानकर चर्चा चलाई गई है। इसमें मंत्री जी का उत्तर ही अन्त होना चाहिये यह तो बड़ी सुदृढ़ परम्परा है कि अन्त में शासन की तरफ से उत्तर होता हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जो चर्चा स्वीकार की गई है उसमें अधिकार है कि समय नियत कर दें परन्तु यह भी सदन को अधिकार है कि उसका समय बढ़ा दें। वह नियम को निलम्बित कर सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम में दिया है कि वह तिथि को तथा सूचना के विषय को सदन में घोषित करेंगे और चर्चा के लिये उतने समय की अनुमति दे सकेंगे जितना कि वे परिस्थितियों में उचित समझें और जो ढाई घंटे से अधिक न हो ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैं ऐसा समझता हूं कि जो आपने नियम पढ़ा उसके हिसाब से ढाई घंटे तक ही बहस हो सकती है । आधे घंटे का समय और बढ़ा दें ।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह नियम 52 के अन्तर्गत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो अध्यक्ष ने जो आपकी इच्छा थी उसके अनुरूप समय दिया और यह समय २ घंटे का दिया गया है । आधे घंटे का समय और बढ़ा दिया गया है । अभी 15 मिनट 8 बजने में हैं और 8.25 बजे तक यह चल सकता है । आप में से तीन आदमी पांच-पांच मिनट तक बोल सकते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

पांच मिनट में क्या बोल पायेंगे । आप पूरे सदन की प्रार्थना को मान कर नियम को निलम्बित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम को हम कैसे सस्पेंड कर सकते हैं ।

*श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी--

जैसा कि माननीय चौधरी साहब और माधव बाबू ने कहा । मुझको बनारस की जानकारी है परन्तु आगरा या फीरोजाबाद की जानकारी नहीं है । बनारस की जो दुखद घटना हुई यह हिन्दू मुस्लिम रायट था ही नहीं । माधव बाबू ने कुछ कहा बाकी मैं पूरा कर दूं । लंगढ़ा हाफिज मस्जिद में जब पुलिस और पी० ए० सी० वाले पिट कर आये तो ढाई, तीन सौ हिन्दू सड़क के इस पार से तमाशा देख रहे थे । तो जब पिट कर आये तो उन्होंने कहा ऐ हिन्दुओं, तुम तमाशा देख रहे हो और हम पिटे जा रहे हैं, हमला करो । तब हिन्दू आगे बढ़े । देवपुर-मदनपुरा में भी ऐसे ही ईंट पत्थर चल रहे थे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी]

वहां भी सकड़ों की तादाद में तमाशा देखने वालों को आगे बढ़ाया गया। इस तरह यह रायट हुआ जो कि सरकार के खिलाफ एक विद्रोह था, चाहे वह अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बहाने से ही हो। इसका कारण आफिशियल अयोग्यता, इनएफिशेन्सी, जितने भी एडजेक्टिव्ज इस्तेमाल किये जायं थोड़ा है। आई० जी०, पुलिस इन्क्वायरी के सामने डेढ़ घंटे मेरे बयान हुये। मैंने कहा कि पुलिस इनएडिक्वेट थी। उन्होंने पूछा कि कितनी पी० ए० सी० और पुलिस थी और यह बयान दे दिया कि बनारस शहर के लिये एडिक्वेट थी। लेकिन जो पुलिस, पुलिस लाइन में बैठ कर ताश खेल रही थी उसको डी० एम० महेश प्रसाद ने यूटिलाइज नहीं किया।

बनारस मे गुंडा एलीमेन्ट काफी हैं। 228 जनसंघ के लोगों ने गुंडा दमन के लिये भूख हड़ताल की थी और इस डिमांड को लेकर कलेक्टर के पास गये थे। तो महेश प्रसाद जी ने मुझसे कहा कि एक महीना का टाइम दीजिये फिर देखिये। और उन्होंने गुंडा दमन में बड़ा अच्छा काम किया। मुझसे कोई पूछता है कि यहां का क्या प्राब्लेम है तो मैं कहता हूं कि गुंडा यहां का सब से बड़ा प्राब्लेम है। वहां कारपोरेशन का मेयर जनसंघ का न हो इसके लिये गुन्डे आइडेन्टिफाई किये गये। रायट से पहले वह गुंडा लोग पकड़ा नहीं गया। वहां स्वर्गीय दीन दयाल जी के नाम पर एक दीन दयालपुर है। उसमें हिन्दू बस्ती है। पास में मुसलमान बस्ती है। वह करघे लगाये हैं। वहां हरिजनों ने मुसलमानों के कम्पिटीशन में 200 लूम लगाये हैं और सिल्क की साड़ी बनाते हैं। एक-एक हरिजन मजदूर तीन-तीन सौ रुपया रोज कमाता है। वहां सब लोग शान्ति के साथ सो रहे थे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने पी० ए० सी० ले जाकर वहां डकैती डाल दिया, सब को घरों से निकाला और 8–10 आदमियों को पकड़ा और कुछ की पिटाई की। लाल बहादुर सिंह जी की वह कांस्टीटुएंसी है। वहां लाल सिंह मारे गये। उनके चचेरे भाई कारपोरेटर हैं जनसंघ के। दोनों में बोल-चाल तक नहीं थी---एक जनसंघ का था और दूसरा कांग्रेस का था। उनका बेटा पुलिस की मार से मारा गया ....

(सदन में माइक की खराबी के कारण कुछ सुनायी नहीं पड़ा)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जब तक माइक ठीक न हो, कार्यवाही रोक दीजिये, कुछ सुनायी नहीं पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब उनके 4 मिनट हो गये।

श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी--

दो-तीन मिनट और दे दीजिये। वहां के जिलाधीश के खिलाफ गांव वालों ने माननीय मुख्य मन्त्री के घर पर जाकर मांग की कि वहां के जिलाधीश को फौरन डिसमिस किया जाय।

(कई आवाजें--कुछ सुनायी नहीं पड़ रहा है)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

जब तक माइक ठीक न हो कार्यवाही रोक दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका अब समय समाप्त हो गया है।

श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी---

दो मिनट और दे दीजिये। मान्यवर, भारत सरकार की नीति डिवीजन की है। मैं यह कहना चाहता हूं, भारतवर्ष के मुसलमान हिन्दू हैं। वे मुसलमान परस्त हिन्दू हैं। इसका प्रचार कीजिये। इससे आपस में एकता बढ़ेगी।

(श्री अनन्तराम जायसवाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, इनकी आवाज तो सुनायी नहीं पड़ेगी और हम लोग माननीय जायसवाल साहब की आवाज सुन नहीं पायेंगे।

(कुछ देर बाद माइक ठीक हो गया)

***श्री अनन्तराम जायसलाल---**

मान्यवर, उपाध्यक्ष जी 16 जून से 19 जून, 1972 तक जो घटनायें हुई हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली की कांग्रेस सरकार और उसकी कायद प्रधान मन्त्री के ऊपर आती है। मान्यवर, इसका थोड़ा-सा इतिहास मैं बयान करना चाहता हूं, जिसकी वजह से इन दंगों की नौबत आई।

श्री उपाध्यक्ष---

5 मिनट का समय है, इसमें चाहे जितना आप बयान कर लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आज तो बोलना ही चाहूंगा, आप चाहे मारु करे या न करे। जब सन् 1969 का मध्यावधि चुनाव आया तो मुसलमानों के थोक के थोक वोट लेने के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी और उत्तर प्रदेश के नेता कमलापति त्रिपाठी, बहुगुणा जी, चन्द्रजीत यादव, मध्य प्रदेश के डी० पी०मिश्रा ने एक आला तरीका निकाला। ये लोग तो इन-बिटवीन थे, असल में काम तो इन्दिरा जी कर रही थीं, डा० फरीदी को इसके लिये इन्दिरा जी ने विशेष रूप से दिल्ली बुलाया और उनसे कहा कि हमें आप मुसलमानों के सारे के सारे वोट दिलवायें। इस पर फरीदी जी ने उनके सामने एक 8 सूत्री प्रोग्राम रखा। उसमें यह था कि रामपुर में अलग से एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित की जाये। दूसरा था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पहले वाला ही रूप रहने दिया जाये, उसमें कोई चेंज न किया जाये। तीसरी बात यह थी कि मरकजी और सूबाई सेवाओं में आबादी के हिसाब से मुसलमानों को स्थान दिया जाये, क्योंकि वहां उनकी संख्या कम है।

मान्यवर, मोटे तौर पर यह समझौता हुआ। यह सिर्फ जबानी नहीं था। कांग्रेस का मेनीफेस्टो आउट होने के पहले डाक्टर फरीदी को वह दिखाया गया, उनकी एप्रूवल हासिल की गई। जब उन्होंने कह दिया यह ठीक है, तब वह आउट हुआ। उस समय पंडित जी भी थे और उनसे पूछा गया कि आपको मालूम होना चाहिये कि यह हो रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

तो पंडित जी ने कहा हमें सब मालूम है। इस पर उन्होंने कहा कि मालूम होने से ही नहीं, करना भी तो आपको है। इस पर पंडित जी ने जवाब दिया—"दिस इज ए जेन्टेलमेंट्स एग्रीमेंट"। आप श्रीमन्, समय कम दे रहे हैं। इसलिये मैं कांग्रेस का मेनीफेस्टो और डाक्टर फरीदी का प्रोग्राम आपके सामने पेश नहीं कर सकता हूं। इस तरह का समझौता हुआ है।

अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क्या मामला है। यह यूनिवर्सिटी सन् 1920 के कानून से वजूद में आई थी। उसकी जो गवर्निंग बाडी थी, उसकी सुप्रीम बाडी थी, उसमें मुसलमान को छोड़कर और कोई भी मेम्बर नहीं हो सकता है। उसको अधिकार था कि वह चान्सलर, वाइस-चान्सलर और दूसरे अफसरान को चुने। उसको लेजिस्लेटिव पावर भी थीं। वह स्टेन्यूट्स बना सकता है, रिपील कर सकता है, अफसरों के काम को रिव्यू कर सकता है, वगैरह-वगैरह। इसके साथ-साथ इसमें यह भी दिया हुआ था कि वहां पर की जो दीनी-मजहबी तालीम है, वह सब मुसलमान लड़कों को लाजिमी तौर पर दी जायगी। कोर्ट में कौन थे? डोनर्स वगैरह थे। बाद में उनकी सारी जायदाद इस यूनिवर्सिटी को मिली। जब संविधान बन गया, तो उसमें कुछ तरमीम हुई। उसके साथ दिल्ली की सरकार का उसमें दखल शुरू हुआ। अब तक चान्सलर, वाइस-चान्सलर का चुनाव कोर्ट के जरिये से होता था तब यह होगा कि एक पैनल तीन आदमियों का जो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से भेजेगी, उसमें से यूनिवर्सिटी के विजीटर--यानी राष्ट्रपति एक आदमी पसन्द करेंगे। एक बार अगर उन्हें समझ में कोई नहीं आया तो उस पैनल को वापस कर देंगे और यूनिवर्सिटी फिर भेजेगी। इस तरह से उनका दखल शुरू हो गया था। लेकिन जो यह ऐक्ट आया है, उसने उस कोर्ट की पूरी शक्ल ही बदल दी है। अब तो उस कोर्ट में विजीटर या वाइस चान्सलर के नुमायन्दे होंगे। बाकी उसमें कोई जगह नहीं पा सकता। वाइस चान्सलर वही हो सकता है जिसको केन्द्रीय सरकार पसन्द करेगी। जो पुराने लोग थे, सब बेदखल हो गये और नये लोग वहां बिठा दिये गये। जिसका रेफरेन्स चौधरी साहब ने अपनी स्पीच में किया है। यह हो जाने के बाद मुसलमान को चोट लगती है, उसने समझा कि हमारे साथ वादाशिकनी हुई। एक दफा जब आपके साथ नारा लगाया तो आपने वादा किया था कि अकलियती किरदार को बनाये रखेंगे लेकिन जब ऐक्ट आ गया तो उसने समझा कि हमारे साथ दगा हुआ तो उसने गम और गुस्से का इजहार चाहा।

10 जून को काली पट्टी बांधो, काले झंडे लगाओ, जुलूस करने की इजाजत मिल जाय तो जुलूस करो, सभा करने की इजाजत मिल जाय तो सभा करो, न मिले तो न करो। जब यह समझौता हुआ 1971 में उसी वक्त इसके बीज पड़ गये। जब पूरा नहीं हुआ तो लगता है कि 1935–36 का इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बिलकुल इसी तरह का समझौता मुस्लिम लीग से हुआ था उस वक्त लेकिन कांग्रेस के जो सरबराह थे उन्होंने किया था। जब चीज मिल गयी तो समझौते को तोड़ कर अपनी सरकार बना ली। नतीजा यह हुआ कि यह पाकिस्तान बनने की बुनियाद हो गयी। बहरहाल यह समझौता हुआ और इन्दिरा गांधी को इतनी बड़ी अक्सरियत मिली जो आज है, जिसके जरिये से डिक्टेटर बनी बैठी हैं। जो यूनिवर्सिटी के पुराने अकला थे, तीन-चार हफ्ते में उनकी बैठकें होती हैं। इन लोगों के नुमाइन्दे फखरुद्दीन अली अहमद साहब से मिलते हैं।

उनसे कहते हैं कि प्रधान मन्त्री पर दबाव डालिये कि अकलियती किरदार बना रहे। वह जवाब देते हैं कि आज की हालत में आज की हवा में प्रधान मन्त्री पर दवाब डाल कर नुक्तेनजर को नहीं मनवाया जा सकता है। अगर एजिटेशन हो जाय तब जा कर कुछ कोशिश कर सकूंगा।

उस सलाह की तह में सारे उत्तर प्रदेश में, पूरे मुल्क में, क्यों मुसलमान समझता था कि हमारा गहवारा है, वह गहवारा छीना जा रहा है, तब चोट लगती है, वह मजरूह है। जब सलाह मिल गयी तो एजिटेशन का प्रोग्राम बना। वह एजिटेशन चलने लगा। अगर यहां की पुलिस और मैजिस्ट्रेट्रों ने एहतियात बरता होता तब मेरी निश्चित राय है कि यहां पर यह दंगा नहीं हो सकते थे जो हुये हैं। प्रोवोकेशन दिया गया। माधव बाबू ने रेफर किया भारतमाता की शान का, या इन्दिरा गांधी की शान का, इस तरह के प्रोवोकेशन हुये। लेकिन हुकूमत करते हैं उनको अपने ऊपर अहतियात बरतना चाहिये। मान लें कि इस तरह का प्रोवोकेशन भी था तब भी उनको शान्त रहना चाहिये था। लेकिन वह पिटाई शुरू कर देते हैं। फिर गोली चलना शुरू हो जाती है बिना टियर गैस का इस्तेमाल किये हुये। उसके बाद करफ्यू हो जाता है शहर में करफ्यू में पी० ए० सी० ने लोगों को लूटा है, पी० ए० सी० ने पानी मांगने पर पेशाब किया है, पुलिस और पी० ए० सी० ने इन लोगों को पानी तक नहीं दिया है। जायदाद लूटी है, फूंका है। सारा काम पी० ए० सी० की देख-रेख में हुआ है। ऐसे मामले में मांग की जाती है कि जुडीशल इन्क्वायरी करा दी जाय तो किसी भी अच्छी सरकार को कंसीड करना चाहिये। कोई भी अच्छी सरकार होती तो उसको शर्म आती। यह कहना कि कुर्सी छोड़ दो, कोई छोड़ने को तैयार नहीं होगा। लेकिन इनको पश्चाताप होना चाहिये इस प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हुई हैं।

अभी हमारे दोस्त हबीब साहब से मुख्य मन्त्री जी ने कह दिया कि इसमें कोई अदालती जांच नहीं होगी। यह सरकार जो बनी है इस प्रदेश की स्वायत्तता को दिल्ली को बेच कर बनी है। इस सरकार की हिम्मत नही है कि यह दिल्ली के वाजेह अहकामात के बगैर जांच बैठा दे। बात यह है कि दिल्ली सरकार का भी यही फैसला है कोई अदालती जांच नहीं होनी चाहिये। पुराने जमाने में जिस तरह शान्ति कमेटी बिठा कर निश्चित हो जाते थे वैसे अब नहीं होगा। अदालती जांच नहीं होगी, मुकदमें वापस नहीं लिये जायेंगे बल्कि इसको आहनी हाथों से कुचला जायगा। आपके बयानात ने एक प्रकार से पुलिस को प्रभावित किया है। मुख्य मन्त्री फीरोजाबाद गये थे। लेकिन कर्फ्यू आवर्स में गये थे। किसी से मिल नहीं पाये। पुलिस से जो रिपोर्ट मिली है वही मुख्य मन्त्री जी की राय बन गयी। आपने कहा कि तमाम मामलों की ज्यादती के लिये आई० जी० साहब को नियुक्त करेंगे। आपके इस बयान के बाद कोई आई० जी० हिम्मत करेगा उसके खिलाफ कोई फाइंडिंग दे दे? इसलिये मैं पुरजोर आवाज से मांग करता हूं कि इस सदन की एक कमेटी बिठाई जाय जिसमें सभी दलों के मेम्बर हों। काफी छानबीन की जरूरत है। इसमें ज्यादती पुलिस ने की है। वह कमेटी इस मामले में जांच करके डिसाइड करेगी, दो महीने में अपनी रिपोर्ट दे दे। जिन लोगों की जानें गयी हैं अथवा लूटे गये हैं उनको उचित मुआविजा दिया जाय। ऐसे सरकारी आफिसर्स जिन्होंने नामजद रिपोर्ट पर अभी तक कार्यवाही नहीं की है उसके खिलाफ जांच के बगैर कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मेरा प्रस्ताव है। मुझे भी समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समय नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी ---

तीन मिनट दे दिये जायं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मैं एक प्रार्थना करूंगा। एक बात का स्पष्टीकरण करेंगे। कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं उनके बयान को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस ने लूटपाट की। हमारे मन में तथा दूसरों के मन में भी यह शंका है। इसको मुख्य मन्त्री जी स्पष्ट कर देंगे ?

श्री चरण सिंह---

एक दरख्वास्त मेरी भी है कम्युनल रायट है यह उनका केस है ?

*श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं बड़ा कृतज्ञ हूं अपने विरोधी पक्ष के साथियों का, जो उन्होंने आज इस प्रश्न को यहां उठाया और कम से कम सरकार को भी अपनी सफाई देने तथा अपने पक्ष को रखने का अवसर दिया। आज कल अखबारों में तरह-तरह के बयानात निकल रहे हैं। बहुत से अखबारात ऐसे हैं जिनमें तरह-तरह के लेख निकल रहे हैं जो जहर से भरे होते हैं। अगर किसी की दृष्टि से पास हुये हों तो उनको देखें। ऐसी स्थिति में अपने पक्ष को सदन में विरोधी पक्ष के सदस्यों के सामने विशेषकर रख सकूं इसका जो अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है यह बहुत ही अच्छा हुआ। मान्यवर, मैं माननीय चौधरी साहब का, माननीय माधव जी का, माननीय जायसवाल जी का और सबसे बढ़कर माननीय कल्पनाथ सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रश्न को उठाया।

मान्यवर, मैं आरम्भ में ही कुछ बातें स्वीकार करना चाहता हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि किसी भी प्रशासन के लिये यह बड़े शर्म और लज्जा की बात है। यह सब से बड़े दुख की बात है कि इस शासन-काल में किसी एक व्यक्ति के भी अगर गैर-कानूनी ढंग से प्राण जायं या किसी के माल, धन या सम्पत्ति की एक पैसे की भी क्षति हो। मुझे इस बात की लज्जा है। मुझे बहुत दुख इस बात का भी है और मैं यह मानता हूं कि लोक-तन्त्रात्मक प्रशासन में न तो गोलियों के लिये ही स्थान है और न ही डंडों के लिये ही स्थान है। इसके साथ-साथ में यह भी मानता हूं कि लोक-तन्त्रात्मक प्रशासन में कानून को तोड़ने के लिये कोई स्थान नहीं है क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि जब कभी विधि और व्यवस्था में खलल पड़ेगी तो कोई भी प्रशासन हो, उसके लिये यह आवश्यक हो जायेगा कि वह बल का प्रयोग करे।

मान्यवर, अगर बल का प्रयोग होता है तो कोई यह नहीं कह सकता कि बल का जो प्रयोग किया गया वह उन्हीं लोगों पर किया गया जो शान्ति और व्यवस्था को तोड़ने के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तरदायी रहे हैं। हम सभी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं। बहुत दिनों से सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम इस बात को जानते हैं कि जब बल का प्रयोग होता है तो वह बल प्रयोग किसी चीज को दबाने के लिये होता है और उस समय यह भी नहीं दिखाई देता है कि किसकी खोपड़ी पर कैसे लाठी पड़ेगी। मान्यवर इसमें कोई शक नहीं है। दुनियां का इतिहास साक्षी है।

माननीय माधव जी गांधी जी की बात ले आये और कहा कि हम को गांधी जी ने किसी दिन यह सिखाया था। एक प्रदेशीय राज्य जब निरंकुश रहता है जो उत्तरदायी हमारे देश के प्रति न रहा हो, जिस तक हमारी कोई पहुंच न रही हो, जिसका एक मात्र लक्ष्य भारतीय धरती पर निरंकुशता का शासन होते हुये भी शस्त्र लेकर विद्रोह करना धर्म था लेकिन जब हमने लोकतन्त्रीय पद्धति को अपना लिया है जो कि निर्वाचन से सम्पन्न होता है और बहुमत की सरकार बनती है तथा अपने अनुसार विधि हम बनाते हैं। उसके बाद हम आपसी परामर्श से यहां बैठकर सदन की राय के मुताबिक कायदे और कानून बना सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मेरा एक निवेदन आप सुन लें। मान लीजिये कोई सरकार कायदे कानून के अनुसार काम नहीं कर रही है तो उसके लिये उसे क्या सजा दी जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, यही तरीका शांति और व्यवस्था भंग करने का होता है। दूसरा नहीं होता है इसी के बारे में मैं बोल रहा था और इसी का मैं विरोध कर रहा हूं। यही प्रवृत्ति घातक होती है लोकतंत्र के लिये। इसीलिये मैंने "लज्जा" शब्द का इस्तेमाल किया था। यह बात मैं कहीं दूसरी जगह पर नहीं बोल रहा हूं--सदन में बोल रहा हूं, सारे देश के सामने खुल्लम-खुल्ला बोल रहा हूं कि बनारस और फैजाबाद में जो दंगे हुये हैं वह बड़ी लज्जा की बात है। मैं यह बात अपने कमरे में बैठकर नहीं कह रहा हूं सदन में कह रहा हूं। तो मान्यवर, मैं कह रहा था जब भी लोकतंत्र में बल का प्रयोग किया जाता है तो उसे बाध्य होकर प्रयोग करना पड़ता है। अगर बल का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम टिक नहीं सकते है। दुनिया का इतिहास साक्षी है। जर्मनी में भी बल का प्रयोग हुआ था, यह इतिहास में पढ़ने की बात है। और यदि वह सरकार बल का प्रयोग करती है तो लोकतंत्र की पद्धति में उचित नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है गोली और लाठी का, जिसका कि प्रयोग किया गया। इससे आपके हृदय को चोट पहुंची है और इस सरकार के लिये आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसको मैं अनुचित नहीं मानता। क्योंकि आपके हृदय को इतनी चोट पहुंची है कि एक लोकतंत्रात्मक शासन में किसी प्रकार भी बन्दूक चलने की या किसी का घर फूंकने की इजाजत नहीं होनी चाहिये। जो कुछ सरकार की टीका-टिप्पणी की गयी है उससे मुझे कष्ट नहीं है, मैं उसको उचित भी मानता हूं।

अब एक दूसरा पक्ष भी है। देखने की बात यह है कि क्या विधि और व्यवस्था को कुछ गड़बड़ाने की चेष्टा नहीं की गयी। मैंने पहले भी एक बार कहा था और आज भी कहता हूं कि सबसे बड़ी असहाय संस्था सरकार की होती है। बड़ी शक्ति है उसके पास। अभी चौधरी साहब ने कहा कि सरकार सब कुछ कर सकती है। परन्तु सबसे बड़ी असहाय सरकार

[श्री कमला पति त्रिपाठी]

इसलिये होती है कि उस पर इधर से भी लकड़ी चलायी जाती है और उधर से भी लकड़ी चलायी जाती है। उनकी यह राय है कि तुमने जरूरत से ज्यादा इन्तजाम किया। पहले कुचक्र रचा दिल्ली और यहां के बीच और कुचक्र आदि में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उनकी यह राय थी। और हमारे माधव जी की राय है कि हम नायक रहे, जितनी व्यवस्था करनी चाहिये थी उतनी व्यवस्था हमने नहीं की, यहां पुलिस नहीं रखी, वहां पुलिस नहीं रखी। तो दोनों बातें होती हैं। अगर हमने कुचक्र रचा होता दबाने का तो सर्वत्र पुलिस मौजूद होती। तो अब दोनों में कौन बात सच है ?

श्री चरण सिंह—

दोनों बातें सच हो सकती हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दोनों बातें कभी सच नहीं हो सकतीं। आप वकील हैं लेकिन आपकी दलील मेरी बुद्धि में समा जाय, यह सम्भव नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आप समझते थे कि इतनी बड़ी तैयारी है तो आपका एल० आई० यू० कहां चला गया था ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

फिर गड़बड़ी कहां थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जो बात सही है वह यह कि पूरी व्यवस्था थी। मैं कैसे सही हूं यह मैं आपसे कहता हूं। मान्यवर, एल० आई० यू० की रिपोर्ट आ गयी थी और जब रिपोर्ट आयी इसीलिये व्यवस्था की गयी और कड़ी व्यवस्था की गयी सारे प्रदेश में। जायसवाल जी आप कृपया बैठ जायं।

(श्री अनन्तराम जायसवाल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं बार-बार इस तरह से बीच में बोलने की इजाजत नहीं देता हूं। आप कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या हो गया, क्या आप कोई डिक्टेटर हो गये ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं नहीं बैठूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आपकी तरह ही सब लोग हो जायेंगे तो फिर कसे काम चलेगा ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

हमारा अधिकार है कि हम बोलें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं नहीं बैठूंगा, आप क्या करेंगे ? आपके लिये भी लाजिम है कि आप कायदे कानून से काम करें । मैं आपकी घौंस में नहीं आ सकता ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं देता ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं तो बोलूंगा । आप उस गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे कहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष--

आपका एक भी शब्द लिखा नहीं जायेगा ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मैं यह लिखने के लिये बोल रहा हूं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मेरी प्रार्थना है मान्यवर, कि आप इसको तूल न दें । जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी स्पष्ट किया, यह एक गम्भीर विषय है, इस पर विचार होने दें और वे जो कह रहे हैं उनको सुन लें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मुझसे बाराबंकी के डी० एम० ने कहा कि एल० आई० यू० की रिपोर्ट नहीं दी गयी और यह पूर्व नियोजित कार्य-क्रम था ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैं यह मानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजस्ट्रेट की रिपोर्ट न रही हो लेकिन आपका जो यह सेवक है उसके पास इतनी रिपोर्ट रहीं । समझ पाये । मेरा नाम कमलापति त्रिपाठी पिता का नाम श्री नारायण त्रिपाठी, औरंगाबाद, बनारस ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं समझ नहीं पाया कि पंडित जी जैसे आदमी कैसे इतने नाराज हो गये । आप तो कभी नाराज होते नहीं हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

यह नाराजगी की बात नहीं थी । थोड़ा आपको हंसा दिया । हमारे मित्र जायसवाल जी भी नाराज हो गये । मैं उनकी सब बातें सुन लूंगा । मेरी बात सुन कर तब वह प्रश्न करने की कृपा करेंगे तो ठिकाने से उत्तर दे सकूंगा वरना विचार चलते रहते हैं और धारा चलती रहती है और मेरे जैसे गरीब और छोटे आदमी के साथ अन्याय हो जायेगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसलिये मैंने कह दिया जिससे सफाई हो जाये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं आपकी हर बात का स्वागत करता हूं चाहे उचित हो या अनुचित हो। मैं बल के प्रयोग के संबंध में कह रहा था। पहले ही मैंने इसको स्वीकार कर लिया है और हमको स्वीकार करना पड़ा। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। माननीय चौधरी साहब कह रहे थे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल के बारे में और हमारे भाई अनन्तराम जायसवाल जी भी कह रहे थे। लेकिन उस बिल के मेरिट्स पर जाने का समय नहीं है। इसमें दो रायें हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यह मानी हुई बात है कि इसका हिस्टोरीकल कैरेक्टर रखा जायेगा और वह रखा गया। लेकिन कहा यह जाता है कि इसमें माइनारिटी कैरेक्टर का नाम नहीं रखा गया। मैं समझता हूं कि जैसा कि हिस्टोरीकल करेक्टर रखा गया है इसका उसमें माइनारिटी कैरेक्टर रखा गया है। युनिवर्सिटी को कम्यूनल कैरेक्टर नहीं दिया गया। अगर दिया गया होता तो हमारे देश को, हमारे भाई को और यूनिवर्सिटी को नुकसान होता। इसमें दो रायें हो सकती हैं। लेकिन मैं चौधरी साहब से कहना चाहता हूं कि जब दंगा हुआ तो उनका स्टेटमेंट निकला और उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी में ऐसे सवालों को डेमोक्रेटिक ढंग पर हल करना होता है, सड़क पर फैसला नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब तरीका हैं। आज पार्लियामेंट है, विधान सभा है, डेपूटेशन हैं, मिलना जुलना है, यह सब बातें की जा सकती हैं।

मैंने अपने मित्र माननीय हबीब अहमद साहब से भी कहा था कि अगर आप किसी वक्त और माननीय डाक्टर फरीदी हमारे मित्र रहे है, अगर किन्हीं बातों को आवश्यक समझें कि इनका संशोधन होना चाहिए और वह मेरी समझ में आ जाय कि उचित है तो मैं उनका डेपूटेशन लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से कहूंगा कि यह उचित मालूम होता है। यह तरीका है। लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपके घोषणापत्र में जो फैसला हुआ है वह इसका पार्ट बन चुका है। क्या आप नये सिरे से समझौता करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने उत्तर दे दिया। समझौते की बात मैं नहीं कह रहा हूं । आप बहुत बड़े हैं और मैं एक बहुत छोटा साधारण जीव हूं तो समझौता कैसे हो सकता है ? यह मसला सड़क पर चलेगा। सारी बात मैं कह सकता हूं कि अलीगढ़ में जो तनाव पैदा हुआ जिसकी अखबारों तक में सूचना आई यह एक सचाई थी कि एक भारी तनाव पैदा हुआ। और उसके बाद वह बिल जब पास हुआ और उसकी जो रिपोर्ट हमारे पास आई तो मैं यह नहीं कहता कि कोई दंगे करने की तैयारी थी लेकिन उससे एक टेन्शन पैदा हुआ, हमारे पास उसकी जानकारी है। मैं निवेदन करूं कि मुसलिम यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट मुसलिम यूनिवर्सिटी से बाहर, अलीगढ़ से बाहर गये थे और प्रदेश के दूसरे स्थानों पर वे गये थे इस तरह का प्रचार करने के लिये, कोई उनका इरादा दंगे कराने का रहा हो यह मैं नहीं मानता लेकिन एक सेन्टीमेंटल और भावुकता की

जगाने का सा प्रचार उनके द्वारा किया गया कि विश्वविद्यालय के साथ ज्यादती हुई है और उसके हकूक को छीन लिया गया है। जहां तक विरोध की बात है उसका हक है वह हो सकता है, होना चाहिये लेकिन उससे यह तनाव धीरे-धीरे कई जिलों तक पहुंचा।

आगरे में तो बहुत जोर के साथ पहुंचा, मेरठ में पहुंचा, मुरादाबाद में था, रामपुर में था, बरेली में था, इलाहाबाद में था, लखनऊ में था, वाराणसी में था और बिजनौर में भी एक खासा तनाव था, उस परगने में भी था जहां पर हाफिज जी रहा करते थे, तहसील धामपुर में था और अन्य कुछ जगहों में वह तनाव था। उससे हमें यह भय हो रहा था कि 16 तारीख को जब प्रोटेस्ट डे मनाया जायगा तो उसमें हमने कभी उसको कम्युनल रायट नहीं कहा हमने उसको पोलिटिकली मोटिवेटेड ही माना है। हमने बनारस में भी बयान दिया कि वहां पर वह कोई कम्युनल रायट नहीं था बल्कि पोलिटिकली मोटिवेटेड मामला जरूर था। राजनीति की शक्ल देकर उस को कम्युनल जरूर बनाया गया। मैं मानता हूं कि तनाव था और उसको मीट करने का पूरा प्रबन्ध भी किया गया था। आप इसे धृष्टता न समझें तो मै बड़े नम्र शब्दों में आपसे निवेदन कर सकता हूं कि जो भी प्रबन्ध किया गया यदि वह न किया गया होता तो इसमें सन्देह नहीं है कि खाली बनारस और फीरोजाबाद में ही नहीं बल्कि 5, 7 और 8 जिलों में यह दंगे हो सकते थे।

दुर्भाग्य हमारा यह है कि सारे प्रदेश में हम उसको रोक सके लेकिन न मालूम किन कारणों से, भर्त्सना और निन्दा हमें सुननी थी, कुछ कुंडली में गड़बड़ ग्रह आ गये होंगे जिससे यह निन्दा और भर्त्सना सुननी पड़ी और दंगा उस नगर में हुआ जहां की धरती में मैं जन्मा और जहां मैं खेला वहां के मुसलमानों की निगाह में इन दंगों से मेरी हैसियत जरूर गिरी होगी और वह कहते होंगे कि पंडित जी के शासन काल में यह हो गया जबकि इससे पहले कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं सदा ही उनका सेवक रहा हूं। इसका प्रचार भी बहुत किया गया। मैंने बनारस के बड़े-बड़े दंगे देखे हैं, अंग्रेजी राज में भी और बाद में सन् 47 में भी और जिस तरह से वह चले और उनका हानि लाभ-हुआ वह सब मैंने देखा है। वहां तो अक्सर हिन्दुओं को मुझसे शिकायत हो जाती रही कि पंडित जी तो मुसलमानों का साथ देते हैं लेकिन मेरा मत है कि बहु संख्यकों की यह जिम्मेदारी और धर्म है कि वह अल्पसंख्यकों की रक्षा करें, मेजारिटी कामुनिटी का धर्म है कि वह माइनारिटीज का प्रोटेक्शन करें। यदि यह चीज न हो तो उनकी सुरक्षा हो नहीं सकती। जो कुछ हुआ उसका कोई पहले से इरादा हो नहीं सकता लेकिन यह घटना क्रम चला और सूबे में अशांति हुई और 2 जगह विशेष गड़बड़ हुई, इसके लिये इस तरह से किसी को दोष देना कोई मुनासिब बात न होगी लेकिन फिर भी कुछ बातों की थोड़ी सी सफाई देना जरूरी है। यह एल० आई० यू० की रिपोर्ट है:

"During the course of this meeting, one.... (नाम मैं छोड़ देता हूं) Organising Secretary of Youth Majlis, Varanasi had stood up and declared that in the present Governmental set up in India peaceful agitational activities do not bear any fruit. The Non-Congress political parties could not achieve any success in Kerala, West Bengal and other States of India without resorting to violent means." ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं। जितनी स्पीचेज हुयीं, तो हमें कुछ व्यवस्था करनी चाहिये थी या नहीं करनी चाहिये थी। व्यवस्था की, और मुझे प्रसन्नता है....

श्री चरण सिंह--

एक नौजवान ने स्पीच में कहा उस मीटिंग में कि हम अनकान्सटीट्यूशनल वायलेन्ट एजीटेशन करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

तो इस प्रकार की स्पीचेज हुयीं और पर्चे बंटे और यह एक और बात कही। तो इस प्रकार की बातों से तनाव बढ़ रहा था। अगर ढिलाई नहीं होती, कहा गया, तो 1 दिन पहले से कार्यवाही क्यों नहीं की गयी, 15 जून को मजलिस के प्रेसीडेन्ट को क्यों नहीं पकड़ लिया। उस मीटिंग में क्या-क्या फैसले लिए ? उस मीटिंग में फैसला हुआ कि हम प्रोसेशन भी नहीं निकालेंगे, मीटिंग भी नहीं करेंगे, केवल काले झंडे अपने मकानों, अपनी दुकानों और मस्जिदों पर लगायेंगे। वह किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं लगायेंगे। कहा गया कि बनारस के तानाशाह कलक्टर और शायद मेरी भी अमलदारी में मीटिंग करने नहीं देते हैं लेकिन शायद मीटिंग करना मुनासिब नहीं है क्योंकि हुक्म नहीं मिल रहा है, इसीलिये उन्होंने कहा कि हम काले झंडे दुकानों पर लगायेंगे और पट्टियां बांधेंगे। ऐसी सूरत में क्या 15 तारीख को मजलिस के प्रेसिडेन्ट को पकड़ लेना मुनासिब था ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मेरा मतलब यह था कि आप को जो प्रिकाशनरी मेजर्स एडाप्ट करने चाहिये थे क्या आपने किए ? बनारस में आपने नहीं किए। उस संदर्भ में मेरी बात को कहना चाहिए था। किसी मजलिस के अध्यक्ष को गिरफ्तार करने का सवाल नहीं था।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अगर हमने न किया होता तो 2 दिन में रायट समाप्त न होते और सारा शहर जलता और देहातों में भी यह फैलता। 48 घंटे में काबू में आ गया। मैं निवेदन कर रहा था कि यह बात हुयी और गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा हुआ गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार करने से खाम ख्वाह प्रोवोकेशन होता और वे कहते कि हम तो वायदा कर रहे हैं लेकिन हमें गिरफ्तार कर लिया। हमारे माननीय शचीन्द्र नाथ बक्शी बड़े भाई हैं, उनसे मैं डरता हूं, स्वतंत्रता संग्राम के जमानें से।

लंगड़ा हाफिज मस्जिद पर पुलिस थी। 12 तारीख को नमाज होने वाली थी और जुमे का दिन था। उसके पहले ही वहां पर पुलिस काफी संख्या में उपस्थित थी। कुछ लड़के निकले जिन्होंने झंडा लगाया। जबरदस्ती चढ़ कर झंडे लगाने आरम्भ कर दिए और दुकानों को बन्द कराना शुरू कर दिया, केवल अपनी दुकानों को नहीं, दूसरों की भी बन्द कराना शुरू कर दिया। तो वहां पर टेन्शन हुआ दिखाई पड़ा। यहां तक भी कहा गया कि अगर आप दुकानें नहीं बन्द करेंगे तो लूट लेंगे। पुलिस ने हस्तक्षेप किया। उसके बाद मस्जिद से ढेले चले। काफी देर तक ढेले चलते रहे। फिर वहां पर टियर गैस का प्रयोग हुआ, कोई फायरिंग नहीं हुयी। 20-25 मिनट तक ढेले चले, लोग घायल हुए। जब नहीं हटे तो टियर गैस का प्रयोग किया। उसके बाद भीड़ हटी। यह कहना कि वहां पर हाफिज जी की मस्जिद पर गोली चल गयी, यह गलत है। वहां से लोग निकले फिर उन्होंने कहा कि हमारी नमाज कैसे होगी तो पुलिस ने स्वयं कहा कि आपको कोई खतरा नहीं है। यहां नमाज कब होगी ? 22 बजे और 12 बजे पुलिस के घेराव में उधर किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होने पाया। एक बजे की जो नमाज होती है वह हुई। नमाज के बाद लोग चले वापिस निकलकर मदनपुरा और जनानबाड़ी में इकट्ठे हो गये। उस वक्त पुलिस बहुत थोड़ी मात्रा में थी। ढेले चले

मकानों से। आपने कहा कि बयान दे दिया कि स्ट्राइकिंग फोर्स है। जैसा कि निकाला गया पी०ए०सी० स्ट्राइकिंग फोर्स है। इसी सन्दर्भ में कहा था जो मैं कह रहा था कि ऐसी हालात पैदा हो जाती है पी०ए०सी० को बुलाने के लिये। उसके हाथ में तो बन्दूक रहती है। उनकी समझ में यही आता है कि जो तुम पर ढेला चलाये, उस पर गोली चलाओ। इनका तो प्रयोग ही नहीं होना चाहिये। इनकी तो ट्रेनिंग यही होती है कि अटैक हो तो फायर दो। इनको पढ़ाया जाता है। ऐसे मौके पर इनके थ्रू शान्ति व्यवस्था स्थापित करनी है। तो बिना देखे समझे बूझे जिधर चाहो गोली चला दो, यह होता है। अक्सर मैंने देखा और अनुभव यह कहता है कि इसमें दोषी बच जाते हैं निर्दोष मारे जाते हैं। कहीं कोई गरीब मर गया, किसी बच्चे को गोली लग गई। जो खुराफात करने वाले हैं उन पर कोई गोली नहीं चलती है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि उनको कलर ऐसा दिया गया कि मुस्लिम भाइयों के भीतर एक विद्रोह और गुस्सा है। यह हमारा दुर्भाग्य है। उसके लिये मैं क्या कर सकता हूं? ऐसी जगह बैठ गया हूं। इस प्रकार की चीज कहना किसी के लिये मुनासिब भी है। पार्टी की दलबन्दी के ऊपर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मान्यवर, अब आपने कहा कि फैसला कैसे.....

श्री अनन्तराम जायसवाल---

उपाध्यक्ष महोदय, क्या समय बढ़ा दिया आपने ?

श्री उपायक्ष---

पन्द्रह मिनट के बाद हो जाय तो क्या होगा ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

अगर इस तरह का व्यवहार रहेगा तथा एक-तिहाई वक्त भी शासन दल को न दिया जाय तो चर्चा का क्या मतलब होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

धैर्य धरें। यह फैली कैसे बात ? ढेलेबाजी हुई यह बात सही है। मकानों से ढेले आने लगे। आदमी वहां इकट्ठे हो गये। अब नीचे से ढेले मारने उन्होंने शुरू किये। आप शासन से कह सकते हैं कि पी० ए० सी० को कैसे ढेला मारा। जहां कोई फायर नहीं हुआ। एक मकान से फायर हुआ और किसके मकान से फायरिंग हुआ, नाम नहीं लेंगे। नाम लेना हित में नहीं है। दो बच्चे मरे। ग्यारह आदमी घायल हो गये। अखबारों ने उन बच्चों का नाम छापा। उनकी तस्वीरें छापीं 12 और 14 वर्ष के बच्चों की। सारे शहर में उग्र स्वरूप धारण कर लिया। आप देखें कि इतना कड़ा इन्तजाम था कि मदनपुर की साइड को नहीं फैलने पाया। उस एरिया की तरफ चला---शिवपुरा बजरडीहा और दीनदयालपुरा की मैं बात कह रहा था। एक मस्जिद है वीरान, निर्जन स्थान, जहां कोई आबादी दो-चार फर्लांग के बीच में नहीं है। चार फर्लांग के ऊपर एक-दो गांव हैं। शाम को साढ़े सात बजे कन्ट्रोल रूम को यह टेलीफोन जाता है कि मस्जिद तोड़ी जा रही है और जलाई जा रही है। मस्जिद तोड़ी गई और जलाई गई। सचिव बाबू के साथ मैं वहां देखने के लिये गया। पुलिस फोर्स गई और कलेक्टर भी गये। पुलिस देखकर लोग भाग खड़े हुये और हमने करीब 100–200 को देखा, कुछ गिरफ्तार हुये और उन्होंने बताया कि कौन आदमी थे, तो उन लोगों ने बताया कि फला गांव के लोग थे, पुलिस गई गिरफ्तारियां हुईं.....

श्री शंकर लाल जायसवाल (जिला वाराणसी)—

यह सब गलत है....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आप जो कहें वह सही है और मैं जो कुछ कहूं सब गलत है। अगर हम गिरफ्तारियां न करें तो आप कहेंगे कि लीनियेन्सी बरती और अगर हम करते हैं तो अत्याचार करते हैं। मैं फीरोजाबाद की बात बताऊं एक डिप्टी कलेक्टर ने वहाँ 200 मुसलमान आदमियों को अकेले निकाल कर लाया। अकेला एक हिन्दू और सब लोगों ने तारीफ की।

श्री चरण सिंह—

फीरोजाबाद में अकेले 48 मुसलमान मारे गये और पुलिस की गोली से कितने हिन्दू मरे ? जितने मकान जले सब मुसलमानों के, हिन्दुओं का क्या नुकसान हुआ, यह आप बतायें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आपके पास 48 की रिपोर्ट है और मेरे पास दूसरी रिपोर्ट है। मैं यह कह रहा था कि फीरोजाबाद में क्या हुआ—मकान जले। किस पार्टी का हाथ था यह मैं नहीं कहूंगा। एक दुराव पैदा करने के लिये तथा फिर से हृदयों में एक गुस्सा पैदा करने की अब आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने मकान जलाये उनकी गिरफ्तारियां की गईं और उन्हीं के सामने मकान जले थे, हिन्दुओं के भी मकान जले थे और मुसलमानों के भी मकानों में आग लगाई गई। इस्लामियां इन्टर कालेज को जामा मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। मान्यवर, जब एक अफवाह फैलती है और इस प्रकार के केसेज होते हैं, तो कुछ लोग मरते हैं लेकिन कहा जाता है कि इतने आदमी मर गये, इतने आदमी आग में झोंक दिये गये और चारों तरफ रिटेलिएशन शुरू हो जाता है। और ऐसी परिस्थितियों के बीच में पुलिस को काम करना पड़ता है और हम छानबीन कर रहे हैं। यह नहीं कहता कि ज्यादती नहीं हुई, लेकिन ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की ज्यादती हो जाती है। जिन्होंने ज्यादती की है उनका मामला सामने आयेगा और सजा भी मिलेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं केवल एक स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मन्त्री जी से चाहता हूं कि इन सारी बातों को देखते हुये क्या वह जुडिशल इन्क्वायरी इस मामले में करायेंगे कि नहीं, इसका उत्तर दें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस प्रश्न का उत्तर देना मैं कोई आवश्यक नहीं समझता हूं जुडिशल इन्क्वायरी से नुकसान ही होगा, फायदा नहीं। अतः उसे मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 44 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मिश्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
27 जुलाई, 1972,

नत्थी "क"

[देखिये नियम 29(4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न सख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 172 पर]

तालिका

माह अप्रैल, 1972 में इटावा जिले के भरथना तथा दिबियापुर थानों के अन्तर्गत पड़ी डकैतियों तथा हत्या सहित डकैतियों की सूचना

थाने का नाम	घटना का दिनांक	व्यक्तियों का नाम व पते जिसके यहां डकैती पड़ी	व्यक्ति का नाम जिसकी हत्या की गई	किस प्रकार हत्या की गई	अपराध संख्या तथा धारा जिसमें मुकदमा अंकित हुआ और अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1-भरथना	19/20-अप्रैल, 1972 ।	श्री सन्त सिंह, मुहल्ला महाबीर नगर, कस्बा भरथना।	(1) श्रीमती महेन्द्र कौर, पत्नी सन्त सिंह, (2) श्रीमती बसन्त कौर पत्नी ईश्वर सिंह, (3) श्री सदानन्द, पुत्र देवी दयाल।	बन्दूक से गोली चलाकर ।	अ० सं० 63, धारा 396, भा० दं० वि० घटना से सम्बन्धित 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके दिनांक 29 अप्रैल, 1972 को जेल भेजा गया। एक अभियुक्त ने दिनांक 4 मई, 1972 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा उसे उसी दिन जेल भेजा गया। अभी जांच जारी है।
2-भरथना	19/20-अप्रैल, 1972 ।	श्री हरबश सिंह, पुत्र श्री काली चरन यादव, नगला इकहरा, मौजा वीरसेनपुर, थाना भरथना।	..	..	अं०सं० 64 धारा 395/397 भा० दं० वि०, जांच जारी है।

3–दिबियापुर	12/13 अप्रैल, 1972।	श्री सीताराम, पुत्र धनीराम, काछी, सा० ऊदपुर की मड़इया, थाना दिबियापुर।	..	..	अ० सं० 67, धारा 395, भा० दं० वि०, जांच जारी है।
4–दिबियापुर	12/13 अप्रैल, 1972।	श्री इतवारी, पुत्र छोटकन, मेहतर, सा० हरीपुरवा, थाना दिबियापुर।	..	..	अ० सं० 67-ए-धारा 395 भा० दं० वि०, जांच जारी है।
5–दिबियापुर	12/31 अप्रैल, 1972।	श्री बाबू पुत्र कलकु दोहरे, सा० उमरसाना, थाना दिबियापुर।	..	..	अ० सं० 67, की धारा 385 भा० दं०वि०, जांच जारी है।
6–दिबियापुर	13/14-अप्रैल, 1972।	श्री झन्डू सिंह, पुत्र बिहारी लाल, सा० पुरवा समाधान, मौजा सेहुर' थाना दिबियापुर।	..	..	अ० सं० 69, धारा 395/397 भा० दं० वि०, घटना से सम्बन्धित एक अभियुक्त को दिनांक 22 अप्रैल, 1972 को गिरफ्तार किया गया, तीन अभियुक्तों ने न्यायालय में दिनांक 7 मई, 1972 को आत्मसमर्पण किया। विवेचना से अपराध धारा 148/307 452, भा० दं० वि० का पाया गया और दिनांक 2 जून, 1972 को चालान अदालत किया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका

माह अप्रैल, सन् 1972 में इटावा जिले के भरथना तथा दिबियापुर थानों के अन्तर्गत हुई हत्याओं की सूचना

थाने का नाम	घटना का दिनांक	व्यक्ति का नाम व पता जिसकी हत्या हुई	किस प्रकार हत्या की गई तथा घटना का स्थान	अपराध सं० तथा धारा जिसमें मुकदमा अंकित हुआ और अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	2	3	4	4
1—भरथना	22 अप्रैल, 1972	श्री सूबेदार सिंह, पुत्र श्री महाराम सिंह यादव, बदरियापुर, मौजा बहार-पुर, थाना भरथना।	तमन्चे से फायर करके, ग्राम भेरायां, मौजा बहारपुर, थाना भरथना।	अ० सं० 65 धारा 302/201 भा० दं० वि०। मुकदमें से सम्बन्धित ३ अभियुक्तों ने दिनांक 16 मई, 1972 को आत्मसमर्पण किया और वे उसी दिन जेल भेजे गये। एक अभियुक्त ने आगरा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इस मुकदमें में चार्जशीट दिनांक 18 जून, 1972 को लगाई गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम 29(4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 175 पर]

नकल बयान पकड़ पीतम सिंह जो उसने मुठभेड़ के बाद एस० ओ० चिनहट को दिया

दरयाफते पीतम, पुत्र मनोहर लाल काछी, निवासी भोलपुरा, थाना डौकी ने बताया कि मैं भोलपुरा से अपने अंजन के पास छप्पर के बाहर सो रहा था। यह तारीख दिनांक 10 अप्रैल, 1972 की बात है। मेरे पास मेरे नौकर सो रहे थे। रात को 11-12 बजे 8 बदमाश जिनके पास यह असलाह थे जो आज मुठभेड़ से बरामद हुये हैं। मेरे पास पहुंच गये। और मुझे उठा लाये। मैंने पूछा क्या बात है तो जबरदस्ती मुझे पकड़ लिया और लेकर चल दिये। दो बदमाश लाठी लिये थे। रात भर मुझे चलाते रहे फिर सुबह होते ही मेरी आंखें बांध दी और किसी मकान में ठहरा दिया। अगली रात को फिर चल दिये और सुबह होने पर फिर एक गांव में रात में मुझे ठहरा दिया। गांव का नाम नहीं जानता। रात करीब ३ बजे इस गांव में आ गये जहां आज सुबह गोली चली है। मैं घर के अन्दर सो रहा था। किसी ने बाहर से आवाज दी कि पीतम बाहर आ जाओ मैं बाहर आ गया तो बाहर पी० ए० सी० वाले मिल गये। मैं उन्हीं के पास रहा फिर पुलिस व बदमाशों से गोली चल गई और चार डकैत मारे गये। रामनाथ डकैत जो पकड़ा गया है। वही अपने को बटैरा बताता था। कोई बदमाश भागा या नहीं यह मुझे नहीं मालूम। इस मामले में मेरे गांव के पोथी काछी को फंसा दिया जाय तो अच्छा है उसी ने मुझे उठवाया होगा।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 184 पर)

उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम के पदाधिकारियों की सूची

(1) श्री जीवन चन्द्र पांडे .. प्रबन्ध निदेशक,

(2) श्री प्रीतम लाल बांगा .. वित्त प्रबन्धक व सचिव

(3) श्री रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव मन्डलीय प्रबन्धक (संग्रहण, पूर्ति, क्रय-विक्रय)।

(4) श्री केदार सिंह पोनिया .. मन्डलीय प्रबन्धक (पर्यटन एवं यातायात)।

संसद पुस्तकालय

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 189 पर)

सुरक्षा कोष में धन वितरण

ग्राम सभा का नाम	दानकर्ताओं की संख्या	रसीद संख्या	दिनांक	धनराशि जो प्राप्त हुई	प्रधानों को प्रमाणित सूची देने का दिनांक
1	2	3	4	5	6
				रु०	
1–बेतनार	82	55/4204	25-12-71	83.00	25-12-71
	38	56/4264	29-12-71	44.00	29-12-71
		156/3884	29-12-71	162.00	29-12-71
		189/4721	31-12-71	10.00	31-12-71
		131/8015	28-1-72	5.00	28-1-72
			योग ..	304.00	
2–डाकेम	14	633/15810	24-12-71	100.00	24-12 71
	6	633/15819	,,	100.00	,,
	3	633/15821	,,	50.00	,,
	14	633/15824	,,	100.00	,,
	25	634/15837	28-12-71	206.00	28-12-71
	12	117/7325	4-1-72	82.00	4-1-72
	1	173/11278	31-1-72	10.00	केवल एक व्यक्ति श्री सत्यपाल सिंह का दान। अतः प्रमाणित सूची देने का प्रश्न ही नहीं उठता।
			योग ..	648.00	
3–पिपूरहिया	25	61/4523	29-12-71	67.00	29-12-71
(हलुबा हसनपुर)	27	61/4524	29-12-71	39.00	29-12-71
			योग ..	106.00	
4–मदवा	..	..	..	..	..
5–प्रतापपुर	..	..	..	..	..
			सम्पूर्ण योग ::	1,058.00	

नत्थी "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 73 का उत्तर पीछे पृष्ठ 201 पर)

नकल तहरीरी हिन्दी

सेवा में श्रीमान् थाना इन्चार्ज महोदय, थाना मंगलपुर, कानपुर, मान्यवर, निवेदन है कि आज दिनांक 10 मार्च, 1972 को कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग राम दुलारे मिश्र को वोट मांगने गये जिनके साथ मेरे पिता मोहन गांव में हरिजन आबादी में गये और उनके साथ वोट मांगने में रहे जिससे गांव के कुर्मी लोगों को बहुत बुरा लगा और कांग्रेस वालों के चले जाने के बाद सोने लाल व सालिकराम पिता का नाम गयादीन व भजनलाल, पुत्र गया प्रसाद व रामेश्वर पुत्र सूबा लोहार मेरे दरवाजे आये और कहा तुम नेतागीरी करते हो इस तरह गांव में नहीं रह पाओगे इस पर मेरे पिता ने कहा जो भी हो मैं वोट रणधीर सिंह को नहीं दूगा मैं गाय व बछड़ा वाली कांग्रेस को वोट दूंगा इस पर उक्त लोग यह धमकी देकर चले गये कि तुम्हें जिन्दा भी नहीं रहने देंगे इसके बाद करीब 2 बजे मेरे पिता जी व मैं अपने खेतों पर गये कि 4 बजे सोने लाल जो बन्दूक लिये था तथा सालिकराम व भजन लाल कांता लिये था और रामेश्वर फर्सा लिये आये और कहा कि बोल साले अब वोट किसे देगा तो फिर पिता ने कहा कि जिसे इच्छा होगी उसे देंगे इस पर सोने लाल ने बन्दूक तानी और कहा मार दो बचने न पावे तो उपरोक्त लोग कांते व फर्से से मारने लगे ? जिससे उनके सिर व शरीर में गम्भीर कांते व फर्से की चोटें आयीं और दायें हाथ का अंगूठा कट कर बिल्कुल अलग हो गया तथा बांया हाथ की हड्डी सहित कलाई कट गई मेरे व पिता जी के चिल्लाने पर मेरी मां व बहन हरियाली छीन रही थी दौड़ पड़ीं और चिल्लाई तो और लोग सोने लाल निवासी ग्राम हिसावा व खुशी लाल व रामचरन निवासी ग्राम कौरे व शम्भू नाथ शुक्ल, निवासी प्रयागपुर या मंगलपुर दौड़े जिससे मुल्जमान भाग खड़े हुये। रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही की जावे। प्रार्थी अं० नि० रामस्वरूप, आ० मोहन लाल कौरु, जलालपुर, थाना मंगलपुर, कानपुर, लेखक कन्हैया लाल कौरु, जलालपुर, थाना मंगलपुर, कानपुर।

EXTRACT OF POST MORTEM No. 125

Post Mortem No. 125/11/3/72 Mohan - 40 years, s/o Ram Bharosey, r/o Kaura Mirzapur, P. S. Rangalpur.

Cause of death as a result of shock and (sic) haemorrhage, as a result injury no (2) and (3).

(Sd.) C. A. Khanna,
11-3-72.

परिशिष्ट "च"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 220 पर)

1 जनवरी, 1972 तथा मई, 1972 तक बस्ती जिले के विभिन्न थानों में प्राप्त कत्ल, डकैती एवं राहजनी की रिपोर्टों के बारे में सूचना

क्रम-सं०	थाने का नाम	प्राप्त रिपोर्टों की संख्या		
		कत्ल	डकैती	राहजनी
1	कोतवाली	6	15	47
2	मुन्डेरवा	3	3	19
3	खलीलाबाद	5	15	10
4	महुली	3	8	6
5	घनघटा	2	2	..
6	दुबारा	4	13	18
7	मेंहदावल	6	9	12
8	रथौली	2	5	6
9	बाँशी	4	11	10
10	उसका	7	5	3
11	लोटन	2	8	11
12	चिटिक्या	4	8	5
13	हटवा	4	4	5
14	छेबरुआ	3	2	8
15	त्रिलोकपुर	3	1	1
16	छावनी	3	3	14
17	कप्तानगंज	3	8	16
18	पैकोलिया	4	10	8
19	परसरामपुर	6	4	9
20	सोनहा	3	12	8
21	डुमरियागंज	2	8	7
22	कलवारी	1	6	4

पी० एस० यू० पी०—एल० 254 एल० ए०—1973—945 ।